लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. B.....60.....
Date.....5/3/90.....

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 10 मार्च, 1989/ 19 फाल्गुन, 1910 (शक)

का

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
17	नीचे से 2	"फैलरो" के स्थान पर "फैलीरो" पढ़िये ।
	11	"(क) से (ड॰)" के स्थान पर "(ख) से (ड॰)" पढ़िये ।
	नीचे से 10	शीर्षक में "को" के स्थान पर "के" पढ़िये ।
	8	"(क) से (ख)" के स्थान पर "(क) से (ग)" पढ़िये ।
3	4	"(क) और (ख)" के स्थान पर "(क) से (घ)" पढ़िये ।
4	22	"(ड॰)" के स्थान पर "(ग) से (ड॰)" पढ़िये
5	2	"एन्टनली" के स्थान पर "एन्टनी" पढ़िये ।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 47, तेरहवां सत्र, 1989 / 1910 (शक)

अंक 13, शुक्रवार, 10 मार्च, 1989/19 फाल्गुन, 1910 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर:	
*तारांकित प्रश्न संख्याः 224 से 230	1-21
प्रश्नों के लिखित उत्तर:	
तारांकित प्रश्न संख्याः 231 से 244	22-40
अतारांकित प्रश्न संख्याः 2059 से 2246	40-141
विशेषाधिकार का प्रश्न	144-145
सभा पटल पर रखे गए पत्र	146-150
सभा का कार्य	150-154
रेल बजट 1989-90 (सामान्य चर्चा)	154-191
श्री उत्तम राठोड़	154
डा० गौरी शंकर राजहंस	156
कुमारी ममता बनर्जी	157
श्रीमती बसवराजेश्वरी	158
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	160
श्री अख्तर हसन	162
श्री राम श्रेष्ठ खिरहर	163
श्री कम्मोदीलाल जाटव	163
श्री अनंत प्रसाद सेठी	164

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश 165
चौधरी लच्छी राम 166
श्री शांति धारीवाल 168
श्री तम्पन थामस 170
श्री मनोज पांडे 171
श्री जयप्रकाश अग्रवाल 173
श्री कमला प्रसाद रावत 174
डा० गुलाम याजदानी 175
श्री माधवराव सिंधिया 177

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति 191

60वां प्रतिवेदन

विधेयक पुरःस्थापित

(एक) लोक कार्यालयों में अवकाश पर निर्बन्धन विधेयक
श्री एस० बी० सिदनाल 191

(दो) राष्ट्रीय बाल कल्याण बोर्ड विधेयक
श्री एस० बी० सिदनाल 192

(तीन) क्रिश्चियन विवाह तथा विवाह विघटक वाद विधेयक
श्री तम्पन थामस 192

(चार) विकलांग तथा मन्दबुद्धि बाल कल्याण विधेयक
श्री शांतिलाल पटेल 192-193

(पांच) अनिवार्य बन्ध्यीकरण विधेयक
श्री जी० एस० बासवराजू 193

(छः) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 57 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)
श्री ए० चार्ल्स 193

(सात) घरेलू कर्मकार (सेवा की शर्तें) विधेयक
श्री तम्पन थामस 194

विधेयक- वापस लिया गया 194

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा 59 और 61 में संशोधन)
श्री शरद दिघे 194

असंगठित श्रमिक कल्याण निधि विधेयक 194-217

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश 195

श्री बसुदेव आचार्य 197

श्री ई० अय्यपू रेड्डी 200

श्री चिन्तामणि जैना 203

श्री शांताराम नायक 205

श्री पीयूष तिरकी 208

श्री के० डी० सुल्तानपुरी 212

श्री मनोज पांडे 215

लोक सभा

शुक्रवार, 10 मार्च, 1989 / 19 फाल्गुन, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण

*224. **श्री एस० बी० सिदनाल:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण को सुचारू बनाने हेतु कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में प्रशासनिक ढांचे में अथवा अन्य किन परिवर्तनों पर विचार किया गया है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्डुआर्डो फैलीरो): (क) से (ग): राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण की बराबर समीक्षा की जाती है और उनकी कार्यकुशलता तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथोचित उपाए किए जाते हैं।

श्री एस० बी० सिदनाल: वित्त मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य को देखते हुए "यह महसूस किया गया था कि इस क्षेत्र में अब उपलब्ध प्रौद्योगिकी का लाभदायक तरीके से उपयोग किये जाने की जरूरत है और यांत्रिकीकरण और कम्पयूटरीकरण के त्वरित उपयोग किये जाने की आवश्यकता थी," मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा बैंकों की कार्यकुशलता बढ़ाने की दृष्टि से आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है जिससे कि बैंक कर्मचारियों की उन्नत कार्यकुशलता के परिणाम ग्राहकों तक पहुंच सकें।

श्री एड्डुआर्डो फैलीरो: हमने ग्राहकों के लाभ के लिए और ग्राहक सेवा में सुधार के लिए क्या कदम उठाए हैं। यह ग्राहक सेवा संबंधी सुधार के लिए केवल उपाय ही नहीं है। हमने उपलब्ध सेवाओं के प्रति ग्राहकों को जानकारी देने के बारे में पहले ही कदम उठाए हैं, इसलिए, उदाहरण के लिए, हमने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्राहकों के लिए उपलब्ध कुछ सुविधाओं को स्पष्ट तरीके से अपनी शाखाओं में प्रदर्शित करें। यह केवल ग्राहकों के लिए कुछ करना ही नहीं है। यह ग्राहकों को उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है जिससे कि वे शाखा से सुविधाएं प्राप्त कर सकें। उदाहरण के लिए यदि ये 2500/- रुपए तक के अन्य नगरों के चैक हैं और यदि किसी व्यक्ति का उसमें खाता है तो उसे काउंटर पर तत्काल अदायगी कर देनी चाहिए और अन्य नगरों के चैकों के लिए 14 दिन के आधे समय के लिए, यदि उसके संग्रह और अदायगी में देरी की जाती है, तो बैंक स्वयं ग्राहक को बचत बैंक दर पर ब्याज आदि देंगे। बहुत से ऐसे कदम उठाए गए हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं कहता हूं यह एक सतत् प्रक्रिया है, जैसा कि मैंने लिखित उत्तर में बताया है। जब कभी भी हमें इन बातों के लिए सहायक सामग्री मिलती है, जिसे अब तक किया जाना चाहिये, हम इसे बैंकों में भेज देते हैं। अपनी बात को समाप्त करने से पहले, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बैंकों का प्रबन्ध, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। यह परम्परा रही है जिसका संसद ने भी समर्थन किया है कि रिजर्व बैंक को बैंकों के प्रबन्ध का काम सौंपा जाना चाहिए और बैंकों के कार्यकरण में उनकी प्रगति, कठिनाइयों और समस्याओं पर निगरानी रखे वह स्वायतशासी होनी चाहिए और यह कि सरकार को उनके रोजमर्रा के प्रबन्ध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही स्थिति रही है जिसका इस संसद द्वारा समर्थन किया जाता रहा है। यही स्थिति है जिसका हम समर्थन करते हैं और पालन करते हैं।

श्री एस० बी० सिदनाल : महोदय, बहुत समय से गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई है,

ऐसा कहा जाता है कि अकुशलता बढ़ रही है। मुकदमेबाजी भी बढ़ रही है तथा वसूली भी कम हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। इस हालत में, क्या सरकार ने इन मामलों को निपटाने के लिए एक समिति स्थापित करने के बारे में विचार किया है? हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री एस० बी० चव्हाण ने भी एक वक्तव्य दिया था जिसमें भारतीय स्टेट बैंक की प्रशंसा की गई है कि इसने समझौता फार्मूला अपना कर कुछ मुकदमेबाजी को समाप्त किया है। यदि ऐसा है तो क्या अन्य बैंकों ने मुकदमेबाजी को कम करने और न्यायालय के शुल्क और वकीलों के शुल्क आदि को बचाने के लिए मुकदमा करने वाले के द्वारा समझौता करके इस फार्मूले को अपनाया है। इस तरीके से क्या सरकार ने बैंकिंग कार्यकुशलता का पुनर्गठन करने के बारे में विचार किया है? मैं इस संबंध में विस्तार से जानना चाहता हूं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो: महोदय, हम वसूली के इस प्रश्न के बारे में वास्तव में चिन्तित हैं, जो भी हो बैंक वाणिज्यिक संस्थान हैं। हम धन देते हैं और हमें वह ब्याज सहित वापस भी आना चाहिए। अतः वसूली का प्रश्न निश्चय क्रम से एक ऐसा प्रश्न है जोकि हमारे लिए सर्वोपरि है, यह केवल छोटे ऋण लेने वालों की वसूली की बात नहीं है। इस बात पर प्रायः बल दिया जाता है कि छोटे कर्जदार धन वापस नहीं कर रहे हैं। वास्तव में हमें बहुत से मामलों में बडे कर्जदारों से वसूली नहीं हो रही है। यह चिन्ता का मामला है। जो कुछ माननीय मंत्री ने सुझाव दिया है उसे हम विधान में परिवर्तन अथवा सुधार करते समय ध्यान में रखेंगे जिससे कि वसूली विशेषकर बड़े कर्जदारों से वसूली की ओर अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

श्री एस० बी० सिदनाल: मुकदमेबाजी के बारे में क्या कहना है? **(व्यवधान)**

श्री पी० आर० कुमारमंगलम: मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि चयन, विशेषकर बैंकों के अध्यक्षों और प्रबन्ध निदेशकों के चयन का कोई निष्पक्ष तरीका है। वास्तव में काफी समय से यह हो रहा है कि चयन, बैंक के लोगों में से ही किया जाता है। बाहर के किसी आदमी को इसका पता ही नहीं चलता है। मेरे विचार में चयन उच्च स्तर पर कुछ आन्तरिक रिपोर्टों के आधार पर किया जाता जिनमें उच्च स्तर पर आसानी से हेराफेरी की जा सकती है। इस स्थिति को देखते हुए, क्या सरकार अध्यक्षों और प्रबन्ध निदेशकों को चयन के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड अपना किसी ऐसे बोर्ड जैसे स्वतंत्र निकाय की स्थापना करने पर विचार कर रही है? वास्तव में हम सभी के बहुत से कार्यकारी निदेशकों के बारे में जानकारी है। एक मामले में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने एक निदेशक की खिंचाई भीकी थी और इसी प्रकार, हमें यह भी पता है कि उनमें से बहुत से अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। वास्तव में मेरा कहने का अर्थ है कि बैंकों मे गलत कार्यों को रोकने और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को सुचारू बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें प्रतिभा और व्यवसायिक वाद को तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा दिया जाए। मेरे विचार में यह तब तक संभव नहीं जब तक कि चयन के लिए स्वतंत्र निकाय नहीं बनाया जाता। क्या सरकार इसके बारे में विचार कर रही है?

श्री एडुआर्डो फैलीरो: हमने देखा है कि जहां तक मानवीय दृष्टि से संभव है वर्तमान प्रणाली निष्पक्ष है। इसलिए माननीय सदस्य के सुझाव अनुसार एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना के प्रश्न पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री एम० रघुमा रेड्डी: मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सभी बैंकों के लिए उत्पादकता और अधिकारी-लिपिक अनुपात के संबंध में कोई एक समान निश्चित मार्गनिर्देश है। इस संबंध में क्या मार्गनिर्देश जारी किये गए हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सर्विस एरिया अप्रोच प्रोग्राम के बारे में सरकार का कोई प्रस्ताव है। यदि ऐसा है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वे किस कार्यक्रम पर विचार कर रहे हैं; क्या वे उसे लागू करने जा रहे हैं। क्या इन बैंकों द्वारा सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं अर्थात संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डी० आर० डी० ए० और अन्य कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा? उनके बारे में क्या स्थिति है? मेरे निर्वाचन क्षेत्र नालगौंडा में, बहुत से बैंक में ऋण नहीं दे रहे हैं जिससे सरकारी राज सहायता की

सम्पूर्ण धनराशि जोकि स्वीकृत की गई है वह बेकार जा रही है। इस मामले में मंत्री का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो: सबसे पहले मैं प्रश्न के पहले भाग को लेता हूं। बैंकिंग उद्योग में प्रति व्यक्ति औसत कार्य की उत्पादकता जो दिसम्बर, 1985 के अन्त में 17.06 लाख रुपए थी वह दिसम्बर, 1987 के अन्त में बढ़कर 21.72 लाख रुपए हो गई।

सर्विस एरिया अप्रोच कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में, उसके बारे में यह धारणा दिखाई देती है कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक शाखा गांवों के समूह के लिए प्रभारी शाखा होगी। और यह शाखा इन सामूहिक गांवों के लिए अथवा शाखा के समान क्षेत्र के लिए ऋण योजना तैयार करेगी और इस ऋण योजना को वार्षिक आधार पर बहुत जल्दी कार्यान्वित किया जाएगा।

श्री एम० रघुमा रेड्डी: आप ऐसा कब तक करने जा रहे हैं?

श्री एडुआर्डो फैलीरो: हम इसे पहली अप्रैल से अर्थात नए वित्तीय वर्ष में शुरू कर रहे हैं।

सोना पकड़ा जाना

*225. **श्री कृष्ण सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्व खुफिया विभाग और सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा गत तीन महीनों के दौरान कुल कितनी मात्रा में सोना पकड़ा गया और पकड़े गये माल का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में सोने की तस्करी और तस्करी के सोने की बिक्री रोकने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) और (ख): एक विवरण सदन-पटल पर रखा गया है।

विवरण

पिछले तीन महीनों के दौरान सारे देश में राजस्व निदेशालय, सीमा-शुल्क प्राधिकारियों तथा अन्य प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा पकड़े गये सोने की कुल मात्रा नीचे दी जाती है:

माह	पकड़े गये सोने की मात्रा (राजस्व आसूचना निदेशालय सहित अखिल भारत) (किलोग्राम में)	पकड़े गये सोने का मूल्य (राजस्व आसूचना निदेशालय सहित अखिल भारत) (करोड़ रुपये)	राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा पकड़े गये सोने की मात्रा (किलोग्राम में)	राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा पकड़े गये सोने का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
दिसम्बर, 1988	1490	52.98	315	10.40
जनवरी, 1989	1075	36.26	50	1.65
फरवरी, 1989	1832	61.00	743	24.37
जोड़	4397	150.24	1108	36.42

(ख): सारे देश में तस्करी-रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है। निषिद्ध माल की तस्करी को

रोकने तथा उस पर नियंत्रण रखने के लिए तस्करी-रोधी तंत्र विशेष रूप से समुद्र-तट क्षेत्रों में, भू-सीमाओं में, अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों तथा हवाई अड्डों पर सतर्क रहता है। यात्रियों द्वारा अपने शरीर में तथा अपने असबाब तथा कार्गो में छिपा कर लाये जाने वाले सोने का पता लगाने तथा उसे लाने से रोकने के लिए एक्सरे असबाब मशीनों, धातु खोजी यंत्रों जैसे अत्याधुनिक तस्करी-रोधी उपकरणों को प्रयोग में लाया जाता है। निषिद्ध माल की तस्करी का पता लगाने तथा उसे रोकने में लगी विभिन्न एजेन्सियों के साथ घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जाता है।

श्री कृष्ण सिंह: पिछले प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह बताया था कि सोने की तस्करी के संबंध में वर्ष 1988 के दौरान लगभग 1327 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। क्या मैं जान सकता हूं कि उनमें से कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया था और उनमें से कितने लोगों को दोषी पाया गया था; क्या ये तस्कर पंजाब में आतंकवादियों की गिरफ्त में हैं जो उन्हें इस लूट के माल के बदले हथियार लेने के लिए दबाव डालते हैं, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री ए० के० पांजा: अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1988 में, 3290 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 2281 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था और 749 लोगों को दोषी पाया गया था।

जहां तक पंजाब के आतंकवादियों का सम्बन्ध है, स्वापक पदार्थों और सोने के बारे में उनका सम्बन्ध होने के बारे में अन्तिम रूप से हमें कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन हम इसकी संभावना से इन्कार नहीं कर सकते।

श्री कृष्ण सिंह: क्या मैं यह जान सकता हूं कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश में जिस संशोधन पर हाल ही में विचार किया गया था और बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री द्वारा घोषित संबंधित कानूनों से क्या सोने की तस्करी पर प्रभावकारी रोक लगने की संभावना है जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक अस्त व्यस्त होने की संभावना है। यदि हां, तो कानून में क्या विशेष संशोधन करने का विचार है और सोने की तस्करी को रोकने के इस मामले में इसको किस प्रकार लागू किये जाने की संभावना है?

श्री ए० के० पांजा: इसके लिए दो समितियां थी जिन्होंने इस मामले की जांच की — एक दत्ता समिति थी और दूसरी रंगराजन समिति थी। इसके बाद प्रधान मंत्री ने मंत्रियों का एक दल गठित किया जो इन समितियों की विस्तृत सिफारिशों की जांच करेगा इन पर विचार करेगा और यह बतायेगा कि इसके लिए क्या करना होगा।

श्री दौलत सिंह जी जदेजा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री के वक्तव्य में, कुछ संवेदनशील क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। जहां विशेष कदम उठाए गए हैं। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या ऐसे कोई संवेदनशील क्षेत्र है जहां पर पुलिस ने, सीमा शुल्क विभाग की तुलना में अधिक सोना और निषिद्ध माल पकड़ा हो? और इसके बारे में माननीय मंत्री क्या सोचते हैं, इसके क्या कारण हैं?

श्री ए० के० पांजा: यह केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो स्वापक नियंत्रण बोर्ड, राजस्व आसूचना निदेशालय, पुलिस, तट-रक्षक और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल की संयुक्त कार्यवाही है। ऐसा कोई विशेष क्षेत्र नहीं है। यदि यह असुरक्षित क्षेत्र अथवा खुली सीमा है, तो संयुक्त कार्यवाही की जाती है। कुछ क्षेत्रों में ये कर्त्तव्य विशेष ग्रुप कर्मियों को दिये जाते हैं। इसी वजह से, यदि तस्करी की जाती है और यदि वहां पर सीमा सुरक्षा बल मौजूद है तो सीमा सुरक्षा बल ही उसमें हस्तक्षेप करता है। लेकिन इन सभी का समन्वय हम अपने विभाग के माध्यम से करते हैं।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी: समाचार पत्रों में यह खबर थी कि सरकार वास्तविक यात्रियों, विशेष कर महिलाओं को कुछ सीमित मात्रा में सोना अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए लाने की सहमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। क्या यह सच है अथवा नहीं?

श्री ए० के० पांजा: यह सच है। किन्तु सरकार अब इस पर विचार नहीं कर रही है। जैसा कि मैंने कहा है दो समितियों-रंगराजन समिति और दत्ता समिति--नेअनेक सिफारिशें की हैं। इनमें से एक सिफारिश आभूषणों के रूप में सोना ले जाना न कि शुद्ध रूप में सोना ले जाना है। माननीय प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के एक दल को यह कार्य सौंपा है और वे इसकी जाँच कर रहे हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही: उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले तीन महीनों के दौरान अवैध सोना पकड़ने के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये आंकड़े और मात्रा वर्ष 1985-86 में जब्त किए गए सोने की मात्रा से कितनी अधिक है। तुलनात्मक अवलोकन के लिए वर्तमान स्थिति की तुलना में इसकी उस समय क्या स्थिति थी जब इस सरकार ने वर्ष 1985-86 में कार्यभार संभाला था और उस समय, हर व्यक्ति जानता है कि, वित्त मंत्री कौन थे?

श्री ए० के० पांजा: वर्ष 1985-86 में जब्त किए गए सोने का मूल्य 51.89 करोड़ रुपये था। वर्ष 1988 में दिसम्बर माह तक जब्त किए गए सोने का मूल्य 200.51 करोड़ रुपये है। वृद्धि दर 544.11 प्रतिशत है।

बोफोर्स के साथ प्रति-व्यापार

* 226. **डा० ए० के० पटेल:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बोफोर्स के साथ प्रति-व्यापार संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते समय किन उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया था; और

(ख) बोफोर्स के माध्यम से कौन-कौन सी मदें निर्यात की जा रही हैं और उनमें से कौन-कौन सी मदें गैर परम्परागत हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी): (क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क): राज्य व्यापार निगम और मैसर्स बोफोर्स के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने का उद्देश्य मुख्य करार में किए गए प्रति-व्यापार संबंधी प्रावधान को कार्यान्वित करने के लिए प्रचालन प्रक्रियाएं निर्धारित करना है जिसके तहत बोफोर्स ने भारत से वस्तुओं की खरीदारी करने पर सहमति प्रकट की है जोकि संविदा के मूल्य के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(ख): बोफोर्स के साथ प्रति-व्यापार के अन्तर्गत निर्यातित मदों की सूची संलग्न है। इसमें शामिल हैं गैर परम्परागत वस्तुएं जैसे रसायन, भेषज, यार्न/ड्रिल, टैरी टावल्स, हैंड टूल्स, गाल्वेनाइज़ड पाइप, साईकल के पुर्जे, पैकेट चाय, कम्प्यूटर संघटक, डाईज/स्ट्रिप्ड शीट्स/हाई कार्बन फेंरोमैंगनीज, पाली प्रोपीलीन थैले आदि।

अनुबंध

31-12-1989 तक प्रति व्यापार समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत निर्यातित मदों की सूची।

1. रसायन
2. भेषज
3. यार्न/ड्रिल
4. टेरी टावल्स
5. हैंड टूल्स

6. गाल्वेनाइज्ड पाइप्स
7. आम की गुठली का तेल
8. गैरगम पाउडर/स्पिलट्स
9. सिलियम हस्क
10. नाइजर बीज
11. प्रशर स्टोव
12. साइकल के पुर्जे
13. सिलाई का धागा
14. हरी इलायची
15. मूंगफली सांद्रण
16. काफी
17. पैकेट चाय
18. फटसन माल
19. कम्प्यूटर संघटक
20. हाई कार्बन फेरोमेंगनीज
21. काजू गिरी
22. डाइड/स्ट्राइप्स शीटिंग
23. सोयाबीन मील्स
24. कटन शीटिंग
25. फ्रोजन श्रिम्प
26. क्रशड टमाटर
27. तम्बाकू
28. मैगो पल्प/स्लाइसिज
29. पोलीप्रोपीलीन यैले
30. काली मिर्च
31. तैयार चमड़ा
32. मसाले
33. चावल

डा० ए० के० पटेल: क्या यह सच है कि सचिव (व्यय) ने बोफोर्स संविदा जाँच संबंधी संयुक्त संसदीय समिति को यह बताया था कि बात-चीत पूरी होने के बाद प्रति-व्यापार का प्रस्ताव काफी बाद में आया। ऐसा क्यों हुआ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी: सम्पूर्ण प्रति-व्यापार समझौता मूल समझौते मूल समझौते के खण्ड-31 के अनुसार किया गया है। समझौते पर 24 मार्च, 1986 को हस्ताक्षर हुए थे और प्रति-व्यापार समझौते पर मार्च, 1987 में हस्ताक्षर किए गए विलम्ब इस दृष्टि से नहीं था कि प्रति-व्यापार के आयोजन और संचालन में समय लग गया क्योंकि हमें किसी एजेंसी की तलाश थी और वह एजेंसी राज्य व्यापार निगम है और निगम को इसके विस्तृत पक्षों का अध्ययन करना था कि प्रति-व्यापार का संचालन कैसे और किस विधि से किया जाएगा इसलिए राज्य व्यापार निगम और बोफोर्स के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने में समय लग गया। अन्यथा पूरा समापन कार्यक्रम समय पर पूरा हो गया था।

डा० ए० के० पटेल: इस प्रति व्यापार समझौते के बाद स्वीडन को निर्यात की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी: मैं माननीय सदस्य को यह बता दूँ कि प्रति-व्यापार करने के लिए बोफोर्स द्वारा मनोनीत की गई सभी कम्पनियाँ स्वीडन स्थित नहीं हैं। हालांकि इनमें से कुछ स्वीडन में हैं और कुछ विश्व

के विभिन्न भागों जैसे पश्चिमी जर्मनी और इंग्लैण्ड ..... में कार्य कर रही..... है ..... **(व्यवधान)** बोफोर्स ने बहुत सी कम्पनियों को मनोनीत किया है। विस्तार के संबंध में, हमने यह देखा कि हम सबसे पहले उन देशों की सूची बनाएं जहाँ हमारी वस्तुओं का कतई निर्यात नहीं किया जाना चाहिए अर्थात जहाँ हमने अपना पारम्परिक आधार बनाया हुआ है—जैसे जापान में समुद्री उत्पाद और उत्तरी अमरीका में कालीनों के तले आदि तथा जहां रुपयों में व्यापार किया जाता है। इससे हमें निश्चित मात्रा में अतिरिक्त लाभ की आशा थी।

जहाँ तक स्वीडन का संबंध है, स्वीडन को निर्यात आंकड़े 0.63 करोड़ है और बोफोर्स के साथ दिसम्बर के अन्त तक कुल प्रति-व्यापार 96.....**(व्यवधान)**

मैं आंकड़े पढ़कर आपको सुनाता हूँ।

दिसम्बर तक हमारा कुल प्रति-व्यापार लगभग 661.50 मिलियन का पूरा हो चुका है और लक्ष्य-प्राप्ति के लिए बुक किए गए और निष्पादनाधीन आर्डर 956.20 मिलियन के हैं किन्तु अभी तक के व्यापार की वास्तविक मात्रा 661.50 मिलियन है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी: वे स्वयं को क्यों बचा रहे हैं? क्या उन्हें बोफोर्स तोप के कारण ठंड लग रही है?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी: बिल्कुल नहीं। हम आंकड़े दे रहे हैं। आप लोग ही ऐसा सोचते हैं। व्यापार में कुछ भी गोपनीय नहीं है। हमें सत्य कहना है।

प्रो० मधु दण्डवते: अध्यक्ष महोदय, जब देश में भुगतान संतुलन की स्थिति इतनी खराब है—आर्थिक सर्वेक्षण ने भी यह स्वीकार किया है—तो यह आवश्यक हो जाता है कि हमें कुछ प्रति-व्यापार समझौते करने चाहिएं जिससे हम निर्यात में वृद्धि कर सकें ताकि जितनी विदेशी मुद्रा हम आयात करने पर व्यय करते हैं उस की पूर्ति की जा सके। इसलिए यह कदम स्वागत योग्य है। किन्तु मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि इस प्रति-व्यापार प्रावधान के बाद मूल्यवार और मात्रा-वार कुल कितना व्यापार हुआ है क्योंकि यदि आप मुद्राओं के समायोजन की दृष्टि से इसकी केवल मूल्य-वार मात्रा ही बताते हैं तो हम इसकी गलत तस्वीर ही देख पाएँगे। इसलिए क्या आप हमें कुल निर्यात का मूल्य-वार और मात्रा-वार, दोनों, का ब्यौरा देंगे? क्या यह निर्यात उस भारी व्यय को पर्याप्त रूप से कम करने में सहायक सिद्ध होगा जो हमें आयातों के परिणामस्वरूप करना पड़ता है?

अन्त में अपने पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए मैं आशा करता हूँ कि सभी व्यवस्थाएँ सीधे संबंधित कम्पनियों के साथ की जाएगी और किसी बिचौलिए की सेवा नहीं ली जाएगी जो समस्या उत्पन्न कर सके।

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): जहाँ तक इस प्रश्न का संबंध उस प्रश्न से है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं मैं यह बता दूं कि इसके लिए हमने 95.6 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया था जो पिछले तीन वर्षों का इकट्ठा लक्ष्य था। इसमें से 31 दिसम्बर, 1988 तक 66.1 करोड़ रुपये का माल निर्यात किया जा चुका है और उसका हिसाब भी हो चुका है। 31 दिसम्बर, 1988 से पूर्व 30 करोड़ रुपये मूल्य का और माल निर्यात किया गया किन्तु उसके कागज़ात नहीं आए थे और इसलिए इसकी गणना नहीं की गई। इसको अब हिसाब में जोड़ा जा चुका है और 95.62 करोड़ रुपये के लक्ष्य के बदले 96.15 करोड़ रुपये का कुल निर्यात किया जा चुका है। इसलिए इस संबंध में राज्य व्यापार निगम द्वारा ली गई सक्रिय रुचि के कारण लक्ष्य पूरा किया जा चुका है।

जैसा कि मेरे साथी ने कहा यह अतिरिक्तता होगी। इससे नामित देशों के साथ हमारे सामान्य

व्यापार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसकी जाँच कर ली है और नामित सभी देशों के साथ व्यापार में वृद्धि हो रही है। इसलिए कोई भी व्यक्ति यह समझ सकता है कि यह अतिरिक्त है।

जहाँ तक माल का संबंध है, इसकी लम्बी सूची बनेगी और मैं नहीं समझता कि इससे माननीय सदस्य को सहायता मिलेगी। किन्तु इसमें लाभदायक बात यह है कि स्वीडन के क्रोनर और रुपये के बीच वर्तमान संतुलन को ध्यान में रखा गया है न कि पूर्व को। अतः अब वास्तविक मूल्य का पता लग जाएगा।

माननीय सदस्य जानते हैं कि "स्ट्रेट ट्रेड" नाम का कोई शब्द नहीं है। सामान्य वाणिज्यिक तौर पर व्यापार होता है और यह सामान्य वाणिज्यिक लेन देन ही है।

कावेरी जल विवाद

*227 **श्री पी० कुलनदईवेलू:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कावेरी जल विवाद की समस्या के समाधान के लिए फरवरी, 1989 में एक ज्ञापन भेजा था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार इस विवाद के समाधान के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन करने पर विचार कर रही है?

जल ससाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मामला विचाराधीन है।

श्री पी० कुलनदईवेलू: महोदय, जल संसाधन मंत्रालय ने हमेशा की तरह सामान्यः प्रकार का उत्तर दे दिया है। सदन में यह मामला सात बार उठाया जा चुका है। मैं पहले ही तीन बार नियम 377 के अधीन उल्लेख करके और एक बार विशेष निवेदन करके मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिला चुका हूँ और तीन बार यह प्रश्न किया जा चुका है। अन्तर-राज्यीय नदियों की इस समस्या को हल करने के संबंध में जल संसाधन मंत्रालय वास्तव में क्या कर रहा है? वास्तव में यही उत्तर वर्ष 1986-87 में भी दिया गया था और अब 1989 में भी दिया गया है। यह वही उत्तर है। महोदय, माननीय मंत्री को इस मामले की पूरी जानकारी है। वास्तव में हम इस के लिए कई वर्षों से जल संसाधन मंत्रालय और प्रधान मंत्री से भी कहते रहे हैं। यह मामला पिछले 20 वर्ष से अर्थात दो दशकों, वर्ष 1971 से लंबित पड़ा है। मेरा प्रश्न कावेरी जल विवाद से संबंधित है। केन्द्रीय मंत्रालय और कर्नाटक और तमिलनाडु के मंत्रालयों के साथ भी बातचीत हो चुकी है किन्तु मामला अभी तक हल नहीं हुआ है। यहां तक कि जनता सरकार भी इस मामले को हल नहीं कर सकी। श्री बरनाला और अन्य राज्यों ने भी इसमें रुचि ली थी। मैं जानना चाहता हूँ कि अन्तर-राज्यीय जल समस्या को हल करने के लिए क्या कोई विशिष्ट समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है। तमिलनाडु की डी०एम० के सरकार ने जब कार्यभार संभाला तो अखबारों में यह छपा गया था कि श्री करुणानिधि ने अखबारों में यह घोषणा की कि उन्होंने जल संसाधन मंत्रालय को ज्ञापन भेजा था किन्तु उनका कहना है कि उन्हें वास्तव में तमिलनाडु सरकार से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, वे पहले ही प्रेस को कह चुके हैं...**(व्यवधान)**...महोदय, मैं इस पर आधे-घण्टे की चर्चा चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल एक बात कह सकता हूँ कि मैं आपको दोनों ओर से एक प्रमाण-पत्र दे सकता हूँ। यह वही बात है, वही प्रश्न है, वही उत्तर और वही लम्बे भाषण। मैं चाहता हूँ कि आप कोई विशिष्ट प्रश्न करें।

श्री पी० कुलनदईवेलू: यदि मैं कोई विशिष्ट प्रश्न भी पूछता हूँ तो वे भी वही उत्तर दोहराएगें।

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए तो मैंने कहा है कि मैं आपको दोनों ओर से प्रमाण-पत्र दे सकता हूँ—वही प्रश्न, वही उत्तर।

श्री पी० कुलनदईवेलू: मैं यह जानना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार का कावेरी जल विवाद और अन्य विवादों को हल करने के लिए कोई निर्धारित समय-बद्ध कार्यक्रम है?

श्रीमती कृष्णा साही: अन्तर-राज्यीय जल विवाद को बातचीत के माध्यम से हल किए जाने के प्रयास किए गए हैं। न्यायाधिकरणों के अधिनिर्णय का सहारा केवल तभी लिया गया है जब बातचीत के द्वारा समझौता संभव न हो। हमें राज्य सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और जो कुछ हमने अखबारों में पढ़ा है और सुना है वह यह है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास बहुत से प्रेम-पत्र आए है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं सदन में रोमांस की इजाजत नहीं दूँगा।

प्रो० मधुदण्डवते: आप प्रेमियों को सदन के पटल पर लाएँ।

श्रीमती कृष्णा साही: मैं इसके लिए तैयार हूँ। किन्तु इसके लिए मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ेगा जो मैं नहीं कर सकती। माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह मामला संसद में कई बार उठाया जा चुका है। मैं उनसे सहमत हूँ। संसद में और संसद के बाहर भी यह मामला कई बार उठाया जा चुका है। मैं यह कहना चाहूँगी कि हमारे केन्द्रीय सिंचाई मंत्री और तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए वर्ष 1970-75 के दौरान 71 बैठकें हुई। किन्तु क्या किया जा सकता है?

अप्रैल 1983 में यह मामला उठाया गया था और केन्द्रीय सिंचाई मंत्री ने मुख्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया था लेकिन कभी कोई मुख्य मंत्री नहीं आता तो कभी अन्य मुख्य मंत्री नहीं आते फिर हम क्या कर सकते हैं? हम वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं। हम केवल पंच ही बन सकते हैं। लेकिन इस को सुलझाना दो राज्यों पर निर्भर करता है अब, मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने इसका स्वागत किया है। हमने 31.1.89 को समाचार पत्रों में पढ़ा है कि श्री करुणानिधि
[हिन्दी]
ने कावेरी प्लान को वेलकम किया है।
[अनुवाद]
और कहा है कि जल विवाद को चर्चा के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। हम क्या कर सकते है?

अध्यक्ष महोदय: अब प्रश्न आप से पूछा गया है।

श्री पी० कुलनदईवेलू: तिचि और तंजौर के किसानों की यह बारहमासी समस्या है। जब तक कावेरी से जल उपलब्ध नहीं होता वे तिचि और तंजौर की भूमि पर धान जैसी कोई फसल नहीं उगा सकते। इन सब उपायों का क्या परिणाम हुआ है? आपने लगभग 11 बैठकें कीं, लेकिन उसका क्या परिणाम हुआ? अगर आप समस्या को सुलझाने में समर्थ नहीं है तो आप सत्ता में क्यों हैं? जब तक आप समस्या नहीं सुलझाते मुझे जल संसाधन मंत्रालय के समक्ष धरना देना पड़ेगा यह बहुत गंभीर मामला है; आपको इसका परिणाम संसदीय चुनावों में भी भुगतान पड़ेगा यह किसानों की समस्या है; यह एक राष्ट्रीय समस्या है। इसे सुलझाना ही होगा।

अध्यक्ष महोदय: सदन में कोई धमकी नहीं दी जा सकती। आप प्रश्न पूछिये। **(व्यवधान)**

श्री पी० कुलनदईवेलू: जब तक मंत्रालय इस समस्या का समय-बद्ध समाधान नहीं करता तो मैं मंत्रालय के समक्ष धरना दूँगा। आपका इस पर क्या कहना है?...(व्यवधान) इस मामले को कम से कम न्यायाधिकरण को सौंपा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रही हूं कि तमिलनाडु में जब से नई सरकार बन गई है, शासन में आने के बाद उन्होंने आपस में तय किया है कि आपस में विचार-विमर्श कर के करेंगे। उन्होंने कहा है कि पोलिटिकल विल आफ दी गवर्नमैंट। जब ऐसा है तो हम क्या करेंगे?

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र पाटिल: मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार को यह जानकारी है कि तमिलनाडु के नव निर्वाचित मुख्य मंत्री ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया है जो पूर्व सरकारों का कावेरी विवाद के बारे में था। वास्तव में, चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इसी विचार को दोहराया था परन्तु मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद उन्होंने स्पष्ट रुप से कहा है कि जहां तक कावेरी विवाद का सम्बंध है, वह इसे न्यायाधिकरण को सौंपने के पक्ष में नहीं है, लेकिन वह बातचीत द्वारा समझौते के पक्ष में है। क्या यह तथ्य भारत सरकार के ध्यान में लाया गया है? जब दो पार्टियां और दो राज्य सरकारें संधि समझौते के लिए तैयार हैं और तमिलनाडु सरकार ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया है तो क्या भारत सरकार कोई भूमिका निभा सकती है?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत हूं तमिलनाडु के चुनावों से पूर्व की स्थिति पूर्णतया भिन्न थी। एम० जी० आर० के समय वार्ता चलती रही और एम०जी०आर० ने यह कहते हुए निर्णय लिया था कि इस समस्या का समाधान केवल न्यायाधिकरण ही कर सकता है। एम०जी०आर० के बाद अब हमने सुना है और समाचार पत्रों में पढ़ा है कि वर्तमान मुख्य मंत्री द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस विवाद को चर्चा द्वारा सुलझाया जा सकता है और श्री बोम्मई ने इसका स्वागत किया है और इसकी प्रशंसा की है...(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदेईवेलू: अभी तक क्या परिणाम हुआ है?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कवाब में हड्डी बनना ही चाहते हैं तो जवाब क्या है इसका। जो होता है वह होता है।

श्री बी० शंकरानन्द: सवाल यह है कि अगर मियां-बीवी राज़ी तो करेगा क्या काज़ी?

निर्यात को बढ़ावा देने संबंधी नीति

*228. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल:**
श्री महेन्द्र सिंह:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने हाल ही में बड़े औद्योगिक निर्यात गृहों की बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में भाग लेने वालों का ब्यौरा क्या है;

(ग) बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा हुई और उसका क्या परिणाम निकला;

(घ) निर्यात को बढ़ावा देने और निर्यात बढ़ाने संबंधी सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए बैठक में क्या सुझाव दिए गए; और

(ङ) राज्यों को, विशेषकर महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश को निर्यात क्षेत्र से कितना लाभ होगा?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी): (क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (घ): वाणिज्य मंत्री ने 11-2-1989 को 43 बड़े औद्योगिक सदनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में बड़े औद्योगिक सदनों के निर्यात बढ़ाने के साथ-साथ उनकी समस्याओं तथा संभव्यता पर चर्चा हुई। उद्योग को परामर्श दिया गया कि वह आगे की योजनाएं पहले से बनाएं तथा बदलती हुई विश्वव्यापी आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति तय करें। साथ ही यह भी कहा गया कि वह सरकार से सुविधाएं प्राप्त करने की ही न सोचें बल्कि अपने निजी सतत प्रयासों से अपने निर्यात बढ़ाने के लिए सक्रिय रहें। बैठक में उद्योगपतियों द्वारा दिए गए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं:

(1) निर्यात के लिए 5-10 वर्षीय दीर्घावधि संदर्श योजना बनाने के लिए व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों के एक उच्च अधिकार प्राप्त कार्यकारी दल की स्थापना।
(2) उद्योग को अपने निर्यात बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं करना बल्कि प्रेरित करना।
(3) एक्स आर टी पी/फेरा विनियमों के अन्तर्गत लगे प्रतिबंध हटाना और निर्यात उत्पादन के संबंध में क्षमता विस्तार तथा विविधीकरण।
(4) विभिन्न देशों के साथ संयुक्त उद्यमों के लिए उदार प्रक्रियाएं।
(5) भारतीय उत्पादों को प्रतियोगी बनाने के उद्देश्य से अधिक भाड़ा लागत को निष्प्रभावित करने का तंत्र बनाना।
(6) ओ जी एल के अन्तर्गत अनावश्यक आयात रोकना।
(7) ई पी जैड से बाहर के एककों को माने गए निर्यातों के लाभ प्रदान करना।
(8) नकद मुआवजा सहायता के लाभ केवल 25% मूल्य वर्धन तक ही नहीं सीमित रखना।
(9) इंजीनियरी क्षेत्र के इस्पात तक ही सीमित आई पी आर एस के कार्यक्षेत्र को बढ़ाना ताकि निर्यात उद्देश्यों के लिए अन्य कच्चे माल को भी कवर किया जा सके।
(10) अन्तः मंत्रालयी सहयोग और समन्वय के लिए तंत्र को सुदृढ़ बनाना।
(11) क्रियाविधियों को सुकर बनाना तथा विभिन्न आवेदन पत्रों के निपटान की समय सीमा निर्धारित करना।
(12) प्रत्येक उत्पाद समूह के लिए शक्ति प्राप्त समिति स्थापित करना।
(13) वाणिज्यिक बैंकों आदि के जरिए नकद मुआवजा सहायता और अन्य प्रोत्साहन देना।

(ङ) निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां तथा उपाय समानरूप से सभी राज्यों पर लागू हैं। इस प्रकार ऐसी नीतियों के लाभ महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश राज्यों को भी मिलेंगे। सरकार को आशा है कि राज्य सरकारें देश के निर्यात बढ़ाने में अधिक रुचि लेंगी और सक्रिय भूमिका निभाएंगी।

[हिन्दी]

श्री बाला साहिब विखे पाटिल: अध्यक्ष जी, स्टेटमेंट को देखने से पता चलता है कि 11 फरवरी को एक मीटिंग हुई थी। क्या गये तीन साल में ऐसी कोई मीटिंग हुई थी? हमें ऐसा बताया जा रहा है कि बैलेंस आफ ट्रेड कम नहीं हुआ है। इस मीटिंग में जो सुझाव आये उसमें यह लिखा है कि:

[अनुवाद]

"उद्योग को अपना निर्यात बढ़ाने के लिए बाध्य न करके प्रेरित करना एम आर टी पी/ फेरा विनियमों के अन्तर्गत लगे प्रतिबंध हटाना और उत्पादन के निर्यात के सम्बंध में क्षमता विस्तार तथा विविधीकरण।"

इस बारे में सरकार की क्या राय है।

[हिन्दी]

वैसे तो सरकार ने निर्यात के लिए कैपिटल गुड्स इम्पोर्ट करने के लिए काफी सहूलियतें दी हैं। जिन बड़ी इंडस्ट्रीज या एक्सपोर्ट हाऊसिज ने यह ऑबलिकेशन माने नहीं वहीं कितनी तादाद में हैं? क्या आपने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की बात सोची है? अगर नहीं सोची है तो सरकार कौन सा दूसरा रास्ता ढूंढ रही है जिससे कि एक्सपोर्ट बढ़े और फारेन एक्सचेंज ज्यादा मिले।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: जहां तक गये तीन साल में मीटिंग करने का सवाल है हमने व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिये मीटिंग की लेकिन लार्ज हाऊसिज के साथ पहली दफा 11 फरवरी को मीटिंग की। हमने उस मीटिंग में उनकी बात को सुना और हमने भी उनको निर्यात बढ़ाने के लिये कुछ सुझाव दिये और यह बताया कि किस ढंग से क्या करना चाहिये। जहां तक निर्यात का सवाल है, हमारा निर्यात काफी अच्छा हो रहा है। पिछले साल हमारा 25.3 प्रतिशत निर्यात बढ़ा। इस साल हमारा टारगेट 18 हजार 95 करोड़ का जो है वह बढ़कर 20 करोड़ हो जायेगा। जहां तक इम्पोर्टिड कैपिटल लाइसेंस का सवाल है कैपिटल गुड्स के साथ यह सब हम कर देते हैं। जो कोई भी एक्सपोर्ट करते हैं उसको हम मॉनिटर करते हैं जिससे उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर कोई वॉयलेट करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होती है। सेल्फ रिलायंस के लिये या इम्पोर्ट सब्स्टीट्यूशन या माडर्नलाइजेशन के लिये जब कोई चीज इम्पोर्ट होती है तो उसमें एक्सपोर्ट की पाबंदी नहीं होती है। हमारे देश से एक्सपोर्ट अच्छा हो रहा है इसलिये लार्ज हाऊसिज की मीटिंग को बुलाया गया था। आज उनका अच्छा सैटअप है, अच्छी मार्किटिंग है और उनका अच्छा मैनेजमेंट है। ज्यादा से ज्यादा योगदान डोमैस्टिक मार्किट में पूरा होने के बाद ही हम उन्हें एक्सपोर्ट करने की इजाजत देते हैं। उनको किसी प्रकार की तकलीफ न हो ऐसी हमारी कोशिश रहती है। इसके अलावा इंडस्ट्री मिनिस्ट्री या फाइनांस मिनिस्ट्री उन्हें और क्या सुविधायें दे सकती हैं इसके बारे में हम सोच-विचार कर रहे हैं।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल: अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि जो अच्छा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं औबलिकेशन के कारण उनके विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? दूसरा सवाल मेरा यह है कि आपने अपने जवाब में जो यह लिखा है कि हरेक स्टेट कुछ न कुछ ऐसा काम करेगी जिस के कारण हमारा एक्सपोर्ट बढ़े तो क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर प्रोडैक्शन के लिये एक्सपोर्ट की सुविधा मांगी है—जैसे कि ओनियन, कपास और अंगूर। स्टेट गवर्नमेंट इस दिशा में काफी काम भी करती है। क्या कृषि क्षेत्र में आप एक्सपोर्ट और बढ़ाने के लिये सोच-विचार कर रहे हैं जिससे कि हमें फारेन एक्सचेंज प्राप्त हो और इंसैंटिव के कारण किसानों को राहत पहुंचे।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी: जहां तक एक्सपोर्ट के साथ इम्पोर्ट का सम्बन्ध है उसमें जो लोग काम नहीं करते हैं या वायलेट करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। जहां तक हैंडर्ड परसेंट एक्सपोर्ट ओरियंटिड यूनिट का सवाल है वह इस काम में काफी सहायक साबित हुई है। बाकी मेरे पास आंकड़े इसके उपलब्ध नहीं हैं। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो बाद में उन्हें दिये जा सकते हैं। जहां तक महाराष्ट्र सरकार का सवाल है...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटिल: आपने उल्लेख किया है कि सरकार आशा कर रही है कि राज्य सरकार अधिक रुचि लेगी और देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय भूमिका निभायेगी।

[हिन्दी]

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी: मैं उसी बारे में बता रहा हूं। हमने प्रान्तीय सरकारों को 2-3 दफा पत्र लिखा है और कुछ सुझाव भी दिये हैं। हमने राज्यों में अपनी-अपनी एक्सपोर्ट डेवलमेंट बाडीज बनाने का सुझाव दिया है। गुजरात में यह बाडी बन चुकी है और वह अच्छा काम भी कर रही है। हमने स्टेट्स में जोन के आधार पर कांफ्रेंस करनी शुरु कर दी हैं। एक कांफ्रेंस उड़ीसा में हुई थी। हमने महाराष्ट्र सरकार को दो दफा ऐसी कांफ्रेंस करने के लिये डेट निर्धारित करके दी लेकिन अफसोस की बात है कि महाराष्ट्र सरकार अभी तक इसकी डेट तय नहीं कर पायी है। आशा है अप्रैल-मई तक वह डेट तय हो जायेगी। हम लोग जाकर उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।

एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में खास तौर से महाराष्ट्र में ओनियन से लेकर मैंगों तक जो जो चीजें हैं, इनके बारे में हम लोग अलग से पेपर तैयार कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार को क्या-क्या मदद चाहिए और हम लोग उनसे क्या-क्या मांगते हैं, इसके बारे में हम लोग विचार-विर्मश करेंगे। महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को काफी उत्साह देने का हमारी सरकार का प्लान है।

श्री महेन्द्र सिंह: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की है कि वह ज्यादा एक्टिव रोल निभायेगी। कई राज्य सरकारों के एक्सपोर्ट कारपोरेशंस हैं, मध्य प्रदेश के बारे में मुझे जानकारी है कि वहां एक्सपोर्ट कारपोरेशन है लेकिन उनके पास इतना बिजनेस नहीं है कि वे अपने लोगों को तनख्वाह भी दे सकें जबकि 5-7 साल से एक्सपोर्ट कारपोरेशन है। क्या मंत्री महोदय ऐसी नीति बनाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा राज्य सरकारों के एक्सपोर्ट कारपोरेशंस का इन्वाल्वमैण्ट हो क्योंकि डीसैण्ट्रलाइजेशन बहुत जरुरी है, केन्द्रीयकरण के कारण आपके कई काम नहीं हो पाते हैं। मध्य प्रदेश में अभी लहसुन की फसल में जबरदस्त प्राइस क्रैश हुआ, अगर लहसुन का एक्सपोर्ट हो जाता तो किसानों को जीवनदान मिल जाता। मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में खनिज प्रचूर मात्रा में हैं, इन चीजों के एक्सपोर्ट से इन लोगों को भी आमदनी हो और आपके यहां सैण्ट्रलाइजेशन खत्म होकर डीसैण्ट्रलाइजेशन हो और स्टेट के एक्सपोर्ट कारपोरेशंस का ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रोल हो, इसके लिए भी आप कोई नीति बनायेंगे और उनकी मदद करेंगे? सिर्फ राज्य सरकारों से एक्सपैक्ट ही करेंगे या ऐसी परिस्थिति निर्मित करेंगे कि राज्य सरकारों का रोल एक्टिव हो। अभी तक तो आपने कुछ नहीं किया है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी: जहां तक निर्यात का मसला है। पहले तो हिन्दुस्तान की कई प्रान्तीय सरकारों को इस मसले में डिटेल्स का पता नहीं था कि किस ढंग से क्या होता है। निर्यात के मसले में अभी हमारी सरकार की ओर से नीति इस ढंग से बनी है कि निर्यात के मसले पर राज्य सरकारों को कोई समस्या नहीं होगी। राज्य सरकारों के अपने प्रान्त में जो एक्सपोर्ट कारपोरेशन बनते हैं उनको प्राइवेट इण्डस्ट्रीज को कान्फीडेंस में लेना चाहिए, उनको प्राइवेट व्यापारी लोगों को कान्फीडेंस मे लेना चाहिए और प्रायोरिटी एरियाज़ ठीक करने चाहिए। अगर महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश का यह फैसला है कि हमारे प्रान्त के अच्छे सेब को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो उनके लिए फिक्स्ड सलैक्टेड कलचर के हिसाब से जमीन, किसान की मदद करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, उनको हर तरह से सपोर्ट देनी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेण्ट को मदद देनी है। हमारी तरफ से जो करना है, वह हमको देखना है कि सी॰सी॰ एस॰ ठीक तरह से उनको पहुंचे। हमारी तरफ से देखना है कि फ्रीजिंग करने के लिए, कूलिंग करने के लिए हम उनको कुछ मदद कर सकते हैं या नहीं,

हमें देखना है कि जिस समय कण्टेनर सर्विस ज्यादा हो तो वह देना है इसलिए पुणे में हम कण्टेनर सर्विस दे चुके हैं, वह हम कर सकते हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेण्ट का जो एक्सपोर्ट कारपोरेशन होता है, उसके साथ मिल कर हम काम करना चाहते हैं, इसमें कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सी॰ माधव रेड्डी: महोदय, रिर्जव बैंक और आई सी आई सी आई द्वारा किये गये हाल ही के अध्ययन के अनुसार बड़े औद्योगिक निर्यात घरानों के उत्पादनों की कुल बिक्री के मुकाबले निर्यात मात्र 3.5 प्रतिशत है। इस दृष्टि से और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पिछले वर्ष उन्हें कई रियायतें दी गई थीं जिसमें उनकी निर्यात आय पर आयकर की छूट रियायत की भी शामिल है, मैं जानना चाहता हूँ कि 13 रियायतें जो उन्होंने और मांगी थी उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। उन्हें और रियायतें देने से पहले क्या सरकार निर्यात घराना को पहले दी गई सुविधाओं का कोई मूल्यांकन करेगी?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): अध्यक्ष महोदय, शुरु में ही मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम बड़े घरानों को कोई विशेष रियायतें नहीं दे रहे हैं। निर्यात पर दी गई रियायतें सभी निर्यातकों के लिए हैं। हम बड़े घरानों को इस कार्य में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का प्रयास करने के लिए कह रहे है जिससे वे हमारे निर्यात अभियान में अधिक बड़ी भूमिका निभाएं माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कहते हैं कि निर्यात के सम्बंध में उनकी वर्तमान भूमिका निराशाजनक है। यह बात उनके ध्यान में लाई गई है और उन्होंने विशेषतया आयात प्रतिस्थापन के लिए और स्वदेशी बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादन प्रक्रिया को अनुकूल बनाया है हम प्रशंसा करते है कि उनकी इस दलील में दम है। लेकिन चाहे जो भी स्थिति रही हो। उन्हें अब अपने निर्यात में वृद्धि करनी होगी जो अब औसतन 4 प्रतिशत से भी कम है। क्योंकि उनके पास संसाधन हैं, संगठन है और उनके पास विशेषज्ञ हैं, अतः कोई कारण नहीं कि वे निर्यात अभियान में अधिक बड़ी भूमिका न निभांए यही बात उनके ध्यान में लाई जा रही है। मैं यह अवश्य कहूँगा कि उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें बड़ी भूमिका निभानी होगी और वे ऐसा करने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन हम इसे शीघ्र ही करना चाहते हैं। निर्यात बाजार की तुलना में स्वदेशी बाजार में अधिक मुनाफा होने के कारण उनकी प्रवृत्ति घरेलू बाजार में माल बेचने की रहना स्वाभाविक ही है। यहाँ हम उन्हें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि वे निर्यात अभियान में हिस्सा नहीं लेते तो उनका अपना आयात किसी भी समय जोखिम में पड़ जायेगा-यद्यपि सरकार भी ऐसा नहीं चाहती है। अतः यह उनके हित के साथ-साथ देश के हित में भी है कि उन्हें अपने निर्यात बढ़ाने के लिए सक्रिय और गम्भीर प्रयास करना चाहिए।

राज्य व्यापार निगम द्वारा पटसन व्यापार एजेन्टों की नियुक्ति

*229. **श्री अनिल बसु:**

श्री हन्नान मोल्लाह:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने भारतीय पटसन से निर्मित वस्तुओं के अमरीका में विपणन के लिए एजेन्ट नियुक्त किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ यदि कोई परामर्श किया गया था तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस व्यवस्था की शर्तें क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार को इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन और कलकत्ता जूट फैब्रिक्स शिपर्स एसोसिएशन से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी): (क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ङ): भारतीय राज्य व्यापार निगम (एस टी सी) ने संयुक्त राज्य अमरीका में हैसियत और कार्पेट बैकिंग क्लाथ के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका की फर्मों मै० कोआपरेटिव बिजनेस इंटरनेशनल और मै० यूनीवर्सल कोआपरेटिव्ज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार राज्य व्यापार निगम द्वारा भारतीय विनिमर्ताओं से प्राप्त किया गया माल ऋण पत्रों के आधार पर यूनीवर्सल कोआपरेटिव्ज को स्थानांतरित कर दिया जाएगा । ये ऋण पत्र माल 85 प्रतिशत कीमत को कवर करेंगे जोकि एक अग्रिम भुगतान है और यह पूरा सौदा खेम आधार पर होगा। उद्योग के प्रतिनिधियों से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया था ।

इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन और कलकत्ता जूट फैब्रिक शिपर्स एसोसिएशन से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह आशंका व्यक्त की गई थी कि राज्य व्यापार निगम की इस व्यवस्था से संयुक्त राज्य अमरीका से पटसन मदों के व्यापार की वर्तमान व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी।

फिर भी, समझौता ज्ञापन में खेमों की बिक्री की जो व्यवस्था की गई है, वह भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित नियमों के अनुसार है और संयुक्त राज्य अमरीका को हैसियन और जूट कार्पेट बैकिंग क्लाथ के निर्यात को बढ़ाने में मदद करेगी । इसके अलावा, यह व्यवस्था कोई एकमात्र विशिष्ट व्यवस्था नहीं है और इससे व्यापार के वर्तमान माध्यमों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

श्री अनिल बसु : अध्यक्ष महोदय, 5 मिलियन से अधिक पटसन उत्पादक और लाखों पटसन श्रमिक गम्भीर संकट का सामना कर रहे हैं क्योंकि पटसन मिलों के मालिकों ने अपने उद्योगों को आधुनिक बनाए बिना या अपने उद्योगों का सुधार किये बिना अपना मुनाफा अन्य उद्योगों में लगा दिया है । हमारे देश में पटसन उद्योग एक परम्परागत उद्योग है । दूसरी तरफ, भारत सरकार ने जो पी वी सी ग्रेनयूल आयात करने की नीति अपनाई है उससे पटसन उद्योग को गम्भीर खतरा पैदा हो रहा है । पटसन उद्योग हमारे देश के लिए काफी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है । लेकिन भारत सरकार की हाल की नीति के कारण क्योंकि भारत सरकार पी वी सी ग्रेनयूल के आयात पर जोर दे रही है: पी०वी०सी० ग्रेनयूल आयात करने पर इन पटसन उद्योगों द्वारा कमायी गई विदेशी मुद्रा खर्च हो जायेंगी । पटसन उद्योगो की वास्तविक स्थिति यही है ।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या अमरीकी एजेन्सियों के साथ पटसन माल के निर्यात के लिए कोई न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो विभिन्न मदों का अर्थात हैसियन, जूट कार्पेट -बैकिंग कपड़े आदि का लक्ष्य क्या है जिसे निर्यात किये जाने की संभावना है और जिस पर कमीशन या पारिश्रमिक उन एजेन्सियों को दिया जायेगा ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : महोदय, माननीय सदस्य की टिप्पणी के प्रथम भाग के बारे में मैं जोर देकर बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने, प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में पटसन श्रमिकों के मामले पर गम्भीर कदम उठाये हैं । माननीय सदस्यों को इस तथ्य का शायद पता नहीं होगा । पटसन श्रमिकों और बंगाल के पटसन उद्योग को बचाने के लिए इस सरकार ने एक पटसन विकास निधि बनाई है जिसका आपने विरोध करने का प्रयास किया था । मैं मिलों के नाम बता सकता हूं । उदाहरण के तौर पर 'बुरूप' आदि पटसन विकास निधि की सहायता से ये मिलें खोली गई थी श्री राजीव गांधी ने यह निधि पटसन उद्योगों और भारत में श्रमिकों और विशेषतया बंगाल को संरक्षण देने के लिए बनाई है।मैं माननीय सदस्य को बता दूं

उन्हे इस तथ्य की जानकारी होनी चाहिए — कि इस सरकार ने पटसन के 80 प्रतिशत उपयोग को अनिवार्य बनाया जिसका अन्य व्यापारियों ने विरोध किया था।

हम केस लड़े और हमने केस जीत लिया और अब इसका 80 प्रतिशत अनिवार्य उपयोग हो रहा है। इस के अलावा हमारे मंत्रालय — पूर्ति विभाग ने बंगाल के पटसन उद्योग को ऊंचे दामों पर हैसियत और पटसन बोरे खरीदने के लिए अतिरिक्त भुगतान करने के लिए 'पालीमट' फार्मूला अब तक बहाल रखा है।

श्री अनिल बसु: आप पी वी सी प्रेनयूल आयात क्यों कर रहे हैं?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी: मैं यह बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने क्या क्या सुरक्षात्मक उपाय किए यद्यपि मेरे लिए इस प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं है जो केवल सूती वस्त्रों के सम्बन्ध में है। किन्तु मैं इसका उत्तर केवल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप हमेशा लोगों को सच्चाई तो बताते नहीं बल्कि गलत अफवाह या गलत प्रचार करते हैं। इसी कारण मैं यह कह रहा हूं। अन्यथा मैंने ऐसा नहीं कहा होता। ये सब बातें गलत है।

श्री बसुदेव आचार्य : आपने यह कदम कब उठाया?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : जहां तक अमरीका को जूट के निर्यात का संबंध है, मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि यह समझौता राज्य व्यापार निगम और एजेंट के बीच हुआ है। यह समझौता अभी हुआ था। यह समझौता समूचे माल के आधार पर नहीं अपितु खेप के आधार पर हुआ है। खेप के बारे में कोई निश्चय नहीं हुआ है। राज्य व्यापार निगम , खेप के आधार पर एजेंट से उसकी दर दलाली लेगा जो अन्य सबसे लेता है तथा विदेशी एजेंटो से ली जाती है।

जहां तक वास्तविक लक्ष्य का संबंध है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इसका कोई लक्ष्य निश्चित नहीं है। यह 10,000 टन या 15,000 टन हो । खेप के आधार का अर्थ है कि यदि एजेंट हमें 5000 टन माल भेजने के लिए कहता है तो हमें 5000 टन की व्यवस्था करनी होगी और यदि यह हमें 2000 टन माल भेजने के लिए कहता है तो हमें 2000 टन माल की व्यवस्था करनी होगी। अतः खेप की बात एजेंट पर निर्भर है अर्थात उसे कितना माल चाहिए। इसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है । वे एक लाख टन माल भेजने के लिए भी कह सकते हैं। यह स्थिति है।

श्री अनिल बसु : उन्होंने अपने उत्तर में कहा है : "उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया था।"

यह भी कहा गया है:

> "इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन और कलकत्ता जूट फेब्रिक्स शिपर्स एसोसिएशन से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह आशंका व्यक्त की गयी थी कि राज्य व्यापार निगम की इस व्यवस्था से संयुक्त राज्य अमरीका से पटसन मदों के व्यापार की वर्तमान व्यवस्था खतरे में पड़ गई है।"

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन और कलकत्ता जूट फेब्रिक्स शिपर्स एसोसिएशन ने इस आशंका, कि इससे वर्तमान व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी, के क्या कारण बताए हैं और सरकार का इन प्रश्नों का क्या उत्तर है?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : उनकी बात सही है। इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन, कलकत्ता और कलकत्ता के जूट दलालों तथा संयुक्त राज्य अमरीका के आयातकों पर संदेह किया गया था उन्होंने महसूस किया कि राज्य व्यापार निगम और एजेंट के बीच खेप के आधार पर किया गया यह प्रबंध समय समय पर बदलता रहेगा और इससे निजी व्यापारियों द्वारा किए जा रहे जूट के सामान्य निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा अथवा उनके लिए खतरा पैदा होगा। यह उनकी आशंका थी। किन्तु वास्तविकता यह है कि ऐसा नहीं है। निजी

व्यापारी, हमेशा की तरह राज्य व्यापार निगम के हस्तक्षेप के बिना जैसे चाहे संयुक्त राज्य अमरीका का माल भेजते रहे हैं।

हमने इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन को स्थितिं स्पष्ट कर दी है तथा वस्त्र मंत्री को भी, जिन्होंने हमें इस बारे में जानकारी देने को कहा था, स्थिति स्पष्ट कर दी है। हमने संयुक्त राज्य अमरीका के उन जूट आयातकों को भी जानकारी दे दी है जो भारत से जूट खरीदा करते थे। स्थिति ऐसी है।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मैं प्रश्न पूछने से पहले आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अपनी संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। **(व्यवधान)** उनकी माताजी का देहांत हो गया है। आपको अपने सहयोगी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। यह मैं जानता हूं।

अपने उत्तर में उन्होंने समझौता किए जाने के बारे में कहा है। उसे ध्यान में रखते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं (क) क्या यह सच है कि मैसर्स कॉपोरेटिव बिजनेस इंटरनेशनल ने बार्लेप (हैसियन) के विपणन के लिए दक्षिणी केरोलिना की हार्पर के साथ करार और क्या संयुक्त राज्य अमरीका की बार्लेप एंड जूट एसोसिएशन ने राज्य व्यापार निगम के इन दोनों एजेंसियों, जो अमरीका में जूट व्यापार क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध नहीं है, के गठबंधन को विफल करने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्णय लिया है; और (ख) क्या यू० एस० बार्लेप एसोसिएशन ने हार्पर क्राफोर्ड द्वारा जूट कें माल की बिक्री को कम करने के लिए बंगलादेश से सहायता मांगने की धमकी दी है? यदि हां, तो हम इसका सामना कैसे करे पायेंगे?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : जैसा मैंने शुरू में ही कहा है कि आरम्भ में यह आशंका थी कि राज्य व्यापार निगम ने उस एजेंट के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं, कि सामान्य जूट आयातक जिनमें बार्लेप भी शामिल है, इसे जारी रखेंगे, कि जूट के सामान्य निर्यात पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा, और कि भारत द्वारा किए जा रहे निर्यात पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। अतः यही कारण था कि हमने यह जानकारी एकत्र की कि उन्होंने आरंभ में इस आशय से कि इस एजेन्ट द्वारा उनके समग्र व्यापार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा राज्य व्यापार निगम और अन्य कम्पनियों के साथ इस प्रक्रिया को निर्मूल करने का प्रयास किया। ये सब स्पष्टीकरण देने के बाद हमें यह विश्वास है कि अब वह स्थिति खत्म हो चुकी है और ऐसी कोई समस्या अब नहीं होगी। यदि उन्हें और स्पष्टीकरण भी चाहिए तो हम उन्हें दे सकते हैं ताकि सामान्य जूट निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाए।

मछली पकड़ने वाली कंपनियों को भारतीय नौवहन ऋण एवं निवेश कम्पनी के ऋण

*230. **श्री दौलत सिंह जी जडेजाः** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 31 दिसंबर, 1988 की स्थिति के अनुसार भारतीय नौवहन ऋण एवं निवेश कम्पनी के नियंत्रणाधीन मछली पकड़ने वाली कम्पनियों द्वारा देय धनराशि, देय ऋण, अतिशोध्य ब्याज आदि के पृथक-पृथक आंकड़ों सहित ब्यौरा क्या है ; और

(ख) नौवहन विकास निधि समिति/भारतीय नौवहन ऋण एवं निवेश कम्पनी की वित्त पोषण योजना के अंतर्गत जिन मछली पकड़ने वाली कम्पनियों ने मत्स्यन नौकायें खरीदी हैं उनमें से प्रत्येक की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलरो): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार, भूतपूर्व नौवहन विकास निधि समिति/सरकार से सहायता प्राप्त गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने वाली ट्रालर कम्पनियों के नाम ऋणों की कुल 82.56 करोड़ रूपए की रकम बकाया थी नौवहन विन्यास निधि समिति/सरकार से सहायता प्राप्त गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने वाली ऐसी 49 कम्पनियां थीं जिन्होंने उस तारीख को कुल 11.37 करोड़ रूपए तक के मूलधन एवं ब्याज की किस्तों की अदायगी के मामले में चूक की थी। इन कम्पनियों के संबंध में देय ऋणों, बकाया रकमों, चूक की रकमों आदि से संबंधित ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी ने सूचित किया है कि 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार, उसके द्वारा सहायता-प्राप्त गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने वाली ट्रालर कम्पनियों के नाम 7.35 करोड़ रुपए की ऋणों की रकम बकाया थी और इनमें से किसी भी कम्पनी ने मूलधन एवं ब्याज की अदायगी के मामले में चूक नहीं की। उधारकर्ताओं और भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी के बीच गोपनीय प्रकार के संबंध होने के कारण, भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी द्वारा सहायता-प्राप्त कम्पनियों से संबंधित और ब्यौरे देना संभव नहीं है।

(अनुबन्ध-1)

31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार भत्स्यन कंपनियों के पास बकाया ऋण, अतिदेय मूलधन/ब्याज को दर्शाने वाला विवरण (भूतपूर्व एस डी एफ सी / सरकार द्वारा दिया गया ऋण)

कंपनी का नाम	बकाया ऋण (31.12.88की स्थिति)	31.12.88 की अतिदेय राशियां (मूलधन)	(ब्याज)	(कुल - मूलधन और ब्याज 31.12.88 को अतिदेय राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) निजी क्षेत्र				
1. श्रीनिवास सीफूड्स लि॰	2,96,23,329.28	13,03,800.00	45,09,505.72	58,13,305.72
2. वेनी मैरिन्स (प्रा॰) लि॰	11,68,475.51	4,00,000.00	93,478.04	4,93,478.04
3. एक्वा फूड प्रोडक्ट्स (प्रा॰) लि॰	23,81,303.70	17,55,000.00	18,92,164.89	36,47,164.89
4. मैरिन फिशरीज (प्रा॰) लि॰	55,13,521.08	1,95,000.00	1,54,286.29	3,49,286.29
5. ग्रेन गैलेक्ट (प्रा॰) लि॰ लि॰	10,80,303.70	—	—	—
6. फ्लेमिंगस इंडिया मैरिन (प्रा॰) लि॰	10,46,000.00	3,10,000.00	3,30,146.28	6,40,146.28
7. वैस्ट कोस्ट मैरिन (प्रा॰) लि॰	(*)49,59,120.00	13,73,120.00	22,99,951.43	36,73,071.43
8. यमुना सीफूड्स लि॰	(*)2,53,45,669.75	17,07,011.00	29,30,201.52	46,37,412.52
9. सूरज फिशरीज (प्रा॰) लि॰	(*)94,80,693.00	17,24,800.00	11,40,800 10	28,65,600.10
10. सनोहेती फूड प्रोडक्टस लि॰	1,23,51,733.00	17,64,534.00	23,96,802.22	41,61,336.22
11. मार्शल सीफूड्स लि॰	(*)1,00,98,465.62	16,83,000.00	28,53,366.17	45,36,446.17
12. ऊनी मैरिन (प्रा॰) लि॰	(*)1,05,14,375.75	17,52,400.00	29,09,627.04	46,62,027.04
13. सत्यसांई मैरिन्स (प्रा॰) लि॰	55,51,167.68	7,90,400.00	11,57,150.52	19,47,550.52
14. सफायर फिशरीज लि॰	1,12,42,093.20	—	1,357.83	1,357.83
15. एस॰जी॰एस॰ मैरिन एक्सपोर्टस लि॰	2,04,48,117.33	7,95,004.82	12,61,766.71	20,56,771.53
16. कोरोमंडल मैरिन्स (प्रा॰) लि॰	60,46,511.00	8,09,200.00	13,60,006.17	21,69,206.17
17. सम्पो फूड प्रोसेसर्स (प्रा॰) लि॰	1,01,85,750.00	8,09,200.00	13,60,006.17	21,69,206.17
18. आर्य फिशरीज लि॰	87,67,000.00	11,68,933.32	21,97,571.77	33,66,505.09
19. अम्बाई फिशरीज (प्रा॰) लि॰	50,46,576.00	6,92,368.00	9,15,144.96	16,07,512.96
21. रेनबो सीफूड्स (प्रा॰) लि॰	1,04,29,706.00	6,95,314.00	22,45,394.01	29,40,708.01
22. दाया फिशरीज (प्रा॰) लि॰	49,01,400.00	—	—	—
23. लीला सीफूड्स (प्रा॰) लि॰	61,26,750.00	—	—	—
24. मालगढ़ा मैरिन (प्रा॰) लि॰	61,26,750.00	—	—	—

कंपनी का नाम	बकाया ऋण (31.12.88 की स्थिति)	31.12.88 को अतिदेय राशियाँ (मूलधन)	(ब्याज)	(कुल - मूलधन और ब्याज 31.12.88 को अतिदेय राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25. गोल्डन फिशरीज लि॰	1,47,20,288.00	3,57,159.00	19,58,986.45	23,16,145.45
26. ट्रोपिकल शिपिंग कंपनी लि॰	83,57,767.75	—	—	
27. गोल्डन फेटीन्स लि॰	52,62,300.25	—	3,73,140.37	3,73,140.37
28. वरुण मैरिन प्रोडक्टस लि॰	2,73,86,622.75	5,77,500.00	32,33,311.44	38,10,811.44
29. फोर सीजन फिशरीज लि॰	1,17,88,150.00	—	17,90,033.70	17,90,033.70
30. बी॰बी॰सी॰ एक्सपोर्टस लि॰	2,96,12,110.00	—	36,39,986.86	36,39,986.86
31. एक्मा मैरिन्स लि॰	2,89,12,146.75	—	26,76,617.75	26,76,617.75
32. श्रीम्प इंडिया लि॰	2,88,69,291.70	10,67,940.00	29,42,534.36	40,10,524.36
33. कोस्टल ट्रालर्स लि॰	3,09,97,957.00	—	16,55,491.84	16,55,491.84
34. ऊषा सीफूड्स लि॰	1,56,80,389.00	—	14,06,563.41	14,06,563.41
35. सर्व शक्ति फिशरीज लि॰	1,22,03,000.00	—	14,59,077.21	14,59,077.21
36. मत्स्येका एक्सपोर्टस लि॰	1,09,67,880.00	—	—	—
37. कामक्षे सीफूड्स लि॰	44,30,580.00	—	—	—
38. ओसन प्रोडक्टस इंडिया (प्रा॰) लि॰	1,41,03,600.00	—	11,05,017.63	11,05,017.63
39. जी॰पी॰ मैरिन प्रोडक्टस इंडिया (प्रा॰) लि॰	90,63,482.80	—	—	
40. कंचनगंगा सीफूड्स लि॰	90,63,482.80	—	—	—
41. गंगा कावेरी सीफूड्स (प्रा॰) लि॰	53,43,480.00	—	—	—
42. पद्मगिरी सीफूड्स लि॰	3,03,94,484.00	—	—	—
43. सुवरी फिशरीज (प्रा॰) लि॰	68,57,652.00	—	1,50,455.86	1,50,455.86
44. श्रेयश सीफूड्स (प्रा॰) लि॰	72,83,594.00	—	—	—
45. कैपरीकोर्न फिशरीज (प्रा॰) लि॰	61,33,553.00	—	—	—
46. सर्वनान मैरिन प्रोडक्टस (प्रा॰) लि॰	41,98,460.00	—	—	—
47. कान्टीनेंटल फिशरीज लि॰	22,15,290.00	—	—	—
48. रिलायंस सीफूड्स लि॰	1,40,98,039.00	—	4,02,787.56	4,02,787.56
49. फिशिंग कन्सर्टियम लि॰	1,40,98,039.00	—	13,89,931.60	13,89,931.60
50. अबली मैरिन्स (प्रा॰) लि॰	22,15,290.00	—	—	—
51. तालीना सीफूड्स लि॰	1,40,98,039.00	—	13,89,931.60	13,89,931.60
52. रघु सीफूड्स (प्रा॰) लि॰	1,20,05,664.00	—	1,13,252.32	1,13,252.32
53. सागरिका सीफूड्स लि॰	69,51,120.00	—	—	—
54. जमीनी सीफूड्स (प्रा॰) लि॰	22,15,290.00	—		—
55. श्री मुरुगन फिशरीज (प्रा॰) लि॰	65,98,100.00	—		—
56. वेंकटेश्वर फिशरीज (प्रा॰) लि॰	65,98,100.00	—	11,40,370.26	11,40,370.26
57. सीमैन फिशरीज (प्रा॰) लि॰	80,73,450.00	5,38,230.00	11,86,468.11	17,24,65[illegible].11
58. होली आईलैण्ड (प्रा॰) लि॰	80,73,450.00	5,38,234.00	12,39,968.37	17,78,1[illegible]8.37
59. सीगुल सीफूड्स (प्रा॰) लि॰	1,02,10,918.00	—	9,51,444.23	9,5[illegible],444.23
60. चोलमण्डल शिपिंग कंपनी (प्रा॰) लि॰	1,02,10,918.00		9,64,989.06	9,64,989.06
61. पल्लवी सीफूड्स (प्रा॰) लि॰	86,37,480.00	—	11,11,738.20	11,11,738.20
62. देना शिपिंग लि॰	2,34,99,450.00	—	22,10,334.85	22,10334.85
63. श्री लक्ष्मी मैरिन प्रोडक्टस लि॰	1,19,76,800.00	—	—	—
64. वैस्टन वाटर क्राफ्ट एंड फिशिंग (प्रा॰) लि॰	3,61,374.00	—	—	—
65. सेन्डेड फिशरीज लि॰	90,28,800.00	576,080.00	15,60,218.54	21,36,218.[illegible]
66. कावा सीफूड्स लि॰	1,11,23,365.00	—	—	—
67. नेकस्ती सीफूड्स लि॰	1,31,83,247.30	—	—	—
68. डार्ड सीफूड्स लि॰	84,89,250.00	—	1,68,547.95	1,68,547.95
69. प्रिमियर ट्रालिंग (प्रा॰) लि॰	41,98,460.00	—	—	—
70. गीता मैरिन प्रोडक्टस (प्रा॰) लि॰	41,98,[illegible].00	—	—	—
71. स्वागत मैरिन प्रोडक्टस (प्रा॰) लि॰	[illegible],98,460.00	—	—	—
72. ब्रजन फिशरीज (प्रा॰) लि॰	26,71,740.00	—	—	—
73. महालक्ष्मी मैरिन प्रोडक्टस (प्रा॰) लि॰	61,06,860.00	—	—	—
74. सीके फैवर (प्रा॰) लि॰	48,91,120.00	—	—	—
75. भवानी मैरिन ट्रेडस (प्रा॰) लि॰	27,30,680.00	—	—	—
76. गीता मैरिन प्रोडक्टस (प्रा॰) लि॰	42,35,976.00	—	—	—
77. शर्मिला फिशरीज (प्रा॰) लि॰	42,39,780.00	—	—	—

कंपनी का नाम	बकाया ऋण (31.12.88की स्थिति)	31.12.88 की अतिदेय राशियां (मूलधन)	(ब्याज)	(कुल - मूलधन और ब्याज 31.12.88 को अतिदेय राशि
78. विक्टोरिया फिशरीज (प्रा०) लि०	1,83,01,500.00	—	7,26,809.04	7,26,809.04
79. माईकल सीफूड्स (प्रा०) लि०	71,34,192.00	—	1,52,040.16	1,52,040.16
80. वेनी फिशरी कंसल्टेंसी (प्रा०) लि०	4,10,428.00	—	—	—
जोड़ (क):	80,68,88,898.95	2,44,24,299.14	7,20,70,125.59	9,64,94,424.73
(ख) सरकारी क्षेत्र (राज्य सरकारी क्षेत्र उपक्रम) :				
1. आन्ध्र प्रदेश फिशरीज कार्पोरेशन लि०	20,13,000.00	12,60,000.00	9,71,810.74	22,31,810.74
2. तमिलनाडु फिशरीज डेवलपमेंट कार्पो० लि०	12,89,763.00	—	—	—
3. केरल फिशरीज कार्पोरेशन लि०	17,17,798.00	1,90,867.00	6,52,539.53	8,43,406.53
4. गुजरात फिशरीज डेवलपमेंट कार्पो० लि०	1,14,41,400.00	—	—	—
5. उड़ीसा मैरीटाईम एंड चिल्का एरिया डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०	22,15,290.00	—	—	—
जोड़ (ख) :	1,86,77,251.00	14,50,867.00	16,24,350.27	30,75,217.27
जोड़ (क) + (ख) : कुल	82,55,66,249.95	2,58,75,166.14	7,36,94,475.86	9,95,72,642.00

. डच ऋण के अन्तर्गत मछली पकड़ने की नौकाओं के आयात के लिए विभिन्न चरणों में किए गए भुगतानों पर ब्याज के सम्बन्ध में इन कंपनियों से ब्याज की निम्नलिखित राशि बकाया है (5.10.1987 की स्थिति) :—

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	ब्याज की बकाया रकम
1.	वैस्ट कोस्ट मैरीन्स (प्रा०) लि०, कोट्टायम	17,94,520.00
2.	मार्शल सीफूड्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता	34,11,656.76
3.	ठन्नी मैरीन (प्रा०) लि०, कलकत्ता	31,73,835.13
4.	सूरज फिशरीज लि०, नई दिल्ली	36,07,017.19
5.	यमुना सीफूड्स, नई दिल्ली	21,23,994.20
	जोड़ :	1,41,41,023.20

31.12.1988 तक कुल चूक

1.	एसडीएफसी/सरकारी ऋण	9.96 करोड़ रुपए
2.	डच सहायता ऋण	1.41 करोड़ रुपए

श्री दौलत सिंह जी जदेजा: मंत्री महोदय द्वारा रखे गये विवरण से एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस देश के मछली उद्योगें विशेषकर गहरे समुद्र में मछली वाले उद्योग को बहुत संकट का सामना करना पड़ रहा है। वे राहत के लिये, बैंकों से सहायता प्राप्त करने का अनुरोध कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। दुर्भाग्य से इस महत्वपूर्ण उद्योग को सहायता देने की बजाय उन्हें पहले ही से दी जा रही सुविधाओं, जैसे डीजल तेल की लिये दी गई राजसहायता, को भी समाप्त कर दिया गया है। इस देश में डीजल के भाव विश्व में सबसे अधिक है। आप उद्योगों से कहते हैं कि अपने प्रयासों से विदेशी मुद्रा एकत्रित करें। उन्हें सहायता देने की बजाय आप वे सुविधाएं भी वापिस ले रहें है। मैं जानता हूं कि यह कहा जा सकता है कि चंकि सभी मछुआरों को ये सुविधाएं नहीं दी जा रही थी। इसलिये ऐसा नहीं है कि सरकार इन छोटे मछुआरों को सुविधाएं देना ही नहीं चाहती। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने वाले उद्योग को अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए थी। वित्त मंत्री इस महत्वपूर्ण उद्योग की सहायता के लिये कौन से कदम उठा रहे हैं ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो: यह कहना सही नहीं है कि मछली उद्योग विशेषकर गहरे समुन्द्र में मछली पकड़ने वाले ट्रालरों के संकट का कारण उन्हें दी जा रही सुविधाओं को वापिस लेना है। वास्तव में यह एक

ऐसा उद्योग है जिसे काफी राज सहायता दी जा रही है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली ट्रालरों को दी जा रही राजसहायता के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि शिपयार्ड को 33 प्रतिशत राजसहायता दी गई है जिससे मछली पकड़ने वाली कम्पनी की लागत में सीधे कमी आती है। यदि जहाज देश ही में बना हो तो मछली पकड़ने वाली कम्पनी को जहाज की कुल लागत का केवल 5% देना पड़ता है और यदि जहाज विदेशी शिपर्याड से आयात किया गया हो तो इसे 10 प्रतिशत देना पड़ता है। इन उद्योगों को बहुत अधिक राज-सहायता प्राप्त है और राजसहायता सबको दी जाती है और स्पष्टतयः तटवर्ती क्षेत्र में मछली पकड़ने वाली नौका को जो राजसहायता दी जाती है यह उससे पूर्णतः भिन्न है। जहां तक उन्हें हो रही कठिनाइयों का संबंध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं और हमने उन्हें जांच के लिए भारतीय नौवहन ऋण एवं निवेश कम्पनी के पास भेज दिया है। इस बारे में निर्णय ले लिया गया है और सभी प्रकार के ऋणों और ऋणदाताओं के संबंध में हमारी यह नीति रही है कि हालांकि हर उद्योग में प्रत्येक मामले की समय सारिणी बनाना आवश्यक नहीं है फिर भी प्रत्येक मामले के अनुसार समयावधि बनाने पर विचार किया जा सकता है। तदानुसार समयावधि के लिए प्राप्त प्रतिवेदनों को एस०सी०आई०सी०आई०ने हर मामले के आधार पर विचार करना शुरू कर दिया है क्योंकि सम्बद्ध कम्पनी ने इस पर तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की अर्थात कम्पनी स्वयं वित्त के अनुमोदन के लिए जरूरी जानकारी नहीं दे रही है । इन याचिकाओं को खारिज करने के प्रस्ताव में काफी समय लग रहा है। तथापि दो मामलों के संबंध में आवधिक ऋण को पुनः नियत करने के प्रस्ताव पर अधिकार प्राप्त समिति सहमत हो गई है बशर्ते कि कम्पनी का प्रवर्तक अतिरिक्त इक्विटी प्रस्तुत करे।

श्री दौलत सिंह जी जडेजा : मंत्री महोदय ने अभी जिन सुविधाओं का जिक्र किया है वे सुविधाएं इस उद्योग को पिछले 20 वर्षों से प्राप्त हैं और हम जानते हैं कि इस उद्योग ने पिछले 20 वर्षों में कितनी प्रगति की है मैं यह कहना चाहता हूं कि इस उद्योग को विश्व की अन्य नौवहन कम्पनियों के साथ स्पर्धा करनी पड़ती है इसलिए उन्हें अतिरिक्त लाभ दिए जाने चाहिए। क्या सरकार यह चाहती है कि यह उद्योग रूग्ण हो जाए और फिर अधिक बेहतर सुविधाएं देकर इसे पुनः शुरू किया जाए? मैं केवल डीजल तेल पर दी जा रही राजसहायता को वापिस लिए जाने के बारे में जानना चाहता हूं। गहरे समुद्र में मछली पकडने के लिए ऋण की जो सुविधा दी गई है और उस पर आप जितना ब्याज मांग रहे हैं क्या आपने इन दोनों बातों पर विचार किया है?

श्री एडुआर्डो फैलारो : यह कहना ठीक नहीं है कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले समूचे उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है। हर मामले में एक कारण उचित प्रबन्ध का न होना भी हो सकता है। माननीय सदस्य उन्हें अपने अनुभव से उन्हें उचित परामर्श दे सकते हैं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि जिस पर्याप्त राजसहायता का उन्होंने जिक्र किया है वह अब उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। यह सहायता पहले दी जाती थी। क्या वह इस तथ्य से अवगत हैं कि इस राजसहायता को बंद कर दिया गया है? क्या मंत्री महोदय इस बारे में यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठायेंगे किये राजसहायता पुनः चालू की जाए ताकि इस उद्योग को कुछ सहायता मिल सके।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : राजसहायता के प्रश्न का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है यह वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं दी जाती; यह राजसहायता अन्य मंत्रालयों विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण और अन्य मंत्रालयो द्वारा दी जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा-राशि

*231. **श्री एम॰ रघुमा रेड्डी:**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक:

क्या वित्त मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत चार वर्षों से राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा-राशि में निरंतर कमी आती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक बैंक में वर्ष-वार जमा-राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा बैंकों में धन जमा करने के लिए लोगों को आकर्षित करने हेतु कोई और कदम उठाने जा रहे हैं; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (ङ): गत चार वर्षों से दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल जमाराशियों में निरन्तर वृद्धि हुई है तथा आंकड़े निम्नानुसार हैं:—

(राशि करोड़ रुपए)

दिसम्बर 1985	52366.91
दिसम्बर 1986	63666.71
दिसम्बर 1987	74135.81
दिसम्बर 1988	88693.57

2. बंक-वार वार्षिक कुल जमाराशियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

3. जमाराशियां जुटाना बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है और वे इसके लिए अपनी सेवा/बैंकिग सुविधाओं के माध्यम से प्रयास करते हैं।

विवरण

दिसम्बर 1985, 1986, 1987 और 1988 के अन्तिम शुक्रवार को स्थिति के अनुसार (बैंकों के अलावा) कुल जमाराशियां

(राशि करोड़ रुपए)

बैंक का नाम	27.12.85	26.12.86	25.12.87	30.12.88
1. भारतीय स्टेट बैंक	19775.96	22700.27	25610.16	30023.40
2. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	875.95	985.65	1771.26	1417.93
3. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	896.76	1094.31	1231.76	1470.46
4. स्टेट बैंक आफ इन्दौर	398.01	491.55	642.85	815.29
5. स्टेट बैंक आफ मैसूर	655.01	735.22	873.62	1039.30
6. स्टेट बैंक आफ पटियाला	994.80	1189.51	1372.36	1665.31
7. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	432.66	503.66	596.46	668.98
8. स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	935.27	1114.47	1287.06	1412.18*
कुल :	24964.42	28814.64	32785.53	38512.85
9. इलाहाबाद बैंक	1763.13	2187.05	3061.42	3826.59
10. आन्ध्रा बैंक	1458.64	1795.74	1995.35	2384.43

(राशि करोड़ रूपए)

बैंक का नाम	27.12.85	26.12.86	25.12.87	30.12.88
11. बैंक आफ बड़ौदा	4316.31	5314.34	5931.31	7382.06
12. बैंक आफ इंडिया	4937.16	6044.08	7136.73	8413.27
13. बैंक आफ महाराष्ट्र	1524.89	1757.12	2066.39	2413.48
14. केनरा बैंक	5172.83	6286.88	7230.49	8171.00
15. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	5495.25	6703.99	7700.01	9111.01
16. कारपोरेशन बैंक	683.64	908.93	1017.88	1215.24
17. देना बैंक	1438.51	1589.67	1847.22	2183.00
18. इंडियन बैंक	2314.47	2943.49	3368.74	4225.28
19. इंडियन ओवरसीज बैंक	2516.93	3138.98	3483.41	4201.56
20. न्यू बैंक आफ इंडिया	977.17	1154.17	1366.49	1750.15
21. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	935.74	1160.24	1435.36	1887.98
22. पंजाब नेशनल बैंक	5610.34	7053.58	8377.62	10209.70
23. पंजाब एंड सिंध बैंक	1176.10	1382.60	1583.59	1902.55
24. सिंडिकेट बैंक	3040.40	3556.34	3922.81	4496.56
25. यूनियन बैंक आफ इंडिया	3020.33	3603.67	4181.42	4653.69*
26. युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	2366.83	2664.08	3075.06	3628.45
27. यूको बैंक	2622.81	3128.97	3845.64	4736.72
28. विजया बैंक	995.43	1292.79	1508.87	1900.85
कुल :	52366.91	63666.71	74135.81	88693.57

*आंकड़े अनन्तिम

उड़ीसा की सिंचाई परियोजनाओं के लिए धनराशि

*232 **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा की अपर कोलाब, रेंगाली और स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवंटित धनराशि पर्याप्त रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनका निर्माण कार्य समय-सीमा के अन्दर किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि इन परियोजनाओं को सातवीं योजना की शेष अवधि में पूरा किजा जा सके?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी॰ शंकरानन्द): (क) से (ग): सातवीं योजना में इन परियोजनाओं को पूरा करने का विचार नहीं था। इन परियोजनाओं पर संभावित व्यय सातवीं योजना में अनुमोदित पारव्यय से अधिक है।

विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाना

*233. **श्री बी॰ कृष्ण राव:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे विश्व में विवाह की आयु बढ़ाने के लिए अभियान चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सभी समुदायों के व्यक्तियों के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने और इससे कम आयु में विवाह को अवैध घोषित करने के लिए सरकार का बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 में और संशोधन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तम्बाकू बोर्ड का गठन

*234. **श्री मुरलीधर माने:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में गठित किए गए तम्बाकू बोर्ड में गैर-सरकारी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके कया कारण हैं और वे कब्ब तक नियुक्त किए जाएंगे;

(ग) क्या सरकार का बोर्ड को और अधिक व्यापक बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी, हां।

(ख) तम्बाकू बोर्ड में निम्नलिखित गैर—सरकारी सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहे हैं:—

1.	श्री के.एस.राव सदस्य लोक सभा 142, नार्थ ऐवन्यू, नई दिल्ली—110001. स्थाई पता:— बी—62 स्कार्ईलार्क अपार्टमेंट्स, बशीर बाग, हैदराबाद—500029 (आन्ध्र प्रदेश)	सदस्य-लोक सभा द्वारा निर्वाचित
2.	श्री एन. वेंकटरत्नम, सदस्य, लोक सभा, 40, केनिंग लेन, नई दिल्ली—110001. स्थाई पता:— 3 / 1, अरूण्डलपेत, गुंटूर-522002 (आन्ध्र प्रदेश)	सदस्य लोक सभा द्वारा निर्वाचित
3.	श्री विट्ठल भाई मोतीरामपटे, ससद सदस्य (राज्य सभा), 191, साउथ ऐवन्यू नई दिल्ली. स्थाई पता:— पत्रकार कालोनी, ब्लाक नं—04, फ्लैट नं—20, विजय नगर, अहमदाबाद, गुजरात	
4.	श्री वाई० वी० नारासी रेड्डी, सरपंच, उप्पलपादु गांव, नरसारापन मंडल, गुंटूर जिला, आन्ध्र प्रदेश	सदस्य-तम्बाकू उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए
5.	श्री के० वी० रमन, वी० आर० पुरम, भद्राचलम तालुक, खमाम जिला, आन्ध्र प्रदेश	सदस्य तम्बाकू उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए
6.	श्री जी० अच्यूता कुमार, विधान सभा सदस्य, सुपुत्र श्री जी० पट्भिरमान्सस्वामी चौधरी, के० उप्पलपादु (डाक घर) कोंडेपी मंडल, प्रकासम जिला, आन्ध्र प्रदेश	-वही-
7.	श्री दारूकुरी वीरैमया चौथी लाइन, चन्द्रमोली नगर, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश	-वही-

8.	श्री डी.ए. रामगोडा, चलपोवसनाहली, हुंसूर, मैसूर जिला, कर्नाटक	सदस्य तम्बाकू उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए
9.	श्री यंगुंतला देवराजु, सुपुत्र श्री रामैय्या आर.एल.पुरम, सन्धानुथलपाडु मंडल प्रकासम जिला, आन्ध्र प्रदेश	-वही-
10.	श्री बी. एस.कृष्णामूर्ति, निदेशक, मै. बोमीदाला ब्रादर्स लि. पोस्ट बाक्स नं० 100, मंगलागिरि रोड, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश.	सदस्य-तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों, तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तम्बाकू विपणन अथवा कृषिगत अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ
11.	श्री मादी लक्ष्मैयूडयाप्रबंध निदेशक, मै. मादी लक्ष्मैयूपाह ऐंड कं० (प्रा०) लि० 114, आनन्द लोक, नई दिल्ली-110049.	सदस्य-तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों, तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तम्बाकू विपणन अथवा कृषिगत अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ
12.	श्री एस. बाई पाटिल, एमएस के मिल्स हाउसिंग कालोनी, गुलबर्गा, कर्नाटक	-वही-
13.	श्री एन०ए० इलियास चिका हुंसूर, हुंसूर मैसूर जिला, कर्नाटक	-वही-

(ग) और (घ) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 (4) से उपबन्धों से अनुसार तम्बाकू बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है तथा सभी रिक्तियां भरी जा चुकी हैं। बोर्ड से गठन का विस्तार करने हेतु तम्बाकू बोर्ड अधिनियम में संशोधन करने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिहार में बांधों का निर्माण

*235 **श्री रामस्वरूप राम:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बिहार में पंचानपुर में दरधा नदी पर और बिठोदम में फल्गु नदी पर सिंचाई बांध बनाने का प्रस्ताव था;

(ख) क्या इस संबंध में अपेक्षित सर्वेक्षण किए गए हैं;

(ग) इनसे कितने हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होने की संभावना है; और

(घ) इन बांधों का निर्माण कार्य कब शुरू किए जाने और पूर्ण किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) से (घ): केन्द्र में मूल्यांकन के लिए ऐसी कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।

एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के यूनिटों का कार्यकरण

*236. **श्रीमती जयंती पटनायक :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के यूनिटों के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की यूनिटों को इस संबंध में क्या अनुदेश दिए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) और (ख): निर्यात प्रोसेसिंग जोन एककों के कार्य-निष्पादन की समय पर समीक्षा की जाती है और बाजारों के विविधीकरण, निर्यात-विस्तार, मूल्यवर्धन में सुधार तथा चरणबद्ध स्वदेशीकरण के विशेष संदर्भ में जोनों के कार्यचालन में सुधार लाने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार अनुदेश जारी किये जाते हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलना

*237.**श्री भद्रेश्वर तांती:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशों में और अधिक क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक खोलने संबंधी कोई दीर्घकालिक नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एबुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख): वर्तमान नीति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किसी क्षेत्र विशेष में विद्यमान बैंकिंग सुविधाओं और ऋणों के अन्तर को ध्यान में रख कर चयनात्मक आधार पर की जाती है। ऐसा करते समय अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति बहुल जन आबादी वाले क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी जाती है।

बांध सुरक्षा संबंधी संगोष्ठी

*238. **श्री वी० तुलसीराम:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में बांध सुरक्षा पर अनुसंधान की आवश्यकता के बारे में एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संगोष्ठी में किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया ;

(ग) क्या इस संगोष्ठी में भूमि का कटाव, गाद जमा होना, सिंचाई परियोजनाएं कृषि उत्पादन बढ़ाने जैसे किसानों से संबंधित विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया; और

(घ) यदि हां, तो किसानों के लाभ के लिये, राज्य-वार, क्या निर्णय किए गए ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)(क) जी हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला में बांध सुरक्षा के अनुसंधान पहलुओं तथा कार्यलापों को अभिज्ञात करने और प्राथमिकता देने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

"इंडियन करेंसी बींग स्मगल्ड आउट " शीर्षक से समाचार-

*239. **श्री अजय बिश्वास:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 फरवरी, 1989 के "दि इंडियन पोस्ट" में "इंडियन करेंसी बींग स्मगल्ड आउट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि सोने की तस्करी करने के लिये उच्च मूल्य के भारतीय करेंसी नोट तस्करी करके बाहर भेजे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) अनुमानतः कितनी भारतीय करेंसी बाहर भेजी जा रही है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) से (ग) जी हां। उपलब्ध रिपोर्टों तथा सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा विगत कुछेक वर्षों के दौरान किए गए भारतीय मुद्रा के अभिग्रहणों से, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, यह संकेत मिलता है कि भारतीय मुद्रा देश से बाहर तस्करी के लिये आकर्षण की वस्तु बनी हुई है। 500 रुपए तथा 100 रुपये जैसे उच्च मूल्यवर्ग के नोटों को तस्करी द्वारा देश से बाहर ले जाया जा रहा है क्योंकि ये दुबई, सिंगापुर, हांगकांग आदि के मुद्रा बाजारों में विदेशी मुद्रा में बदले जा सकते हैं। ऐसे परिवर्तन के बाद, इस राशि को, सोने, चांदी, संश्लिष्ट वस्त्रों, घड़ियों आदि जैसी निषिद्ध वस्तुओं को तस्करी द्वारा देश में लाए जाने हेतु वित्त पोषण के लिये प्रयोग में लाया जाता है।

(मूल्य : करोड़ रुपयों में)

	1986	1987	1988
भारतीय मुद्रा के अभिग्रहण	5.67	4.36	6.72

तथापि, चूंकि तस्करी चोरी छिपे किया जाने वाला एक धंधा है, इसलिये यह अनुमान लगा पाना संभव नहीं है कि किसी समय विशेष पर कितनी राशि में भारतीय मुद्रा देश में तस्करी द्वारा लायी जा रही है अथवा देश से बाहर ले जाई जा रही है।

(घ) तस्करी-रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है तथा तस्करी-रोधी तंत्र को विशेषतया धू-सीमाओं,तटवर्ती क्षेत्रों और अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और बन्दरगाहों के तस्करी के लिये सुगम्य बने हुए क्षेत्रों में मजबूत बना दिया गया है। भारतीय मुद्रा की तस्करी करने में लगे हुए तस्करों सहित अन्य तस्करों के विरुद्ध आसूचना का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय मुद्रा की तस्करी सहित, दूसरी वस्तुओं की तस्करी को रोकने एवं इसका पता लगाने के लिये सभी संबंधित एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जाता है।

"रेलवे यात्री" पत्रिका

*240. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग का यात्रियों को रेलवे यात्री शीर्षक वाली नई पत्रिका मुफ्त उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो रेल यात्रियों को यह पत्रिका किस तारीख तक सप्लाई की जायेगी, और

(ग) इस पत्रिका के बाह्य स्वरूप विषय सूची आदि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) और (ख) 28 जनवरी, 1989 से "रेल यात्री" पत्रिका की प्रतियां कुछ चुनिंदा गाड़ियों के आरक्षित सवारी डिब्बों में पहले ही यात्रियों को मुफ्त उपलब्ध करायी जा रही हैं।

(ग) इस पत्रिका में साहित्यिक निबन्ध, विभिन्न प्रकार के लेख, रूपक लघु-कहानियां, कविताएं, यात्रा, पर्यटन, खेलकूद आदि से संबंधित जानकारी होती है।

संसाधनों की स्थिति के बारे में वित्त आयोग के अध्यक्ष द्वारा दिया गया वक्तव्य

*241. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को वित्त आयोग के अध्यक्ष द्वारा दिए गये वक्तव्य की जानकारी है जिसमें कहा गया है कि राज्यों की ही नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार के संसाधनों की स्थिति भी गम्भीर है और इससे भारी संकट उत्पन्न हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो उन संसाधनों का सही ब्यौरा क्या है जिनका वित्त आयोग के अध्यक्ष ने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गड़बी): (क) और (ख) विगत आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष ने राज्यों के साथ अपनेविचार-विमर्श के दौरान यह कहा है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान केन्द्र और राज्यों, दोनों ही ने बढ़ती हुई राजस्व घाटे की प्रवृत्ति को यदि नियंत्रित किए बिना जारी रखा तो इसके गंभीर परिणाम हो सकता हैं।

पिछली जुलाई में प्रस्तुत वित्त आयोग की पहली रिपोर्ट के अनुसार, केन्द्र और राज्यों दोनों को मिलाकर वर्ष 1988-89 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा बढ़कर सकल देशी उत्पाद का 3.3 प्रतिशत तक हो सकते हैं।

(ग) सरकार इस बात के प्रति सचेत है कि राजस्व घाटे को नियंत्रण में रखने की अत्यावश्यकता है और प्राप्तियों में वृद्धि करने तथा व्यय को नियंत्रण में रखने के लिये लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों को जांच आयोगों का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना

*242. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के कितने सेवानिवृत्त न्यायाधीश विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित आयोगों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए; और

(ख) क्या सरकार यह विचार कर रही है कि भविष्य में जांच आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त न किया जाये?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी. शंकरानंद)(क) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी नहीं।

बंसधारा परियोजना चरण-दो को मंजूरी

*243. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री 15 जनवरी 1987 को "बंसधारा परियोजना चरण-दो" के लिए सहमत हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते को अन्तिम रूप देने में विलम्ब होने के क्या कारण है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार, उड़ीसा सरकार को उक्त समझौते पर अपनी सहमति देने के लिए कहेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) (क) जी हां

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गयी आशोधित परियोजना की उड़ीसा सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) और (घ): उड़ीसा सरकार को इस मामले पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बैंक अधिकारियों के विरुद्ध जांच

*244. **श्री सांभाजीराव ककाडे:** क्या वित्त मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी गम्भीर आरोपों के अनेक मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस समय जांच की जा रही है;

(ख) वर्ष 1985 के प्रारम्भ से ऐसे कितने मामलों में जांच की जा रही है; और

(ग) इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त बैंकों और अधिकारियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने सूचित किया है कि दिसम्बर 1988 के अंत में बैंक अधिकारियों के विरूद्ध 1985 से आगे की अवधि से संबंधित 256 मामलों की जांच का काम चल रहा था।

(ग) उक्त मामलों में अन्तर्ग्रस्त 339 बैंक अधिकारियों का बैंकवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

		अंतर्ग्रस्त अधिकारियों की संख्या
1.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	8
2.	बैंक आफ इंडिया	12
3.	पंजाब नेशनल बैंक	8
4.	बैंक आफ बड़ौदा	26
5.	यूको बैंक	22
6.	केनरा बैंक	15
7.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	12
8.	देना बैंक	5
9.	सिंडिकेट बैंक	43
10.	यूनियन बैंक आफ इंडिया .	15
11.	इलाहाबाद बैंक	5
12.	इंडियन बैंक	15
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	2
14.	इंडियन ओवरसीज बैंक	20
15.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	10
16.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	2
17.	न्यू बैंक आफ इंडिया	3
18.	कार्पोरेशन बैंक	15
19.	आन्ध्रा बैंक	13
20.	विजया बैंक	7
21.	भारतीय स्टेट बैंक	54

		अन्तर्गस्त अधिकारियों की संख्या
22.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	5
23.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1
24.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	3
25.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	2
26.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	6
27.	भारतीय रिजर्व बैंक	1
28.	जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक	1
29.	मारवाड़ ग्रामीण बैंक	1
30.	संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4
31.	सागर ग्रामीण बैंक	2
32.	चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1

पाकिस्तान को पान का निर्यात

2059. **श्री परसराम भारद्वाज:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान को पान का निर्यात बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में पाकिस्तान को निर्यात प्रयोजनों के लिए पान के उत्पादन में वृद्धि करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं।

जिम्बाबवे के साथ व्यापार में वृद्धि।

2060. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जिम्बाबवे के साथ व्यापार में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो व्यापार में वृद्धि करने के लिए दोनों देशों ने किन क्षेत्रों का पता लगाया है; और

(ग) दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के परिणामों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जिम्बाबवे सहित, सभी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की सरकार की सामान्य नीति है।

(ख) भारत और जिम्बाबवे के बीच जिन मदों का व्यापार किया जा सकता है उनकी सूचियां विवरण 1 और 2 के क्रम में संलग्न हैं। यह सूचियां दिसम्बर, 1986 में आयोजित भारत-जिम्बाबवे व्यापार वार्ता के दौरान अभिज्ञापित की गई थीं।

(ग) भारत-जिम्बाबवे संयुक्त आयोग की फरवरी, 1989 में हुई द्वितीय बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा की गई। इस बात पर सहमति हुई कि विद्यमान व्यापार स्तर को बढ़ाया जाए, दोनों देशों के राज्य व्यापार निगमों के बीच घनिष्ठता सहयोग को उत्साहित किया जाए और वर्तमान प्रति व्यापार प्रबंधों को कायम रखा जाए।

विवरण-1

मदें जिन्हें भारत जिम्बाबवे से आयात कर सकता है।

— खाले, बैल तथा गाय
— बकरी की खालें तथा मैमने की खालें, असाधित
— चमड़े की पीस

— टिम्बर
— हाथी दांत
— ब्लूम, बिलोट, स्लैब शीट बार
— राट बार, राड, एंगल, शेप्स तथा सैक्शन आफ टिन, टिन वायर
— टिन, बार, ब्लाक इनगाट
— निकल तथा निकल अलौह
— प्लैटिनम क्रसिबल्सा गैज
— स्वर्ण सांद्रण
— स्वर्ण जिस पर आंशिक रूप से कार्य किया गया है।
— एस्बस्टोस
— तांम्बे की छड़ें

विवरण—2

भारत से जिम्बाबवे को निर्यात के लिए' उपलब्ध कराई जा सकने वाली मदों की सूची

1. हूप आयरन स्ट्रेपिंग
2. अपरिष्कृत लोहे और इस्पात की बढ़िया फिटिंगस
3. अपरिष्कृत लोहे और इस्पात के पाईप और पाईपिंग
4. ट्यूब और पाईप
5. तांबे की पाईप फिटिंगस
6. स्लूईस मेट्स सहित बैरजे उपस्कर और मशीनें
7. दूध के डिब्बे और बाल्टियां
8. धातु के खाली ड्रम
9. टिन और उसी प्रकार के मिश्रित कनेटनर्स
10. कम्प्रेशर सिलंडर
11. वायर रोप
12. मशीनों में प्रयोग आने वाले गेज, सीविंग और स्क्रीनिंग
13. जैल्स, टैक्स, स्टेपल्स, हुक नेल्स, स्पाईकड क्रेम्पल, स्टड्, स्पाईक्स और तांबे अथवा लोहे या इस्पात की तांबे के हेड वाही ड्राइंग पिनें, बोल्टस और नट्स (बोल्ट एण्ड और स्क्रू स्टड सहित) धागे वाली अथवा धागे के बिना या टेप्ड, स्क्रू) जिसमें शामिल है स्क्रू हुक और स्क्रू रिंग्स, रिवेट्स, कटरस, कटन मिक्स तथा इसी प्रकार की तांबे की वस्तुएं) बाशर्त (स्प्रिंग वाशर सहित) तांबे के वाशर।
14. नेल्स
15. स्क्रू हुक्स, रिंग और नाबें सहित स्क्रू
16. कारीगरों और मिस्त्रियों के बिजली सहित औजार
17. मशीनों के औजार
18. हिंजिस और बट्स
19. धात्विक हार्डवेयर (जिसमें शामिल है ताले, चाबियां, हाल्टस और दरवाजों की फिटिंग्स, फर्नीचर, वाहन और ट्रक आदि)
20. खिड़की की धात्विक फिटिंग

21. हालिंग आदि के लिए वैल्डिंग विंक वाली जंजीर आदि सिल्ट लिंक, शैक्ल और उसके थिम्बल।
22. क्लास्प, हाथ के बैगों के लिए क्लास्प वाले फ्रेम तथा धातु के सद्रस फ्रेम जिनका सामान्यतः कपड़े टांगने के लिए प्रयोग किया जाता है, यात्रा की वस्तुएं, हैण्ड बेग्स या अन्य वस्त्र या चमड़े की वस्तुएं, टेबुलर रिवेटस तथा मेटल बोन वाली फाइफरकेटिड रिवेटस्, मेटल बेस वाली बड्डिस और स्पेंग्लग्स।
23. अल्यूमिनियम की अन्य वस्तुएं
24. केपसूल और स्टोपर्स।
25. स्लिट लिंक, सैक्टस, वापर रोप्स सहित थिम्बल।
26. बेलिडंग इलैक्ट्रोडस और ब्रेजिंग एलाएज।
27. धात्विक विनिर्माण
28. बायलर ट्यूब्स और अतिरिक्त पुर्जे।
29. आई सी. इंजन्स, डीजल, स्टेशनरी।
30. आई. सी. इंजन्स, अन्य, स्टेशनरी।
31. आई. सी. इंजन्स फार बोट्स।
32. पूरे आई. सी इंजन्स, (मोटर वाहन आदि)।
33. आई.सी. इंजिन के पुर्जे (उपकरणों और अनुषंगी उपस्कर सहित)।
34. हाइड्रोलिक इंजिन और मोटरें (वाटर वील्स और वाटर टरबाइन सहित)
35. चुर्नस
36. डीजल के ट्रेक्टर
37. ट्रेक्टर के पार्टस, अतिरिक्त पुर्जी और उपकरण
38. छिद्रित कोर्डों के लिए सांख्यिकीय तथा लेखाकरण मशीनें
39. सांख्यिकी मशीनों के यांत्रिक पुर्जे।
40. 84, 45, 60, 84, 45, 65 तथा 84, 45, 70 की उपशीर्ष संख्या के अलावा प्रेसिस।
41. लैथ इण्डस्ट्रियल, मेटलवर्किंग।
42. गैस से चलने वाले वेल्डिंग उपस्कर।
43. मेटल वर्किंग मशीनरी।
44. 84, 37 शीर्ष की मशीनों वाली अनुषंगी मशीनें (उदाहरणार्थ डोबीज़, जेक्वार्डस, आटोमेटिक स्टाप मोशन तथा शटल चेंजिंग मेकेनिजम पार्टस तथा मौजूदा शीर्ष वाली अथवा 84, 36 या 84.37 शीर्ष के भीतर आने वाली मशीनों के लिए पूर्णतः अथवा अंशतः प्रयुक्त होने के लिए उपयुक्त उपकरण जैसे स्पिण्डल और स्पिण्डल फ्लेयर कार्डस क्लोदिंग, कोम्बस, निप्पल रहित, शटल्स, हेल्डस तथा हेल्डस लिफ्टर्स, लिफ्टर्स और हौजरी नीडल्स।
45. हस्त निर्मित कागज की मशीनों सहित कागज बनाने वाली मशीनें।
46. टाइप फाउन्डिंग या टाइप सेटिंग की मशीनें, यंत्र और उपकरण, वर्किंग प्रिंटिंग ब्लाक बनाने के लिए 84,84,47 शीर्ष संख्या वाले मशीनों के पुर्जों से अन्यत्र मशीनें, प्लेटस या सिलेंडर्स, प्रिंटिंग टाइप, इम्प्रेशड फ्लांग्स और मेट्रिसिज, प्रिंटिंग ब्लाक, प्लेट्स और सिलिण्डर, ब्लाक, प्लेटस, सिलेण्डर्स तथा लिथोग्राफिक स्टोन जिन्हें प्रिंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है (जैसे प्लेन्ड, ग्रेन्ड या पालिशड)
47. फूड प्रोसैसिंग मशीन्स
48. मशीनरी फार सार्टिंग, स्क्रीनिंग, सेपरेटिंग, वाशिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग और मिक्सिंग अर्थ, स्टेन, और्स आर अदर मिनरल सब्सडेन्स, इन सोलिड (पाउडर तथा पेस्ट सहित) फार्म मशीनरी फार एगलोमेरेटिंग मोल्डिंग

अथवा शेपिंग सोलिड मिनरल फ्यूल, पार्टस, अनहार्ड्न्ड सीमेंट, प्लास्टरिंग मेटीरियल अथवा अन्य मिन्रल्स प्रोड्क्टडस इन पाउडर आर पेस्ट फार्म; मशीन्स फार फार्मिंग फाउन्डरी मॉल्डर्स आफ सेन्ड।

49. ग्लास वर्किंग मशीन्स (अदर देन मशीन्स फार वर्किंग ग्लास इन दि कोल्ड); मशीन्स फार एसेम्बलिंग इलैक्ट्रिक फिलामेंट एंड डिस्चार्ज लेम्पस एंड इलैक्ट्रानिक एंड सिमिलर ट्यूब्स एंड वाल्वस)
50. एसफाल्ट मेल्टिंग एंड मिक्सिंग प्लांट, तार एंड पिच बाल्लर्स।
51. बुल एंगल डोजर्स।
52. एक्सेवेटर पार्टस।
53. रोड कन्सट्रक्शन मशीनरी।
54. ट्रांसपोर्टिंग इक्वीपमेंट, माइनिंग, अंडरग्राउंड इलैक्ट्रिक आर मेकेनिकल।
55. टंग्सटन कारबाइड टिप्स एंड क्राउन्स।
56. माइनिंग मशीनरी वेरियस टाइप्स।
57. कंकरीट मिक्सिंग मशीनरी।
58. मोटर सर्विसिंग इक्वीपमेंट।
59. वाटर बोरिंग, ड्रिल फटस.
60. एयर-कंडीशनिंग मशीनरी डीप फ्रीजर्स, रेफ्रीजरेटर्स, आइस मशीनरी प्लांट्स।
61. फर्नेस बनर्स फार लिक्विड फ्यूल (आटोमिसर्स), पल्वराइज्ड सोलिड फ्यूल और फार गैस; मेकेनिकल स्ट्रोकर्स, मेकेनिकल ग्रेट्स, मेकेनिकल एश डिस्चार्जिस एंड सिमिलर एपलान्सिस।
62. वार पम्प्स, डोमेस्टिक / एग्रीकल्चरल / इंडस्ट्रीयल।
63. वाटर पम्पस पाटर्स।
64. ब्लोजर, फन्स, जेनरेटर एंड पम्पस, इंडस्ट्रीयल एयर और गैस।
65. वाटर पम्प्स, सेन्ट्रीफ्यूगल टाइप।
66. पम्पस, इंडस्ट्रीयल फार लिक्विड्स एंड लिक्विड एलीवेटर्स आफ बकेट, स्क्रियू एंड सिमिलर टाइप।
67. पाटर्स फार पम्पस एंड सेन्ट्रीफ्यूग्स।
68. क्रेन्स, प्रेविटी कन्वेयर्स, विन्विस होस्टिंग क्रेब्स, क्रेन ब्लाक्स एंड स्पीरल शूट्स।
69. मेकेनिकल हैंडिलिंग इक्विपमेंट फार वेरियस इडस्ट्रीयल एपलान्सिस।
70. रॉक ड्रिल्स।
71. रॉक ड्रिल स्पेयर्स।
72. डायमन्ड बिट्स, क्राउन्स सरिएमर्स एंड रिएमर्स शैल्स फार ड्रिलिंग।
73. टूल्स फार वार्किंग इन दि हैंड, न्यूमेटिक और विद सेल्फ-कन्टेन्ड नान-इलैक्ट्रिक मोटर।
74. वेइंग मशीन्स कम्पलीट इन्क्लूडिंग इलैक्ट्रिक, एंड मेकेनिकल टाइप्स।
75. मशीन्स (नान इंडस्ट्रीयल)।
76. बाल, रोलर एंड नीडल-रोलर बीयरिंग।
77. कम्प्रैसर्स, एयर ऑर गैस।
78. फिल्टर प्लांटस एंड फिल्टर्स फार प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर।
79. फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी।
80. फिल्टर प्लांट फार दि प्योरिफिकेशन आफ आयल एंड आयल सेपरेटर्स।
81. मशीनरी, इंडस्ट्रीयल।
82. पैकिंग एंड लेगिंग (अदर देन एस्बेस्टोस)।

83. काक्स, टेप्स एंड वाल्वस।
84. ट्रांसमिशन शाफ्ट्स, क्रैंक्स, बीयरिंग हाउसिंग, प्लान शाफ्ट बीयरिंग, गीयर्स एंड गीयरिंग (इन्क्लूडिंग फ्रिक्शन गीयर्स एंड गीयर-बाक्सिस एंड अदर वेरिएबल स्पीड गीयर्स), फ्लाइवील्स, पुलेज़ एंड पुलेज ब्लाक्स, क्लचिज एंड शेफ्ट कपलिंग।
85. मशीनरी पार्टर्स, नॉट कन्टेनिंग इलैक्ट्रिकल कनेक्टर्स इन्सूलेटर्स, क्वायल्स, कन्टेक्टस ऑर अदर इलैक्ट्रिकल फीचर्स एंड नॉट फालिंग विदइन एनी अदर हैडिंग इन दिस चैप्टर।
86. ट्रांसमीटर्स कैपिसिटी इन्क्लूडिंग अंडर 5 के० वी० ए०।
87. इलैक्ट्रिक मोटर्स केपेसिटी इन्क्लूडिंग ओवर 75 के० डब्ल्यू०।
88. स्विच गीयर्स।
89. इलैक्ट्रिक फिटिंग्स, डोमेस्टिक, पिन प्लग्स, होल्डर्स एट्स.।
90. पार्टर्स फार इलैक्ट्रिक मोटर्स, जेनेटर्स एट्स.।
91. वायर एंड केबल, कापर, इन्सूलेटिड, इन्सूलेटिड विद पौलीथीलीन एंड/ऑर पालीविनाइल क्लोरोइड।
92. इन्सूलेटिड वायर्स एंड केबल्स (इ.जी. मिनरल इन्सूलेटिड, इनेमल्स वाइंडिंग वायर्स, एसबेस्टोस स्टोव वायर्स)।
93. इलैक्ट्रिक इन्सूलेटर्स, पोर्सीलेन।
94. इन्सूलेटिंग इक्वीपमेंट्स।
95. टेलीविज़न रिसीवर्स, वेदर ऑर नॉट फिटिड विद ग्रामोफोन ऑर रेडियो।
96. टेलीविजन, रेडियो एंड रेडियोग्राम पार्टर्स।
97. टेलीग्राफी एंड टेलीफोन अपरेटर्स, राडार एपरेटर्स फार एयरक्राफ्ट्स, शिप्स, ब्राडकास्टिंग और टेलीविजन।
98. टेलीग्राफी एंड टेलीफोन अपरेटर्स।
99. वेक्यूम क्लीनर्स, इलैक्ट्रिक।
100. पार्टर्स आफ स्टोव्स इनकारपोरेटिंग ओवन्स।
101. बेट्रीज, ड्राई, प्राइमरी।
102. बेट्रीज़ एंड एक्यूमूलेटर्स।
103. पार्टर्स आफ बेट्रीज़।
104. लेम्पस, गैस डिस्चार्ज, मर्करी आफ सोडियम।
105. लेम्प बल्बस एंड ट्यूब्स।
106. डायोड्स, ट्रांसिसटर्स एंड सिमिलर सेमी-कन्डक्टर्स डिवासिस, लाइट इमिटिंग डायोडस, फोटो काल्स (फोटोडायोड्स तथा फोटो ट्रांसिसटर्स सहित)।
107. इलैक्ट्रिकल स्टार्टिंग एंड इगनीशन इक्विपमेंट फार इन्टरनल कम्बूस्टान इंजिन्स (इगनीशन मेगेटोस, मेगनीटोडाइनाम्स, इगनीशन कॉयल्स स्टार्टस मोटर्स, स्पार्किंग प्लग तथा ग्लो प्लग सहित); जेनेटर्स (डाइनामोस तथा आल्टरनेटर्स)।
108. इलैक्ट्रिकल लाइटिंग तथा सिगनेलिंग इक्विपमेंट एंड इलैक्ट्रिकल विन्डस, स्क्रीन वाइपर्स, डिफ्रोस्टर्स तथा डेनिस्टर्स फार साइकल्स ऑर मोटर वीकल्स।
109. इलैक्ट्रीकल मीजरिंग, चेकिंग, एनालाइसिंग आर आटोमेटीकली कन्ट्रोलिंग इनस्ट्रूमेंटस एंड अपरेटस।
110. लेबोरेटरी ड्राइंग तथा हीटिंग ओवन्स एंड फर्नेन्स एंड लेबोरेटरी इन्क्यूमेटर्स।
111. ग्रेफाइट तथा कार्बन इलैक्ट्रोडस।
112. वेल्डिंग मशीन तथा मशीनरी इलेक्ट्रिक।

113. इलेक्ट्रिक मशीनरी, अप्रैटस तथा पार्ट्स।
114. पार्ट्स आफ रेलवे लोकोमोटिव्स एक्सक्लूडिंग वील बीयरिंग सेट्स।
115. वीकल्स आफ ए वेल्यू फार ड्यूटी परपस नॉट एक्सीडिंग 5000 अन्य।
116. पार्ट्स आफ रेलवे रोलिंग स्टॉक
117. वीकल्स आफ ए काइन्ड स्पेशली कन्सट्रक्टिड फार यूज़ इन अंडरग्राउंड माइन्स।
118. ट्रेक्टर आफ दि मेकेनिकल हार्स टाइप।
119. चैसिस फार ट्रक्स, बसिस, एट्स.।
120. मोटर वीकल एंट ट्रेलर पार्ट्स एंड एसेसरीज़।
121. बाइसीकल पार्टस।
122. ट्रेलर चेसिस, फ्रेम्स एंड फेब्रिकेटिड मेटल पार्ट्स आफ फ्रेम्स फार चेसिस कन्सट्रक्शन, नॉट एक्सीडिंग 5.5 मि० नई लेन्थ।
123. लाइटिंग फिक्सचर्स।
124. सर्जिकल, मेडिकल एंड डेन्टल इन्स्ट्रमेंट्स एंड एपलान्सिस।
125. तरल पदार्थों अथवा गैसों के प्रवाह, गहराई, दाब तथा अन्य किस्मों के मापन, नियंत्रण अथवा स्वतः नियंत्रण अथवा थर्मोस्टेटों, लेवल गैजों, प्रवाह मीटरों, मीट मीटरों, स्वचालित इवन-ड्राट रेगुलेटरों जो शीर्ष संख्या 90.14 के अधीन मदों में शामिल न हों, के नियंत्रण से स्वचलन हेतु संयत्र तथा उपकरण।
126. भौतिक अथवा रासायनिक विश्लेषण संबंधी संयत्र तथा उपकरण (जैसे पोलेरमीटर, रिफ्रेक्टो मीटर, गैस विश्लेषण उपकरण,), वीस्कोसिटी, पैरोसिटी, विस्तार, भूतल तनाव आदि के नियंत्रण तथा मापन संबंधी संयत्र तथा उपकरण (जैसे वीस्कोमीटर, ताप की पोरोजिंग अथवा नियंत्रण मात्रा, प्रकाश अथवा ध्वनी जैसे फोटोमीटर (जिसमें एक्सपोज़र मीटर शामिल है), कौलोरीमीटर, माइक्रोमीटर)
127. मापन तथा नियंत्रण संबंधी वैज्ञानिक संयंत्र।
128. इलैक्ट्रीकल रिकार्डिंग और साउंड रिप्रोड्यूसिंग मशीनें।
129. वैज्ञानिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक प्रयोजनों के लिए यथाअनुमोदित ग्रामोफोन रिकार्ड, डिस्क, टेप, सिलेण्डर तथा इसी प्रकार के रिकार्डिंग माध्यम।
130. कैटेलिस्ट के रूप में प्रयोग हेतु प्लेटिनस गैज़।
131. स्लाइड फास्नर्स।
132. स्लाइड फास्नर्स के पुर्जे।
133 आर्थोपेडिक उपकरण, हेयरिंग एंड, क्रज, स्पिलिंट्स आदि।
134. जलशुद्धिकरण या उससे हल्का करने के रासायन।
135. सुगंधियों के लिए मिस्सारण।
136. सुगंधि कम्पाउंड।
137. सिंथैटिक डिटेरजेंट।
138. पाउडर रूप में कृत्रिम रेज़िन तथा सिंथेटिक प्लास्टिक माल (जिसमें प्लास्टिक की रंगाई सामग्री तथा ब्लंडिंग तरल शामिल है), ओर्ड्स पाउडर, ग्रेनुलर रूप, लम्प, फ्लेक, पैलट तथा ऐसी ही मूल रूप में।
139. डिब्बों में, जोकि कम से कम 28 लीटर के हों और जिनमें 20 किलोग्राम मात्रा आती हो, स्वीकृत मानक के डि सइनफैक्टैट।
140. अन्य डिसइनफैक्टैट।

141. कीटनाशी, फंफुदनाशी तथा इसी प्रकार का सामान।
142. बल्क रूप में ग्लू।
143. बल्क रूप में जिलेटिना (सिंग्लास सहित)।
144. स्टार्च, इन्यूलिन, ग्लटन, ग्लू आदि।
145. रंग-रोगनों के लिए थिनर।
146. एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड प्राकृतिक खनिज उत्पाद, एनीमल ब्लैक जिनमें स्पेन्टएनीमल शामिल है
147. एन्टी-नाक पदार्थ, आक्सीडेशन इनहिबिअर, गम इनहिबिटर, विस्कोसिटी इम्प्रूवर एन्टी-कोरोसिव पदार्थ अं इसी प्रकार के उत्पाद तथा खनिज तेलों के लिए इसी प्रकार तैयार किए गए योगक।
148. जल चिकित्सा हेतु सोडा ब्रिकेट।
149. रसायन माल तथा उत्पाद।
150. अल्यूमिनियम पावडर तथा उत्पाद।
151. डायग्नोस्टिक रीजेन्ट एक्स-रे कन्ट्रास्ट मीटिया और चिकित्सकीय तथा डाक्टरी जांच संबंधी अनुसंधान हे तैयार किए गए पदार्थ।
152. यथा अनुमोदित पशु चिकित्सा की दवाएं (स्टाक), एन्टीबायेटिक तथा अन्य।
153. चिकित्सकीय उत्पाद जिनमें विष विनियमनों में निर्धारित एक या अधिक पदार्थ हों तथा अन्य।
154. चिकित्सा हेतु दवाएं तथा भेषजीय रसायन।
155. सान्द्रण, निस्सारण तथा खुशबू।
156. चूने का पत्थर तथा डोलोमाइट, परिष्कृत अथवा अन्यथा।
157. बल्क में साधारण नमक।
158. चिकनी मिट्टी तथा अन्य फेक्टरी खनिज।
159. फ्लोरस्पर।
160. जिंक आक्साइड।
161. सूखे रंजक।
162. वर्फयुक्त एसीटिक ऐसिड।
163. बल्क में सल्फ्यूरिक ऐसिड।
164. बल्क में सइट्रिक ऐसिड।
165. बल्क में ओग्जैलिक ऐसिड।
166. हाइड्रोक्लोराइड ऐसिड।
167. कैल्सियम कारबाइड।
168. मैगनीज।
169. फेरा सल्फेट।
170. एनेस्थेटिक्स, क्लोरोफार्म आदि।
171. बल्क में नाइट्रेट (लेड नाइट्रेट के अलावा)।
172. सोडियम क्यानाइड।
173. सोडियम हाइड्रोक्साइड (कास्टिक सोडा)।
174. हाइड्रोक्लोराइट, कमर्शियल कैल्सियम हाइक्लोराइड, हाइप्रोब्रोमाइट।
175. रिन्थेटिक कार्बनिक रंजक (पिगमेंट रंजक सहित), सिन्थेटिक कार्बनिक उत्पाद जो लूमिनोफोर के रूप में

प्रयुक्त हों, वे उत्पाद जो आप्टीकल ब्लीचिंग तत्वों के रूप में जाने जाते हैं, और फाइबर के यथेस्टसूचक हों, प्राकृतिक नील आदि ।

176. रंजक, नीलिन, कार्बनिक।
177. रोगन, नोगन दाग, जापान, फ्रेंच पालिश, ब्रनस्विक अथवा बर्लिन ब्लैक तथा ऐसे ही काले रोगन, टरबाइना, तरल आकार, पेटेंट नोटिंग तथा गास्कैट शैलाक।
178. यथा स्वीकृत और बिक्री हेतु तैयार पेनीसिलीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टाइरोसिडिन तथा अन्य ऐन्टीबायोटिक दवाएं।
179. एन्टी-टाक्सीन, लिम्फ, सेरा तथा वैक्सीन।
180. बल्क में सूखा गोन्द।
181. मैगनीज अयस्क तथा सान्द्रण।
182. बल्क मात्रा में चेपदार पदार्थ और चेपदार सीमेन्ट।
183. रोगनों के लिए रोगन स्ट्रिपिंग तथा विलायक।
184. रबड़ ट्यूब।
185. रबड़ के मौजे।
186. यूरिया फार्मेल्डेहाइड रेजिन।
187. आमतौर पर वायुयानों में प्रयुक्त रबड़ के टायर, टायर रखने डिब्बे, अन्तः परिवर्तनीय टायर ग्रेड, इनर ट्यूबें तथा टायर फ्लैप—सभी प्रकार के पहियों में प्रयुक्त तथा अन्य सामान।
188. ट्रैक्टरों तथा बुल्डोजरों आदि के लिए वाती टायर।
189. पैकिंग वाशर तथा सीलिंग रिंग।
190. ड्राइविंग मशीनरी, औद्योगिक प्रयोग हेतु बैन्ड तथा बैल्ट, फारनरों सहित जिनका अन्यत्र उल्लेख न हो।
191. कनवेयर बैल्ट तथा बेल्ट का सामान जिसका अन्यत्र उल्लेख न हो।
192. रबड़ के उत्पाद।
193. रोगनों के लिए रोगन सामग्री तथा विलायक।
194. तराशे तथा रोल्ड शीशे जिनमें सारयुक्त शीशे तथा अपरिष्कृत शीशे शामिल हैं।
195. प्रयोगशाला के शीशे बर्तन।
196. एक्स-रे फिल्में तथा प्लेटें।
197. वैज्ञानिक, शैक्षिणिक तथा सांस्कृतिक प्रयोजनों के लिए ग्रामोफोन रिकार्ड डिस्क, टेप, सिलेण्डर तथा इसी प्रकार के रिकार्डिंग माध्यम।
198. प्लास्टिक बोतल, ज़ार, संदूक, ट्यूब तथा इसी प्रकार के प्लास्टिक डिब्बे।
199. प्लास्टिक से बनी वस्तुएं।
200. पेंसिलें (लेड)।
201. स्लाइड फास्नरों के पुर्जे।
202. आरथोपेडिक उपक्रमण, हेयरिंग एड, क्रच, स्पिलंटस आदि दल-फलक, आंखें, दांत आदि।
203. स्वर्णकारों तथा आभूषण विक्रेताओं, दंत चिकित्सकों आदि के लिए अंशतः स्वर्णयुक्त सामग्री।
204. सब्जियों के बीज।
205. सब्जियों का रस, जूस तथा निस्सारण जिनका अन्यत्र उल्लेख न हो और सब्जी सामग्री।
206. बेकार मछली।

207. गद्दीदार तथा सूती ऊन, गेज़, टेप टोबेंडेज़ तथा इसी प्रकार का वस्त्र कागज अथवा प्लास्टिक तथा अन्य माल।
208. चीरफाड का सीवन माल जो मेडिकेटेड न हो, स्मेक बाइट तथा प्राथमिक चिकित्सा सामग्री।
209. बल्क में सगंध बनस्पति तेल।
210. बेनीर शिटें।
211. परत वाली तथा बिना परत दार चिप बोर्ड और पार्टिकल बोर्ड।
212. प्रिंटिंग तथा लेखन कागज, फलेट आइ० ओ० एम० रील।
213. समतल तथा मिश्रित कागज (अन्य ओ० एम० आर० रेपर तथा रील)
214. प्लास्टिक का कोट किया हुआ गत्ता।
215. गत्ता तथा इसी प्रकार को बोर्ड।
216. कार्बन पेपर।
217. और आगे प्रोसेसिंग के लिए ऊनी यार्न।
218. सूती यार्न जिसमें 100% रूई हो।
219. 40% ऊन वाले ऊनी तथा वर्स्टेड फेर्बिक।
220. सिंथेटिक फाइबर तथा अन्य थान माल।
221. सूती फेब्रिक जो प्लास्टिक सामग्री से कोट किया गया हो अथवा संसिक्त हो।
222. ज्वाइन तथा कोर्डेज़।
223. वस्त्र के विशेष उत्पाद तथा संबंधित सामग्री।
224. चूना बिल्डिंग (स्लैक्स सहित)।
225. परिष्कृत चूना जिसमें कम से कम 65% कैल्शियम आक्साइड शामिल हो।
226. पकाई हुई ईंटें।
227. रेगमार, कुरण्ड तथा इसी प्रकार के उपघर्षक पत्थर तथा हवील।
228. रेगमार का कपड़ा तथा कागज।
229. थान में ब्रेक लाइनिंग।
230. इंजनों की पैकिंग के लिए एस्बेस्टोस।
231. एस्बेस्टोस के उत्पाद।
232. घरिया खप्पर तथा सिल मोल्ड।
233. खाली शीशे की बोतलें तथा जार।
234. लौहयुक्त मैगनीज़।
235. फेरो-सिलीकोन।
236. फेरो-अलोयस, जिनका अन्यत्र उल्लेख न हो।
237. दोबारा रोलिंग के लिए लोहे तथा इस्पात की क्वाइल।
238. अमरीकी डालर 88.20 प्रति टन के छड।
239. 88,20 अमरीकी डालर प्रति टन के बार जो आयाताकार हों।
240. स्टैनलैस इस्पात तथा हीट रेसिसटिंग इस्पात के बार तथा छड (जिनमें तार की छड शामिल नहीं है) और हालोमाइनिंग ड्रिल।
241. 88.20 अमरीकी डालर प्रति टन के चेनल।
242. बार तथा छडें जिनका अन्यत्र उल्लेख न हो।

243. ऐंगल तथा सैक्टिन जिनका अन्यत्र उल्लेख न हो।
244. स्टेनलेस अथवा हीट रेसिस्टिंग इस्पात की अन्य शीट तथा प्लेट, अन्य अलाय इस्पात की अन्य शीट तथा प्लेट, आगे परिष्कृत रोल्ड शीट तथा प्लेट जिनकी मोटाई 4.7 मी.मी. हो।
245. ऐसी शीटें तथा प्लेटें जो रोल्ड हों तथा जिन्हें आगे परिष्कृत न किया हो और जिनकी मोटाई 3 मिन. हो लेकिन 4.75 मिन. से अधिक न हो और वे अन्य अलाय इस्पात अथवा हीट रेसिस्टिंग इस्पात की बनी हो।
246. कलई युक्त तथा समतल लोहे तथा इस्पात की शीट जिनकी मोटाई 500 मा.मी. से कम न हो लेकिन वे 3 मिन. से कम न हो।
247. लोहे तथा इस्पात की शीटें अथवा टिनप्लेटें।

चाय उद्योग को रियायतें

2061. **श्री एच० बी० पाटिल:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात में वृद्धि करने हेतु चाय उद्योग को रियायतें देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रियायतों से चाय के निर्यात में कितनी वृद्धि होने की आशा है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) (क) और (ख): जी हां। भारतीय चाय के निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछेक महत्वपूर्ण कदमों में शामिल हैं:—

1. सभी प्रकार की चाय के निर्यात पर पूरे उत्पाद शुल्क की छूट।
2. चाय थैलों, पैकेट चाय, चाय कैडीज़ और इंस्टेंट चाय पर अधिक नकद मुआवजा सहायता।

	पैकेट चाय	चाय थैले	इंस्टेंट चाय
पहले की दर	13 प्र० श०	13 प्र० श०	—
नई दर	18 प्र० श०	20 प्र० श०	12 प्र० श०

3. विदेशों में संवर्धनात्मक अभियान शुरू करने के लिए चाय बोर्ड को उपकर से होने वाली अतिरिक्त आय विदेशी मुद्रा में दी जा रही है।
4. ब्रिटेन के बाजार में अन्य चाय को दार्जिलिंग चाय के रूप में गलत ब्रांडिंग के विरुद्ध दार्जिलिंग लोगों द्वारा अभियान चलाया जा रहा है।
5. राष्ट्रीय चाय अनुसंधान समिति का गठन।
6. राष्ट्रीय चाय उत्पादकता समिति का गठन।
7. चाय अनुसंधान के लिए नाबार्ड की वित्तीय सहायता से 10 करोड़ रु० का संग्रह।
8. प्रमुख उत्पादकों को चाय उत्पादकता के लिए पुरस्कार।
9. प्रमुख चाय उत्पादकों और निर्यातकों से कहा गया है कि वे अपनी निगमित योजनाओं के भाग के रूप में उत्पादन और निर्यात योजनाएं बनाएं।
10. चाय की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त होने वाली 8 मशीनों के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क की दर को घटा कर 35 प्रतिशत नाममात्र कर दिया गया है।
11. हरी चाय को उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा गया है।

12. दक्षिण भारतीय चाय के निर्यात बढ़ाने तथा इसी प्रकार की चाय को कम दाम पर बेचने की श्रीलंका की नीति के विरुद्ध एक संवर्धनात्मक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है।

(ग) वर्ष 1988-89 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान चाय के निर्यात 194.54 मिलियन किग्रा॰ होने का अनुमान है जबकि वर्ष 1987-88 की इसी अवधि के दौरान यह 177.03 मिलियन किग्रा॰ थे।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का घाटा

2062. **श्री विजय एन. पाटिल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1988 में किन बैंकों को घाटा हुआ है;

(ख) इस घाटे के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बैंकों को इस बारे में क्या मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं और घाटे में चल रहे बैंकों की स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (ग):— बैंककारी लोक वित्तीय संस्था और परक्राम्य लिखत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1988 के उपबंधों के अनुसार अब बैंकों को वर्ष 1988-89 के लेखे 31 मार्च, 1989 की स्थिति तक तैयार करने हैं और बंद करने हैं। अतः किसी बैंक को वर्ष 1988 के दौरान घाटा होने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

निगमित योजना

2063. **प्रो. नारायण चन्द पराशर:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने नई रेल लाइनों के बारे में तैयार की गई निगमित योजना, जिसे वर्ष 1988-89 के रेल बजट प्रस्तुत करते समय संसद में प्रस्तुत किया गया था और जिसका रेल मंत्रालय के वर्ष 1986-87 की वार्षिक योजना में उल्लेख किया गया है, पर कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नियमित योजना को कार्यान्वित करने में वास्तविक प्रगति कितनी हुई और आठवीं योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) जी हां।

(ख) सातवीं योजना में लगभग 935 कि.मी. की नयी लाइनों को शुरू किये जाने की सम्भावना है। आठवीं योजना के लिए लक्ष्य अभी निर्धारित किया जाना है।

किसानों को नकद ऋण का प्रस्ताव

2064. **श्री जगन्नाथ पटनायक:** वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किसानों को अग्रिम नकद ऋण देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख): इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, फिर भी सरकार ने

अप्रैल 1988 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों से देना कृषि साख पत्र की तरह क्रेडिट कार्ड स्कीम आरंभ करने पर विचार करने के लिए कहा था। क्रेडिट कार्ड के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी:

(I) इससे कार्डधारक तुरन्त उत्पादन ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

(II) इससे आवेदन पत्र देने, जमीन संबंधी कागजात प्रस्तुत करने और प्रत्येक कृषि मौसम के लिए दस्तावेज दर्ज करने जैसी प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं समाप्त हो जाएंगी।

(III) इससे किसानों को नकद रकम ले जाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी।

इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कृषि साख पत्र योजना प्रायोगिक आधार पर सिंडीकेट बैंक, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक तथा आन्ध्रा बैंक द्वारा प्रारम्भ की गई है।

नानै रेजीडेंट बांड स्कीम की सफलता

2065. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नॉन रेजीडेंट इंडियन बांड स्कीम सरकार की आशा के अनुरूप विदेशी मुद्रा आकर्षित करने में असफल रही है।

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत अनिवासी भारतीयों की अब तक कुल कितनी पूंजी जमा हुई है; और

(ग) इस संबंध में क्या मुख्य बाधाएं आ रही है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एछुआर्डो फैलीरो): (क) सरकार ने संग्रह के लिए कोई विनिर्दिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। अनिवासी भारतीय बांडों के लिए दिया जाने वाला अभिदान 15 फरवरी, 1989 को बंद हो गया था। 17 फरवरी, 1989 तक, 768.23 लाख संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर की राशि, जो 115.44 करोड़ रुपए के बराबर है, न्यूयार्क के फेडरल रिजर्व बैंक में खुले भारतीय रिजर्व बैंक के खाते में जमा करा दी गई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल में हथकरघा बुनकरों को सहायता

2066. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को केरल में हथकरघा बुनकरों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए ऋण पर ब्याज में रियायत देने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एछुआर्डो फैलीरो): (क) भारतीय रिजर्व बैंक तथा केरल में राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक बैंक, केनरा बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें केरल के हथकरघा बुनकरों से ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों से उनके द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज में रियायत देने की मांग की गई हो।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत दिये गये ऋण

2067. **श्री सैय्यद शाहबुद्दीन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 में 31 दिसम्बर, 1988 तक प्रत्येक तिमाही में शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए है तथा कितने आवेदनों को मंजूरी दी गई है;

(ख) इसी अवधि में वास्तव में कितने व्यक्तियों को लाभ मिला;

(ग) इसी अवधि के दौरान वास्तव में कितनी राशि मंजूर की गई तथा ऋण के रूप में दी गई; और

(घ) कार्यक्रम शुरू करने के समय से कुल कितनी राशि ऋण के रूप में दी गई है तथा 31 जनवरी, 1989 तक कुल कितनी राशि वसूल की गई है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एसुआर्डो फैलीरो): (क) और (घ): एक विवरण संलग्न है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1987-88 में प्राप्त आवेदनों की संख्या, मंजूर तथा संवितरित की गई राशि की राज्य-वार स्थिति दर्शायी गयी है। वर्ष 1988-89 की स्थिति का पता वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद ही चलेगा।

शहरी गरीबो के स्व-रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में इनके लागू होने के बाद, मंजूर की गई और संवितरित राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(राशि करोड़ रूपये में)

वर्ष	मंजूर राशि	संवितरित राशि
1986-87	116.14	100.80
1987-88	136.56	113.91

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चूंकि बैंकों से शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम के वास्ते वसूली के अलग से आंकड़े रखने की अपेक्षा नहीं की जाती, इसलिए इस कार्यक्रम के अधीन दिये गये ऋणों की वसूली से सम्बद्ध सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

वर्ष 1987-88 के लिए शहरी गरीबों के वास्ते स्व-रोजगार कार्यक्रम के अधीन प्राप्त आवेदनों के संख्या, मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या, मंजूर की गई राशि और संवितरित मामलों की संख्या तथा संवितरित राशि की राज्य-वार स्थिति

(राशि लाख रूपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मंजूर किए गए ऋण के लिए स्वीकृत ऋण		संवितरित ऋण		
	प्राप्त आवेदन	संख्या	राशि	संख्या	राशि
आन्ध्र प्रदेश	52452	28588	1045.88	26519	932.08
असम	—	4381	182.82	4041	151.66
बिहार	—	13107	521.37	9487	377.05
गुजरात	38003	18630	583.44	16867	496.23
हरियाणा	—	8194	324.17	7373	297.99

(राशि लाख रुपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मंजूर किए गए ऋण के लिए प्राप्त आवेदन	स्वीकृत ऋण		संवितरित ऋण	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
हिमाचल प्रदेश	904	670	29.12	640	27.32
जम्मू और कश्मीर	877	468	17.16	392	13.36
कर्नाटक	74050	30269	1095.07	20966	1029.47
केरल	15417	10401	510.52	9855	472.08
मध्य प्रदेश	42004	31545	1095.58	27190	853.31
महाराष्ट्र	72773	43542	1417.22	30340	1222.48
मणिपुर	837	577	25.51	549	22.09
मेघालय	—	542	27.52	527	24.25
नागालैण्ड	200	189	9.45	189	9.45
उड़ीसा	21110	8205	356.90	7725	317.60
पंजाब	—	13300	567.53	11518	483.61
राजस्थान	53906	21132	798.89	16244	593.93
तमिल नाडु	72941	38361	1070.23	34485	976.94
त्रिपुरा	—	365	14.77	318	12.64
उत्तर प्रदेश	80590	44330	1836.00	34516	1388.00
पश्चिम बंगाल	109622	31545	1095.58	27190	853.31
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	547	142	6.05	142	6.05
अरूणाचल प्रदेश				कार्यान्वित नहीं किया गया	
चंडीगढ़	—	13300	567.53	11632	485.45
गोआ, दमन एवं दीव	630	584	23.84	549	22.37
मिजोरम				कार्यान्वित नहीं किया गया	
पांडिचेरी	186	114	3.62	96	2.78
नई दिल्ली	59864	19687	429.71	15754	329.24
जोड़	696913	382168	13655.51	314504	11390.74

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी

2068. **श्री कमला प्रसाद सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 1986 से आज तक रूपये के मूल्य में वर्ष-वार कितने प्रतिशत गिरावट आई है;

(ख) 1 जनवरी, 1986 से सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की वर्ष-वार कितनी किस्तें, किस-किस दर से दी गई हैं; और

(ग) 3500/- 4500/- 5500/- और 6500 रूपये मूलवेतन से कम प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के मामले में महंगाई भत्ते की किस्तें देकर वास्तव में महंगाई को किस हद तक निष्प्रभावी किया गया?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी॰ के॰ गढ़वी) (क) आवश्यक सूचना नीचे तालिका में दी गई है:—

अवधि	औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100)	रूपए का मूल्य*	रूपए के मूल्य में प्रतिशत कमी
1	2	3	4
जनवरी, 1986	629	15.90	-
जनवरी,1987	688	14.53	8.62
जनवरी,1988	753	13.28	8.60
जनवरी;1989	813	12.30	7.38

(ख) 1 जनवरी, 1986 से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की पांच किस्तें दी गई हैं। महंगाई भत्ता स्वीकृत किए जाने की तारीखों तथा विभिन्न वेतन-रेंजों में महंगाई भत्ते की दरों के बारे में आवश्यक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 3500/- रूपए तक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 100% निराकरण, 3501/- से 6000/- रूपए तक मूल वेतन पाने वालों को 75% निराकरण तथा 6000/- रुपए से अधिक मूल वेतन पानेवालों को 65% निराकरण स्वीकार्य होता है।

विवरण

क्रम॰सं॰	जिस तारीख को आदेश जारी किए गए	जिस अवधि से वेतन रेंज देय है	वेतन रेंज	महंगाई भत्ते की प्रतिमाह दर
1	2	3	4	5
1.	21.11.1986 (केवल समूह ख, ग और घ के लिए)	1.7.1986	3500/- रु॰ तक मूल वेतन	वेतन का 4%
2.	26.3.1987 (केवल समूह ख, ग और घ के लिए)	1.1.1987 से आगे	3500/- रु॰ तक मूल वेतन	वेतन का 8%
	26.3.1987 (केवल समूह "क" के लिए)	1.7.1986 से 31.12.1986 तक	3500/- रु॰ तक मूल वेतन	वेतन का 4%
			3501/- रु॰ से 6000/- रु॰ तक के बीच मूल वेतन	वेतन का 3% परन्तु कम से कम 140/- रु॰ प्रति-माह।
			6000/- रु॰ से अधिक मूल वेतन	वेतन का 2% परन्तु कम से कम 180/- रु॰ प्रति-माह।
		1.1.1987 से आगे	3500/- रु॰ तक मूल वेतन	वेतन का 8%
			3501/- रु॰ से 6000/- रु॰ के बीच मूल वेतन	वेतन का 6% परन्तु कम से कम 280/- रु॰ प्रति-माह।

क्र०सं०	जिस तारीख को आदेश जारी किए गए	जिस अवधि से वेतन रेंज देय है	वेतन रेंज	महंगाई भत्ते की प्रतिमाह दर
1	2	3	4	5
		6000/- रु० से अधिक मूल वेतन	वेतन का 5% परन्तु कम से कम 360/- रु० प्रतिमाह।	
3.	20.11.1987 (समूह क,ख,ग और घ के लिए)	1.7.87 से आगे	3500/- रु० तक मूल वेतन	वेतन का 13%
			3501/- रु० से 6000/- रु० तक के बीच मूल वेतन	वेतन का 9% परन्तु कम से कम 455/- रु० प्रतिमाह।
		6000/- रु० तक मूल वेतन	वेतन का 8% परन्तु कम से कम 540/- रु० प्रतिमाह।	
4.	11.5.1988 (समूह क,ख,ग और घ के लिए)	1.1.1988 से आगे	3500/- रु० तक मूल वेतन	वेतन का 18%
			3501/- रु० से 6000/- रु० तक के बीच मूल वेतन	वेतन का 13% परन्तु कम से कम 630/- रु० प्रतिमाह।
			600/- रु० से अधिक मूल वेतन	वेतन का 11% परन्तु कम से कम 780/- रु० प्रतिमाह
5.	11.10.1988 (समूह क,ख, ग और घ के लिए)	1.7.1988	3500/- रु० तक मूल वेतन	वेतन का 23%
			3501/- रु० से 6000/- रु० तक के बीच मूल वेतन	वेतन का 17% पर परन्तु कम से कम 805/- रु० प्रतिमाह।
			6000/- रु० से अधिक मूल वेतन	वेतन का 15% परन्तु कम से कम 1020/- रु० प्रतिमाह।

पोदनूर में विज्ञान और प्रोद्योगिकी कार्यशाला (एस० एंड० टी० वर्कशाप)

2069. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोदनूर में विज्ञान और प्रोद्योगिकी कार्यशाला (एस० एंड टी० वर्कशाप) के आधुनिकीकरण का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क के अधिकारियों के परिसरों पर छापे

2070. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकः** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान देश में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के अधिकारियों के परिसरों में केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा कितनी बार छापे मारे गये;

(ख) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके परिसरों पर छापे मारे गये; और

(ग) इन छापों के परिणामों का तथा तदनुरूप की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए॰ के॰ पांजा): (क) 12 मामलों की जांच-पड़ताल के सिलसिले में, विगत छः महीनों (1.9.1988 से 28.9.1989 तक) के दौरान सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 25 अधिकारियों के आवासीप/कार्यालय परिसरों पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 36 तलाशियां ली गई।

(ख) अधिकारियों को ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) निम्नलिखित चल अचल सम्पत्तियां पाई गई हैः—

नकदी, बैंक में जमा रकमें, आवधिक निक्षेप रसीदें, राष्ट्रीय बचत-प्रमाणपत्र आदि	54,20,430 रूपए
चल-सम्पत्तियां, जैसे वी॰सी॰आर॰, टी॰वी॰ और अन्य कीमती घरेलू सामान तथा गहने	16,07,046
अचल सम्पत्तियां	12,22,500

इन मामलों की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है।

विवरण

मामला संख्या		अधिकारियों का नाम तथा पदनाम	संक्षिप्त में आरोप	मौजूदा स्थिति
1	2	3	4	5
1.	आर.सी. 63/88-एलकेओ	श्री पी॰ एन॰ पाठक, सहायक समाहर्ता, के॰उ॰शु॰, बरेली।	बेमेल संपत्तियां	मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।
2.	आर.सी. 28/88-जेबीआर	एन॰ टी॰ आहूजा, अधीक्षक के॰उ॰शु॰, इंदौर	— यथोक्त —	— यथोक्त —
3.	आर.सी. .32/88-जेबीआर	एस॰ के॰ तलवार, अधीक्षक, के॰उ॰शु॰ देवास।	— यथोक्त —	— यथोक्त —
4.	आर.सी. 12/88-बम्बई	आत्माराम किशनराव पवार, अधीक्षक, के॰उ॰शु॰ अमरावती प्रभाग। अब्दुल गफ्फूर अंसारी, निरीक्षक, के॰उ॰शु॰ अमरावती प्रभाग। प्रकाश गेदालाल यादव, निरीक्षक, के॰उ॰शु॰, अमरावती प्रभाग।	15000 रूपए की रिश्वत मांगी और ली।	— यथोक्त —
5.	आर.सी. .23/88-कोचीन	सी॰वी॰ सैदे, अधीक्षक, के॰उ॰शु॰ कान्हांगाद।	मिथ्या और जाली दस्तावेजों के आधार पर अनुचित अधिकारिक पक्ष लेना।	— यथोक्त —
6.	आर.सी. .24/88-कोचीन	टी एम॰ विजयकुमार, निरीक्षक के॰उ॰शु॰ एवं सी॰शु॰ इरनाकुलम।	बेमेल संपत्तियां।	मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।
7.	आर.सी. 56/88-सीएलआर	केसवन, सी॰शु॰ निरीक्षक त्रिची।	उत्पाद शुल्क का निर्धारण करते समय अनुचित अधिकारिक पक्ष लेना।	— यथोक्त —

मामला संख्या		अधिकारियों का नाम तथा पदनाम	संक्षेप में आरोप	मौजूदा स्थिति
1.	2.	3.	4.	5
		गणेशन, सी॰ शु॰ निरीक्षक, त्रिची। विश्वनाथन, अधीक्षक, के॰उ॰शु॰, निरीक्षक, त्रिची।		
8.	आर.सी. 57/88-वीएलआर	देवदास, के॰उ॰शु॰ तथा सी॰शु॰निरीक्षक, त्रिची।	वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर शुल्क लगाना जिससे सरकार को आर्थिक हानि हुई है।	मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।
	ए॰ अंगमुत्तु, के॰उ॰शु॰ तथा सीमा-शुल्क निरीक्षक, त्रिची।	पी॰आर॰ सेतुरमन, के॰उ॰शु॰ तथा सी॰शु॰ निरीक्षक, त्रिची। श्रीमती राजकुमारी, के॰उ॰शु॰ तथा सी॰शु॰ निरीक्षक, त्रिची।		
	आर.सी. 58/88-वीएलआर	— यथोक्त —	— यथोक्त —	श्री वी॰एस॰ सुंदरराजन, के॰उ॰शु॰ तथा सी॰शु॰ निरीक्षक, त्रिची।
		राजा राजा चोलान, के॰उ॰शु॰ तथा सी॰शु॰ निरीक्षक, त्रिची।	वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर शुल्क लगाना जिससे सरकार को आर्थिक हानि हुई है।	मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।
		जी॰ श्रीनिवासन, के॰उ॰शु॰ तथा सी॰शु॰ अधीक्षक, त्रिची।		
	आर.सी. 60/88-वीएलआर	के॰वी॰विश्वनाथन, के॰उ॰शु॰ तथा सी॰शु॰ निरीक्षक, त्रिची। कालियाहागाव, के॰उ॰शु॰ तथा सी॰शु॰ निरीक्षक, त्रिची।	— यथोक्त —	— यथोक्त —
	आर.सी. 61/88-वीएलआर	ए॰ सेल्वराज, के॰उ॰शु॰ तथा सी॰शु॰ निरीक्षक त्रिची।	— यथोक्त —	— यथोक्त —
	ए॰आर॰प्रसाद, के॰उ॰शु॰ तथा सी॰ शु॰ सहायक समाहर्ता, त्रिची।	लोर्डस्वामी, के॰उ॰शु॰ तथा सी॰शु॰ सहायक समाहर्ता, त्रिची। जान बिहो, के॰उ॰शु॰ तथा सी॰शु॰ निरीक्षक त्रिची।		
	आर.सी. /89-वीएलआर	ए॰आर॰ प्रसाद, सहायक समाहर्ता, के॰उ॰शु॰ तथा सी॰शु॰, त्रिची। एम॰ सी॰ शर्मा, सी॰ शु॰ समाहर्ता, त्रिची।	बेमेल मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।	

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा केरल में खर्च की गई धनराशि

2071. **श्री पी॰ए॰ एन्टनी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने वर्ष 1987-88 के दौरान केरल में कितनी धनराशि खर्च की; और

(ख) इस राशि का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख): राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1987-88 के अन्त की स्थिति के अनुसार, केरल में अल्पावधिक और मध्यावधिक ऋणों के पुनर्वित के रूप में दी गयी अधिकतम बकाया रकम 97.82 करोड़ रुपए थी। राष्ट्रीय बैंक ने आगे चलकर यह भी बताया है कि वर्ष 1987-88 में केरल में, बैंक द्वारा दीर्घावधिक प्रयोजनों के लिये 58.03 करोड़ रुपये की रकम संवितरित की गयी। क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	प्रयोजन	अधिकतम बकाया राशि
1	2	3
I	वर्ष 1987-88 के अन्त की स्थिति के अनुसार अल्पावधिक तथा मध्यावधिक ऋणों की प्रयोजनवार अधिकतम बकाया राशि।	(लाख रुपये में)
1.	मौसमी कृषि कार्य	6779
2.	बुनकर समितियों (हथकरघा) का वित्तपोषण करने के लिये अल्पावधिक ऋण सीमाएं	1224
3.	शीर्षस्थ बुनकर समितियों को सूत के व्यापार के लिए	49
4.	कुटीर तथा लघु उद्योग और ग्रामीण कारीगरों को वित्तीय सहायता (नारियल रेशा सहित)	549
5.	अनुमोदित कृषि प्रयोजनों के वास्ते मध्यावधिक ऋण सीमा	22
6.	मध्यावधिक रूपांतरण ऋण	174
7.	केरल राज्य सरकार को सहकारी ऋण समितियों की शेयर पूंजी में अंशदान के वास्ते दीर्घावधिक ऋण	485
II	वर्ष 1987-88 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दीर्घावधिक प्रयोजनों के लिये प्रयोजन-वार संवितरण	
1.	लघु सिंचाई	1497
2.	भूमि विकास	71
3.	कृषि यंत्रीकरण	122
4.	बागान/बागबानी	1449
5.	कुक्कुट पालन/भेड़ पालन/सूअर पालन	101
6.	समुद्री मत्स्य पालन	39
7.	अन्तर्देशीय मत्स्य पालन	46
8.	डेरी विकास	292
9.	भण्डार, गोदाम/मार्किट यार्ड	100
10.	वानिकी	-
11.	गोबर गैस	35
12.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कृषि क्षेत्र	607
13.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम-उद्योग, सेवाएं कारोबार	994
14.	कृषि भिन्न क्षेत्र	406
15.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कार्य योजना	5
16.	अन्य	19
	जोड़:	5803

[हिन्दी]

"माइल्ड स्टील" आयातकर्ताओं को विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराना

2072. **श्री कमला प्रसाद रावत:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ध्यान "माइल्ड स्टील" आयातकर्ताओं को तुरन्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध न हो पाने के कारण लघु उद्योग क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के बंद होने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन आयातकर्ताओं को सरलता से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग राज्य मंत्री (श्री एसुआर्डो फैलीरो) (क) से (ग): इस्पात की विभिन्न सरणीबद्ध मदों का आयात करने का निर्णय, इस्पात विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा निर्धारित मांग-पूर्ति अंतर के आधार पर लिया जाता है। ऐसी मदों के आयात की व्यवस्था करने के लिये, सारणीबद्ध एजेंसियों को विदेशी मुद्रा उपलब्ध करा दी गई है।

[अनुवाद]

कैनिंग रेलवे स्टेशन

2073. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान पूर्व रेलवे (पश्चिम बंगाल) में कैनिंग रेलवे स्टेशन में सुधार एवं उसके विकास के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) (क) जी हां।

(ख) 1989-90 के दौरान निम्नलिखित निर्माण कार्य प्रगति पर हैं या इनके शुरू किये जाने का प्रस्ताव है:

(1) जल शीतक की व्यवस्था।
(2) पहुंच मार्ग का सुधार
(3) प्लेटफार्म पर रोशनी व्यवस्था में सुधार।
(4) प्रतीक्षालय का विस्तार।
(5) प्लेटफार्म पर शौचालय सुविधाओं की व्यवस्था।
(6) प्लेटफार्म सायबान का विस्तार।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

आयकर निरीक्षकों के वेतनमान

2074. **श्री बनवारी लाल बेरवा:** क्या **वित्त** मंत्री आयकर निरीक्षकों के वेतन-मानों के बारे में 2 दिसम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3107 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आय-कर निरीक्षकों के वेतनमानों में संशोधन करने पर विचार करने हेतु असंगतियों को दूर करने संबंधी गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) जी हां।

(ख) इस मामले के सभी पहलओं पर विचार करने के पश्चात विसंगति समिति (एनोमोलिज कमेटी) ने यह सिफारिश की है कि जिन निरीक्षकों को आयकर अधिकारी बनने का अवसर नहीं मिलता है तथा जो अपने वेतनमान के अधिकतम, अर्थात 2900 रूपये तक पहुंच जाते हैं, ऐसे निरीक्षकों को सामान्य प्रगतिरोध (स्टेगनेशन) नियमों में ढील देते हुए 3200 रूपये की स्टेज तक पहुंचने के लिए तदर्थ वेतन-वृद्धि की अनुमति दी जाए।

(ग) इसका प्रश्न ही नहीं उठता

आयकर कर्मचारियों को पुरस्कार

2075. **श्री लाला राम केन:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयकर विभाग के छापे मारने वाले अधिकारियों को पुरस्कार देने संबंधी नियम और प्रक्रिया क्या है; और

(ख) दिल्ली के आयकर विभाग के उन कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें तीन वर्षों के दौरान पुरस्कार दिया गया और प्रत्येक कर्मचारी को पुरस्कार की कितनी राशि प्रदान की गई?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) (क) आयकर विभाग के अधिकारियों को तलाशी तथा अभिग्रहण कार्य के लिए पुरस्कार की अदायगी को विनियमित करने वाले पुरस्कार नियमों को पुरस्कार योजना, 1985 के पैरा 2 (ग) में निर्दिष्ट किया गया है; संगत उद्धरण निम्न प्रकार से है:—

"2 (ग) तलाशी और अभिग्रहण कार्य के लिए पुरस्कार

विभागाध्यक्ष अभिगृहीत वस्तुओं के मूल्य तथा पता लगाए गए कर अपवंचन की राशि तथा संबंधित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष प्रयासों अथवा दिखाई गई प्रवीणता को ध्यान में रखते हुए जांच पक्ष के अधिकारियों/कर्मचारियों को तथा तलाशी पार्टी के सदस्यों को उन मामलों में समुचित पुरस्कार मंजूर करने की स्वीकृति दे सकते हैं, जहां अभिगृहीत परिसम्पतियों का मूल्य कम से कम 10 लाख रु० (महानगरों में 2 लाख रु०) हो।

जहां बहुमूल्य वस्तुएं अभिगृहीत की गई है वहां पुरस्कार के लिए निम्नलिखित अधिकारी हकदार होंगे:—

(क) विशिष्ट तलाशी पार्टी के सभी सदस्य, जिन्होंने बहुमूल्य वस्तुओं के बारे में पता लगाया है तथा उन्हें पकड़ा है।

(ख) उप-निदेशक, निरीक्षण/सहायक निदेशक, निरीक्षण और संबंधित निरीक्षक।

ऐसे मामलों में पुरस्कार का वितरण ऊपर (क) के मामले में स्वीकृत अन्तिम धनराशि के 40% की दर से तथा ऊपर (ख) के मामले में शेष 60 प्रतिशत राशि की दर से किया जाता है।"

जिन मामलों में कर अपवंचन की सूचना मुखबिरों से प्राप्त हुई हो, उनमें कर के अन्तर्गत लाई गई अतिरिक्त आय के अधिकतम 5 प्रतिशत की दर पर और अन्य मामलों में, जिनमें मुखबिर की सहायता के बिना ही सूचना एकत्रित की गई हो, उनमें संबंधित अधिकारियों को पुरस्कार नियमावली के पैरा 3(ख) में 10 प्रतिशत की दर पर पुरस्कार देने की व्यवस्था है। नियमावली के पैरा 6 में की गई व्यवस्था के अनुसार, पुरस्कार स्वीकृत करने वाली समितियों के प्रधान, विभागाध्यक्ष के ओहदे से कम ओहदे के नहीं होते हैं, जो कि पुरस्कार प्रस्ताव की जांच करते हैं तथा पुरस्कार मंजूर करते हैं और पात्र अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बीच इसके वितरण की विधि का निर्धारण करते हैं। समिति का निर्णय अन्तिम होता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली में तलाशी और अभिग्रहण कार्य के लिए पुरस्कार के रूप में कुल मिलाकर 1 लाख रूपये मंजूर किए गए हैं जिसे आयकर अधिकारियों, सहायक आयुक्तों तथा उपायुक्तों के ओहदे के 90 अधिकारियों तथा निरीक्षकों, उच्चश्रेणी लिपिकों, निम्न श्रेणी लिपिकों आदि के ओहदे के 150 अन्य कर्मचारियों में वितरित किया गया है। चूंकि कर्मचारियों की संख्या काफी बड़ी है, इसलिए उनमें से प्रत्येक को दी गई राशि के अलग से ब्यौरे देना संभव नहीं है।

बिस्कुटों के फैक्टरी-द्वार मूल्यों पर लगाए गए अप्रत्यक्ष कर की प्रतिशतता

2076. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बनाने वाले बिस्कुटों के फैक्टरी-द्वार मूल्यों पर संचयी रूप से लगाए गए अप्रत्यक्ष कर की प्रतिशतता क्या है और इस कर को लगाने का औचित्य क्या है; और

(ख) देश में समूचे बिस्कुट उत्पादन पर, विशोषकर ग्रामीण घरों में बिस्कुटों की खपत के अलावा छोटे बिस्कुट निर्माताओं पर, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) विद्युत की सहायता के बिना बनाए गए बिस्कुटों को उत्पादन शुल्क से पूर्ण छूट प्राप्त है। विद्युत की सहायता से बनाए गए बिस्कुटों पर मूल्यानुसकार 10.5 प्रतिशत की दर पर उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। ऐसे ही उत्पादन शुल्क खाद्य की अनेक अन्य मदों पर भी लगाए जाते हैं। बिक्री कर, चुंगी आदि जैसे अन्य अप्रत्यक्ष करों का भार अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग होता है।

(ख) बिस्कुटों का निर्माण करने वाले लघु उद्योग एककों को एक वर्ष में 15 लाख रू० तक के मूल्य के बिस्कुटों की निकासी के लिए उतपादन शुल्क से पूर्ण छूट प्राप्त है और वे 60 लाख रूपयों की अगली निकासियों के लिए 5.25 प्रतिशत की दर पर ही शुल्क अदा करते हैं। इसके अलावा, पैकिंग सामग्रियों सहित कच्ची सामग्रियों पर अदा किए गए मूल एवं विशोष उत्पादन शुल्क के माडवेट क्रेडिट का बिस्कुटों पर शुल्क अदा करने के लिए समायोजन किया जाता है। लघु उद्योग एककों के उत्पादनों पर कम शुल्क भार से इनके उत्पादन बड़े एककों के उत्पादनों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बन जाते हैं। इन परिस्थितियों में, उत्पादन

शुल्क को बिस्कुटों के उत्पादन में विशेषतया लघु उद्योग सैक्टर में उत्पादन में वृद्धि करने में, अवरोधक नहीं समझा जा सकता है अथवा इसे उपभोक्ताओं पर अनावश्यक रूप से भार डालना नहीं समझा जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक की बंगलौर शाखा के अधिकारियों द्वारा कथित भ्रष्टाचार

2077. **श्री तम्पन थामस:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की बंगलौर शाखा के कुछ अधिकारियों द्वारा कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की इस शाखा में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध 41 दिन की हड़ताल हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह किन्हीं अज्ञात शिकायतों की जांच कर रहा है जिसमें उसके बंगलौर कार्यालय के अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्ट तरीके अपनाने का आरोप लगाया गया है।

(ख) और (ग): भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि उसके बंगलौर कार्यालय के तीसरी श्रेणी के कुछ कर्मचारी 21 अगस्त, 1987 से 30 सितम्बर, 1987 तक 41 दिनों के लिए हड़ताल पर थे। तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के आन्दोलन के समर्थन में चौथी श्रेणी के कुछ कर्मचारियों ने भी कुछ दिनों तक काम बंद कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि यह हड़ताल प्रबन्धक के चेम्बर में शोर मचाने और हिंसक प्रदर्शन करने के कारण स्थानीय संघ के तीन सक्रिय कार्यकर्ताओं को निलम्बित किए जाने के कारण हुई थी न कि किसी भ्रष्ट अधिकारी / भ्रष्ट तरीकों के खिलाफ।

गंगा के पानी का अत्यधिक उपयोग

2078. **प्रो० रामकृष्ण मोरे:**
श्री बनवारी लाल पुरोहित:

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा के पानी के अत्यधिक मात्रा में उपयोग के कारण पानी को स्वतः शुद्ध करने की गंगा नदी की क्षमता जो कि विश्व की अन्य नदियों से तीन गुना अधिक है, घट रही है; और

(ख) गंगा के जल-स्रोत का समयबद्ध कार्यक्रम में प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) नदी की स्वयं सफाई करने की क्षमता भौतिकी-रासायनिक, जैविक विशेषताएं, सूर्य का प्रभाव, जलीय जीवन और गति तथा प्रवाह की मात्रा जैसे इसके विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है। अब तक, नदी की स्वयं सफाई करने की क्षमता के लिए कोई परिमाणात्मक उपाय नहीं किए गए हैं।

(ख) उपयोज्य परियोजनाओं के प्रतिपादन में निश्चित जल संसाधन की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आवास बैंक की आवास ऋण खाता योजना

2079. **श्री बिलास मुत्तेमवार:**
श्री एस० डी० सिंह:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आवास ऋण खाते की नई योजना आरम्भ की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना किस तारीख से लागू की जाएगी;

(ग) उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसके अन्तर्गत किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा;

(घ) योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों को ऋण दिए जाने की संभावना है और इससे निम्न आय वर्ग के कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ङ) लोगों को बिना किसी कठिनाई और भ्रष्टाचार के ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एहुआर्डो फैलीरो): (क) से (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कर्नाटक की विश्व बैंक से सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाएं

2080. **श्री जी० एस० बासवराजू:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक की कितनी सिंचाई परियोजनाओं को विश्व बैंक की सहायता प्राप्त है;

(ख) बैंक ने किन-किन परियोजनाओं को मन्जूरी नहीं दी है और इसके लिए क्या आपत्तियां उठाई गई हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का उक्त मामले में हस्तक्षेप करके बैंक की आपत्तियों को दूर करने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) कर्नाटक की निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को विश्व बैंक द्वारा सहायता दी गई / दी जाती है:-

परियोजना का नाम	अवधि	वर्तमान स्थिति
i) कर्नाटक सिंचाई परियोजना	अगस्त, 1978 से मार्च 1986	बन्द हो गई है।
ii) कर्नाटक टैंक सिंचाई परियोजना	मार्च, 1981 से मार्च 1989	चालू
iii) राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना (एक सहभागी राज्य के रूप में)	मई, 1987 से मार्च 1994	चालू

(ख) और (ग): अपर कृष्णा सिंचाई परियोजना सोपान-11 के लिए नवम्बर, 1988 में सम्भव बैंक सहायता हेतु विश्व बैंक के साथ बातचीत की गई। इस परियोजना के लिए बैंक को संशोधित पुर्नस्थापना और पुनर्वास योजना प्रस्तुत करने के बाद बैंक समूह सहायता हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की सम्भावना है।

व्यपगत पालिसियों को पुनः चालू करना

2081. **श्री के. प्रधानी:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम व्यपगत पालिसियों को पुनः चालू करने के संबंध में विज्ञापन जारी कर रहा है;

(ख) क्या व्यपगत पालिसियों पर ब्याज की अधिक दर लगायी जा रही है;

(ग) यदि, हां तो ब्याज को कम करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या छोटे पालिसी धारकों की व्यपगत पालिसियों पर बिना ब्याज लगाये उन्हें पुनः चालू करने का विचार है; और

(ड़) यदि नहीं, तो ऐसा न किये जाने के क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी, हां।

(क) से (ड़): जी नहीं। निगम, प्रीमियम की बकाया राशि पर केवल 9 प्रतिशत की दर से ब्याज लेता है, जो कि काफी कम है। इसके अतिरिक्त वर्तमान विशेष नवीकरण अभियान के दौरान ब्याज में, 100 रूपये की अधिकत राशि तक, 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इस छूट से छोटे पालिसीधारकों को काफी हद तक लाभ प्राप्त होगा। छोटे पालिसीधारकों की व्यपगत पालिसियों को बिना कोई ब्याज लिए नवीकरण करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बम्बई में रेलवे भूमि पर झोपड़पट्टीयां

2082. **श्री शरद दिघे:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में केन्द्रीय सरकार और महाराष्ट्र राज्य सरकार के मध्य मंत्री स्तर और उच्च अधिकारी स्तर पर बम्बई में रेलवे भूमि पर स्थित झोपड़पट्टियों को नागरिक सुविधायें प्रदान करने के बारे में विचार विमर्श किया गया था, और

(ख) यदि हां, तो इस विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) (क) और (ख): जी हां। कुछ नीतियों पर पारस्परिक सहमति हुई है जिनके अनुसार रेलें अपनी जरूरतों से फालतू रेलवे भूमि पर बसी गंदी बस्तियों में नागरिक सुविधाएं जुटाने के लिए "अनापत्ति" प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकती हैं बशर्ते कि कुछ शर्तें पूरी की जायें जिनमें निर्धारित संरक्षा क्षेत्रों से झुग्गियां (अस्थायी मकान) हटाकर उनका अन्यत्र पुनर्वास करना शामिल है।

भूमिहीन श्रमिकों को लिए सामूहिक बीमा योजना

2083. **डा. दत्ता सामन्त:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना के अतंर्गत अगस्त, 1987 से वर्ष 1988 तक कितने भूमिहीन श्रमिकों को लाभ प्राप्त हुआ है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के लिए कितने भूमिहीन श्रमिकों ने अपने नाम दर्ज कराए?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) (क) अगस्त, 1987 से दिसम्बर, 1988 तक भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत 21,000 भूमिहीन श्रमिकों ने लाभ प्राप्त किया है।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार (अनुमानतः) 1.17 करोड़ भूमिहीन श्रमिकों को इस योजना के अर्न्तगत लाया गया।

औद्योगिक घरानों द्वारा निर्यात बढ़ाने की योजनायें

2084. **श्री एच० एन० नन्जै गौडा**
श्री बनवारी लाल पुरोहित
श्री शांतिलाल पटेल

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए औद्योगिक घरानों से दीर्घावधि की नियमित योजनायें बनाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किये गये मार्ग निदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए सुझाये गये नये तरीकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस से किस सीमा और कब तक निर्यात लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी): (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विपणन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बड़े घरानों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्यात को बढ़ाने हेतु दीर्घ अवधि की निगमित योजनाएं बनाएं। उद्योग को यह राय दी गयी कि वह केवल सरकार से सुविधाएं प्राप्त करने के सन्दर्भ में ही विचार न करें, अपितु निर्यात बढ़ाने के लिए सतत प्रयास भी करें।

(ग) उद्योग ने यह सुझाव दिया है कि एन आर टी पी फेरा विनियमों, संयुक्त उद्यमों, उच्च भाड़ा लागत, नकद मुआवजा सहायता योजना, अन्तर्राष्ट्रीय कीमत प्रतिपूर्ति योजना, आदि से संबंधित नीति को सरल और कारगर बनाया जाए।

(घ) वर्ष 1988-89 के लिए 18795 करोड़ रू० का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है और सम्भवतः चालू वित्तीय वर्ष के अन्दर इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा।

गांधी गैंग (बीदर) में चौकीदार वाला फाटक

2085. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिकन्दराबाद और परती वायजिनाथ रेल लाइन पर दक्षिण-मध्य रेल लाइन पर गांधी गैंग (बीदर स्टेशन) के नजदीक हाथ से चौकीदार वाला फाटक पुनः खोलने या इसके निर्माण की काफी समय से मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं। तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) (क) से (ग): इस समपार को पुनः खोलने की मांग की गयी है, जिसे इस समपार के बदले निचले सड़क पुल के निर्माण के बाद बन्द कर दिया था। रेलें इस कार्य को शुरू कर सकती है, बशर्ते कि राज्य सरकार नियमानुसार वित्तीय दायिता वहन करने के लिए सहमत हो।

[हिन्दी]

लहेरिया-सराय-कुशेश्वर स्थान रेल मार्ग

2086. **श्री राम भगत पासवान:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनता की मांग तथा स्थानीय जनता की परेशानियों को देखते हुए लहेरिया सराय से कुशेश्वर स्थान तक रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) जी नहीं।

(ख) संसाधनों की अत्यधिक तंगी और भारी वचनबद्धताएं हाथ में होने के कारण।

उत्तर प्रदेश में अल्प बचत जमाराशि

2087. **श्री हरीश रावत:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान अल्प बचत के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कुल कितनी धनराशि जमा हुई है; और

(ख) इस जमाराशि का कितने प्रतिशत भाग विकास संबंधी कार्यों के लिए राज्य को ऋण और सहायता के लिए उपलब्ध कराया गया?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री(श्री एडुआर्डो फैलीरो) (क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1988-89 (दिसम्बर, 1988 तक) के दौरान अल्प बचतों के माध्यम से कुल निवल निक्षेप 511 करोड़ रुपए के थे जिनमें बैंक शाखाओं के माध्यम से किए गए लोक भविष्य निधि संग्रह शामिल नहीं है।

(ख) राज्य में अल्प बचतों के माध्यम से किए गए निवल संग्रहों का तीन चौथाई भाग उस राज्य को दीर्घावधिक ऋणों के रूप में मंजूर किया जाता है।

स्टेट बैंक आफ पटियाला के वरिष्ठ प्रबंधकों / निदेशकों के विरुद्ध शिकायतें

2088. **श्री हरीश रावत:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को स्टेट बैंक आफ पटियाला के वरिष्ठ प्रबंधकों / निदेशकों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शिकायतों की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) (क) और (ख): स्टेट बैंक आफ पटियाला द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1989 के दौरान उन्हें एक अज्ञात शिकायत मिली थी। जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों / भूतपूर्व निदेशकों द्वारा लिपिक स्टाफ से अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था।

(ग) और (घ): मुख्य सतर्कता अधिकारी ने मामले की जांच की थी और आरोप निराधार पाए गए थे।

[अनुवाद]

शिपिंग क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इंडिया द्वारा मत्स्य एककों के लिये सहायता

2089. **श्री सोमनाथ रथः**
श्री टी. बाल गौड़ः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या शिपिंग क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इंडिया को मत्स्य उद्योग में भारी संकट की जानकारी है, जिससे कि हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं;

(ख) मत्स्य उद्योग में लघु एककों को राहत देने के लिये शिपिंग क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ डिया का क्या उपाय करने का विचार है;

(ग) क्या मत्स्य उद्योग में वर्तमान एककों को पुर्नस्थापित करने के उपायों के संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) (क) से (ङ) भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी लि० ने सूचित किया है कि उसे भूतपूर्व नौवहन विकास निधि समिति से सहायता प्राप्त 24 मत्स्यन कम्पनियों से ऋण की किस्तों की उगाही स्थगित करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। चूंकि अधिस्थगन संबंधी आवेदनों पर विचार करने के लिये कम्पनियों ने प्रारम्भ में अपेक्षित सूचना नहीं दी थी, अतः भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी ने अतिरिक्त सूचना मांगी है। भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी ने उन कम्पनियों के मामलों को मूल्यांकन के वास्ते लिया है जिन्होंने सूचना दे दी है और दो कम्पनियों के मामलों का मूल्यांकन किया है।

भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर, दो कम्पनियों की ऋण की किस्तों की वापसी अदायगी का पुनर्निर्धारण करने का निर्णय लिया गया है।

उड़ीसा की बगुहा सिंचाई परियोजना

2090. **श्री सोमनाथ रथः** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उड़ीसा की बगुहा सिंचाई परियोजना को केन्द्रीय सरकार के पास कब भेजा गया था;

(ख) क्या इस परियोजना का निर्माण कार्य संतोषपूर्वक चल रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे शीघ्र पूरी करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) (क) से (ग); अप्रैल, 1983 में स्वीकृत की गयी चालू बगुहा सिंचाई परियोजना का केन्द्र द्वारा प्रबोधन नहीं किया जाता है।

मदन महल रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं

2091. **श्री अजय मुशरानः** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का मदन महल रेलवे स्टेशन पर भीड़भाड़ कम करने की दृष्टि से वहां से गोदामों को अन्यत्र ले जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक किए जाने की सम्भावना है,

(ग) क्या इस स्टेशन पर भारी यातायात और स्थान की कमी के कारण यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए एक नए प्लेटफार्म का निर्माण करने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)। (क) ऐसा एक प्रस्ताव था किन्तु पर्याप्त धन की कमी के कारण इसे आस्थगित कर दिया गया है।

(ख) से (घ): प्रश्न नहीं उठते।

तमिलनाडु में ग्रामीण बैंकों की शाखाएं

2092. **श्री पी. आर. एस. वेंकटेशन**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय तमिलनाडु में ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की जिलेवार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का तमिलनाडु में ग्रामीण बैंकों की अधिक शाखाएं खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो)। : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) : वर्ष 1985-90 की वर्तमान शाखा लाईसेंसिंग नीति के अन्तर्गत 31.1.1989 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने तमिलनाडु राज्य में 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शाखा खोलने के लिए 53 ग्रामीण केन्द्र आबंटित किए हैं जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	आबंटित केन्द्रों की संख्या
पाण्डयन ग्रामीण बैंक	11
अधीयमान ग्रामीण बैंक	23
वल्लालार ग्रामीण बैंक	19
जोड़	53

[हिन्दी]

स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा डायरियों की छपाई

2093. **श्री राज कुमार राय**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को डायरियों, कलेंडरों, बधाई पत्रों आदि की छपाई पर खर्च न करने संबंधी निदेश जारी किये थे;

(ख) क्या स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने वर्ष 1989 के लिए "विशिष्ट डायरियों" की छपाई कराई थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक से इन डायरियों की छपाई के लिए पूर्व अनुमति ले ली गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इन बैंक अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने सरकार के निदेशों का पालन नहीं किया?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) (क): सरकार ने नवम्बर 1988 में बैंकों को उनके वाणिज्यक निर्णय के अनुसार वर्ष 1989 के लिए कैलेण्डर / डायरियां छपवाने की अनुमति प्रदान की थी।

(ख) स्टेट बैंक आफ इंदौर ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 1989 के लिए "विशिष्ट डायरियां" नहीं छपवाई हैं। उसने अपने स्टाफ एवं ग्राहकों के लिए केवल सामान्य डायरियां छपवाई हैं।

(ग) डायरियों की छपाई के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

"भारत में काले धन के रूप" रिपोर्ट की जांच

2094. **श्री सी॰ जंगा रेड्डी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सरकारी वित्त तथा नीति संस्थान द्वारा इसकी रिपोर्ट "भारत में काले धन के रूप" में दिये गये सुझावों की आर्थिक मंत्रालयों के सचिवों की समिति द्वारा जांच की गई है, यदि हां, तो इसकी टिप्पणियों, निष्कर्षों एंव सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में संबंधित मंत्रालयों प्रत्येक (अलग-अलग) तथा राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उपर्युक्त रिपोर्ट के निकर्ष क्या हैं तथा निर्वाचनों में काले धन की आवश्यकता, उपयोग एवं प्राप्ति के बारे में समिति ने क्या सिफारिशें की हैं और निर्वाचनों में काले धन के उपयोग को रोकने के लिए क्या विशेष कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या प्रायः सभी राजनैतिक दलों ने इस संबंध में सरकार से प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सरकार ने क्या कार्यवाही योजना तैयार की है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए॰ के॰ पांजा) (क) और (ख): राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान की "आस्पेक्ट्स आफ ब्लैक इकनामी इन इंडिया" नामक रिपोर्ट में दिए गए उसके सुझावों की वित्त मंत्रालय द्वारा जांच-पड़ताल की गई है तथा अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों से सम्बन्धित सुझावों को उपयुक्त कार्यवाही करने हेतु उन्हें भेज दिया गया था। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का संबंध मूलतः कर की चोरी की मुख्य समस्या से है, जिसके लिए कर की दरों को युक्तिसंगत बनाने, कर-कानूनों तथा कार्यविधियों का सरलीकरण करने तथा उन्हें युक्तिसगंत बनाने और निवारक उपायों में तेजी लाने जैसे अनेक दूरगामी प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए अलग से किसी तंत्र की स्थापना करना आवश्यक नहीं समझा गया, क्योंकि उक्त तंत्र के लिए सिफारिशों के कार्यान्वयन के निष्कर्षों अथवा प्रभावों का मूल्यांकन करना आसान नहीं होगा। इसका कारण यह है कि काले-धन की समस्या बहु-आयामी होती है तथा काले-धन का अनुमान लगाने का कार्य अनेक जटिलताओं से भरा हुआ है।

(ग) उक्त रिपोर्ट में कर की चोरी को निरूत्साहित करने के लिए जिन उपायों की सिफारिशें की गई हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन में खड़े हुए उम्मीदवारों के निर्वाचन खर्च को सरकार द्वारा "समान आधार पर" (फ्लोर लेवल) वित्त पोषित किया जाना भी शामिल है। इन सुझावों पर प्रकाश डालते हुए इन्हें प्रमुखता दी गई तथा इनको जांच-पड़ताल हेतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सचिव, गृह मंत्रालय तथा सचिव (विधायी), विधि मंत्रालय को भेजा गया था।

आयकर विभाग तलाशियां लेने तथा सर्वेक्षण करने, कर की धोखाधड़ी वाले संदिग्ध मामलों की गहन-संवीक्षा करने, आय तथा धन को छिपाने पर दण्ड लगाने तथा कर की चोरी करने वालों पर मुकदमे चलाए जाने जैसी कार्यवाहियां करता है, जिनसे कालेधन की उत्पत्ति को रोकने में सहायता मिलती है और इसके परिणामस्वरूप, विभिन्न प्रयोजनों में कालेधन के इस्तेमाल की मात्रा में कमी आती है। इसके अलावा आयकर अधिनियम की धारा 13 क में राजनैतिक पार्टियों को होने वाली कतिपय आय को उस स्थिति में छूट दी गई है यदि निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया गया हो। अभी हाल ही में भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 में एक संशोधन किया गया था, ताकि कुछेक शर्तों के अधीन कम्पनियों को राजनैतिक पार्टियों को दान देने की अनुमति दी जा सके।

(घ) संसद में बहस के दौरान यह अनुरोध किया गया है कि निर्वाचनों में धन-शक्ति के दुरूपयोग को रोकने तथा उप पर नियंत्रण रखने के लिए उपाय के रूप में निर्वाचन का वित्त-पोषण सरकार द्वारा किए जाने के लिए कदम उठाए जाएं। लेकिन, इस मामले का अत्यन्त सावधानी-पूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता होगी क्योंकि यह निश्चित नहीं है कि निर्वाचनों का वित्त-पोषण सरकार द्वारा किए जाने पर भरी-भरकम लागत आने के अलावा क्या निर्वाचनों में धन-शक्ति के प्रभाव की समस्या का निराकरण किया जा सकेगा अथवा नहीं।

केरल में ऊपरि पुल

2095. **श्री के. पी. उन्नीकृष्णन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में कितने रेलवे ऊपरि पुल निर्माणाधीन है और इनमें से प्रत्येक पुल का निर्माण कार्य किस अवस्था में है;

(ख) योजना का ब्यौरा क्या है और अन्य स्वीकृत प्रस्तावों पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है;

(ग) रेलवे विभाग को यदि कोई नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तो वे क्या हैं; और

(घ) केरल सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को क्या प्राथमिकता दी गयी है तथा कितने प्रस्ताव रेल विभाग को भेजे गए हैं?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) और (ख): केरल में व्यस्त समपारों के स्थान पर स्वीकृत / निर्माणाधीन 4 ऊपरी सड़क पुलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है। केवल पुल का निर्माण रेलों द्वारा तथा इसके पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

क्रम सं॰	कार्य का ब्यौरा	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	प्रगति / टिप्पणी
1.	कालीकट के निकट (फ्रेंसिस रोड) ऊपरी सड़क पुल	134.60	केवल पुल 98% पहुंच मार्ग 83%
2.	कुट्टीपुरम के निकट ऊपरी सड़क पुल	254.60	केवल पुल 98% पहुंच मार्ग अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है।
3.	वडक्कांचेरी और मुलगुण्णा-तुकाबु के बीच ऊपरी सड़क पुल	61.38	केवल पुल 10% पहुंच मार्ग अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है।
4.	तेल्लिचेरी के निकट ऊपरी सड़क पुल	129.90	नक्शों / अनुमान को राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ): भविष्य में हाथ में लिये जाने वाले ऊपरी सड़क पुलों के संबंध में केरल सरकार द्वारा निम्नलिखित प्राथमिकताओं की सूचना दी गयी है:-

(i) फेरोक में ऊपरी सड़क पुल।

(ii) एर्णाकुलम विन्यास यार्ड में ऊपरि सड़क पुल।

(iii) इडपल्ली और एर्णाकुलम टाउन के बीच ऊपरि सड़क पुल।

(iv) पट्टानूर में ऊपरी सड़क पुल।

(v) वडक्कांचेरी के निकट कि. मी. 15 / 6-7 पर ऊपरि सड़क पुल।

(vi) चेरोड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर ऊपरि सड़क पुल।

(vii) नाट्टूर में ऊपरि सड़क पुल।

बहरहाल, इनमें से किसी भी निर्माण कार्य के लिए राज्य सरकार से अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

दाहोद रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं

2096. **श्री सोमजीभाई डामर:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दाहोद रेलवे सटेशन पर प्लेट फार्म शेड, कार्यलय आवास तथा प्लेट फार्म की लम्बाई इत्यादि अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां। तो क्या यात्रियों की कठिनाइयों को देखते हुए सरकार का विचार इस स्टेशन पर सुविधाओं को उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) से (ग): दाहोद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म शेड तथा कार्यालय स्थान पर्याप्त है। प्लेटफार्म की लम्बाई 18 सवारी डिब्बों तक की गाड़ियों के लिए पर्याप्त है। 22 सवारी डिब्बों वाली गाड़ियों को, जिन्हें भविष्य में चलाये जाने की संभावना है, सम्हालने हेतु प्लेटफार्मों का विस्तार करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की बुलाई

2097. **श्री रामेश्वर नीखरा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम पंजाब और हरियाणा से खाद्यान्न अन्य स्थानों को रेल से भेजता है;

(ख) क्या भाग बदलने के कारण बुक किए हुए वैगन भारतीय खाद्य निगम के निर्देशों के अनुसार गन्तव्य स्टेशन पर नहीं पहुंचते हैं और बुकिंग स्टेशन अथवा गन्तव्य स्टेशन को भी कोई जानकारी नहीं भेजी जाती है जिसके फलस्वरूप भारतीय खाद्य निगम द्वारा माल न भेजें जाने के दावे प्रस्तुत किए जाते हैं;

(ग) कया रेलवे को इस बात का पता लगाने के लिए वाणिज्यक निरीक्षक तैनात करने पड़ते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे की प्रक्रिया को युक्ति संगत बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) जी, हां ।

(ख) कुछ मामलों में भारतीय खाद्य निगम के अनुरोध पर या रेलों की परिचालनिक कठिनाईयों के कारण मार्ग परिवर्तित किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में वाणिज्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सर्व सम्बन्धित को सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित होती है। भारतीय खाद्य निगम मूल गन्तव्य स्टेशनों के लिए बुक किये गये ऐसे सुपुर्द न किये गये माल डिब्बों के लिए दावे दायर करता है।

(ग) मूल गन्तव्य स्टेशन पर सुपुर्द न किये गये माल डिब्बों तथा मार्ग परिवर्तित किये गये स्टेशनों पर सुपुर्द किये गये अधिक माल डिब्बों का वाणिज्यक निरीक्षकों द्वारा आवधिक मिलान किया जाता है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम आगे वितरण हेतु नोडल स्थलों के लिए खाद्यान्न के माल डिब्बों की बुकिंग करके कम से कम मार्गपरिवर्तन किया जाता है।

[हिन्दी]

चीन के साथ व्यापार सन्तुलन

2098. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी:** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष भारत चीन व्यापार में वृद्धि होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान भारत चीन व्यापार के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या गत वर्ष भुगतान-सन्तुलन भारत के पक्ष में रहा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार का क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी, हां।

(ख) चीन के साथ जून, 1988 में हस्ताक्षरित व्यापार सलेख में वर्ष 1988-89 के लिए कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ): जी, नहीं। यह कच्चा रेशम और यार्न, सेम और मटर, मूंग, ऐन्टीमनी और गैर ढलवां एलाय और रसायनिक उत्पादों आदि के आयात में वृद्धि के कारण हुआ है। निम्निलिखित कदमों से चीन को निर्यात में वृद्धि होने की आशा है:-

(क) व्यापार सलेख में निर्यात की मदों के समूह में विविधीकरण ताकि उसमें अधिक मूल्य-वर्धित उत्पाद और गैर-परम्परागत मदें शामिल हो सकें।

(ख) द्विपक्षीय व्यापार संवर्धन और व्यापार सहकारिता के अन्य ढंगों की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए निश्चित क्षेत्रों में प्रतिनिधिमण्डलों का आदान प्रदान और सम्बन्धित व्यापार संगठनों और व्यापारियों को प्रोत्साहन।

(ग) व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी।

(घ) फिक्की और चीन की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन काउन्सिल के बीच व्यापार स्तर की बैठकें आयोजित करना।

(ङ) दोनों देशों के व्यापार उद्यमों के बीच सीधे व्यापार संबंध स्थापित करना।

(च) ऐसे क्षेत्रों की शिनाख्त कराना जिनमें भारत चीन को तकनालाजी प्रदान कर सकता है।

[अनुवाद]

अहमदाबाद में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा दिये गये ऋण

2099. **श्री हरूभाई मेहता:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात सरकार के समाज कल्याण विभग द्वारा गत दो कलेंडर वर्षों में कितने ऋण संबंधी आवेदन अपनी सिफारिशों सहित विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की अहमदाबाद स्थित शाखाओं को भेजे गये थे;

(ख) 31 दिसम्बर, 1988 तक कितने आवेदनों को निपटाया गया था तथा कितने ऋण संबंधी आवेदन मंजूर किये गये थे;

(ग) उपर्युक्त आवेदनों हेतु कुल कितनी धनराशि के ऋण स्वीकृत किये गये थे; और

(घ) किन सामान्य कारणों के आधार पर ऋण आवेदन रद्द किये गये थे?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्डुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि समाज कल्याण विभाग ने अहमदाबाद स्थित अलग-अलग राष्ट्रीयकृत बैंकों को, 1987 में 6593 और 1988 में 5091 आवेदनों की सिफारिश की थी। इनमें से, क्रमशः 2,366 और 1,022 आवेदनें मंजूर किये गये थे।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव सूचना पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) आवेदन करने के मुख्य कारण ये थे :समाज कल्याण विभाग द्वारा आवदनों का पूरी तरह से मूल्यांकन न किया जाना। आवेदकों का ऋणों के लिये पात्र न होना और आवेदित गतिविधियों का अर्थक्षम न होना।

[हिन्दी]

फाफामऊ-इलाहाबाद रेल लाइन पर पुल

2100. **श्री राम पूजन पटेल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेलवे की फाफामऊ-इलाहाबाद रेल लाइन पर विद्यमान कर्जन पुल के समानान्तर एक अन्य पुल का निर्माण कार्य स्वीकृत मिल जाने के बाद तत्काल शुरू कर दिये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब से:

(ग) क्या इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने पुल के दक्षिणी और रेलवे की भूमि पर निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया था; और

(घ) यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य को बन्द कर दिये जाने के क्या कारण है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) यह कार्य पहले से ही स्वीकृत है और इसके निष्पादन के लिए टेंडर भी आमंत्रित किये जा चुके हैं

(ख) निविदाओं को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद काम शुरू कर दिया जायेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्नगत भूमि प्रस्तावित नये पुल के पहुंच मार्गों के लिए अपेक्षित है।

ग्रामीण बैंक

2101. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया:**
श्री दिनेश गोस्वामी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 नवम्बर, 1988 में "रूरल बैंक्स इन बैड शेप स्टडी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त अध्ययन के अनुरूप उनके कार्यकरण में सुधार लाने के बारे में सरकार की प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्डुआर्डो फैलीरो): (क) से (ग): जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण ऋणों के वितरण को सरल बनाने के लिए कई उपाए किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

छोटे उपधारकर्ताओं के लिए क्षेत्रिय भाषाओं में सरल आवेदन प्रपत्र, ऋण आवेदनों के निपटान के

लिए समय सीमा का निर्धारण, कमजोर वर्गों के उधाकर्ताओं को सहायता के लिए शाखा प्रबन्धकों को आवश्यक शक्तियां, अन्य पक्षीय गारन्टी के लिए जोर न देना, ऋणों के संवितरण के लिए निश्चित कार्य दिन निर्धारित करना और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उन दिनों आकस्मिक जांच करना, सप्ताह में एक दिन गैर सरकारी कारबार दिवस के रूप में मनाना।

सोने की मांग और उत्पादन

2102. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया:**
श्री दिनेश गोस्वामी:
डा०पी० चल्लल पेरूमन:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लगभग 25 वर्ष पूर्व देश में स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम लागू किये जाने के बावजूद सोने की मांग प्रत्याशित रूप से कम नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या उपचारी उपाय किये गये हैं;

(ग) सोने की वार्षिक मांग और उत्पादन कितना है;

(घ) वर्ष 1988 और 1989 में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का मूल्य कितना था; और

(ङ) सोने के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) (क) से (ग): सोना चूंकि कोई आवश्यक वस्तु नहीं अतः सरकार ने देश में होने को मांग का अनुमान नहीं लगाया है। तथापि, देश में सोने का वर्षवार स्वदेशी उत्पादन इस प्रकार रहा है:

वर्ष	सोने का स्वदेशी उत्पादन
1985	1852.7 कि०ग्रा०
1986	1931.1 कि०ग्राम
1987	1864.2 कि०ग्राम
1988	1942.7 कि०ग्राम

(घ) प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 24 कैरेट शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने के औसत मूल्य, रुपयों में इस प्रकार रहा:-

	वर्ष	बम्बई बाजार-मूल्य	लंदन बाजार-मूल्य
	1988	3202	1947
जनवरी	1889	3253	1965
फरवरी	1989	3261	1901

(ङ) सोने के मूल्य में वृद्धि के लिए आमतौर पर उत्तरदायी मुख्य कारण ये हैं:-

1. विवाह-शादियों, आदि के कारण मौसमी मांग।
2. तैयार स्टाक की कमी।
3. तस्करी-निवारण के प्रभावकारी उपायों के परिणामतः निषिद्ध मात के आगमन में कमी।
4. विदेशों में सोने का अधिक मूल्य।
5. डालर के मूल्य में गिरावट।
6. सट्टेबाजी के कारण सोने का मूल्य अत्यधिक घट-बढ़ जाता है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में अनिवासी भारतीयों द्वारा भवन निर्माण के कार्य

2103. **श्री वीरेन्द्र पाटिल:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान मे यह लाया गया है कि कर्नाटक में कुछ अनिवासी भारतीयों ने भवन निर्माण कार्यों को जारी रखने के लिये एसोसिएशन बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनिवासी भारतीयों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत भूमि की वास्तविक खरीद-फरोख्त में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गयी है

(ग) क्या ये एसोसिएशन गैर-सरकारी अथवा सरकारी लिमिटेड कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं और क्या भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति ली गयी है तथा देश में इन एसोसिएशनों को स्थापित करने से पहले ही यह सुनिश्चित कर लिया गया था और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इन एसोसिएशनों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एसुआर्डो फैलीरो): (क) ऐसे संघों के गठन के सम्बन्ध में हमारे पास कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के कथित उल्लंघन के सम्बन्ध में एक ऐसे संघ, जिसका नाम "अनिवासी भारतीय गृह निर्माण संघ (कर्नाटक) प्राइवेट लिमिटेड" है के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय को कुछ आरोप प्राप्त हुए थे।

(ख) सरकार की नीति की विद्यमान व्यवस्थाओं के अनुसार अनिवासी भारतीयों को अत्यधिक भूसम्पदा व्यापार में निवेश करने की अनुमति नहीं है।

(ग) अनिवासी भारतीय गृह निर्माण संघ (कर्नाटक) प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। यदि ऐसे संघों में, जिनकी विधि के अन्तर्गत कंपनी की हैसियत हो कोई अनिवासी हित नहीं हो, तो उनके लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। विशेष संघ की हैसियत क्या है, वह निजी कंपनी है अथवा सरकारी लिमिटेड कंपनी है, इसका निर्धारण वास्तविक सत्यापन के बाद ही किया जा सकता है।

(घ) जैसा कि पहले बताया गया है, जांच जारी है।

पश्चिम तट कोंकण रेलवे परियोजना

2104. **प्रो० मधु दण्डवते:** क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आप्ता से मंगलौर तक की पश्चिम तटीय कोंकण रेलवे परियोजना के नये सर्वेक्षण से अच्छा प्रतिलाभ होने तथा आर्थिक दृष्टिकोण व्यवहार्य होने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रेलवे लाइन का निर्माण कार्य रोहा से आगे तक शीघ्रता से बढ़ाया जायेगा;

(ग) क्या रेलवे का विचार सार्वजनिक ऋण तथा बांडों के माध्यम से आवश्यक धन जुटाने की अनुमति देने का है; और

(घ) आप्ता से मंगलौर तक की सम्पूर्ण पश्चिम तटीय कोंकण रेलवे लाइन का निर्माण कार्य तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) :(क) और (ख): वेस्ट कोस्ट लाइन

को आप्ता से रोहा तक पहले ही बढ़ा दिया गया है। मैंगलोर-रोहा एक नयी बड़ी लाइन के लिए किये गये नये सर्वेक्षण से पता चला है कि यह परियोजना, व्यावहार्य है। यह प्रस्ताव, योजना आयोग को विचार करने तथा स्वीकृति देने के लिए भेजा गया है। योजना आयोग ने मैंगलोर-उदुपी खण्ड के निर्माण की स्वीकृति दे दी है और इसे 1989-90 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उदुपी से रोहा तक के शेष भाग का निर्माण तथा सम्पूर्ण लाइन का पूरा होना, योजना आयोग की स्वीकृति तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

दिल्ली-बंगलौर की रेलगाड़ियों में प्रथम श्रेणी का कोटा

2105. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली-बंगलौर लाइन पर चलने वाली रेलगाड़ियों में बंगलौर सिटी रेलवे स्टेशन हेतु प्रथम श्रेणी की सीटों का निर्धारित आरक्षण कोटा क्या है;

(ख) क्या यह कोटा इस स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का दिल्ली आने वाली रेलगाड़ियों में बंगलौर सिटी रेलवे स्टेशन के यात्रियों के लिये आरक्षण कोटा बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) (क) बेंगलूर सिटी रेलवे स्टेशन पर नयी दिल्ली के लिए निम्नलिखित प्रथम दर्जे के आरक्षण कोटा (आपातिक रक्षा और विदेशी पर्यटक कोटा सहित) उपलब्ध हैं:

905 कर्नाटक एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन) — 38 शायिकाएं

927 कर्नाटक एक्सप्रेस (सप्ताह में चार दिन) — 36 शायिकाएं

(ख) कुछ यात्री प्रतीक्षा सूची में रह जाते हैं।

(ग) और (घ) 1.5.89 से सभी दिनों के लिए प्रथम दर्जे की 40 शायिकाओं तक की व्यवस्था करके कोटा बढ़ाया जा रहा है। स्थान की सीमित उपलब्धता के कारण इसमें और वृद्धि करना संभव नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों को निलम्बित किया जाना

2106. **श्री राम बहादुर सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चार राष्ट्रीयकृत बैंकों के पन्द्रह वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों को निलम्बित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चार राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने आठ कर्मचारियों को निलम्बित किया है जिनमें एक सहायक महाप्रबंधक भी शामिल है। इन कर्मचारियों को समाशोधन चैकों के बदले अनधिकृत निकासियों की अनुमति देने से सम्बद्ध उस मामले के कारण निलंबित

किया गया है जिसके परिणामस्वरूप वशी (बम्बई) स्थित आन्ध्रा बैंक की शाखा में फर्ज़ी लेन-देन किये गये थे। इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो कर रहा है और उसने अभी तक अपने निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं किये हैं।

[हिन्दी]

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना-प्रथम चरण में पक्की नालियों का निर्माण

2107. **श्री मनफूल सिंह चौधरी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के दौरान पक्की नालियां बनाई गई थी;

(ख) इन नालियों का निर्माण किन एजेन्सियों के माध्यम से कराया गया था;

(ग) इसके कारण किसानों को कितनी प्रतिशत लागत वहन करनी पड़ेगी;

(घ) इन नालियों के निर्माण पर कुल कितनी लागत आई और उन पर पृथक-पृथक कुल कितना ब्याज अदा किया गया;

(ङ) क्या इन नालियों के दोषपूर्ण निर्माण और डिजाइन के कारण इन नालियों का आधे से अधिक भाग टूट गया है; और

(च) क्या यह सच है कि किसानों के खेतों तक पक्की नालियों के निर्माण का कार्य कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा बैंक से धन प्राप्त करने के पांच वर्षों बाद आरम्भ किया गया था?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के चरण-1 के दौरान केवल पक्के जल मार्गों का निर्माण किया गया था तथा कोई पक्की नाली नहीं बनाई गई थी।

(ख) निर्माण कार्यों में शामिल अभिकरण था, कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, कमान क्षेत्र विकास, बीकानेर।

(ग) चरण-1 में किसानों द्वारा जल मार्गों की लागत का 100% वहन किया गया था।

(घ) निर्माण की लागत 3313 लाख रुपए थी।

(ङ) 310 चकों में कुछ मामूली क्षति पहुंची थी तथा 40 चकों में अधिक क्षति पहुंची थी, जिसे बाद में सरकार के व्यय पर ठीक कर दिया गया।

(च) अधिकांश पक्के जल मार्गों को नियत अवधि में बना दिया गया था, लेकिन कुछ जल मार्गों के निर्माण में कुछ विलम्ब हो गया था।

निर्यात संवर्धन के लिए भारतीय निर्यात संगठन संघ के सुझाव

[अनुवाद]

2108. **श्री बनवारी लाल पुरोहित:**
प्रो० रामकृष्ण मोरे:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय निर्यात संगठन संघ ने सरकार से अपने निर्यात को वर्धित प्रोत्साहन देने के लिए निर्यातों से अर्जित विदेशी मुद्रा का एक प्रतिशत राजनयिक मिशनों के दायित्व में देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) (क) जी,हां।

(ख) यह सरकार के विचाराधीन है।

फ्रांस द्वारा सहायता

2109. **श्री कमल नाथ:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्रांस की कुछ कम्पनियों ने हाल ही में 250 किलोमीटर प्रति घन्टा की रफ्तार से रेलगाड़ियां चलाने संबंधी व्यवहार्यता अध्ययन पूर्ण किया है;

(ख) यदि हां, तो उस कम्पनी का नाम क्या है और किस क्षेत्र में यह अध्ययन किया गया था;

(ग) इसमें कितना खर्चा होगा और

(घ) क्या यह परियोजना फ्रांस की कम्पनी के सहयोग से प्रारम्भ की आयेगी?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है।

(ख) सोफ्रेरेल (फ्रांस रेलवे का एक उपक्रम) राइट्स (भारतीय रेलवे का एक उपक्रम) के सहयोग से अध्ययन कर रही है। यह अध्ययन दिल्ली और कानपुर के बीच उच्च गति वाले गलियारे के लिए है।

(ग) अध्ययन के लिए 3.3 मिलियन फ्रांसीसी फ्रेंक (लगभग 70 लाख रूपये) फ्रांस सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे तथा स्थानीय लागतों के लिए लगभग 8 लाख रूपये भारत सरकार को वहन करने होंगे।

(घ) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निर्यातोन्मुखी एककों को वित्तीय संस्थाओं से ऋण

2110. **श्री शान्ति लाल पटेल:**
श्री एस० एम० गुरुद्दी:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय संस्थाओं ने निर्यातोन्मुखी एककों को रियायती दरों पर दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं और कितने निपटाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी): (क) से (ग): निर्यात प्रोत्साहनों के संबंध में अप्रैल, 1987 से चल रही एक योजना के तहत 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक अपने रुपया-ऋण पर देय ब्याज पर 20 प्रतिशत की छूट के पात्र हैं बशर्ते की ब्याज की दर न्यूनतम 10 प्रतिशत हो। इसके अतिरिक्त, 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक दो वर्ष तक निर्माणावधि के दौरान उपरोक्त दर प्राप्त करने की हकदार हैं। ऋण के लिए आवेदन-पत्र सहकारी क्षेत्र तथा राज्य और केन्द्र सरकार दोनों के अधिकार क्षेत्र में समूचे देश में स्थित बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इस संबंध में संस्थानवार ब्यौरे केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा तांबे का आयात

2111. **श्री सी० माधव रेड्डी:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खनिज एवं धातु व्यापार निगम को अधिक मात्रा में तांबे के आयात की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 में अब तक कितनी मात्रा में आयात किया गया है तथा वर्ष 1989-90 में कितनी मात्रा में किया जाएगा?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) और (ख): डी.जी.टी.डी. की अध्यक्षता में अन्तः मंत्रालयी समिति ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 1989-90 में उतने ही तांबे का आयात किया जाएगा, जितना वर्ष 1988-89 में किया गया था। तथापि, भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड (एस एम टी सी) द्वारा आयात की वास्तविक मात्रा इस कार्य के लिए रिलीज की गई विदेशी मुद्रा और तांबे की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करेगी। वर्ष 1988-89 के दौरान एम एम टी सी ने जनवरी, 1989 के अन्त तक 53,750 मी. टन तांबा आयात कर लिया है।

पोलैंड, जर्मन जनवादी गणराज्य और चेकोस्लोवाकिया के साथ व्यापार समझौते

2112. **श्री एस० एम० गुरड्डी:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने पीलड, चकोस्लोवाकिया और जर्मन जनवादी गणराज्य के साथ वर्ष 1989 के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौते किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन देशों से वर्ष 1989 में कितना कारोबार होने की आशा है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी): (क) (ग): हालांकि इन देशों के साथ किसी भी व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं फिर भी वर्ष 1989 के लिए वार्षिक व्यापार संलेख हस्ताक्षरि किए गए हैं। व्यापार संलेखों में निम्नलिखित व्यापार कारोबार की व्यवस्था है:

(करोड़ रु०)

	आयात	निर्यात	कुल व्यापार कारोबार
पौलेंड	371	315	686
चेकोस्लोवाकिया	290	290	580
जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य	300	280	580

इन देशों को किए जाने वाले निर्यात की मद सूची में शामिल है; कृषि उत्पाद, खनिज और अयस्क, वस्त्र, चमड़ा भार और चमड़ा उत्पाद, रसायन और सम्बद्ध उत्पाद, इंजीनियरी माल आदि तथा आयात सूची में शामिल है: मशीनरी उपस्कर, इस्पात और सम्बद्ध उत्पाद, अलौह धातुएं, उर्वरक, रसायन और भेषजीय उत्पाद आदि।

2. इन देशों के साथ व्यापार के विविधीकरण के लिए व्यापार योजनाओं में अनेक नई मदों को जोड़ा गया है। निर्यात सूची में शामिल है: मैंगनीज अयस्क, पेन्ट्स, वार्निश, इनेमल्स, पोलिएस्टर स्टेपल फाईबर, बर्कर्स ओवर आल, मूल औषधियां तथा भेषज्ञ और ग्रेनाइट। आयात सूची में जोड़ी गयी नई मदों में शामिल है: पेट्रो रसायन, छीलन के लिए पुराने जलयान, स्क्रैप-सामग्री, टायर उत्पादन के उपस्कर, ईंटों के उत्पादन की मशीनें, टी.वी.पिक्चर ट्यूब टी.वी.मन्स सहित, आटोमोटिव सेक्टर के लिए हाई राइज़ स्टेकर्स, हाई वेक्यूम टेक्नीनीक, फ्रीज़ ड्राइंग के उपस्कर तथा चिप उत्पादन के लिए माइक्रो-लिथोग्राफिक उपस्कर।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अवैध रूप से ऋण देना

2113. **श्री विजय कुमार मिश्र:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी 1986 से मई 1987 तक की अवधि के दौरान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अवैध रूप से ऋण दिये जाने के अनेक मामले सरकार की जानकारी में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों से संबद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क): भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि जून 1986 से मई 1987 की अवधि के दौरान अवैध अग्रिम का कोई मामला उसकी जानकारी में नहीं आया है।

(ख) और (ग): ये प्रश्न ही नहीं उठते।

व्यापार प्रतिनिधिमंडल की चीन यात्रा

2114. **श्री टी०वी० चन्द्रशेखरप्पा:**
श्री जी० एस० वासवराजु:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 1989 में एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल चीन की यात्रा पर गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क): जी, नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठते।

हेरोइन का पकड़ा जाना

2115. श्री प्रकाश चन्द्र: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि काफी समय से पाकिस्तानी सीमा से भारत में भारी मात्रा में हेरोइन की तस्करी की जा रही है:

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है: और

(ग) गत छः महीनों के दौरान अनुमानतः कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की हेरोइन जब्त की गई?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) (क) और (ख): हाल ही के वर्षों में निकट और मध्य पूर्वी देशों के मूल की, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, देश में मुख्यतः भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में काफी मात्रा में हेरोइन पकड़ी गई है। पिछले तीन वर्षों और फरवरी, 1989 तक की अवधि के दौरान पकड़ी गई हेरोइन की मात्रा जिसमें गोल्डन क्रीसेन्ट मूल की हेरोइन की मात्रा कोष्ठों में दी गई है और हेरोइन के कुल अभिग्रहणों में उसका प्रतिशत अनुपात नीचे दिया गया है:—

नशीले औषध द्रव्य का नाम	1986	1987	1988	1989 (फरवरी, तक)
	(मात्रा किलोग्राम में)			
हेरोइन	2,621	2,747	2,984	686
	(2,296)	(2,301)	(2,433)	(640)
	87.6%	83.7%	81.5%	93.3%

(ग) सितम्बर, 1988 से फरवरी, 1989 तक के पिछले छः महीनों के दौरान 1785 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई थी।

पकड़े गए नशीले औषध द्रव्य का सही-सही मूल्य नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यह इसकी शुद्धता, इसके उद्गम स्थान और स्थानीय मांग और पूर्ति की स्थिति जैसे विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है।

बम्बई की गंदी बस्तियों हेतु अनुदान जारी करना

2116. श्री गुरुदास कामत: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आठवें वित्त आयोग की सिफारिश पर बम्बई की गंदी बस्तियों हेतु महाराष्ट्र को आबंटित 50 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी करने का विचार है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस अनुदान राशि से शुरु की गयी योजना का पूरा होना सुनिश्चित करेगी?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गड़वी) (क) नवें वित्त आयोग ने 1989-90 के लिए अपनी रिपोर्ट में महाराष्ट्र सरकार को गंदी बस्तियों को साफ करने, गंदी बस्तियों में पर्यावरणिक सुधार लाने और बम्बई शहर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 50 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश इस शर्त के साथ की है कि अनुदान की किस्तें राज्य सरकार के प्रत्येक चरण में व्यय की 50:50 की भागीदारी के आधार पर प्रदान की जाएं।

(ख) महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे इस सम्बन्ध में स्कीमें तैयार करें 1989-90 में कार्यान्वित करने के लिए उन्हें भारत सरकार से अनुमोदित कराएं।

त्रिवेन्द्रम में केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का बन्द होना

2117. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में केन्द्रीय भू-जल बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय इस समय कार्यरत है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस कार्यालय को बन्द करने का निर्णय लिया गया था;

(ग) यदि हां,तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या केरल राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि राज्य में भू-जल स्रोतों के वैज्ञानिक विकास हेतु पर्याप्त सहायता देने के लिये राज्य में बोर्ड का एक स्थायी क्षेत्रीय निदेशालय स्थापित किया जाए; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी हां।

(ङ) इस मामले में निर्णय लेने से पहले, यह निश्चित किया गया है कि केन्द्रीय भूजल बोर्ड की सम्पूर्ण संरचना तथा संगठन का इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा फिर से अध्यन किया जाएगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली की बकाया राशि

2118. **श्री एच.एम. पटेल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1985, 1986, 1987 और 1988 के अंत में राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली कुल बकाया राशि कितनी थी;

(ख) तत्संबंधी वर्षवार और बैंकवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बकाया राशियों की वसूली के लिये किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपर्युक्त भाग (क) में दी गयी अवधि के दौरान पहले वर्ष दिये गये ऋणों की धनराशि में से अगले वर्ष ऋणों की कितनी धनराशि वसूल की गयी?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो)

(क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त आंकडों के अनुसार, वर्ष 1985, 1986 1987 और 1988 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बकाया अग्रिम संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ): अतिदेय की वसूली में सुधार करने के लिए, बैंकों से कहा गया है कि वे संगठनात्मक संरचना को मजबूत करें, योजनाबद्ध मूल्यांकन प्रणाली अपनाएं और राज्य सरकार की सहायता से उधार के बाद सर्वेक्षण और वसूली का काम प्रारम्भ करें। निरंतर और प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए पास-पास की शाखाओं के समूह के वास्ते एक पृथक "वसूली कक्ष" स्थापित करने के लिए भी बैंकों से कहा गया है। दिसम्बर 1985, 1986 और 1987 के अन्त की स्थिति के अनुसार 28 सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बकाया अग्रिमों की तुलना में अतिदेय राशि का प्रतिशत क्रमशः 14.2 प्रतिशत, 15.9 प्रतिशत और 17.4 प्रतिशत था।

विवरण

(करोड़ रुपये)

बैंक का नाम	27.12.85	26.12.86	25.12.87	30.12.88
1.	2.	3.	4.	5.
1. भारतीय स्टेट बैंक	12855.16	14163.39	16196.87	18824.28
2. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	618.01	680.63	779.57	1022.10
3. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	619.75	744.11	814.08	1072.19
4. स्टेट बैंक आफ इन्दौर	294.76	389.23	496.24	650.00
5. स्टेट बैंक आफ मैसूर	487.94	539.70	651.50	731.39
6. स्टेट बैंक आफ पटियाला	564.75	710.31	759.67	896.93
7. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	349.52	382.37	399.50	500.69
8. स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	632.29	748.92	889.76	983.19
9. इलाहाबाद बैंक	1004.09	1117.37	1296.06	1678.19
10. आन्ध्रा बैंक	887.04	1062.36	1123.52	1300.67
11. बैंक आफ बड़ौदा	2761.19	3182.75	3576.27	4053.20
12. बैंक आफ इंडिया	2896.36	3482.81	3890.16	4768.93
13. बैंक आफ महाराष्ट्र	955.06	1110.29	1259.09	1404.35

(करोड़ रुपये)

बैंक का नाम	27.12.85	26.12.86	25.12.87	30.12.88
1.	2.	3.	4.	5.
14. केनरा बैंक	3360.81	3904.84	4443.22	4930.85
15. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	3196.83	3601.79	3746.94	4128.36
16. कार्पोरेशन बैंक	447.73	512.46	564.77	656.94
17. देना बैंक	945.89	1003.28	1113.99	1371.78
18. इंडियन बैंक	1291.26	1497.11	1759.34	2341.07
19. इंडियन ओवरसीज बैंक	1481.21	1683.65	1873.51	2177.13
20. न्यू बैंक आफ इंडिया	592.57	695.34	751.69	926.40
21. ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	528.06	610.92	728.14	978.98
22. पंजाब नेशनल बैंक	3003.35	3588.63	4197.75	5126.64
23. पंजाब एंड सिंध बैंक	691.28	766.91	815.28	954.21
24. सिंडिकेट बैंक	2130.78	2484.11	2466.40	2701.75
25. यूनियन बैंक आफ इंडिया	1775.80	1945.99	2057.36	2232.98
26. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1520.19	1569.19	1561.77	1763.43
27. यूको बैंक	1563.31	1724.25	1911.39	2394.33
28. विजया बैंक	604.41	731.08	846.35	1188.06
कुल जोड़ :	48040.40	54633.79	60970.19	71759.02

[हिन्दी]

राजस्थान में रेल मार्गों पर वृक्षारोपण

2119. श्री वृद्धि चन्द्र जैन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत किन किन रेल मार्गों पर वृक्षारोपण कार्य शुरू किया गया है तथा इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है और इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया):

राजस्थान में वे रेल लाइनें जिनके साथ वृक्षारोपण शुरु किया गया है:

उत्तर रेलवे: बीकानेर- रतनगढ़, सूरतगढ़- मुनाबाव, हनुमानगढ़-सादुलपुर सादुलपुर-रामपुरा बरी, हनुमान गढ़-सूरतगढ़, आनूपगढ़-सरुपसर, जोधपुर- मुनाबावे, मिलड़ी, लुनी-मारवाड़ जंक्शन, रायका बाग-जैसलमेर, रायकाबाग-फुलेरा, मेड़ता रोड-बीकानेर, डेगाना-रतनगढ़, पीपाड़ रोड बिताड़ा, मेड़तारोड-मेड़ता सिटी और मकराना-परबतसर।

पश्चिम रेलवे: रतलाम-अजमेर, कोटा-चित्तौड़गढ़ (नयी लाइन), कोटा-मथुरा, जयपुर-लोहारु, जयपुर- फुलेरा, रेवाड़ी, नागदा-कोटा और कोटा-बीना। लगभग 25.4 लाख पेड़ लगाए गये हैं तथा रेलवे ने अभी तक 55.5 लाख रुपये खर्च किये हैं।

[अनुवाद]

त्रिवेन्द्रम आदर्श रेल स्टेशन

2120. श्री ए० चार्ल्स: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान त्रिवेन्द्रम आदर्श रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए कितनी धन-राशि निर्धारित की गयी;

(ख) वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धन-राशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या रेलवे अधिकारियों ने केरल सरकार से इस समय केरल राज्य पथ परिवहन निगम के कब्जे में पड़ी लगभग एक एकड़ रेलवे भूमि रेलवे को सौंपने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) (क) 25.57 लाख रुपये।

(ख) 1988-89 के दौरान कुल 25.57 लाखे रुपये का राशि खर्च करने की संभावना है।

(ग) जी हां।

(घ) इस मामले पर केरल राज्य सरकार के साथ अभी भी पत्र व्यवहार चल रहा है।

नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर केरल का रोष

2121. श्री टी० बशीर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय राजस्व में केरल के हिस्से के बारे में नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर भारी रोष व्यक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गड़वी) (क) जी, हां।

(ख) राज्यों को कुल अन्तरण में केरल का हिस्सा, आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत 3.27 प्रतिशत की तुलना में नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 3.01 प्रतिशत है। जैसा कि सामान्य प्रथा है, केन्द्रीय सरकार ने वित्त आयोग की अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

भारतीय अनुसंधान और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध परिषद् और मुक्त व्यापार जोनों संबंधी रिपोर्ट

2122. श्री मोहनभाई पटेल: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अनुसंधान और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध परिषद् से वर्ष 1986 में शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक्रों और मुक्त व्यापार जोनों संबंधी अपने सुझाव देने को कहा है;

(ख) परिषद् द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) निर्यात प्रोसेसिंग जोन से इस एकक द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में 25 प्रतिशत उत्पादन के संबंध में इसके विचार क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) (क) भारतीय अनुसंधान और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्ध परिषद नई दिल्ली से वर्ष 1986 में निर्यात प्रोसेसिंग (ई॰पी॰जैड) के कार्यचालन के सम्बन्ध में अध्ययन करने को कहा गया था :

(ख) उस अध्ययन में की गई मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थीं:

(1) निर्यात प्रोसेसिंग जोनों का उद्देश्य त्रिविध होना चाहिए ताकि विदेशी मुद्रा अर्जित हो सके; विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित किया जा सके और रोजगार प्रदान किया जा सके;

(2) एक ही स्थान पर क्लीयरेंस प्रदान करने हेतु एक निर्यात प्रोसेसिंग जोन प्राधिकरण आवश्यक है;

(3) विदेशी पूंजी-निवेशकर्ता की जरूरतें पूरी करने हेतु अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए;

(4) करावकाश की अवधि 10 वर्ष तक बढ़ाई जाए;

(5) रुपया-भुगतान-क्षेत्र के देशों को होने वाले निर्यातों को हतात्साहित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के समग्र उत्थान हेतु महत्वपूर्ण हैं।

(ग) इस बात की सिफारिश की गई कि निर्यात प्रोसेसिंग जोनों के उत्पादन की बिक्री की अनुमति शुल्क सहित अथवा शुल्क रहित घरेलु टैरिफ क्षेत्र (डी॰टी॰ए॰) में न दी जाए; किन्तु सामान्य मुद्रा क्षेत्र हेतु वैध आयात लाईसेंसों के आधार पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र को बिक्रियों की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए।

[हिन्दी]

बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को सहायता देना

2123. **श्री कम्मोदीलाल जाटव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या का॰ ।ी करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (ग): वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गये ढ़ंग से सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता, जब कभी ऋणों को मंजूर न करने, ऋणों के संवितरण में देरी से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो वे संबंधित अधिकारियों को आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने तथा शिकायतकर्ताओं की शिकायतें दूर करने के लिए भेज दिये जाते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने जून 1988 के अंत तक मध्य प्रदेश राज्य में नये 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 13.78 लाख खातों के माध्यम से कुल 690.65 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की थी। मध्य प्रदेश राज्य में, नये 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये गये ऋणों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा लगभग 23 प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में अखिल भारत प्रतिशतता 18.5 थी।

[अनुवाद]

केरल एक्सप्रेस का नियमित रूप से चलना

2124. **श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुपरफास्ट केरल एक्सप्रेस का पिछले तीन महीनों की अवधि के दौरान सही समय पर चलने के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है और .

(ख) रेलगाड़ियों के ठीक समय पर चलाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंन्धिया) (क) 31.3 प्रतिशत।

(ख) उत्तर-दक्षिण मार्ग के बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण कार्य के पूरा होते ही समयपालन में सुधार हो जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पियरलेस जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी की जांर और लेखा-परीक्षा

2125. **कुमारी ममता बनर्जी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ समय पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक ने पियरलेस जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी के कार्यकलापों की विशेष जांच और इसके खातों की लेखा-परीक्षा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पनी के अनेक क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में एक साथ लेखा-परीक्षा की गई थी; और

(ग) क्या विशेष जांच और लेखा-परीक्षा के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई रिपोर्ट तैयार की थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) (क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45द के अन्तर्गत, पीयरलेस जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय का निरीक्षण किया था। उक्त कम्पनी के कलकत्ता, बम्बई, नई दिल्ली तथा मद्रास स्थित चार क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कुछ शाखाओं का भी निरीक्षण किया गया था।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि उसने मैसर्स पीयरलेस जनरल, फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंड कम्पनी लिमिटेड से, निरीक्षण के निष्कर्षों की टिप्पणी मांगी है। भारतीय रिजर्व बैंक, कम्पनी से टिप्पणियां प्राप्त होने पर, अन्तिम निर्णय पर पहुंचेगा।

बड़े बांधों का निर्माण

2126. **श्री हरिहर सोरन:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक कितने बड़े बांधों का निर्माण किया गया है;

(ख) इन बांधों की लम्बाई और क्षमता क्या है; और

(ग) देश में कितने वांधों पर निर्माण कार्य चल रहा है जो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक परा हो जायेंगे अथवा पूर्ण होने वाले होंगे?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) (क) और (ख): देश में निर्मित किए गए 30 बांधों की ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है अथवा 338 से 10400 मीटर तक की भिन्न-भिन्न लम्बाई के हैं, जिनकी भण्डारण क्षमता 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक है।

(ग) 21 वृहद बांधों का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। इसमें से 4 के सातवीं योजना अवधि में पूरा होने की आशा है।

चाय उत्पादन

2127. **डा० फूलरेणु गुहा:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गत वर्ष चाय का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) (क) और (ख): जी, हां। भारत में चाय का उत्पादन वर्ष 1988 में सबसे अधिक हुआ था, जोकि 700.28 मी० किग्रा० था, जबकि वर्ष 1987 के दौरान चाय के उत्पादन का सर्वोच्च स्तर 674.30 मी० किग्रा० था।

सायाजी नागरी एक्सप्रेस का देरी से चलना तथा 28 अप बड़ोदा एक्सप्रेस में गाड़ी सुविधाएं

2128. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बडौदा से बम्बई तक दिन में चलने वाली नई शुरू की सायाजी नागरी एक्सप्रेस वापसी में बडोदरा सायं देर से पहुंच ती है जिसके परिणामस्वरुप बड़ौदा से रात को चलने वाली 28 अप बडोदरा एक्सप्रेस के रवाना होने पर प्रभाव पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 28 अप बडोदरा एक्सप्रेस के डिब्बे साफ नहीं रहते हैं तथा शौचालय में पानी की टंकी खाली रहती है;

(ग) यदि हां, तो सायाजी नागरी एक्सप्रेस गत तीन महीनों के दौरान वापसी कितने दिन में बडोदरा सायं देर से पहुंची तथा इसके क्या कारण है; और

(घ) सायाजी नागरी एक्सप्रेस ता बडोदरा एक्सप्रेस के चलने तथा वापस पहुंचने के समय को नियमित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह गाड़ी 31.12.1988 से आरम्भ की गयी है। जनवरी और फरवरी, 1989 के दौरान यह गाड़ी बडोदरा स्टेशन पर खतरे की जंजीर खींचने, असामान्य घटनाओं आदि जैसे कारणों से 6 बार देर से पहुंची।

(घ) नियमित नियंत्रण रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

गैर सरकारी कम्पनियों में लाकर सुविधा

2129. **श्री शांति धारीवाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि गैर सरकारी कम्पनियां भी उसी प्रकार "सेफ डिपोजिट लाकर" जैसी लाकर सुविधा उपलब्ध कर रही है जिस प्रकार यह सुविधा वाणिज्यक बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है;

(ख) यदि हां, क्या इस प्रकार के लाकरों का उपयोग अवैध है

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी कम्पनियां के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) (क) से (ङ): सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ कम्पनियों जनता को लाकर सुविधाए प्रदान कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सुरक्षित जमा कक्ष जैसी लाकर सुविधा की व्यवस्था करना "बैंकिंग गतिविधि" नहीं है। निजी कम्पनियों द्वारा चलाए जा रहे सुरक्षित जमा कक्ष के कारबार को नियंत्रित करने के वास्ते बैंककारी विनियम, 1949 के अंतर्गत कोई प्रतिबंधात्मक उपबंध नहीं है। अतः कोई भी कम्पनी यह कार्य आरंभ कर सकती है यदि संगम ज्ञापन में दिए गए अपने उद्देश्यों के खंड द्वारा उसे इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हों।

जाजपुर-क्योंझर में तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ियों का स्टाप बनाना

2130. **श्री अनादि चरण दास:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जाजपुर-क्योंझर रेलवे स्टेशन पर यात्री यातायात इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि इस रेलवे स्टेशन पर तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ियों का स्टाप होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस स्टेशन पर इन रेल गाड़ियों का स्टाप बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) (क) से (ग) यातायात की आवश्यकताओं को देखते हुए, 21/22 धौली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के ठहराव की व्यवस्था कर दी गयी है। इसके अलावा। इस स्टेशन पर 7 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों सहित 9 जोड़ी यात्री गाड़ियां भी रुकती हैं।

[हिन्दी]

आयकर अधिकारियों/कर्मचारियों की मांगे

2131. श्री काली प्रसाद पांडेय: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर अधिकारियों/कर्मचारियों ने अपनी 15-सूत्री मांगों के समर्थन में 23 फरवरी, 1989 को केन्द्रीय राजस्व भवन से बोट क्लब तक एक प्रदर्शन किया था और सरकार से उन मांगों को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य मांग क्या-क्या हैं और सरकार द्वारा किन-किन मांगों को स्वीकार किया गया और किन-किन मांगों को अस्वीकृत कर दिया गया है और इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार का कम्प्यूटरीकरण की संक्षिप्त आकलन योजना (समरी एसेसमेंट स्कीम ऑफ कम्प्यूटराइजेशन) समाप्त करने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए॰ के॰ पांजा) (क) यह सच है कि आयकर अधिकारियों तथा कर्मचारियों के एक वर्ग ने अपनी मांगों के समर्थन में दिनांक 23 फरवरी, 1989 को केन्द्रीय राजस्व भवन से बोट क्लब तक एक जलूस निकाला था

(ख) उनकी मुख्य-मुख्य मांगों में संक्षिप्ततः कर-निर्धारण योजना को समाप्त करने तथा कप्यूटरीकरण को जारी न रखने की मांगें शामिल थीं। इन मांगों को स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि ये मांगें सरकार की नीति के विरुद्ध हैं।

(ग) संक्षिप्ततः कर-निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ कंप्यूटर के इस्तेमाल को बन्द करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि मैन्युअल प्रक्रिया की बजाए इस कार्य को कंम्प्यूटर द्वारा अधिक कुशलता से किया जा सकता है।

पंजाब में वर्षा और बाढ़ से प्रभावित लोगों को बैंक ऋण

[अनुवाद]

2132. **श्री कमल चौधरी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सितम्बर, 1988 में पंजाब में हुई भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए पंजाब स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों से नये ऋण देने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के ऋण देने के लिए अपनायी गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार के ऋण के लिए जिला-वार कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया; और

(घ) जिला-वार कुल कितने व्यक्तियों को ऋण मंजूर किये गये तथा कुल कितनी धनराशि के ऋण मंजूर किए गए?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एसुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक ने नवम्बर, 1988 में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नाम यह अनुदेश जारी किये थे कि वे पंजाब सहित विभिन्न राज्यों में भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत और पुर्नवास सहायता प्रदान करें। बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक के अगस्त 1984 के स्थायी मार्गनिर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने और वर्षा तथा बाढ़ से प्रभावित समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने के लिए भी कहा गया था। बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार आवास ऋण देने के वास्ते भी कहा गया है।

(ग) और (घ): भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान आंकड़ा प्रणाली से बैंकों से प्रश्न में पूछे गए अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती है। लेकिन पंजाब राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक बैंक अर्थात पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार समूचे पंजाब राज्य के लिए विभिन्न गतिविधियों के अनुसार प्राप्त आवेदनों और मंजूर किए गए तथा संवितरित ऋणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(रकम लाख रूपए)

	प्राप्त आवेदनों की संख्या	ऋण मंजूर किए गए आवेदकों की संख्या	संवितरित राशि
मकानों की मरम्मत / पुर्निर्माण की योजना	368	209	10.71
रेत भरी / कटी हुई भूमि को खेती योग्य बनाने की योजना	1937	589	68.46
लघु सिंचाई / नल कूपों की बहाली की योजना	216	31	1.58
ट्रैक्टरों की मरम्मत की योजना	3	3	0.09

मंजूरी हेतु लंबित पड़ी पंजाब की सिंचाई परियोजनायें

2133. **श्री कमल चौधरी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब सरकार की उन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए उसने वर्ष 1988-89 के दौरान केन्द्रीय सरकार की मंजूरी मांगी है;

(ख) अब तक मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंजूरी के लिए अब तक लंबित पड़ी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) पंजाब सरकार ने वर्ष 1988-89 के दौरान योजना आयोग के अनुमोदन के वास्ते केवल एक वृहदतथा एक माध्यम सिंचाई योजना प्रस्तुत की है। वृहद सिंचाई योजना में 485 लाख रूपए की लागत पर भूतपूर्व मलेरकोटला राज्य में 15,666 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने की परिकल्पना की गयी थी। इस रिपोर्ट को राज्य सरकार को वापिस भेज दिया गया था, क्योंकि इसे केन्द्रीय जल आयोग के दिशानिदेशों के अनुसार नहीं किया गया था। मध्यम सिंचाई योजना का उददेश्य 1001 लाख रू० की लागत पर राज्य के दक्षिणी-पश्चिमी जिलों में 4748 हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में उप-सतही जल निकासी प्रदान कराने के उददेश्य से एक मध्यम सिंचाई योजना को जनवरी,1989 में परामर्श समिति द्वारा इस शर्त पर स्वीकार किया गया कि उसमें कल्याण उगाही का प्रावधान करने तथा प्रस्तावित धान की फसल के स्थान पर मक्का का प्रतिस्थापन करने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

बैंकों में डकैतियां

2134. **श्री अनूप चन्द शाह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1988 के दौरान बैंक डकैतियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) वर्ष 1988 के दौरान देश भर में बैंक डकैतियों की कितनी वारदात हुई; और

(ग) सरकारी धन और बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य-विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्वुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1987 और 1988 के दौरान भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने बैंक लूटपाटों / डकैतियों की 91 और 88 वारदातों की सूचना दी।

(ग) बैंक लूटपाट / डकैतियां काफी हद तक स्थान विशेष के सामान्य सुरक्षा वातावरण पर निर्भर करती है। अलबत्ता, बैंक अपने सुरक्षा प्रबंधों को सुधारने के वास्ते उपाय करते रहते हैं ताकि बदमाशों को बैंक लूटपाट करने का यथासंभव कम से कम मौका मिले और उन्हें ऐसा करने से रोका जा सके। चूंकि यह एक निरंतर प्रक्रिया है, इसलिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए गए सुरक्षा उपायों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जब कभी उसमें और सुधार आवश्यक समझा जाता है, तब बैंकों को आवश्यक मार्गनिर्देश / अनुदेश दिए जाते हैं। अंतर्ग्रस्त जोखिम को ध्यान में रखकर, शाखाओं में सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने, उचित अलार्म प्रणाली लगाने आदि जैसे उपाय किए गए हैं। इसके अलावा, लुटेरों / डकैतों का सामना करने के वास्ते बैंक कर्मचारियों, आम जनता तथा पुलिस को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार देने की एक योजना चल रही है।

सोवियत संघ के साथ व्यापार-समझौते

2135. **श्री प्रतापराव बी० भोसले:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोवियत संघ के साथ द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए हाल ही में किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन समझौतों से किन-किन क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा;

(घ) क्या इन समझौतों से दोनों देशों के बीच भविष्य में द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने की संभावनाओं का पता चलेगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी): (क) से (च) श्रीमती ए.पी. बिरयुकोवा, पोलिटब्यूरो की वैकल्पिक सदस्य तथा सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद की डिप्टी चेयरमैन, ने हाल ही में 13 से 19 फरवरी, 1989 तक सरकारी स्तर पर भारत का दौरा किया। उनकी यात्रा के दौरान भारतीय निजी क्षेत्र के संगठनों तथा सोवियत संघ के उद्यमों के बीच चार संयुक्त संयुक्त उद्यमे समझौतों को सिद्धान्त रूप में अन्तिम रूप दिया गया। ये समझौते चमड़ा प्रसाधन, टैनरी, तथा पटसन के क्षेत्र में थे। अब संबद्ध संगठनों क्रियाविधि के तहत् अपनी-अपनी सरकारों से मंजूरी प्राप्त करने के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने हैं। उपरोक्त यात्रा के दौरान वाणिज्य मंत्रालय तथा सोवियत संघ के विदेशी आर्थिक संबंध मंत्रालय के बीच, भारतीय सिले सिलाए परिधानों का निर्यात बढ़ाने में सहयोग के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते भारत से चमड़ा, वस्त्र तथा हल्के उद्योग उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए हैं।

भारत में जापान द्वारा पूंजी निवेश

2136. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने जापान के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ाया है;

(ख) यदि हां, तो जापान द्वारा भारत में विभिन्न परियोजनाओं और व्यापार में कितनी पूंजी निवेश किया गया है और भारत द्वारा जापान में विभिन्न परियोजनाओं और व्यापार में कितना पूंजीनिवेश किया गया है;

(ग) जापान की कितनी कम्पनियों ने भारत में पूंजी निवेश किया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1988 की दौरान जापानी फर्मों के साथ विदेशी सहयोग के संबंध में 96 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए। उनमें से 16 प्रस्तावों में जापानी कम्पनियों की 17.42 करोड़ रू० मूल्य की वित्तीय सहभागिता शामिल थी। जापान में पूरे स्वामित्व की केवल एक ही भारतीय सहायक कम्पनी है जो समुद्री उत्पादों के क्षेत्र में कार्यरत है। इसमें 20 मिलियन येन मूल्य की भारतीय इक्विटी का निवेश है।

(ग) और (घ) अनुमोदित सहयोग-प्रस्तावों के ब्यौरे-जैसे भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोगी, सहयोग का क्षेत्र, आल-इण्डिया इन्वेस्टमेंट सेन्टर द्वारा अपने मासिक समाचार-पत्रों की सम्पूरक सामग्री के रुप में प्रकाशित किए जाते हैं। इनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को विशेष पर्वतीय प्रतिपूर्ति भत्ता देना

2137. **प्रो० नारायण चन्द पराशर:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्र स्तर से 1000 मीटर से कम ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और उनके संघों ने सरकार से पुनः यह अनुरोध किया है कि इन क्षेत्रों में जीवन यापन अधिक महंगा होने के कारण वहां कार्यरत कर्मचारियों को विशेष पर्वतीय प्रतिपूर्ति भत्ता दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनके अनुरोध के बारे में क्या निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कोई भी निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी): (क) जी हां।

(ख) चौथे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार उन स्थानों पर भी संयुक्त पर्वतीय प्रतिपूर्ति भत्ता देने पर विचार करे जो कि पहाड़ों से घिरे हुए हैं परन्तु स्थान की ऊंचाई के बारे में वर्तमान मापदंड के अन्तर्गत भत्ते के लिए पात्र नहीं है। बशर्ते कि उन्हें विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता देने की योजना के अन्तर्गत पहले ही शामिल नहीं किया गया हो और यदि वहां की परिस्थितियां समीपवर्ती पहाड़ी स्थानों के साथ तुलनीय हो। राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके ऐसे स्थानों का पता लगाने के लिए प्रयास किए गए हैं जो वेतन आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। तथापि, अब तक ऐसे किसी भी स्थान का पता लगाना संभव नहीं हो पाया है। इसलिए वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पहाड़ों से घिरे हुए स्थानों में संयुक्त पर्वतीय प्रतिपूर्ति भत्ता स्वीकार करना संभव नहीं हो पाया है।

(ग) पश्न नहीं उठता।

रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला

2138. **प्रो॰ नारायण चन्द पराशर:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कपूरथला स्थित रेल डिब्बा कारखाने ने सरकार द्वारा परियोजना आरम्भ करते समय घोषित किये गये कार्यक्रम के अनुसार अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो फरवरी, 1989 के अन्त तक कितने डिब्बे निर्मित किये गए और इस अवधि के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और मूलतः निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) जी हां, पहला सवारी डिब्बा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार तैयार होकर बाहर आ गया था।

(ख) फरवरी, 1989 तक 100 सवारी डिब्बों के लक्ष्य के अनुरूप 100 सवारी डिब्बों का निर्माण किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल जाने वाली रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना

2139. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, फरवरी 1989 की अवधि के दौरान केरल जाने वाली कितनी रेलगाड़ियां पटरी से उतरीं?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) रेल दुर्घटनाओं के आंकड़े और इस से सम्बन्धित सूचना रेलवे जोनवार रखी जाती, राज्य-वार नहीं।

खिलाड़ियों को कर से छूट

2140. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चोटी के खिलाड़ियों को आय-कर की छूट दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) चोटी के उन खिलाड़ियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान आय-कर की छूट प्रदान की गई?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए॰ के॰ पांजा): (क) यद्यपि खेल-कूद तथा क्रीड़ाओं में निपुणता के संबंध में कतिपय पुरस्कारों (अर्थात केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए पुरस्कार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पुरस्कार) को आयकर अधिनियम की धारा 10(17क) के तहत छूट प्राप्त खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त की गई व्यावसायिक आय अथवा किसी प्रकार की अन्य आय पर आयकर से छूट नहीं मिलती है।

(ख) और (ग): ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुये इनके प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय उद्योगों में खाड़ी के देशों द्वारा पूंजी निवेश

2141. **श्री आर॰ एम॰ भोये:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाड़ी की देशों में से किसी ने हमारे उद्योगों में भारी पेट्रो डालर निवेश की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि के पूंजी-निवेश की पेशकश की गई है और इससे किन उद्योगों को लाभ प्राप्त हुआ अथवा होने वाला है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख) हमारे कुछ एक महत्वपूर्ण विनिर्माता उद्यमों में खाड़ी देशों ने पहले से ही पूंजी निवेश कर रखा है। इसी प्रकार के निवेशों के प्रस्ताव समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं। हाल ही में कुवैत निधि ने केरल मीन क्षेत्र विकास परियोजना के लिये 70 लाख कुवैती दीनार का ऋण देने के लिये सहमति प्रदान की है। दिनांक 28 अक्तूबर, 1980 की प्रेस विज्ञप्ति विवरण के रूप में संलग्न है जिसकी घोषणा के अनुसरण में खाड़ी देशों के स्रोतों से प्राप्त होने वाले ऐसे प्रस्तावों का स्वागत है।

विवरण

प्रेस सूचना अधिकारी

भारत सरकार

प्रेस विज्ञप्ति

तेल निर्यातक विकासशील देशों से निवेश को बढ़ावा

समय-समय पर इस आशय के सुझाव प्राप्त होते रहे हैं कि भारत सरकार इस देश में, तेल निर्यातक विकासशील देशों द्वारा पूंजी के निवेश को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था कर सकती है। इन देशों के पास विपुल वित्तीय साधन उपलब्ध हैं।-किन्तु चूंकि उनके अपने देशों में पूंजी लगाने के अवसर तुलनात्मक दृष्टि से सीमित हैं, इसलिए वे पूंजी का निवेश करने के अवसरों की तलाश बाहर करते हैं। नीतिमतापूर्ण व्यवस्था यह भी है कि विकासशील देश पारस्परिक आधार पर लाभ उठाने की दृष्टि से आपसी सहयोग करते हुए आगे बढ़ सकते हैं।

2. भारत सरकार ने विदेशी पूंजी निवेश को स्वदेश में प्राप्त न होने वाली प्रौद्योगिकी की उपलब्धि के माध्यम के रूप में अथवा निर्यात प्रधान उत्पादन को बढ़ावा देने के साधन के रूप में मान्यता दी है। यद्यपि तेल निर्यातक विकासशील देशों के पास भारी मात्रा में अतिरिक्त वित्तीय साधन मौजूद हैं, फिर भी यह जरूरी नहीं कि उनके यहां पर उस प्रकार की प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जिसकी जरूरत इस देश की है। इसलिए यह फैसला किया गया है कि यह जरूरी नहीं होना चाहिए कि इन देशों से प्राप्त होने वाले विदेशी निवेश के प्रस्ताव सामान्य शेयर धारक की ओर से प्रौद्योगिकी का अन्तरण किए जाने की शर्त से जुड़े हुए हों बल्कि वे देश पोर्टफोलियो आधार पर भी ऐसे निवेश कर सकते हैं। अभिप्रायः यह है कि उर्वरकों, सीमेंट, पेट्रो-रसायन, कागज और लुगदी आदि जैसे बहुत से प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र ऐसे हैं, जिन पर भारी मात्रा में वित्तीय परिव्यय करने की आवश्यकता रहती है और इन क्षेत्रों के अभिवर्धन से आयातों पर निर्भर रहने की वृत्ति कम हो सकती है। कुछ एक उपक्रमों में निर्यात-प्रधान उत्पादन करने की गुंजाइश भी बनी रहेगी जिसकी पूर्ति या तो तेल निर्यातक विकासशील देशों को की जा सकती है अथवा यूरोप आदि के अन्य देशों को। इस तरह के सहयोग के परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा के ऋण उगाहने की गुंजाइश को भी सरकार ने हिसाब में लिया है।

3. इसलिए सरकार की निवेश नीति की संरचनात्मक व्यवस्था की परिधि के अन्तर्गत रहते हुए, निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान किए जाने का फैसला किया गया है:—

(क) तेल निर्यातक विकासशील देशों से नई कम्पनियों में पूंजी के निवेश के लिए स्वीकृति दी जाए, चाहे यह निवेश पोर्टफोलियो आधार पर ही क्यों न प्राप्त हो।

(ख) ऐसे निवेश का परिमाण सामान्य शेयर धारिता के 40 प्रतिशत भाग से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ग) नई कम्पनियों को निर्यात प्रधान उत्पादन करना चाहिए अथवा ऐसी विनिर्माणकारी गतिविधियां शुरू करनी चाहिएं जो वर्ष 1973 की औद्योगिक नीति के परिशिष्ट-1 में दर्ज की गई है।

(घ) उपर्युक्त प्रणाली के अनुसार होटलों में पूंजी निवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(ङ) अस्पतालों की नई परियोजनाओं में भी पूंजी निवेश की स्वीकृति दी जानी चाहिए और ऐसे अस्पतालों में जन साधारण के लिए बहिरंग रोगियों के लिए तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए और भारतीय जनता के लिए भी एक न्यूनतम प्रतिशत स्थान की भी व्यवस्था रहनी चाहिए।

(च) ऐसे संयुक्त उद्यमों के लिए विदेशों में ऋण उगाहने की स्वीकृति भी दी जानी चाहिए, बशर्ते कि ऐसे ऋण मुनासिब शर्तों पर मिल जाएं।

4. इन सुविधाओं से लाभान्वित होने वाले भारतीय उद्यमों के संवर्धन के लिए आवश्यक आवेदन-पत्र उद्योग मंत्रालय में प्रतिष्ठित औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय के पास भेजे जाने चाहिएं और ऐसे समस्त आवेदन-पत्रों का निर्णय परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा मिले जुले तरीके से किया जाएगा।

भुवनेश्वर में स्टॉक एक्सचेंज

2142. **श्रीमती जयन्ती पटनायक:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भुवनेश्वर में एक स्टॉक एक्सचेंज खोलने संबंधी उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां तो भुवनेश्वर में स्टॉक एक्सचेंज के कब तक खोले जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्वुआर्डो फैलीरो): (क) भुवनेश्वर में एक स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किए जाने के लिए सिद्धान्त रूप में अनुमोदन दिए जाने की सूचना सरकार ने भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन को भेज दी है।

(ख) उपर्युक्त संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेदन-पत्र और सम्बद्ध दस्तावेज अभी पेश किए जाने हैं।

बारंगा रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधायें

2143. **श्रीमती जयन्ती पटनायक:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बारंगा रेलवे स्टेशन (उड़ीसा) पर पर्याप्त यात्री सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या एक विकसित प्लैट फार्म बनाने तथा एक अच्छा प्रतीक्षा कक्ष एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने, जो प्रत्येक अच्छे स्टेशन पर उपलब्ध हैं, की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) जी नहीं।

(ख) इस स्टेशन पर नीची सतह वाले प्लेट-फार्म, प्रतीक्षालय / प्रतीक्षा कक्ष, प्लेट फार्म पर छत, पीने के पानी की सुविधाएं, प्रसाधन सुविधाएं, ऊपरी पैदल पुल आदि नामक जिन मौजूदा सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है, उन्हें वर्तमान स्तर के यातायात के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत से बाहर मूंगफली के तेल की तस्करी

2144. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारी मात्रा में मूंगफली के तेल की तस्करी पाकिस्तान, मध्य पूर्व और अरब देशों को प्रति वर्ष की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान अनुमानतः कितनी मात्रा में इसकी तस्करी पाकिस्तान तथा अन्य देशों को हुई; और

(ग) इस प्रकार की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) से (ग): उपलब्ध रिपोर्टोंऔर किए गए अभिग्रहणों से यह संकेत नहीं मिलता है कि भारत से पाकिस्तान, मध्यपूर्वी और अरब देशों को मूंगफली के तेल की तस्करी की जाती है।

चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किया जाने वाला धंधा है, अतः पकिस्तान तथा अन्य देशों को कितनी मात्रा में मूंगफली का तेल तस्करी द्वारा भेजा जा रहा है इसका अनुमान लगा पाना संभव नहीं है। सरकार तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प है। इस प्रयोजनार्थ तस्करी रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है । इसके परिणामस्वरूप पिछले वर्षों में निषिद्ध माल के अभिग्रहण में पर्याप्त वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे सारणी में दिया गया है:—

वर्ष	अभिग्रहणों का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1986	217.52
1987	251.47
1988*	443.15

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

अनुसूचित बैंकों द्वारा ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए ऋण देना

2145. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित बैंकों को ग्रामीण आवास योजनाओं हेतु ऋण देने के अनुदेश दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष, राज्य-वार कितनी ग्रामीण आवास योजनाओं को ऋण दिये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नाम कोई विशिष्ट अनुदेश जारी नहीं किए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में व्यक्तियों / व्यक्तियों के समूहों को आवास ऋण प्रदान करने के वास्ते समय-समय पर सामान्य अनुदेश जारी किए गए हैं। दिसम्बर, 1988 को समाप्त वर्ष के लिए, बैंकिंग क्षेत्र से समूचे देश के वास्ते आवास के लिए 225 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई थी। दिसम्बर 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए यह रकम बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दी गई है।

निर्यात संवर्धन के लिए विश्व बैंक से ऋण

2146. **श्री एस० वी० सिदनाल:**
श्री शांति लाल पटेल:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत निर्यात संवर्धन हेतु ऋण के लिए विश्व बैंक से बातचीत कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक इसके लिए सहमत हो गया है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (ग): विश्व बैंक इस समय औद्योगिक निर्यात (इंजीनियरी उत्पाद) परियोजना के लिए 25 करोड़ डालर का ऋण प्रदान कर रहा है। एक अन्य निर्यात विकास प्रयोजना के लिए ऋण की संभावना के संबंध में विश्व बैंक के अधिकारियों से बातचीत चल रही है।

सोवियत संघ के साथ व्यापार समझौता

2147. **श्री एस० बी० सिदनाल:**
श्री शांतिलाल पटेल:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और सोवियत संघ ने वर्ष 1989 के दौरान एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो व्यापार समझौते के क्या-क्या मुख्य पहलू हैं; और

(ग) इससे भारत तथा सोवियत संघ के बीच व्यापार और वाणिज्य को किस सीमा तक बढ़ावा मिलेगा?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी): (क) से (ग) भारत और सोवियत संघ ने 1989 के दौरान किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए परंतु 1989 के लिए वार्षिक भारत-सोवियत संघ व्यापार योजना पर 16 नवम्बर, 1988 को मई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे। वर्ष 1989 की वार्षिक व्यापार योजना में 7000 करोड़ रुपए के कारोबार का प्रवाधान है जिसमें भारत से सोवियत संघ को 3800 करोड़ रुपए का निर्यात तथा सोवियंत संघ से भारत में आयात 3200 करोड़ रुपए का है यह पिछले वर्ष की तुलना में 35% की वृद्धि है।

2. निर्यात सूची की मदों में शामिल हैं: कृषि उत्पाद, खनिज तथा अयस्क, रसायन तथा सह उत्पाद, चमड़ा तथा चमड़ की वस्तुएं, वस्त्र, इंजीनियरी का सामान, आदि। आयात सूची में ये मदें शामिल हैं: मशीनरी तथा उपकरण, कच्चा तेल तथा पैट्रोल उत्पाद, उर्वरक स्टील / उत्पाद अलौह धातुएं आदि।

3. वर्ष 1989 के लिए व्यापार योजना की निर्यात सूची में अनेक नई मदें शामिल करके अधिक विस्तृत बनाया गया है जैसे अलौह ढली तथा गढ़ी वस्तुएं, अपघर्षक, कृषि उत्पादों की क्वालिटी नियंत्रण के लिए विश्लेषक, वस्त्र तथा चमड़ा उद्योगों के लिए मशीनरी तथा उपकरण, ट्रैक्टर के घटक, खेल के जूते, रेज़र ब्लेड, प्रक्षालक, सजावट का प्लास्टिक, आदि, तथा आयात सूची में बेनजीन, पिग आयरन, भारतीय रेल के लिए उपकरण तथा सामान शामिल किए गए हैं।

कर्नाटक में औद्योगिकीकरण की योजना

2148. **श्री एस० बी० सिद्दनाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्नाटक को राज्य में अपनी औद्योगिकीकरण योजना कार्यान्वित करने के लिए कोई सहायता दी गई है; जिसके अन्तर्गत कर्नाटक राज्य वित्त निगम कुछ गांवों में उक्त योजना को लागू करेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एबुआर्डो फैलीरो) (क) और (ख):— भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि कर्नाटक राज्य वित्त निगम ने प्रायोगिक आधार पर बेल्लारी जिले में तेक्कलकोटा, रायचुर जिले में सिरवारा, गुलबर्गा जिले में कमलापुरा तथा बीदर जिले में मनहल्ली गांव अंगीकार किए हैं।

कर्नाटक राज्य वित्त निगम ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की सामान्य पुनर्वित्त योजनाओं के अन्तर्गत इन चार गांवों में विभिन्न प्रकार की इकाइयों को वित्तीय सहायता दी है और प्रत्येक योजना के मानकों के अनुसार यथाउपलब्ध सरकारी सब्सिडी की भी व्यवस्था की गई है।

आस्ट्रेलिया से सहायता

2149. **श्री एस० बी० सिद्दनाल:**
श्री जी० एस० बासवराजू:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान आस्ट्रेलिया सहायता देने के लिए सहमत हो गया था,

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि देने पर सहमति हुई थी, और

(ग) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन पर इस सहायता का उपयोग किया जायेगा!

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एबुआर्डो फैलीरो) (क) से (ग): भारत में विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए रियायती शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के प्रयोजन से आस्ट्रेलिया सरकार के साथ 10 फरवरी, 1989 को एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है। सहमति ज्ञापन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:—

(क) उन परियोजनाओं के लिए, जिनको भारत के विकास कार्यक्रम में सम्मतिपूर्वक महत्वपूर्ण परियोजनाएं करार दिया गया है, धनराशियां उपलब्ध कराने के लिए प्रभावपूर्ण कार्यप्रणालियां के निर्धारण की सुनिश्चित व्यवस्था करना; और

(ख) रियायती शर्तों पर उपलब्ध होने वाली वित्तीय सुविधाओं के जरिए, विकास के प्रयोजनों के लिए आस्ट्रेलियाई वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग की सुविधा उपलब्ध कराना।

इस सहमति ज्ञापन के उपबन्धों के अनुसरण में, आस्ट्रेलियाई अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता ब्यूरो "पात्रता प्राप्त संविदा मूल्य" के कम से कम 35 प्रतिशत भाग तक का (अथवा ऐसे अन्य प्रतिशतांश तक, जिसकी अपेक्षा आर्थिक सहयोग विकास संगठन के द्वारा सर्वसम्मति से की जाए)" विकास आयात वित्त सुविधा अनुदान" उपलब्ध कराएगा।

वित्तीय सामुच्चयिक सुविधा उपलब्ध कराने अथवा इस सहायता के जरिए वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में अभी तक कोई अलग करार निष्पन्न नहीं किया गया है।

सिंचाई वित्त निगम की स्थापना

2150. **श्री पी० कुलनदईवेलू:**
श्री एम० रघुमा रेड्डी:
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही:
श्री धर्मपाल सिंह मलिक:
श्री पी० एम० सईद:
श्री प्रकाश चन्द्र:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय महत्व की सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए एक सिंचाई वित्त निगम की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्या कार्य क्या होंगे तथा इसकी स्थापना कब तक की जाएगी; और

(ग) क्या इस संबंध में वित्त मंत्रालय और योजना आयोग ने मंजूरी दे दी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) (क) और (ख): राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सिंचाई वित्त निगम की स्थापना करना अभी विचारधीन है। चूंकि इस मामले में निधि के अन्तरण सहित अनेक केन्द्रीय-राज्य मुद्दे शामिल हैं, इसलिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

(ग) अभी तक प्रस्ताव प्रतिपादन स्तर पर है तथा इसलिए स्वीकृति के लिए इसे वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बम्बई बर्मा ट्रेडिंग कारपोरेशन को ऋण

2151. **श्री पी० कुलनदईवेलू:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया ने बम्बई बर्मा ट्रेडिंग कारपोरेशन को एक करोड़ रूपये का प्रतिभूतिरहित ऋण दिया था,

(ख) क्या कछालडेरा ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई बर्मा ट्रेडिंग कारपोरेशन की एक सहायक निवेश कंपनी है,

(ग) क्या ऋण की धनराशि कछालडेरा ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड को अन्तरित की गयी थी,

(घ) क्या संबंद्ध नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार के अन्तरण की अनुमति है, और

(ङ) यदि नहीं तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने, बम्बई बर्मा ट्रेडिंग कारपोरेशन के पास अप्रतिभूत जमा/ऋण के रूप में एक करोड़ रूपए की रकम रखी थी।

(ख) जी हां।

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने, बम्बई बर्मा ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड के पास यह निक्षेप केवल उसके सामान्य व्यापारिक कारोबार के लिए रखा था।

(घ) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 (2) के अन्तर्गत, एक धारक कंपनी द्वारा अपनी सहायक कंपनी को दिए गए ऋणों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 (1) के उपबंध लागू नहीं होते।

(ङ) उपयुक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

उद्योगों हेतु लाइसेंस

2152. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल:**
श्री वी॰ तुलसीराम:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये उद्योग हेतु लाइसेंस देने की नीति को समाप्त करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दीर्घावधि योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिनकी सूरक्षा समाप्त की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) (क) और (ख): सरकार ने इस संबंध में औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने की नीति को उदार बना दिया है । यह उदारीकरण इस प्रकार है कि लाइसेंसशुदा उपक्रमों को अपनी लाइसेंसी क्षमता से अधिक उत्पादन करने के लिए उस हालत में एक अतिरिक्त लाइसेंस लेने से छूट दी गई है जबकि ऐसा अतिरिक्त उत्पादन निर्यात के लिए ही हो। इसके अतिरिक्त जिन उपक्रमों ने निर्यात के लिए निश्चित आदेश प्राप्त कर लिए हैं उन्हें औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने से छूट दी जाती है बशर्ते कि संबंद्ध कार्य एक साथ पूरा होने वाला हो और इस प्रकार की अनुमति के अन्तर्गत आने वाला सम्पूर्ण उत्पादन निर्यात के लिए हो ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

तस्करी विरोधी अभियान

2153. **श्री अनिल बसु:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1988 और 1989 के दौरान अब तक कितने तस्करी विरोधी अभियान चलाए गए ;

(ख) ऐसे अभियानों की संख्या कितनी है जिनके दौरान केवल माल ही ज़ब्त किया गया ; और

(ग) ऐसे अभियानों की संख्या कितनी है जिनमें तस्कर सरगनों के पकड़ने के साथ-साथ माल भी ज़ब्त किया गया?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए॰के॰ पांजा): (क) से (ग) दर्ज किए गए मामलों की संख्या, अभिगृहीत निषिद्ध माल का मूल्य गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या, तस्करी संबंधी कार्यों के सरगनों सहित उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर मुकदमा चलाया गया और दो निवारक कानूनों अर्थात् स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 और विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के तहत नज़रबन्द किए गए व्यक्तियों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है जिनमें तस्करी संबंधी कार्यों के सरगने भी शामिल हैं:-

	1988*	1989* (27.2.1989 तक)
i) दर्ज किए गए मामलों की संख्या	62,293	3984
ii) किए गए अभिग्रहणों का मूल्य (करोड़ रुपयों में)	443.15	106.00
iii) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	3255	322
iv) उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर मुकदमा चलाया गया	2281	115

* आंकड़े अनन्तिम है।

	1988*	1989*	(27.2.1989 तक)
v) विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन नज़रबन्द किए गए व्यक्तियों की संख्या ।	1169	65	
vi) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 के अधिन नज़रबन्द व्यक्तियों की संख्या ।	227	33	

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

बैंक शाखायें खोलना

2154. **श्री एम० रघुमा रेड्डी:**
श्री प्रकाश चन्द्र:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार प्रत्येक राज्य में प्रत्येक बैंक द्वारा कितनी शाखायें खोली गयी ;

(ख) उपर्युक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक बैंक द्वारा राज्य-वार कितनी शाखायें खोली गयी हैं ; और

(ग) विशेष आंध्र प्रदेश के नलगोंड़ा जिले में आगामी दो वर्षों में कितनी बैंक शाखायें खोली जायेंगी?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) (क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान देश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोली गई बैंक शाखाओं तथा ग्रामीण शाखाओं की कुल संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	शाखाओं की कुल संख्या	ग्रामीण शाखाएं
1986	384	274
1987	1357	1278
1988	1212	944

इन शाखाओं के वर्ष-वार, राज्य-वार तथा बैंक-वार आंकड़ों को दर्शाने वाले विवरण तैयार करने में जितना समय तथा श्रम लगेगा वह इससे व्याप्त होने वाले परिणामों से कहीं अधिक होगा ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश के नालगोण्ड़ा जिले में शाखाएं खोलने के लिये वाणिज्यिक बैंकों की 33 ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी केन्द्र आंवटित किये गये हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि केवल आपवादिक मामलों को छोड़कर जहां न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, शेष केन्द्रों में मार्च 1989 के अंत तक शाखाएं खोल दें।

चीन को लौह अयस्क का निर्यात

2155. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चीन को लोह अयस्क की कितनी मात्रा निर्यात की गई ;

(ख) क्या चीन ने लौह अयस्क केलिए नया क्रयादेश दिया है ;

(ग) यदि हां, तो 1988-89 और 1989-90 के दौरान चीन को लौह अयस्क की कुल कितनी मात्रा निर्यात करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) इस संबंध में खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान चीन को लौह

अयस्क जिसमें लौह अयस्क सान्द्रण और पैलेट्स शामिल हैं, कि क्रमशः 3.59 लाख मी॰ टन, 4.30 लाख मी॰ टन और 3.77 लाख मी॰ टन मात्रा निर्यात की गई थी ।

(ख) जी, हां । भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड (एम॰एम॰टी॰सी॰) ने फरवरी, 1989 में वर्ष 1989 के दौरान 2.4 लाख मी॰ टन लौह अयस्क निर्यात करने के लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं ।

(ग) और (घ) भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड (एम॰एम॰टी॰सी॰) और कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड (के॰ आइ॰ ओ॰ सी॰ एल॰) द्वारा वर्ष 1988-89 के दौरान लगभग 1.72 लाख मी॰ टन लौह अयस्क, सान्द्रण और पैलेट्स निर्यात किए जाने की आशा है । एम॰एम॰टी॰सी॰ ने वर्ष 1989-90 के दौरान 2.4 लाख मी॰ टन लौहा निर्यात करने के लिए संविदा की है, के॰ आई॰ ओ॰ सी॰ एल॰ ने वर्ष 1989-90 के दौरान चीन को लौह अयस्क सान्द्रण और पैलेट्स निर्यात करने के लिए अभी तक किसी संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं ।

समुद्री खाद्य पदार्थ व्यापार की विस्तार योजना

2156. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समुद्री खाद्य पदार्थ व्यापार के विस्तार की दीर्घकालीक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसमें समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ग) समुद्री खाद्य पदार्थों के व्यापार के विस्तार के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है; और

(घ) इस दिशा में तैयार किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) समुद्री खाद्य व्यापार के विस्तार के लिए सरकार की दीर्घ कालीन नीति में, अन्य बातों के साथ साथ, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को प्रोत्साहन, खारे पानी में श्रिम्प पालन तथा मूल्य वर्धित मदों का उत्पादन तथा निर्यात शामिल हैं।

(ख) वर्ष 1988-89 में समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए 580 करोड रु॰ का लक्ष्य रखा गया है और सातवीं योजना के अंतिम वर्ष के लिए 700 करोड़ रू॰ का लक्ष्य है।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन प्राधिकरण (एम्पीडा) को अवस्थापना संबंधी विकास के लिए दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता के विवरण:

क्रमांक	योजना का नाम	1989-90 के लिए प्रस्तावित (लाख रू॰)
1.	आउट बोर्ड मोटरों के लिए उपदान	5.00
2.	प्लेट फ्रीजरों की कार्य कुशलता उन्नत करने के लिए समुद्री खाद्य संसाधकों को उपदान सहायता	5.00
3.	जनरेटर सेट लगाने के लिए उपदान	3.00
4.	शीतागार की कार्य कुशलता में सुधार करने के लिए उपदान सहायता	3.00
5.	आई॰क्यू॰एफ॰ श्रिम्पों के उत्पादन के लिए मशीनरी और उपस्कर हेतु उपदान	25.00
6.	स्वचालित फ्लेक/चिप आइस बनाने वाली मशीनों के लिए उपदान	3.00
7.	प्रशीतित ट्रकों के लिए उपदान	1.00

विवाह के लिए न्यूनतम आयु

2157. **श्री वी॰ कृष्ण राव:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत विवाह के लिए न्यूनतम कितनी आयु निर्धारित की गई है;

(ख) क्या इस प्रकार से निर्धारित की गई आयु सीमा का व्यवहार में पालन किया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो कितने प्रतिशत विवाह निर्धारित आयु के अनुसार नहीं होते; और

(घ) इस संबंध में कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज): (क) से (ख): भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872, पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन विवाह की विहित न्यूनतम आयु, पुरुष के मामले में 21 वर्ष और महिला के मामले में 18 वर्ष है। मुस्लिम विधि में यह उपबंध है कि कोई भी मुस्लिम जिसने यौवन प्राप्त कर लिया है, विवाह के लिए संविदा कर सकता है और ऐसे मुस्लिम का जिसने यौवन प्राप्त नहीं किया है, उसके अभिभावक द्वारा विधिमान्य विवाह की संविदा की जा सकती है। बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 में जो सभी व्यक्तियों को, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, लागू होता है, विवाह-योग्य आयु, पुरुषों के मामले में 21 वर्ष और महिलाओं के मामले में 18 वर्ष विहित की गई है। तथापि देश के कुछ भागों में, समाज के कुछ वर्गों में प्रचलित सामाजिक परंपराओं के कारण, इन अधिनियमों का अतिक्रमण करते हुए बाल-विवाह हुए हैं। विहित आयु के अनुरूप न किए गए विवाहों की प्रतिशतता बताना संभव नहीं है।

(घ) इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें स्वैच्छिक संगठनों को सम्मिलत करके और अन्य अध्युपायों द्वारा जन-संचार माध्यमों से बाल विवाह की कुप्रथा के परिणामों के बारे में लोगों को शिक्षित करना और शिक्षा पर जोर देना सम्मिलित है। इसमें पोस्टर लगाना, रेडियो कार्यक्रम, सिनेमा स्लाइडों का प्रदर्शन, दूरदर्शन पर लघु वृत्तचित्रों का प्रदर्शन, प्रेस पोस्टर, ग्रामीण महिलाओं आदि के साथ सामूहिक चर्चाएं करना सम्मिलित है।

निर्यात के लिए वस्तुओं का पता लगाना

2158. **श्रीमती जयंती पटनायक:**
श्री जगन्नाथ पटनायक:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा और अन्य राज्यों में उन वस्तुओं का पता लगाया है, जिनके निर्यात की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में ऐसी कौन सी वस्तुओं का पता लगाया गया है;

(ग) इन वस्तुओं का निर्यात किन-किन एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा; और

(घ) इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यवाही करने की योजना है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

निर्यात संवर्धन कार्यकलापों में राज्य सरकार को सम्मिलित करने के प्रयास में, वाणिज्य मंत्रालय ने उड़ीसा, बिहार तथा सिक्किम से निर्यात बढ़ाने हेतु व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं

को अन्तिम रूप देने तथा एक दीर्घकालीन निर्यात नीति तैयार करने के लिए भुवनेश्वर में। तथा 2 फरवरी, 1989 को एक सेमिनार आयोजित किया। कार्य योजना में अच्छी निर्यात संभावना वाले निश्चित उत्पादों का, संबद्ध उत्पाद गुणों में निर्यात सक्षम यूनिटों का तथा समर्थक-सहायता के लिए अपेक्षित आधारभूत सुविधाओं का पता लगाने का प्रयास किया गया। इसमें ऐसे निश्चित निर्यात-विकास-क्रियाकलापों के संबंध में भी सुझाव दिए गए जो विदेशी बाजारों में किए जाने चाहिए।

2. उड़ीसा राज्य के लिए विनिर्दिष्ट कुछ विशेष बलवाले उत्पाद हैं। हथकरघा, सिले सिलाए परिधान, चमड़ा उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद, साफ्टवेयर, काजू, चाय, पालिश किया हुआ ग्रेनाइट, चार्ज क्रोम, सूती यार्न तथा आदिवासी क्षेत्रों के उत्पाद जैसे साल का बीज, राम बिल के बीज, केंडू पत्ते, टरमरिंड, अगरबत्तियां, सोबाई रोप तथा समुद्री उत्पाद बिहार से निर्यात संवर्धन के लिए विनिर्दिष्ट उत्पाद हैं: हथकरघा सूती वस्त्र, रेशम, ऊनी कालीन तथा मोटा ऊनी वस्त्र, चमड़े से बनी वस्तुएं, खनिज उत्पाद, कम्प्यूटर साफ्टवेयर सहित इलैक्ट्रानिक सामान, ताजे तथा संसाधित दोनों प्रकार के फल, सिले सिलाए परिधान तथा हस्तशिल्प उत्पाद। सिक्किम से निर्यात संवर्धन हेतु सुझाए गए उत्पाद हैं: चाय, बड़ी इलायची तथा अदरक, एक्साटिक सुरा, कुटीर उद्योग उत्पाद जैसे कालीन, लकड़ी की खुदाई वाले सामान आदि और हल्के इंजीनियरी उत्पाद।

3. इस कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए अनेक राज्य तथा केन्द्रीय अभिकरण विनिर्दिष्ट किए गए हैं जैसे निर्यात संवर्धन निगम/निदेशालय, व्यापार विकास प्राधिकरण राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, व्यापार और उद्योग आदि।

दुर्घटना के शिकार लोगों को मुआवजा

2159. **श्री अजय विश्वास:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1988 के दौरान रेल दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों के कितने आश्रितों तथा कितने घायल लोगों ने मुआवजे हेतु आवेदन किया है;

(ख) दक्षिण रेलवे के तदर्थ दावा आयुक्त तथा रेलवे के अन्य पदेन दावा आयुक्तों द्वारा कितने मामले निपटाये गये हैं; और

(ग) मुआवजे के मामलों को निपटाने में विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) 1988 में रेल दुर्घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों के 346 आश्रितों, छोटी-मोटी चोटें आए व्यक्तियों के 9 संरक्षकों तथा 225 घायलों ने क्षतिपूर्ति के दावे दायर किये हैं।

(ख) और (ग) कोल्लम, दक्षिण रेलवे के तदर्थ दावा आयुक्त ने 188 मामलों को निपटा दिया है। शेष मामले दक्षिण रेलवे में तदर्थ दावा आयुक्त की अदालतों में तथा अन्य रेलों में पदेन दावा आयुक्तों की अदालतों में निर्णयाधीन पड़े हैं।

भर्ती में तथाकथित भ्रष्टाचार

2160. **श्री सांभाजीराव कक्काडे:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल सेवा आयोग द्वारा भर्ती में कथित बड़े पैमाने पर किये गए कदाचार के कितने मामले, जो अनेक मुख्यालयों से प्राप्त हुए हैं, वर्ष 1983 से सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या इनमें से कुछ मामले परीक्षा लेने और उम्मीदवारों का चयन करने से संबंधित हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि अगस्त 1982 में रेलवे सेवा आयोग, बम्बई का एक सदस्य सचिव निलम्बित किया गया था ; और

(ङ) क्या इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच पूरी हो गयी है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) पन्द्रह (15)।

(ख) जी हां।

(ग) पकड़ में आए कदाचारों में अंकों में परिवर्तन/हेरा-फेरी, नकल, उत्तर पुस्तिकाओं का गलत मूल्यांकन, योग्यताक्रम सूची में गलत उम्मीदवारों को शामिल करना/निकालना, उत्तर पुस्तिकाओं की अदला-बदली आदि शामिल हैं।

(घ) रेल सेवा आयोग, बम्बई के तत्कालीन सदस्य सचिव को 3-9-1982 से निलम्बित कर दिया गया था।

(ङ) जी हां।

बैंको के बीच जोखिम में परस्पर भागीदारी

2161. **श्री परसराम भारद्वाज**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंको को अल्प काल के लिए कहीं नकदी के फालतू होने तथा कहीं नकदी की कमी होने के बीच समता की स्थिति लाने तथा धन बाजार में शीघ्र नकदी उपलब्ध करने हेतु जोखिम में परम्पर भागीदारी अथवा जोखिम में परस्पर भागीदारी न होने के आधार पर एक सन्तुलनकारी व्यवस्था प्रारम्भ करने के लिए सिद्धांत रूप से अनुमति देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है तथा बैंकों में नकदी की स्थिति में सुधार करने तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को ऋण देने पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख) : जी हां । एक अन्तरबैंक भागीदारी योजना शुरू की गई है ताकि बैंकिग प्रणाली के अन्दर अल्पकालीन नकदी को एकसार करने के लिए एक अतिरिक्त माध्यम उपलब्ध कराया जा सके । तदनुसार 31 दिसम्बर, 1988 से 2 प्रकार की अन्तरबैंक भागीदारी योजनायें शुरू की गई हैं, जिनमें से एक में जोखिम के बंटवारे की व्यवस्था है जबकि दूसरे में जोखिम का बटवारा नहीं होता जोखिम के बंटवारे वाले अन्तरबैंक भागीदारी प्रमाणपत्रों का उद्देश्य बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो में कुछ प्रकार के लचीलेपन की व्यवस्था करना और कंसार्शियम व्यवस्था के संचालन को सहज बनाना है । स्वास्थ्य संहिता संख्या स्टेट्स के अन्तर्गत वर्गीकृत अग्रिमों के संबंध में अन्तरबैंक भागीदारी प्रमाणपत्र 91-180 दिन के लिए जारी किए जा सकते हैं । किसी भी खाते के अन्तर्गत जारी किए गए अन्तरबैंक भागीदारी प्रमाणपत्रों का कुल मूल्य जारी किए जाने के समय खाते में बकाया रकम के 40 प्रतिशत के अधिक नहीं होना चाहिए । ऐसे अन्तरबैंक भागीदारी प्रमाणपत्रों पर ब्याज की दर सम्बद्ध भागीदार बैंकों के बीच तय की जाती है लेकिन शर्त यह है कि यह दर कम से कम 14 प्रतिशत वार्षिक होनी चाहिए ।

बिना जोखिम की हिस्सेदारी वाले अन्तरबैंक भागीदारी प्रमाणपत्रों का उद्देश्य 90 दिन की अवधि की अल्पकालीन नकदी को एकसार करने में सहायता पहुंचाना है । ब्याज की दर दोनों सम्बद्ध बैंकों द्वारा तय की जाती है लेकिन अधिकतम दर 12.5 प्रतिशत होगी ।

ओपन जनरल लाइसेंस और अग्रिम लाइसेंस सुविधा का दुरुपयोग

2162. **श्री दत्ता सामंत:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को "ओपन जनरल लाइसेंस, (ओ जी एल) प्रणाली" और अग्रिम लाइसेंस सुविधाओं के दुरुपयोग किए जाने की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सुविधाओं का किस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है ; और

(ग) 1988-89 के दौरान ऐसे दुरूपयोग के कितने मामले पकड़े गए ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) (क) जी हां ।

(ख) और (ग): मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ने वर्ष 1988-89 के दौरान अग्रिम लाइसेंस सुविधा का दुरुपयोग किए जाने वाले 18 मामलों तथा ओजीएल सुविधा का दुरुपयोग किए जाने वाले 8 मामलों का पता लगाया है । इसी प्रकार मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी ऐसे ही दुरुपयोग के मामलों का पता लगाया है । इस संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रेल परियोजनायें

2163. **श्री हरीश रावत:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आने वाली विभिन्न रेल लाइनों के निर्माण पर परियोजना-वार कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है ; और

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान विभिन्न कार्यों पर रेल विभाग द्वारा व्यय की जाने वाली कुल धनराशि को कितने प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले रेल संबंधी निर्माण कार्यों पर व्यय किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया: (क) और (ख):

परियोजना का नाम	1989-90 में प्रस्तावित खर्च की जाने वाली राशि (करोड़ रुपयों में)	रेलवे द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि का प्रतिशत
नयी लाइनें		
1. रामपुर-न्यू हल्दवानी	5.00	
2. मथुरा-अलवर (उ.प्र. में 30 कि.मी.)	1.75 (उत्तर प्रदेश के लिए यथानुपात आवंटन)	
3. गुना-इटावा (उ.प्र. में 28 कि.मी.)	1.61 (वही)	
कुल-	8.36	3.34
आमान परिवर्तन		
(छपरा-औडिहार) (उ.प्र. में 153 कि.मी.)	1.35 (उत्तर प्रदेश में यथानुपात आवंटन)	
2. वाराणसी-पटनी	23.00	
3. काशीपुर-लालकुआ	1.00	
कुल-	25.35	30.18

परियोजना का नाम	1989-90 में प्रस्तावित खर्च की जाने वाली राशि (करोड़ रुपयों में)	रेलवे द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि का प्रतिशत
दोहरी लाइन बिछाना		
1. रामपुर-बरेली	1.60	
2. बातावाली पुल	2.80	
3. मुरादाबाद-रामपुर	7.00	
4. लखनऊ-कानपुर	8.09	
5. जैतवार-मानिकपुर (उ.प्र. में 34 कि.मी.)	3.98 (उत्तर प्रदेश में यथानुपात आबंटन)	
कुल-	23.47	7.74

टनकपुरघाट-बागेश्वर रेल मार्ग

2164. **श्री हरीश रावत:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान टनकपुरघाट-बागेश्वर रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण पूरा किये जाने की सम्भावना है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी नहीं

(ख) 4.87 लाख रुपये ।

[अनुवाद]

सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना

2165. **श्री सोमनाथ रथ:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) यह कितने चरणों में पूरी की जाएगी और प्रथम चरण कब पूरा हो जाएगा ;

(ग) इस परियोजना के लिए विभिन्न राज्यों का क्या हिस्सा होगा ; और

(घ) इस परियोजना को अब तक विश्व बैंक द्वारा कितनी सहायता प्रदान की गई है और कुल कितनी सहायता प्रदान की जाएगी ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) दिसम्बर, 1988 तक, चंडिल बांध पर 63%, इचा बांध पर 22%, किटनाल बांध पर 83% तथा परियोजना के अन्य घटकों पर 23% से 73% तक प्रगति होने की सूचना मिली है।

(ख) इस अंतर्राज्यीय बहु-उद्देश्यीय परियोजना को चरणों में पूरा करने का विचार नहीं है।

(ग) जैसा कि त्रिपक्षीय समझौते में दिया गया है, बांध की लागत को प्रत्येक राज्य को आबंटित किए गए भंडारणों के आधार पर बांटा गया है, जबकि अन्य सामान्य कार्यों की लागत को क्यूमेक-कि०मी० के आधार पर बांटा गया है।

(घ) 127 मिलियन अमेरिकी डालर की विश्व बैंक सहायता में से नवम्बर, 1988 तक लगभग 128.42 मिलियन अमेरिकी डालर का संवितरण किया गया है।

उड़ीसा की सिंचाई परियोजना की मंजूरी

2166. **श्री सोमनाथ रथ:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा की विलुआमराई सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने गंजम जिले के नुआपल्ली और पीपलापंका नामक स्थानों में सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के बारे में कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को मंजूरी देने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) ये परियोजनायें केन्द्र में प्राप्त नहीं हुई हैं।

उड़ीसा की हरभंगी सिंचाई परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता

2167. **श्री सोमनाथ रथ:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में बदागाडा के निकट उड़ीसा में हरभंगी सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर अभी तक बन का पूरी नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) विश्व बैंक द्वारा अब तक कितनी सहायता दी गई है ; और

(घ) इसके कब तक पूरे होने की आशा है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी हां।

(ख) मुख्य कारणों में ये शामिल हैं ; भूमि अधिग्रहण और कार्य के निर्धारण में विलम्ब तथा कुछ पहुंचों में कठिन भू-भाग ।

(ग) हरभंगी परियोजना सहित 18 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के समूह के लिए प्राप्त की गयी कुल सहायता 66.14 मिलियन अमेरिकी डालर थी ।

(घ) 1992-93 तक, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है ।

दमोह-कोटा सवारी गाड़ी को कटनी तक चलाना

2168. **श्री अजय मुशरान:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दमोह-कोटा सवारी गाड़ी को दमोह तक चलाने के स्थान पर कटनी तक चलाने का निर्णय किया है ताकि इस क्षेत्र को राजस्थान के साथ जोड़ा जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) परिचालनिक तंगी के कारण ।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा लाकरों का आबंटन

2169. **श्री राज कुमार राय:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इन्दौर ग्राहकों को तब तक लाकर आबंटित नहीं करता, जब तक कि वे बैंक में सावधि जमा राशि के रूप में एक निश्चित धनराशि जमा न कर दें, और

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा लाकरों के आबंटन के सम्बन्ध में क्या दिशा-निर्देश जारी किए हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) स्टेट बैंक आफ इंदौर ने सूचित किया है कि उसकी शाखाओं द्वारा सेफ डिपाजिट लाकर देने के लिए सावधि जमा राशियों पर जोर नहीं दिया जाता।

(ख) लाकरों के आबंटन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के नाम अनुदेश जारी किये हैं। इन अनुदेशों में यह व्यवस्था की गई है कि कम से कम 80 प्रतिशत लाकर बैंकों द्वारा, "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर दिये जाने चाहिए और बाकी 20 प्रतिशत कारबार को ध्यान में रख कर दिये जा सकते हैं। अनुदेशों में यह भी व्यवस्था की गयी है कि लाकर देने के पहले बैंकों को सावधि जमा राशि की शर्त पर जोर नहीं देना चाहिए। लेकिन यदि बैंक उस आवेदक से जिसे लाकर एलाट किया गया है जमाराशि के ब्याज से लाकर का वार्षिक किराया वसूल करने के लिए जमा राशि का अनुरोध करते हैं तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन एलाटमेंट की यह शर्त नहीं होनी चाहिए। विकल्प के रूप में लाकर धारी से 3 वर्ष के लिए लाकर का किराया पेशगी लिया जा सकता है।

मध्य प्रदेश में इन्दौर में स्टेट बैंक आफ इन्दौर के मुख्यालय में धोखाधड़ी

2170. **श्री राजकुमार राय:** क्या **वित्त** मंत्री मध्य प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इन्दौर में धोखाधड़ी के बारे में 11 दिसम्बर 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5432 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितनी धनराशि की धोखाधड़ी की गई थी

(ख) अब तक कितनी धनराशि बरामद कर ली गई है, और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि संबंधित धोखाधड़ी के मामले में लगभग 2.53 लाख रुपये की राशि अर्न्तग्रस्त थी। बैंक ने आगे बताया है कि इस मामले में अभी तक कोई रकम वसूल नहीं हो सकी है।

(ग) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि एक कर्मचारी के विरुद्ध मामला न्यायालय में लम्बित है, तथा शेष दो कर्मचारियों के विरुद्ध जांच पड़ताल चल रही है।

पालीमर यार्न का निर्यात

2171. **श्री सी० जंगा रेड्डी:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोफोर्स के साथ प्रति व्यापार समझौते के अन्तर्गत पालीमर यार्न के निर्यात की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर देश में इसकी भारी मांग को देखते हुए इसका आयात किये जाने के क्या कारण है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) (क) और (ख) वर्तमान आयात तथा निर्यात नीति के तहत, पोलियस्टर विस्कोस यार्न तथा पोलियस्टर टैक्सचराइजड यार्न के एक सीमित मात्रा में निर्यात की अनुमति दी जाती है, इस

नीति के ढांचे के अन्दर तथा प्रति व्यापार के लिए राज्य व्यापार निगम (एस टी सी) और बोफोर्स के बीच हुए समझौते ज्ञापन के अनुसार पोलियस्टर विस्कोस यार्न तथा पोलियस्टर टैक्सचराइजड यार्न के निर्यात के लिए संविदा की गई है।

चालू सिंचाई परियोजनाएं

2172. **श्री के०पी० उन्नीकृष्णन:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जनवरी, 1989 तक के अनुसार किन-किन पहली बड़ी पचास सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा था और वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) सम्पूर्ण हुई परियोजनाओं से कुल कितनी सिंचाई क्षमता प्राप्त हुई है तथा इनमें से प्रत्येक परियोजना से अन्ततः कितनी सिंचाई क्षमता प्राप्त होगी;

(ग) इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत कितनी है तथा वर्ष 1988-89 में इन पर कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(घ) मूल कार्यक्रमानुसार ये परियोजनायें किस-किस वर्ष में पूर्ण की जाएंगी और इनके पूर्ण होने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (घ) वर्ष 1987-88 तक, संपूर्ण हुई बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 31.66 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। सातवीं योजना अवधि के दौरान 11 परियोजनाओं के पूरा हो जाने की संभावना है तथा शेष को आठवीं पंचवर्षीय योजना में आगे लाया जाएगा। विलम्ब के मुख्य कारणों में वित्तीय कठिनाईयां, लागत में वृद्धि, परियोजना तैयार करते समय अपर्याप्त अन्वेषण, भूमि अधिग्रहण में कठिनाईयां तथा समय पर भवन-सामग्रियों का उपलब्ध न होना, शामिल है।

विवरण

करोड़ रुपए/हजार हेक्टेयर

परियोजना का नाम और जिस राज्य में स्थित है	योजना जिसमें शुरू की गयी	अद्यतन अनुमानित लागत	वर्ष 1988-89 के लिए परिव्यय	चरम क्षमता	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश					
1. नागार्जुनसागर	दूसरी	675.00	20.00	895	आठवीं योजना
2. श्री रामसागर	तीसरी	870.02	60.00	651	आठवीं योजना
— तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर चरण-दो (अंतर्राज्यीय)	तीसरी	111.70	5.00	90	आठवीं योजना
3. वम्सधारा-चरण-एक	चौथी	46.79	2.50	20	सातवीं योजना
4. वम्सधारा चरण-दो	चौथी	154.35	0.10	22	आठवीं योजना के बाद
5. गोदावरी बराज	चौथी	102.23	15.00	स्थिरीकरण	आठवीं योजना

1	2	3	4	5	6
बिहार					
6. पश्चिमी कोसी नहर	तीसरी	322.26	25.00	289	आठवीं योजना
7. बागमती	चौथी	197.83	3.00	102	आठवीं योजना
गुजरात					
8. दमनगंगा (अंतर्राज्यीय)	चौथी	125.40	11.09	57	आठवीं योजना
9. पानाम	चौथी	59.90	3.30	49	आठवीं योजना
10. साबरमती	चौथी	96.00	4.95	57	आठवीं योजना
— माही बजाजसागर	चौथी	46.70	0.05	कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं	सातवीं योजना
हरियाणा					
11. गुड़गांव नहर (अंतर्राज्यीय)	तीसरी	40.41	0.50	81	आठवीं योजना
12. लोहारू लिफ्ट	चौथी	34.62	1.00	66	आठवीं योजना
कर्नाटक					
13. तुंगभद्रा बांध तथा बायां तट नहर	पहली	90.40	5.75	244	सातवीं योजना
14. घटप्रभा	पहली	66.00	1.55	106	आठवीं योजना
15. मलाप्रभा	तीसरी	307.35	26.50	218	सातवीं योजना
16 तुंगभद्रा, उच्च स्तरीय नहर चरण-दो (अंतर्राज्यीय)	आन्ध्र प्रदेश 66-69	15.34	2.50	81	आठवीं योजना के बाद
17. अपर कृष्णा चरण-एक	चौथी	1071.10	75.00	425	आठवीं योजना के बाद
केरल					
18. पेरियार घाटी	दूसरी	63.04	3.70	86	सातवीं योजना
19. पम्बा	तीसरी	63.41	0.50	49	सातवीं योजना
20. कुटीयाडी	तीसरी	55.00	1.00	36	सातवीं योजना
21. कन्हीरपुझा	तीसरी	59.78	2.00	22	आठवीं योजना
22. पझासी	तीसरी	69.25	2.00	23	आठवींयोजना
23. कल्लाडा	आन्ध्र प्रदेश 66-69	260.70	35.00	93	आठवीं योजना
मध्य प्रदेश					
24. महानदी जलाशय	चौथी	784.55	48.00	340	आठवीं योजना के बाद
25. केलार	चौथी	119.87	18.21	61	आठवीं योजना
26. पैरी	चौथी	19.97	1.10	73	आठवीं योजना
27. सिन्ध फेस-एक	चौथी	29.78	1.00	38	आठवीं योजना
28. रंगवान उच्च स्तरीय नहर	चौथी	6.93	0.50	17	सातवीं योजना
29. जोंक	चौथी	23.83	2.00	15	आठवीं योजना
महाराष्ट्र					
30. खड़कवासला	दूसरी	175.31	9.30	62	आठवीं योजना
31. कृष्णा	तीसरी	264.94	12.00	113	आठवीं योजना के बाद
32. भीमा	तीसरी	321.00	21.70	163	आठवीं योजना
33. कुकड़ी	आन्ध्र प्रदेश 66-69	425.00	19.00	156	आठवीं योजना के बाद

1	2	3	4	5	6
34. अपर गोदावरी चरण-एक	आन्ध्र प्रदेश 66-69	90.26	3.00	67	आठवीं योजना
35. वरना	चौथी	364.38	14.70	114	आठवीं योजना के बाद
36. अपर तापी चरण-एक और दो	चौथी	102.13	6.70	55	आठवीं योजना
37. पेंच (अंतर्राज्यीय)	चौथी	145.11	10.50	104	सातवीं योजना
मणिपुर					
38. लोकटकलिफ्ट	चौथी	28.20	0.75	40	आठवीं योजना
उड़ीसा					
39. रेंगाली	चौथी	748.16	16.00	424	आठवीं योजना के बाद
40. आनन्दपुर बराज	चौथी	16.26	1.00	40	आठवीं योजना
पंजाब					
41. यू बी डी सी ट्रेक्ट में क्षेत्र की गैर चिरस्थायी का विस्तार	तीसरी	9.24	0.50	233	आठवीं योजना
राजस्थान					
42. राजस्थान नहर चरण-एक	दूसरी	255.00	7.50	1388	सातवीं योजना
43. चाखम	तीसरी	71.27	4.00	21	आठवीं योजना
– गुड़गांव	तीसरी	17.61	0.52	28	आठवीं योजना
44. माही बजाज सागर (अंतर्राज्यीय)	चौथी	215.02	22.00	71	सातवीं योजना
उत्तर प्रदेश					
45. गंडक नहर चरण-एक (अंतर्राज्यीय)	तीसरी	139.47	5.00	308	आठवीं योजना
46. सारदा सहायक	तीसरी	733.25	67.50	1582	आठवीं योजना
47. टेहरी बांध	चौथी	269.10	1.00	270	आठवीं योजना के बाद
पश्चिम बंगाल					
48. दामोदर घाटी निगम की बराज तथा सिंचाई प्रणाली (विस्तार तथा सुधार)	पहली	50.00	0.50	515	आठवीं योजना
49. कंगसाबती	दूसरी	119.83	5.00	402	सातवीं योजना
गोवा					
50. सलौली	चौथी	73.18	7.70	14	आठवीं योजना

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

2173. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और बिहार को कितने संसाधनों का अन्तरण किया, मध्यम अवधि के कितने ऋणों का संवैधानिक रूप से अन्तरण किया तथा प्राकृतिक विपदाओं के लिए कितनी सहायता दी और योजना व्यय तथा गैर-योजना व्यय के लिए कितना केन्द्रीय अनुदान दिया?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी): वित्तीय वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा इन सात राज्य सरकारों को दी गई धनराशियों को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को दी गई धनराशि

(करोड़ रुपए में)

राज्य	केन्द्रीय करों में हिस्सा	8वें वित्त आयोग द्वारा मंजूर किए अन्य सांविधिक अनुदान	राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	प्राकृतिक आपदाओं के लिए सहायता	लघु बचत संग्रहणों के प्रति ऋण	अन्य आवधिक ऋण	प्राकृतिक आपदाओं के लिए सीमांत धन	जोड़ कालम 2 से 8 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1985-86								
1. आन्ध्र प्रदेश	581.53	19.21	330.23	51.50	128.50	206.98	12.25	1330.20
2. बिहार	855.17	35.47	539.23	15.69	264.39	4.58	16.87	1731.40
3. गुजरात	284.98	6.35	204.26	2.44	269.75	61.79	14.37	843.94
4. कर्नाटक	356.00	3.41	195.47	51.53	166.15	221.27	3.00	996.83
5. केरल	266.21	6.32	279.34	106.68	48.65	241.86	2.50	951.56
6. महाराष्ट्र	522.96	14.92	336.63	65.80	559.81	24.27	3.63	1528.02
7. पश्चिम बंगाल	623.52	177.83	196.88	—	374.22	205.99	11.84	1590.28
जोड़	3490.37	263.51	2082.04	293.64	1811.47	966.74	64.46	8972.23
1986-87	—							
1. आन्ध्र प्रदेश	657.09	12.67	291.97	153.56	132.00		12.25	1259.54
2. बिहार	966.45	21.97	452.28	7.00	224.44		16.88	1689.02
3. गुजरात	322.65	6.35	219.79	126.16	273.19		14.38	962.52
4. कर्नाटक	403.73	3.42	195.56	46.68	170.71		3.00	823.10
5. केरल	300.83	3.37	269.02	16.81	58.32		2.50	650.85
6. महाराष्ट्र	593.28	14.91	349.84	102.37	572.00		3.62	1636.02
7. पश्चिम बंगाल	678.26	169.99	241.70	10.57	350.55		11.91	1462.98
जोड़	3922.29	232.68	2020.16	463.15	1781.21		64.54	8484.03
1987-88								
1. आन्ध्र प्रदेश	732.08	30.60	319.12	42.85	136.60		12.25	1273.50
2. बिहार	1077.25	42.76	500.84	37.45	173.18		16.88	1848.31
3. गुजरात	360.62	6.34	254.34	283.35	367.71		14.38	1286.74
4. कर्नाटक	451.11	3.42	192.44	16.84	143.99		3.00	810.80
5. केरल	335.61	10.37	208.76	43.82	94.20		2.50	695.26
6. महाराष्ट्र	667.25	14.92	332.96	43.54	573.47		3.63	1635.77
7. पश्चिम बंगाल	728.66	236.97	263.84	24.95	285.67		11.88	1551.97
जोड़	4352.58	345.38	2072.30	492.80	1774.77		64.52	9102.35

चालू रेलवे परियोजनाएं

2174. **प्रो॰ नारायण चन्द पराशर:**
श्री विजय एन॰ पाटिल:
श्री जगन्नाथ पटनायक:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान शुरू की गयी नई रेल लाइन परियोजनाओं को आंशिक रूप से/पूर्णतः पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा कि किसी भी नई रेल लाइनों, परियोजना का निर्माण कार्य, इसको बजट में शामिल किए जाने के बाद, एक दशक से अधिक समय तक पिछड़ा न रहे?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) जिन परियोजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उनके सम्बन्ध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अन्य के सम्बन्ध में, कार्य का आंशिक/पूर्णरूपेण पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

(i) छठी और सातवीं योजना के दौरान शुरू की गयी नयी लाइन परियोजना के यातायात के लिए खोले गए खण्डों के विवरण इस प्रकार हैः—

क्रम सं॰	विवरण	लम्बाई (कि॰मी॰)	खोले जाने का समय
1.	मोटूमारी-जग्गैयापेट टाउन	26	मार्च, 1987
2.	जग्गैयापेटटाउन-जग्गैयापेट	6	सितम्बर 1987
3.	भटिण्डा बाईपास चरण	6	मार्च 1988
4.	भुज-नलिया	107	मार्च 1988
5.	तालैयुत्त-मोनियाच्ची-मिलविट्टान	44	मई 1985
6.	मिलविट्टान से तूतिकोरिन हार्बर	11	अप्रैल 1986
7.	करूर-डिंडीगुल	73	अगस्त 1988
8.	कोरापुट-मचिलीगुडा	20	दिसम्बर 1985

(ii) छठी और सातवीं योजना के दौरान शुरू की गयी नयी परियोजनाओं के मामले दो वर्षों में खोले जाने के लिए निर्धारित खण्डों के विवरण इस प्रकार हैः—

क्रम सं॰	विवरण	लम्बाई (कि॰मी॰)	खोले जाने का समय
1.	कोटा-चित्तौड़गढ़	166	मार्च 1989
2.	चित्तौड़गढ़-नीमच	56	मार्च 1990
3.	गुना-मियाना	31	मार्च 1989
4.	मियाना-कोलारस	47	मार्च 1990
5.	तालचेर-अंगुल	18	दिसम्बर 1989

क्रम सं०	विवरण	लम्बाई (कि०मी०)	खोले जाने का समय
6.	रायमेहतपुर-ऊना	11	दिसम्बर 1989
7.	भटिण्डा वाई पास चरण II	2	अक्तूबर 1989
8.	मणिलीगुडा-रायगडा	144	मार्च 1991

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

2175. **प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या निर्धारित सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कार्य किया गया है जिससे कि इस योजना को आरंभ किया जा सके और हिमाचल प्रदेश सहित विशेष श्रेणी वाले राज्यों के कठिन भौगोलिक क्षेत्रों और अल्प आबादी वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न गांवों को वैज्ञानिक ढंग से इसमें सम्मिलित किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा तथा संबंधित राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपनी शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे ; और

(घ) यदि नहीं, तो उस परियोजना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वास्तव में क्या पद्धति अपनाई गई है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (घ) सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत, औसतन, 15-25 गांवों का समूह एक ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी बैंक शाखा को आबंटित कर दिया जाता है ताकि ऋणों का सुनियोजित ढंग से संवितरण सुनिश्चत किया जा सके। कुछ क्षेत्रों में, आबंटित किये गये गांवों और बैंक शाखाओं की संख्या को देखते हुए, अगर आवश्यक हो, कुछ अतिरिक्त शाखाएं खोली जा सकती हैं। अतः भारतीय रिजर्व बैंक ने, अग्रणी बैंकों को, ऐसे क्षेत्रों में, यथा आवश्यक स्तर तक, अतिरिक्त शाखाओं का पता लगाने तथा पता लगाये गये केन्द्रों की सूचियां राज्य सरकार के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को भेजने के लिये कहा है ताकि उनके आवंटन के प्रश्न पर विचार किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत, 411707 गांवों के संबंध में सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 31 मार्च, 1989 तक शाखा ऋण योजनाओं को पूरा करने का समय दिया है और सेवा क्षेत्र योजना दिनांक 1 अप्रैल, 1989 से लागू हो जायेगी।

असम में रेलगाड़ियों को सुचारू रूप से चलाना

2176. **श्री रामेश्वर नीखरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) वर्ष 1988 में असम आन्दोलन के दौरान कितनी रेलगाड़ियों को रद्द करना पड़ा था; और

(ख) इस अवधि के दौरान रेल यात्रियों की सुरक्षा और रेलगाड़ियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और भविष्य में वैसी ही स्थिति से निपटने के लिए भी क्या कदम उठाने का विचार है ?

39LS — 14

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) 1068.

(ख) रेलवे सुरक्षा बल को तैनात करने के अलावा रेलपथों और पुलों की सुरक्षा तथा गाड़ियों की मार्ग रक्षा करने के लिए असम सरकार से सहायता भी मांगी गयी थी । भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी ।

[हिन्दी]

चीन के साथ संयुक्त उद्यम

2177. **डा॰ चन्द्रशेखर त्रिपाठी:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का विचार चीने के साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या चीन सरकार ने इस पर कोई निर्णय लिया है ; और

(घ) यदि हां,. तो तत्संबंधी शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (घ) प्रधान मंत्री की चीन यात्रा के दौरान चीन पक्ष से बातचीत के समय भारतीय पक्ष नें कम्प्यूटर साफ्टवेयर आदि जैसी उच्च तकनालाजी की मदों में चीन के साथ संयुक्त उद्यम लगाने सम्बन्धी अपनी क्षमता का संकेत दिया था । चीनी पक्ष ने हमारी क्षमता पर ध्यान देते हुए वचन दिंया कि वे इस संबंध में संभावनाओं का पता लगायेंगे । अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

बजट प्रस्तावों के बारे में इंजीनियरी उद्योग महासंघ का ज्ञापन

2178. **डा॰ चन्द्रशेखर त्रिपाठी:**
श्री अनन्त प्रसाद सेठी:
श्री साम्भाजी राव ककाडे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंजीनियरी उद्योग महासंघ ने उनके मंत्रालय को वर्ष 1989 के बजट के बारे में विभिन्न प्रस्तावों वाला ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख)यदि हां, तो उसमें दिए मुख्य सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अब तक इन सुझावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी , हां

(ख) से (घ): इंजीनियरी उद्योग महासंघ ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपायों का सुझाव दिया है: निगम कर दर को और 5 प्रतिशतांक तक कम कर दिया जाना चाहिए , आय कर की धारा 115 के अधीन न्यूनतम कर समाप्त कर दिया जाना चाहिए, खाता लाभ के सम्बन्ध में धारा 80 जजग के अधीन कटौतियां उपलब्ध होनी चाहिए, अन्तर-निगमित लाभांश को पूर्णतः कर मुक्त किया जाना चाहिए, परियोजना आयातों पर सीमाशुल्क को 90 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए , विनिमय दरों में तीव्र वृद्धि के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए, कम फारस्फोरस वाले कच्चे लोहे पर सीमाशुल्क में कमी की जानी चाहिए, स्वचालित संचारणों पर और विकलांगों के लिए ईंधन की कम खपत वाली कारों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी जानी चाहिए, सिलाई मशीनों के विनिर्माण के लिए आयात किए जाने वाले हिस्से पुर्जों पर शुल्क में कमी की जानी चाहिए और ईंधन की कम खपत वाले सभी वाणिज्यिक वाहनों आदि पर समान रूप से 10

प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगाया जाना चाहिए। इंजीनियरी उद्योग महासंघ द्वारा दिए गए सुझावों तथा इसके साथ ही अन्य संघों व व्यक्तियों द्वारा दिए गए सुझावों को भी सरकारी नीति तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है।

[अनुवाद]

जिला औद्योगिक केन्द्र, अहमदाबाद की सिफारिशों पर राष्ट्रीकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा दिया गया ऋण

2179. **श्री हरूभाई मेहता:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिला औद्योगिक केन्द्र, अहमदाबाद ने गत दो वर्षों के दौरान अहमदाबाद में चल रहे विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपनी सिफारिशों के साथ ऋण के लिए कितने आवेदन पत्र भेजे हैं;

(ख) 31 दिसम्बर, 1988 तक कितने आवेदन पत्रों पर विचार किया गया तथा कितने आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं;

(ग) उक्त आवेदन पत्रों के अनुसार कुल कितनी ऋण राशि मंजूर की गई; और

(घ) ऋण के लिए आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने के कारणों का सामान्य स्वरूप क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (ग) शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत लक्ष्यों के आबंटन और योजना के कार्यनिष्पादन पर निगरानी रखने का काम वित्तीय वर्ष-वार किया जा रहा है। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा 1986-87 और 1987-88 के पिछले दो वर्षों में संस्तुत आवेदनों की संख्या और अहमदाबाद स्थित बैंकों द्वारा रकम सहित मंजूर किये गये आवेदनों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	संस्तुत आवेदन (संख्या)	बैंकों द्वारा मंजूर किये गये आवेदन	
		संख्या	रकम (लाख रुपये)
1986-87	600	193	23.62
1987-88	562	228	32.62

(घ) बैंकों द्वारा आवेदन नामंजूर किए जाने के आम कारण हैं: आवेदकों द्वारा योजना के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों को पूरा न करना, ऋणों की मंजूरी के बाद आवेदकों का शाखा में न आना, किसी क्षेत्र में खास-खास गतिविधियों बहुतायत में होना जिसके कारण चुनी गयी गतिविधि का लाभप्रद न रहना, आवेदन पत्र में दिये गये पते पर आवेदकों का न मिलना, आवेदकों द्वारा कुछ अन्य धंधों में पहले से लगा होना आदि।

अहमदाबाद की बन्द कपड़ा मिलों के कामगारों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

2180. **श्री हरूभाई मेहता:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो कलैंडर वर्षों के दौरान अहमदाबाद की बन्द कपड़ा मिलों के कामगारों से अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों की विभिन्न शाखाओं को ऋण के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए,

(ख) बैंकों द्वारा कितने आवेदकों को ऋण मंजूर किया गया;

(ग) आवेदकों को कुल कितना ऋण मंजूर किया गया; और

(घ) सामान्यतः किन कारणों के ऋण के लिए प्रार्थना पत्र रद्द किए गए?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (ग) गुजरात राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रायोजक बैंक अर्थात देना बैंक ने सूचित किया है कि अहमदाबाद की बन्द कपड़ा मिलों के मजदूरों से 5000/- रुपय तक के ऋणों के लिये 359 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 125 आवेदकों को 6.25 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है। इसके अलावा, बैंकों की सहायता से चलाई जाने वाली स्वरोजगार की योजनाओं के लिये 35,000/- रुपये तक के ऋणों के वास्ते मजदूरों से प्राप्त 1369 आवेदनों में से 246 आवेदकों को 28.44 लाख रुपये के ऋण मंजूर किए गए हैं।

(घ) जैसाकि देना बैंक ने सूचित किया है, आवेदन रद्द करने के सामान्य कारणों में एक ही क्षेत्र विशेष में विशेष प्रकार के धंधों की बहुलता के कारण चुने गए धंधे का लाभप्रद न होना। आवेदकों का किसी दूसरे काम में लगा होना, प्रायोजित आवेदकों का ऋणों की चुकौती में चूक करना आदि।

चेंगन्नुर त्रिवेन्द्रम के बीच नई रेल लाइन

2181. **श्री तम्पन थामस:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को केरल में चेंगन्नूर त्रिवेन्द्रम के बीच एक नई रेल लाइन बिछाने के लिए ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) कोजेहचेरी, पत्तनमथीट्टा, पुनलूर, मादाथुरा और नेडुमनगाडु के रास्ते चेगानूर से तिरूवनन्तपुरम तक रेल लाइन के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ था।

(ख) कायनकुलम मौजूदा लाइन का जंक्शन प्वांइट होने तथा तटीय लाइन पहले ही निर्माणाधीन होने के कारण कायनकुलम और तिरूवनन्तपुरम के बीच के खंड में दोहरी लाइन के विकल्प के रूप में कोट्टारकरा और नेडुमनगाडु के रास्ते कायनकुलम और तिरूवनन्तपुरम के बीच नयी लाइन के लिए सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन इसे अर्थक्षम नहीं पाया गया था।

पश्चिमी घाट रेल परियोजना

2182. **श्री वीरेन्द्र पाटिल:**

प्रो० के० वी० थामस:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय के पास बम्बई और मंगलौर के बीच एक पश्चिमी घाट रेल लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई व्यापक सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है इसे कब शुरू किया जाएगा तथा आठवीं योजना के दौरान इस पर कितना व्यय किया जाएगा और इस परियोजना को कितने समय में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) मंगलौर से रोहा तक प्रस्तावित पश्चिम तटीय रेलवे लाइन के शेष भाग के लिए हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत 862 करोड़ रुपये थी। रिपोर्ट की जांच की गयी थी तथा इसे योजना आयोग के विचारार्थ एवं स्वीकृति के लिए भेजा गया था। आयोग ने अभी मंगलौर-उडुपी खण्ड (69 कि.मी.) के निर्माणार्थ स्वीकृति दी है तथा इसे 52 करोड़ रुपये की प्रत्याशित लागत से 1989-90 के बजट में शामिल

किया गया है। आठवीं योजना के दौरान खर्च की जाने वाली राशि तथा परियोजना के पूरा होने में लगने वाला समय आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

ग्राम सामान्य भूमि अधिनियम, 1961 तथा भारतीय पंजीकरण अधिनियम में खामियां

2183. **प्रो. मधु दंडवते:** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्राम सामान्य भूमि अधिनियम, 1961 तथा भारतीय पंजीकरण अधिनियम में खामियों के कारण बेईमान एस्टेट एजेंटों/प्रोपर्टी डीलरों को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना" द्वारा किये गये "क्षेत्र निर्धारण" का उल्लंघन करके कृषि योग्य भूमि का हस्तांतरण करने में मदद मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन्हें हटाने के लिए किये गये प्रयास बड़े फार्म गृहों द्वारा विफल कर दिये जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए राज्य सरकार की सहायता हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज): (क) इस विषय में न तो हमारे पास कोई आंकड़े हैं और न ही किसी राज्य सरकार ने इसके बारे में कोई शिकायत की है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बंगलौर और वाराणसी के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाना

2184. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर और वाराणसी के बीच यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेल सेवाएं पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मार्ग पर अतिरिक्त रेल गाड़ियां चलाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) बेंगलूर तथा वाराणसी की बीच कोई सीधी गाड़ी सेवा नहीं है तथा यात्री सामान्यतः मद्रास में गाड़ी बदलते हैं। सप्ताह में दो बार चलने वाली मद्रास-वाराणसी एक्सप्रेस में मद्रास से वाराणसी तक के लिए बेंगलूर को चार वातानुकूल 2-टियर तथा 62 दूसरे दर्जे की शायिकाओं का कोटा आवंटित किया गया है। अक्तूबर से दिसम्बर, 1988 के दौरान दूसरे दर्जे की प्रतीक्षा सूची में औसतन 14 यात्री बचे थे तथा वातानुकूल 2-टियर में कोई यात्री नहीं था।

(ख) जी नहीं।

(ग) अतिरिक्त गाड़ी के लिए कोई औचित्य नहीं है।

नार्थ ईस्टर्न टोबैको कम्पनी को कारण बताओ नोटिस

2185. **श्री राम बहादुर सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात का पता चला है कि कुछ सिगरेट निर्माता कम्पनियां बिना उचित लाइसेंस के सिगरेटों के निर्माण का कारोबार चला रही हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने मिजोरम स्थित नार्थ ईस्टर्न टोबैको कम्पनी को कई कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो नोटिस के क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) से (घ) मै० नार्थ ईस्टर्न टोबैको कम्पनी, मिजोरम जिनके संबंध में यह आरोप है कि यह मै० जी० टी० सी० इंडस्ट्रीज लि० की एक नकली (डम्मी) यूनिट है, से संबंधित एक ऐसा मामला सरकार की जानकारी में आया है जिसमें कम्पनी बिना किसी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्माणकारी लाइसेंस के सिगरेटों का निर्माण कर रही थी। मै० नार्थ ईस्टर्न टोबैको कम्पनी ने 5.10.1987 से 31.10.87 की अवधि के दौरान बिना शुल्क अदा किए और बिना किसी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लाइसेंस के 88 सी एफ सी। सिगरेटों का निर्माण किया और उनकी निकासी की।

मै० जी० टी० सी० इंडस्ट्रीज लि० ने शिलांग समाहर्तालय के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा जारी सम्मनों और की गयी जांच-पड़ताल के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। यह घोषणा करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त (न्यायिक) ऐजोल के न्यायालय में एक अभिनामवाद (टाइटल सूट) भी दायर किया गया है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है जिन्हें अब मिजोरम राज्य में शामिल किया गया है और आगे कार्यवाही किए जाने के विरुद्ध अतिरिक्त उपायुक्त (न्यायिक), ऐजोल से एक व्यादेश प्राप्त किया गया था। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में यह मामला दायर किया और अन्ततः इस मामले को उच्चतम न्यायालय में भी उठाया गया और उच्चतम न्यायालय की अनुमति से मै० जी० टी० सी० इण्डस्ट्रीज लि०, मै० नार्थ ईस्टर्न टोबैको कंपनी और 35 अन्यों को 24.4.1988 को कारण बताओ नोटिस तामील किए गए। उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिमत व्यक्त किया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 को मिजोरम में लागू किए जाने के प्रश्न पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार कारण बताओ नोटिसों के संबंध में अन्तिम आदेश तो पारित किए जा सकते हैं लेकिन उन्हें तब तक लागू नहीं किया जा सकता है जब तक न्यायालय अगला आदेश पारित नहीं कर देता।

जिन-जिन पार्टियों को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं उन सभी ने अभी तक अपने-अपने अन्तिम उत्तर दायर नहीं किए हैं। यह मामला इस समय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, शिलांग के समक्ष न्यायनिर्णयाधीन पड़ा है।

राजस्थान में सोने का पकड़ा जाना

2186. **श्री धर्म पाल सिंह मलिक:**
श्री प्रकाश चन्द्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 फरवरी, 1989 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है कि राजस्थान में तीन ट्रकों से 3.73 करोड़ रुपये का सोना पकड़ा गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई गिरफ्तारी भी की गई है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) और (ख) जी हां। राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने फरवरी, 1989 के दौरान राजस्थान के नगर शाहपुर में दो ट्रकों तथा पंजाब के नगर जालन्धर में एक ट्रक को रोका था तथा इन ट्रकों के गुप्त विवरों से लगभग 3.73 करोड़ रूपये मूल्य के विदेशी मूल के दस-दस तोले के 969 सोने के बिस्कुट पकड़े थे।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

अनुसूचित बैंक

2187. **श्री धर्म पाल सिंह मलिक:**
श्री प्रकाश चन्द:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों के दौरान किन-किन बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के रूप में मान्यता प्रदान की गई?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री एहुआर्डो फैलीरो): भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1987 और 1988 के दौरान किसी भी वाणिज्यिक बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। अलबत्ता, दिनांक 1 सितम्बर, 1988 से निम्नलिखित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक के नाम, भारतीय रिर्जव बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किये गये थे।

1. बम्बई मर्केन्टाईल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बम्बई।
2. सारस्वत कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बम्बई।
3. अभ्युदय कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बम्बई।
4. डवलपमेंट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बम्बई।
5. जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे।
6. शामराव विट्ठल कोआपरेटिव बैंक, लिमिटेड, बम्बई।
7. राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, राजकोट।
8. कालूपुर कमर्शियल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद।
9. सूरत पीपल्स कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत।
10. सांगली अर्बन कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, सांगली।
11. रूपी कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे।

निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नाम भी उनके सामने दिखाई गयी तारीख से, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया:-

1. हिण्डन ग्रामीण बैंक, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) 28.3.1987
2. गोदावरी ग्रामीण बैंक राजामुंदरी (आंध्र प्रदेश) 11.4.1987

आय तथा निगमित करों की वसूली का लक्ष्य

2188. **श्री शंभु लाल पटेल :**
श्री जी० एस० बासवराजू :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आय कर अधिकारियों से धन राशि जुटाने के लिए कहा है तथा अगामी वर्षों हेतु आय तथा निगमित करों की वसूली के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई कार्यवाही योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्व वसूलियों मे अधिकाधिक वृद्धि करने के लिए मुख्य आयकर आयुक्त को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। 1989-90 के वित्त वर्ष के लिए आयकर तथा निगम-कर के बारे में बजट-अनुमान क्रमशः 4252 करोड़ रूपये तथा 4755 करोड़ रूपये आंके गए हैं।

(ख) और (ग) पिछले वर्ष के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने के पश्चात्, वित्त वर्ष के आरम्भ में सामान्यता कार्य-योजना तैयार की जाती है। 1989-90 के वित्त वर्ष अथवा इसके परवर्ती वर्षों के लिए कोई ऐसी कार्य-योजना अभी तक नहीं बनाई है।

विदेशी बैंकों द्वारा वरीयता प्राप्त क्षेत्र को ऋण

2189. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों पर उनकी जमाराशि के एक निश्चित प्रतिशत को वरीयता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने की शर्त लगाई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी प्रतिशतता निर्धारित की गई है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख) भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों को हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋणों को मार्च 1989 तक बढ़ा कर कुल बकाया अग्रिमों का 10 प्रतिशत कर ले और मार्च 1992 तक इसे पुनः बढ़ा कर 15 प्रतिशत करें।

गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने के लिए सर्वेक्षण

2190. **श्री एच० बी० पाटिल:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने हेतु सर्वेक्षण करने के संबंध में कोई प्रयास किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस के लिए कोई धनराशि भी स्वीकृति की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या कर्नाटक राज्य में प्रायः सूखा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को पूर्व की ओर प्रवाहित करने की किसी योजना की जांच की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (घ). जल की कमी वाले क्षेत्रों को अधिशेष जल का अन्तरण करने के लिए गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने के वास्ते प्रस्तावों पर पहले विचार किया गया है। जांच करने पर यह पाया गया कि यह प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं था तथा वित्त की दृष्टि से निषेधक था। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रायद्वीपीय नदियों के विकास पर संभाव्यता अध्ययन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा शुरू किए गए है। कर्नाटक में सूखा प्रवण क्षेत्रों की सिंचाई के वास्ते कर्नाटक के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का पूर्व में दिक्परिवर्तन करने के संबंधित अध्ययन आठवीं योजना अवधि के दौरान पूरा करने का कार्यक्रम है।

गोरखपुर कोचीन एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

2191. **श्री एस० एम० गुरड्डी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 10 जनवरी, 1989 को कापरी स्टेशन पर मध्य रेलवे की मुख्य लाइन पर खड़े रेल डिब्बे से 912 गोरखपुर कोचीन एक्सप्रेस के टकरा जाने के कारण इस रेल गाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने यात्री मारे गये और कितने यात्री घायल हुए;

(ग) क्या इस दुर्घटना के कारणों की कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ; और

(ङ) उस पर क्या कार्यवाही की गई?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) जी हां।

(ख) इसमें कोई जन हानि नहीं हुई। केवल 14 यात्रियों को चोटें लगीं जिनमें तीन को गंभीर चोटें लगी – तथा 11 को मामूली चोटें लगीं।

(ग) से (ङ) इस दुर्घटना की मुख्य आयुक्त, रेल संरक्षा द्वारा सांविधिक जांच की जा रही है।

पाकिस्तान को चाय की तस्करी

2192. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां**: क्या वित्त मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान को भारतीय चाय की तस्करी में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान वर्ष-वार पाकिस्तान को अनुमानित अनुमानतया कितनी तथा कितने मूल्य की भारतीय चाय की तस्करी की गई ; और

(घ) इस संबंध में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) से (ग). उपलब्ध रिपोर्टों तथा किये गये अभिग्रहणों से संकेत मिलता है कि पाकिस्तान को भारतीय चाय की नगण्य मात्रा में तस्करी की जा रही है। चालू वित्त वर्ग के दौरान-भारत पाक भू-सीमा क्षेत्र में केवल 2000/-रुपये मूल्य की लगभग 50 किलोग्राम भारतीय चाय पकड़ी गई है जिसकी पाकिस्तान को अवैध रूप से निर्यात करने की कोशिश की गयी। चूंकि तस्करी चोरी-छिपे किये जाने वाला एक धन्धा है अतः यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि पाकिस्तान को प्रति वर्ष कितनी मात्रा में चाय की तस्करी की जा रही है।

(घ) तस्करी-रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है तथा संपूर्ण देश में तस्करी रोधी तंत्र को, विशेषकर समुद्र तटों के तस्करी के लिए सुगम्य बने हुए क्षेत्रों तथा पाकिस्तान से लगी भू-सीमाओं सहित भूसीमाओं में, सुदृढ़ बना दिया गया है। तस्करी का पता लगाने तथा उसे रोकने से संबंधित भारतीय सीमा सुरक्षा बल सहित, जिसे भारत-पाक सीमा पर तैनात किया गया है, सभी सम्बद्ध एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाये रखा जा रहा है।

भारत द्वारा गुयाना को ऋण

2193. **श्री एस० एम० गुरड्डी:**
श्री जी० एस० बासवराजू:

क्या वित्त मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने गुयाना सरकार को अपने देश में निर्यातोन्मुखी परियोजनाओं की स्थापना के लिये लगभग अठारह करोड़ का ऋण सुलभ कराने के लिये सहमति प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या शर्तें निश्चित की गई हैं और उक्त परियोजनाओं में उत्पादन कब शुरू होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभागों में राज्य मंत्री (श्री एड्डुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख). भारत-गुयाना संयुक्त आयोग की नई दिल्ली में 16-18 जनवरी, 1989 को आयोजित प्रथम बैठक के दौरान भारत सरकार, गुयाना सरकार को 10 करोड़ रुपये की एक ऋण ऋंखला उपलब्ध कराने के लिए सिद्धांत रूप मे सहमत हो गई है। भारत सरकार द्वारा दिए गए ऋण की शर्तों में साधारणतया, ऋण की 15 वर्षों में वापसी अदायगी और 5 प्रतिशत ब्याज की दर शामिल होती है।

वर्ष 1989 में व्यापार समझौते

2194. **श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने 1989 के दौरान कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देशों के साथ कितना कारोबार हुआ है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (ग). जी, नहीं। फिर भी व्यापार संलेखों / सम्मत कार्यवृतों पर वर्ष 1989 में भारत सरकार और यू० के०, फ्रांस, गुयाना, चेकोस्लोवाकिया तथा बुलगारिया की सरकारों के बीच हस्ताक्षर किए गए। इनका उद्देश्य भारत के आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को उनके साथ और कारगर बनाना था। भारत और इन देशों के बीच व्यापार के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं।

(करोड़ रुपये)
1988-89 (अप्रैल-सितम्बर) (अन्तिम)

		निर्यात	आयात	योग
1.	यू० के०	543.16	1187.19	1730.35
2.	फ्रांस	172.47	398.96	571.43
3.	गुयाना	0.03	शून्य	0.03
4.	चेकोस्लोवाकिया	60.00	43.00	103.00
5.	बुलगारिया	14.00	14.00	28.00

बम्बई में शहरी गरीबों हेतु स्वयं-रोजगार कार्यक्रम के लिए धनराशि का आवंटन

2195. **श्री गुरुदास कामत:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बम्बई में शहरी गरीबों के लिए रोजगार कार्यक्रम 1987-88 और 1988-89 के दौरान कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) उपर्युक्त अवधि में बम्बई में इस योजना से कुल कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(ग) क्या सरकार का बम्बई के लिए आवंटित राशि में वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एसुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत, 1987-88 और 1988-89 के प्रत्येक वर्ष के लिये, बम्बई शहर के वास्ते 27,500 हिताधिकारियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, वर्ष 1987-88 में प्राप्त 12,024 आवेदनों में से 10,314 आवेदन मंजूर किये गये और 2.60 करोड़ रूपये की रकम मनजूर की गई थी। वर्ष 1988-89 से सम्बंधित स्थिति का पता वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात ही चलेगा।

(ग) और (घ): वर्तमान मानदण्डों के अनुसार, शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत, 1981 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक केन्द्र में 300 की आबादी के पीछे एक हिताधिकारी को सहायता दी जानी है। शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत, बम्बई शहर के लिये, निर्धारित लक्ष्य को बढ़ाने का सरकार का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

महाराष्ट्र में अनिवासी भारतीयों द्वारा आवास निर्माण में निवेश

2196. **श्री गुरुदास कामत:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का महाराष्ट्र सरकार को यह अनुमति देने का विचार है कि वह आवास निर्माण और गन्दी बस्तियों के पुनर्वास संबंधी कार्यों के लिए अनिवासी भारतीयों को पूंजी निवेश की अनुमति दे दे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एसुआर्डो फैलीरो): (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इस प्रकार की अनुमति देने अथवा इस संबंध में ब्यौरा और शर्तें उपलब्ध कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

नीलाम्बुर तथा चामराजनगर रेल मार्ग

2197. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने नीलाम्बुर और चामराजनगर के बीच एक रेल लाइन के निर्माण और इसे वर्तमान शोरानुर-नीलाम्बुर लाइन से जोड़ने का अनुरोध किया है ताकि वर्तमान लाइन पर प्रचालन को फायदेमंद बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव की व्यवहार्यता का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है; और

(ङ) इस बारे में सरकार ने क्या अंतिम निर्णय किया है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री माहबीर प्रसाद): (क) से (ङ) केवल सरकार से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था जिसमें नीलाम्बुर और चामराज नगर के बीच रेल लाइन के निर्माण का सुझाव दिया गया था। इस लाइन के लिए अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। संसाधनों की तंगी तथा पहले से ही भारी वचनबद्धताएं हाथ में होने के कारण इन नयी लाइन परियोजना के निकट भविष्य में शुरू किये जाने की संभावना नहीं है।

केरल में भारतीय स्टेट बैंक का एक स्थानीय मुख्यालय खोलना

2198. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में भारतीय स्टेट बैंक की कुल कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या केरल में भारतीय स्टेट बैंक का एक स्थानीय मुख्यालय खोलने की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार को इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभागों में राज्य मंत्री (श्री एछुआर्डो फैलीरो): (क) भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि इस समय केरल में उसकी 201 शाखाएं कार्य कर रही हैं,

(ख) जी हां।

(ग) मामला विचाराधीन है।

इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित विवरणिका

2199. **श्री बनवारी लाल बेरवा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय में बैंकिंग प्रभाग ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की सेवाओं में आरक्षण के बारे में एक विवरणिका संकलित की है;

(ख) क्या उपरोक्त विवरणिका इंडियन बैंक एसोसिएशन (आई० बी० ए०) ने प्रकाशित की है;

(ग) इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा इसे प्रकाशित किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) भारत सरकार के बिक्री केन्द्रों के उपरोक्त विवरणिका की प्रतियों की बिक्री के लिए उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार की ओर से प्रकाशन के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन का सांविधिक अधिकार क्या है और इसके द्वारा उपरोक्त विवरणिका पर मिलने वाले लाभ और बिक्री व्यवस्था से निपटने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एछुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख). जी, हां।

(ग) से (ङ) चूंकि यह पुस्तिका केवल सरकारी क्षेत्र के बैंकों के उपयोग के लिए है, इसलिए उपयुक्त यह समझा गया है कि भारतीय बैंक संघ जो बैंकों की स्वैच्छिक संस्था है, इस पुस्तिका को मुद्रित एवं प्रकाशित करे। भारतीय बैंक संघ इस पुस्तिका की प्रतियां सरकारी क्षेत्र के बैंकों को भेजता रहा है तथा किसी अन्य व्यक्ति / संगठन को इसकी प्रतियां बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारतीय बैंक संघ लाभ न कमाने वाली संस्था है तथा उसे प्रकाशनों से कोई लाभ नहीं होता। इन प्रकाशनों की लागत इस प्रकार निर्धारित की जाती है जिससे केवल उत्पादन लागत पूरी हो सके।

मालाबार (केरल) में रेल लाइनें

2200. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मालाबार क्षेत्र अर्थात् पालघाट से मंजेश्वरम के लिए रेल लाइनों का विकास करने हेतु यदि कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1988 के दौरान इस डिवीजन में कोई विकास कार्य किया गया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में रेल लाइनों का रख-रखाव और विकास करने के लिए वर्ष 1988-89 में कितनी धनराशि आवंटित की गयी?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री(श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग). पूछी गयी सूचना क्षेत्रवार नहीं रखी जाती है। तथापि, पालघाट रेलवे मंडल के संबंधित भाग के लिए योजना-शीर्षवार अनुमानित स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) 1989-90 के बजट में शामिल किये गये विकास कार्यों की अनुमानित लागत इस प्रकार है:—

	योजना शीर्ष	लागत (लाख रुपयों में)
1.	रेल पथ नवीकरण	229.89
2.	पुल निर्माण कार्य	22.65
3.	सिगनल एवं दूर संचार संबंधी कार्य	87.91
4.	बिजली संबंधी अन्य कार्य	6.70
5.	कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	40.34
6.	कर्मचारियोंके लिए सुविधाएं	34.01
7.	यात्रियों के लिए सुविधाएं	7.60
8.	अन्य विनिर्दिष्ट कार्य	32.17

(ख) और (ग):— चल रहे विकास कार्यों का योजना-शीर्ष वार ब्यौरा तथा 1988-89 के दौरान मुहैया किया गया परिव्यय इस प्रकार है:—

	योजना शीर्ष	अनुमानित लागत	परिव्यय
			(लाख रुपयों में)
1.	यातायात सुविधाएं	193.99	24.32
2.	रेलपथ नवीकरण	632.99	263.88
3.	पुल संबंधी कार्य	1266.35	223.21
4.	सिगनल एवं दूर संचार कार्य	247.33	50.78
5.	बिजली संबंधी अन्य कार्य	23.54	4.00
6.	कारखाने-उत्पादन यूनिटों सहित	9.64	3.00
7.	कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	8.15	2.40
8.	यात्रियों के लिए सुविधाएं	6.78	4.38
9.	अन्य विनिर्दिष्ट कार्य	58.88	10.41

इस क्षेत्र में रेल लाइनों के अनुरक्षण के लिए 1988-89 में 2.55 करोड़ रुपये लगभग आबंटित किए गए हैं।

काजू की खरीद और निर्यात

2201. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1988 में काजू निर्यात से प्राप्त आय में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी कमी आई है;

(ख) इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या केरल सरकार ने पिछले वर्ष के दौरान काजू की खरीद के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी): (क) अप्रैल, 88 से जनवरी, 1989 की अवधि में काजू के निर्यात 223.20 रुपये के हुए जबकि पिछले वर्ष की इस अवधि में 295.41 करोड़ रुपये के निर्यात हुए थे।

(ख) निर्यात में गिरावट के प्रमुख कारण हैं: चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में एकक मुल्य अधिप्राप्ति में गिरावट, यू एस ए हमारा सबसे महत्वपूर्ण बाजार रहा है (हमारे कुल निर्यात का 40.50% भाग लेता था) किन्तु यू एस ए ने ब्राजील में काजू उद्योग में अधिक निवेश किया और वहीं से अधिक मात्रा में काजू आयात किये तथा अन्य गिरियों से प्रतियोगिता:—जैसे बादाम तथा पिस्ता गिरियों से - जिनकी कीमतें काजू की कीमतों से कम चल रही हैं।

(ग) और (घ) केरल सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

मूल्य संवर्धित कर योजना का कार्यान्वयन

2202. **श्री महेन्द्र सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 1989 में आयोजित मुख्य मंत्री सम्मेलन में यह बात प्रकाश में आई थी कि केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियां मूल्य संवर्धित कर योजना को न तो पूरी तरह समझ पाई हैं और न उसे कार्यान्वित कर सकी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस टिप्पणी का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और यह किस संबंध में की गई थी; और

(ग) मूल्य संवर्धित कर योजना को पूरी तरह समझने और इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये / उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) दिनांक 9 और 10 फरवरी 1989 को हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में, "योजित मूल्य कर योजना," विचारार्थ विषयों की सूची में शामिल नहीं थी।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव

2203. **श्री महेन्द्र सिंह:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विधि आयोग ने "न्यायपालिका में जनशक्ति की आयोजना" (मैनपावर प्लानिंग इन जुडिशिरी) के संबंध में अपनी 120वीं रिपोर्ट में देश की आबादी के अनुरूप उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में यदि कोई निर्णय लिया गया है, तो वह क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री वी॰ शंकरानंद): (क) विधि आयोग ने अपनी 120वीं रिपोर्ट में, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों सहित सभी स्तरों पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की सिफारिश की है।

(ख) राज्य सरकारों से रिपोर्ट के संबंध में अपने विचार प्रकट करने के लिए अनुरोध किया गया है।

प्रत्यक्ष कर कानूनों के अन्तर्गत परिसंपत्ति के मूल्यांकन के बारे में गोष्ठी

2204. **श्री महेन्द्र सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 11 फरवरी, 1989 को "प्रत्यक्ष कर कानूनों के अन्तर्गत परिसम्पत्ति के मूल्यांकन" के बारे में हाल ही में आयोजित एक गोष्ठी में सम्पत्तिकर को युक्तिसंगत बनाने पर जो दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस गोष्ठी में की गई टिप्पणियों और सुझावों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए॰ के॰ पांजा): (क) जी, हां। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री द्वारा " प्रत्यक्ष कर कानूनों के अध्यधीन परिसम्पतियों का मूल्यांकन" नामक विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था।

(ख) प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) विधेयक, 1989 के द्वारा धनकर अधिनियम के अध्यधीन परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन करने के संबंध में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में भिन्न-भिन्न अभिमत व्यक्त किए गए थे।

(ग) मार्च, 1974 के 31 वें दिन को अथवा उसके पश्चात निर्मित अथवा अर्जित की गई किसी भी सम्पति के मूल्यांकन से संबंधित विषय पर सरकार ने संगत उपबन्धों के बारे में संशोधन पेश किए हैं। ऐसी सम्पत्तियों का मूल्यांकन, उनके निर्माण की लागत अथवा अर्जन करने पर आने वाली लागत के आधार पर करने की बजाए, नियम 3 के परन्तुक के तहत एक संशोधित कार्यविधि के अनुसार किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। यदि कर-दाता द्वारा मकान का इस्तेमाल, मूल्यांकन की तारीख से तत्काल पूर्व के 12 महीनों की सम्पूर्ण अवधि तक, केवल आवासीय प्रयोजनों के लिए ही किया जाता है, तो ऐसे मकान का मूल्य, जहां इसका मूल्य दिल्ली, बम्बई, कलकता तथा मद्रास जैसे शहरों के मामले में 50 लाख रुपये से अधिक न हो, और अन्य शहरो के मामले में 25 लाख रुपये से अधिक नहीं हो, नियम 3 में दिए गए यथोयुक्त आंकड़ों के साथ निवल अनुरक्षणीय किराए (मेनटेनेबलरेन्ट) का गुणन करके निकाला जाएगा।

एर्णाकुलम में आरक्षण कोटा

2205. **श्री जार्ज जोसफ मुंडाक्कल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एर्णाकुलम के लिये निर्धारित आरक्षण कोटा यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) एर्णाकुलम के लिये निर्धारित सीटों का कोटा बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गए है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) (क) और (ख) एर्णाकुलम में आरक्षित स्थानों की उपलब्धता मे मांग अधिक होने के कारण प्रतीक्षा सूची के कुछ यात्री रह जाते है।

(ग) एर्णाकुलम में समय-समय पर नयी गाड़ियों के आरम्भ करने पर अतिरिक्त आरक्षण कोटा आबंटित

किये गये थे और मौजूदा गाड़ियों में आरक्षित सवारी डिब्बों की व्यवस्था की गयी थी और ऐसी कार्यवाही भविष्य में भी जारी रहेगी।

भूमिगत जल की खोज के लिए पश्चिमी बंगाल को धनराशि का आवंटन

2206. **डा० फूलरेणु गुहा:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार को भूमिगत जल की खोज के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध कराई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति कृष्णा साही): (क) और (ख) पचास प्रतिशत की बराबर की सहायता के आधार पर भूजल तथा सतही जल (लघु सिंचाई) संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत पश्चिमी बंगाल को केन्द्रीय हिस्से के रूप में अब तक 28,796 लाख रूपये की कुल राशि निर्मुक्त की गयी है।

छोटी दूरी की नई यात्री रेलगाड़ियां

2207. **डा० फूलरेणु गुहा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों पर यात्रियों में दबाव को कम करने के लिये छोटी दूरी की कुछ और नई यात्री रेलगाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) रेलें, आम तौर पर कम दूरी की सवारी गाड़ियां चलाने के पक्ष में नहीं हैं।

विशाखापत्तनम में निर्यात प्रोसेसिंग जोन

2208. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशाखापतनम में निर्यात प्रोसेसिंग जोन की स्थापना करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) निर्यात प्रोसेसिंग जोन को किस तिथि तक स्थापित किये जाने की आशा है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (ग) सरकार सिद्धांत रूप में विशाखापतनम में एक निर्यात संसाधन जोन स्थापित करने के लिए सहमत हो गयी है। इस संभावना को कार्यरुप देने की रुपात्मकतायें संबंधित तकनीकी आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी। इस समय इस संबंध में कोई समय सीमा बताना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में नई रेल लाइनें

2209. **श्री डाल चन्द्र जैन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक नई रेल लाइन का निर्माण करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है, यदि नहीं तो इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जिनके बीच सर्वेक्षण किया जा रहा है और किस प्रकार का सर्वेक्षण किया जा रहा है; और

(घ) निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) जी हां।

(ख) और (घ) छतरपुर, खुजराहो, महोबा, सतना, रीवा के रास्ते ललितपुर सिंगरौली के बीच नयी बड़ी लाइन के लिए 1980-81 में एक सर्वेक्षण किया गया था, परन्तु अलाभप्रदता के कारण इस परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गयी। रीवा तथा ब्योहारी के बीच अन्तिम स्थान निर्धारण इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण अब प्रगति पर है। 1989-90 में ललितपुर-खुजराहो-सतना, महोबा, खुजराहो तथा रीवा-सिद्धी-सिंगरौली रेलवे लाइनों के लिए एक नया प्राथमिक सर्वेक्षण करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। सतना-रीवा रेल संपर्क 1984-85 में स्वीकृत किया गया है तथा इसका कार्य प्रगति पर है। शेष भागों का निर्माण कार्य शुरू करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ऐसा करना प्रस्तावित सर्वेक्षण तथा नयी लाइनों के निर्माण के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों को बैंकों से ऋण

2210. **श्री सैयद शाहबुद्दीन**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों को बैंको से दिए जाने वाले ऋण पर निगरानी रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता से एक तंत्र का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988 के दौरान बैंकिंग प्रणाली द्वारा पूरे देश में राज्यवार और बैंकवार जो ऋण मंजूर किया गया और जारी किया गया उनमें से अल्पसंख्यकों को कितने प्रतिशत ऋण मंजूर किया गया और कितने प्रतिशत दिया गया; और

(ग) यदि उपर्युक्त आंकड़े उपलब्ध न हों, तो इस संबंध में पता लगाए गए अल्पसंख्यक बहुल जिलों के जिलेवार तथा कुल आंकड़े क्या हैं और प्रत्येक जिले में अल्पसंख्यक लोगों की समुदायवार प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह कहा है कि वे उनके द्वारा निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को मंजूर किए गए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों से संबंधित आंकड़े दिसम्बर 1988 को समाप्त तिमाही से संशोधित फार्मेट में तिमाही आधार पर प्रस्तुत करें। नई सूचना प्रणाली से चुने हुए 40 जिला से संबंधित तथा समूचे देश के संचयी आंकड़े भी प्राप्त होते हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि आंकड़ा सूचना प्रणाली से राज्य-वार/जिला-वार/खण्ड-वार सूचना प्राप्त नहीं होती । जून 1988 के अंत की स्थिति के अनुसार चुने हुए 40 जिलों सहित सभी जिलों में, निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा मंजूर किए गए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों से संबंधित समेकित स्थिति नीचे दी गई है:—

(खाते लाख) / (रकम करोड़ रुपए)

	खातों की संख्या	शेष बकाया
सिख	9.19	1297.24
मुस्लिम	25.25	1328.30
इसाई	8.33	469.59

	खातों की संख्या	शेष बकाया
पारसी	0.05	16.49
नव-बौद्ध	1.00	46.35
जोड़	43.82	3157.97

जून 1988 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा चुने हुए 40 जिलों में अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों की संख्या एवं बकाया रकमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

	खातों की संख्या (लाखों में)	बकाया राशि (रकम: करोड़ रुपए)
सिख	0.42	64.84
मुस्लिम	8.13	367.49
ईसाई	1.04	65.13
पारसी	0.01	4.11
नव-बौद्ध	0.08	4.25
जोड़	9.68	505.82

बड़ोदरा डिवीजन में छोटी रेल लाइन सेक्शनों पर पुनः गड्डी चलाना

2211. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में बड़ोदरा डिवीजन में छोटी रेल लाइन सेक्शनों पर रेल सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या इस अल्पविकसित क्षेत्र की जनता के समक्ष उत्पन्न कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार इन सेक्शनों पर रेल सेवाएं पुनः आरम्भ करने पर विचार कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) और (ख) मार्च 1987 में किसान आन्दोलन के कारण बड़ोदरा मण्डल पर छोटी लाइन की 71 गाड़ियां रद्द कर दी गयी थीं.

(ग) और (घ) यातायात की आवश्यकताओं को देखते हुए 46 गाड़ियां फिर से चलायी गयी हैं ।

विरार-सूरत-बड़ोदरा तथा अहमदाबाद मार्ग पर इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट इं० एम० यू० सेवा

2212. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विरार-सूरत-बड़ोदरा-अहमदाबाद सेक्शन पर इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट जैसी सेवाएं आरम्भ करने के लिए इंजीनियरिंग-व-यातायात सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धन-राशि खर्च की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो सर्वेक्षण कार्य पूरा करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया था?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1989-90 में सर्वेक्षण पूरा कर लिया जाएगा ।

[हिन्दी]

कोटा इलाहाबाद-भोपाल मार्ग

2213. **श्री शांति धारीवाल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इलाहाबाद होकर कोटा और भोपाल के बीच एक लाइन बिछाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इलाहाबाद-भोपाल और कोटा जाने के लिए पहले से ही बड़ी लाइन से जुड़ा हुआ है ।

[अनुवाद]

केरल में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा का अर्जन

2214. **श्री पी॰ ए॰ एन्टनी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में वाणिज्यिक बैको द्वारा अनिवासी भारतीयों से कितनी राशि की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ;

(ख) केरल के त्रिचूर जिले में स्थित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त की गई;

(ग) अनिवासी भारतीयों को क्या-क्या रियायतें और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, और

(घ) क्या सरकार का अनिवासी भारतीयों को, विशेषकर, विदेशों से खरीदे गए सवर्ण आभूषणों के संबंध में प्रोत्साहनों में वृद्धि करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय से पूर्ण ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है ।

(ग) सरकार ने, 1982 से, अनिवासी भारतीयों/विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं । इनमें भारतीय कम्पनियों के इक्विटी शेयरों में, बैंक खातों में सरकारी प्रतिभूतियों, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों, राष्ट्रीय बचत पत्रों आदि में प्रत्यावर्तन और अप्रत्यावर्तन दोनों ही आधार पर पूंजी निवेश शामिल हैं । अनिवासी भारतीयों के लिए अप्रत्यावर्तन आधार पर विदेशी मुद्रा मूल्यांकित बाण्डों की एक नई योजना भी शुरू की गई है ।

पृथक-पृथक अनिवासी भारतीयों के मामले में, भारत में किसी बैंक में उनकी जमा राशियों पर ब्याज, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के लाभांशों तथा राष्ट्रीय बचत पत्रों पर ब्याज से प्राप्त होने वाली आय को आयकर से मुक्त रख गया है । इस प्रयोजन के लिए, ऐसी जमा राशियों, यूनिटों तथा राष्ट्रीय बचत पत्रों के संबंध में किया जाने वाला अभिदान विदेश से प्रेषित परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में होना चाहिए। इसके अलावा, परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में अभिग्रहीत अथवा अभिदत्त अन्य "विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों से किए गए निवेश-आय पर 20 प्रतिशत की समान दर से कर लगाए जाते हैं । ऐसी परिसम्पत्तियों के अन्तरण से होने वाले दीर्घावधिक पूंजीगत लाभों पर भी 20 प्रतिशत की समान दर से कर लगाया जाता है। यदि ऐसी सम्पत्तियों को भारत में निकट सम्बन्धियों को उपहार के रूप में दिया जाता है तो उन निवेशों को धनकर और दानकर से मुक्त रखा जाता है ।

(घ) जी, नहीं।

ग्रमीण बैंकों में जमा धनराशि

2215. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली जनवरी, 1989 तक ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या का राज्यवार तथा जिलेवार ब्यौरा क्या है तथा उन्हें प्रायोजित करने वाले वाणिज्यिक बैंकों के नाम क्या है;

(ख) ग्रामीण बैंकों में पहली जनवरी, 1989 को कुल जमा धनराशि कितनी थी;

(ग) ग्रामीण बैंकों में ऋण तथा जमा का अनुपात कितना था; और

(घ) क्या ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों की भर्ती तथा अन्य सेवाकालीन लाभ संबंधी नियम तैयार किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सितम्बर 1988 के अंत में देश में क्षेत्रीय ग्रणीण बैंकों की13665 शाखाएं कार्य कर रही थीं जिनका राज्य-वार ब्यौरा विवरण 1 में दिया गया है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंकों के नाम विवरण 2 में दिह गए हैं । जिला-वार ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और यथा संभव उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) और (ग) जून 1988 के अंत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास कुल 2376 करोड़ रूपए की रकम जमा थी । उसी तारीख को उनका ऋण जमा अनुपात 100 प्रतिशत था ।

(घ): क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति के नियम तैयार किए गए हैं तथा 28.9.1988 को अधिसूचित कर दिए गए हैं । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 29 में दिए गए उपबंधों के अनुसार कर्मचारी सेवा विनियम भी तैयार किए हैं।

विवरण 1

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शाखाओं की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	1072
2. असम	348
3. बिहार	1799
4. गोवा	-
5. गुजरात	354
6. हरियाणा	283
7 हिमाचल प्रदेश	124
8. जम्मू और कश्मीर	255
9. कर्नाटक	1044
10. केरल	270
11. मध्य प्रदेश	1533
12. महाराष्ट्र	501
13. मणिपुर	27
14. मेघालय	44
15. मिजोरम	32
16. नागालैण्ड	8
17. उड़ीसा	795
18. पंजाब	153
19. राजस्थान	1027

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शाखाओं की संख्या
20. सिक्किम	-
21. तमिलनाडु	182
22. त्रिपुरा	79
23. उत्तर प्रदेश	2937
24. पश्चिम बंगाल	783
25. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	-
26. अरुणाचल प्रदेश	15
27. चण्डीगढ़	-
28. दादरा और नगर हवेली	-
29. दमन और दीव	-
30. दिल्ली	-
31. लक्षद्वीप	-
32. पांडिचेरी	-
कुल	13665

विवरण-2

क्रम सं॰	प्राथोजक बैंकों के नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र
8.	इलाहाबाद बैंक
9.	आन्ध्रा बैंक
10.	बैंक आफ बड़ौदा
11.	बैंक आफ इंडिया
12.	बैंक आफ महाराष्ट्र
13.	केनरा बैंक
14.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
15.	कार्पोरेशन बैंक
16.	ट्रेड बैंक
17	इण्डियन बैंक
18.	इंडियन ओवरसीज बैंक
19.	न्यू बैंक आफ इंडिया
20.	पंजाब नेशनल बैंक
21.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
22.	सिंडिकेट बैंक
23.	यूनियन बैंक आफ इंडिया
24.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया

25. यूको बैंक
26. विजया बैंक
27. बैंक आफ राजस्थान लि०
28. जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि०
29. उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लि०

कांडिवली और बोरीवली के बीच ऊपरिपुल

2216. **श्री अनूप चन्द शाह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम्बई उपनगरीय सेक्शन के कांडिवली और बोरीवली रेलवे स्टेशन के बीच दत्ता पांडु रेलवे क्रासिंग के स्थान पर ऊपरिपुल के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव/योजनाएं हैं,

(ख) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है और इस बारे में बम्बई नगरपालिका और राज्य सरकार ने क्या रूख अपनाया है;

(ग) इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है और इसमें रेलवे और बम्बई नगर निगम कितना-कितना खर्चा वहन करेंगे, और

(घ) यह कार्य कब प्रारम्भ किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) जी हां।

(ख) इस कार्य के लिए सामान्य प्रबन्ध योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा विस्तृत अनुमान को अंतिम रूप दिया जा रहा है । अधिक्रमणों की समस्या सुलझाने के बाद बम्बई नगर निगम शीघ्र राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से कार्य शुरू करने के लिए उत्सुक है ।

(ग) कार्य की कुल अनुमानित लागत 7.48 करोड़ रुपये है जिसमें रेलवे (1.64 करोड़ रूपये) तथा बम्बई नगर निगम (5.84 करोड़ रुपये) भागीदार होंगे ।

(घ) यह कार्य विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो जाने तथा अधिक्रमण हटाए जाने के बाद शुरू किया जायेगा ।

पश्चिम रेलवे को ई० एम० यू० सवारी डिब्बों की सप्लाई

2217. **श्री अनूप चन्द शाह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1988 से दिसम्बर, 1988 तक की अवधि के दौरान पश्चिम रेलवे बम्बई के उपनगरीय अनुभाग को कितने ई० एम० यू० सवारी डिब्बे उपलब्ध किए गए;

(ख) जनवरी, फरवरी और मार्च में कितने-कितने ई० एम० यू० सवारी डिब्बे उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) पश्चिम रेलवे को अप्रैल, 1988 से मार्च, 1990 तक कितने ई० एम० यू० सवारी डिब्बों की सप्लाई करने का कार्यक्रम है और उक्त अवधि के लिए पश्चिम रेलवे उपनगरी अनुभाग द्वारा कितने सवारी डिब्बों की मांग की गई है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) पश्चिम रेलवे, बम्बई को अप्रैल 1988 से दिसम्बर 1988 तक 30 ई० एम० यू० कोच दिये गये ।

(ख) मार्च 1989 तक 9 कोच दिये जाने की योजना है । जनवरी और फरवरी 1989 में कोई कोच नहीं दिया गया है ।

(ग) अप्रैल 1989 से मार्च 1990 तक पश्चिम रेलवे को 27 कोच सप्लाई किये जाने की योजना है। 1989-90 के दौरान पश्चिम रेलवे की जीवट आयु के आधार पर 45 कोचों की आवश्यकता होगी ।

जीवन बीमा निगम में स्थानांतरण नीति

2218. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जीवन बीमा निगम की सामान्य वर्ग के तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के **कर्मचारियों** के लिए स्थानांतरण नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निर्धारित नीति के अनुसार जीवन बीमा निगम के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन **जाति** के कर्मचारियों को पदोन्नति पर दूरस्थ स्थानों में स्थानांतरित किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय मे आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) सामान्य और अनुसूचित जाति/जन जाति के कर्मचारियों के संबंध में कोई अलग स्थानान्तरण नीति नहीं है। ये स्थानान्तरण कार्यालय की आवश्यकता, उपयुक्तता तथा आकस्मिकताओं के आधार पर किये जाते हैं।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हनोवर मेला, 1989

2219. **श्री प्रतापराव वी० भोसले:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हनोवर मेला 7 मार्च, 1989 को शुरू हुआ है;

(ख) यदि हां, तो मेले में भारतीय पवेलियन की मुख्य विशेषतायें क्या है;

(ग) क्या इस मेले से भारत और पश्चिम जर्मनी के बीच घनिष्ट सहयोग की सम्भावनायें बढ़ेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी): (क) हनोवर मेला सीबिटे 89, 8 से 15 मार्च, 1989 तक आयोजित किया जा रहा है ।

(ख) मेले में भारतीय मंडप का विशेष महत्व है क्योंकि सीबिटे 89 का उद्दिष्ट विषय "भारत के साथ व्यापार" है । भारतीय प्रदर्शन विस्तृत होगा और उसमें इलैक्ट्रानिक्स, साफ्टवेयर, हार्डवेयर तथा दूर संचार क्षेत्रों में हमारी क्षमताएं शामिल होंगी। 5 दिवसीय कार्यशाला "भारत के साथ व्यापार" में शामिल होंगे; भारत से आर्थिक तथा प्रोद्योगिकीय सहयोग के प्रमुख पहलुओं पर अनेक व्याख्यान, पैनल चर्चाएं तथा इसमें भारत, जर्मन संघीय गणराज्य तथा अन्य देशों के निर्माता एवं विशेषज्ञ शामिल होंगे ।

(ग) और (घ) ऐसी आशा है कि भारतीय भागीदारी से मेले में शामिल किए गए चुनिन्दा क्षेत्रों में हमारी क्षमताओं के सम्बन्ध में और अधिक जागरूकता पैदा होगी और इससे भारत तथा पश्चिम जर्मनी के बीच होने वाले व्यापार मे वृद्धि होगी ।

महाराष्ट्र में रेल परियोजनाएँ

2220. **श्री प्रकाश वी० पाटिल:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं योजना के प्रारम्भ में महाराष्ट्र में कितनी रेल परियोजनायें प्रारम्भ की गई थीं और उनके लिए कितना वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया था और इनके पूर्ण होने का लक्ष्य क्या है;

(ख) इनमें प्रत्येक परियोजनाओं के बारे में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) धीमी प्रगति के यदि कोई कारण हैं तो वे क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) सातवीं योजना के शुरु में महाराष्ट्र में कोई नयी लाइन और आमान परिवर्तन परियोजना शुरु नहीं की गयी थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चमड़ा निर्यात की संभावनाएं

2221. **श्री प्रकाश वी० पाटिल:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय बाजार को भारतीय चमड़े की वस्तुओं का निर्यात सन्तोषजनक स्थिति में है;

(ख) क्या सरकार को विश्व बाजार में चमड़े की वस्तुओं की मांग में भारी कमी आने की आशंका की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो इस उद्योग में विविधता लाने और सिंथेटिक सामग्री के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का सिंथेटिक सामग्री के प्रयोग के लिए परम्परागत निर्माताओं को प्रशिक्षित करने हेतु महाराष्ट्र में एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी): (क) यूरोप को भारतीय चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादों का निर्यात पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गया है ।

(ख) और (ग). उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विश्व बाजार में चमड़े की वस्तुओं की मांग में निकट भविष्य में कोई तीव्र गिरावट आने के आसार नहीं हैं । चमड़े के जूते तथा चमड़े की वस्तुओं सम्बन्धी लाइसेंसिंग नीति में पहले ही निर्माण सम्बन्धी कार्यचालन के लचीलेपन की व्यवस्था है । सरकार संश्लिष्ट सामग्री के जूतों के विनिर्माण लाइसेंस दे रही है ।

(घ) सरकार ने, जूता प्रोद्योगिकी में तकनीशियनों के प्रशिक्षण के लिए महाराष्ट्र में केन्द्रीय जूता प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कार्य आरम्भ किया है जिसमें संश्लिष्ट सामग्री के उपयोग को भी शामिल किया जा सकता है ।

पति और पत्नी को एक ही स्थान पर तैनात करना

2222. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन के मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग में पति और पत्नी को एक ही स्थान पर तैनात किए जाने की नीति का कड़ाई से पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस बारे में कुछ संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस बारे में कार्यवाही कब तक की जाएगी?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्वआर्डो फैलीरो): (क) और (ख). वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग में पति और पत्नी को एक ही स्थान में नियुक्त करने सम्बन्धी मार्गनिर्देशों का पालन किया जा रहा है । इस प्रभाग के किसी कर्मचारी द्वारा इस सम्बन्ध में दिया गया कोई अनुरोध या सम्मानित संसद सदस्यों की कोई शिकायतें विचाराधीन नहीं हैं ।

(ग) से (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

आयकर अधिकारियों द्वारा मारे गए छापे

2223. **श्री सैयद शाहबुद्दीन:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान 31 दिसम्बर, 1988 तक आयकर अधिकारियों ने कितने छापे मारे हैं;

(ख) वर्ष-वार कुल कितनी राशि की बेहिसाब सम्पत्ति जब्त की गई;

(ग) उक्त छापों के आधार पर वर्ष-वार कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया ; और

(घ) साल शुरू होने के समय से 31 दिसम्बर, 1988 तक कितने मामले लम्बित पड़े हैं?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्यमंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) और (ख) आयकर विभाग द्वारा ली गई तलाशियों का तथा पकड़ी गई प्रथम दृष्टया लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियों का वर्ष-वार ब्यौरा

वित्तीय वर्ष	तलाशियों की संख्या	पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य (करोड़ रू० में)
1986-87	7054	100.70
1987-88	8464	145.02
1988-89 (दिनांक 1-4-88 से 31-12-88 तक)	5508	117.15

(ग) और (घ) प्रत्यक्ष कर अधिनियमनों के अध्यधीन अपराधों के लिए मुकदमें केवल तलाशियों के ही आधार पर नहीं चलाए जाते हैं । यद्यपि कर अपवंचन के लिए मुकदमे सामान्यतया प्रथम अपील में संगत कर-निर्धारण की पुष्टि हो जाने के बाद चलाए जाते हैं, तथापि अन्य कर अपराधों के संबंध में मुकदमे उनसे संबंधित साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के पश्चात् चलाए जाते है । दिनांक 31-3-1986 की स्थिति के अनुसार न्यायालयों में कर अपराधों के संबंध में 9303 मुकदमे अनिर्णीत पड़े हुए थे। तब से चलाए गए तथा निर्णय लिए गए अभियोजनों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वित्तीय वर्ष	अभियोजनों की संख्या		वित्तीय वर्ष के अन्त में वित्तीय वर्ष के अन्त में अनिर्णीत पड़े मामले
	चलाए गए	निर्णय लिए गए	
1986-87	5258	396	14165
1987-88	7361	433	21093
1988-89 (दिनांक 1-4-88 से 31-12-88 तक)	1576	747	21922

विदेशी निवेश

2224. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए वास्तविक अतिरिक्त विदेशी निवेश का रुपयों में वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसका देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसी अवधि के दौरान विदेशी निवेश के मंजूर किए गए प्रस्तावों का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपर्युक्त (ग) में सम्मिलित की गई परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है या किया जा चुका है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्रुआर्डो फैलीरो): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना से संबंधित एक विवरण संलग्न है।

(घ) यह सूचना सरकार द्वारा एकत्रित नहीं की जा रही है।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 1985, 1986 और 1987 में भारत में वास्तविक अतिरिक्त निवेश (अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश को छोड़कर) और मुख्य निवेशकर्त्ता देशों द्वारा किए गए उनके निवेश का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(लाख रुपये)

	1985	1986	1987
कुल जोड़	3506	3917	3864
संयुक्त राज्य अमेरिका	623	575	775
यूनाइटेड किंगडम	275	242	372
जापान	455	1976	344
पश्चिमी जर्मनी	107	392	959
फ्रांस	45	68	139
कनाडा		30	46
स्वीडन	नगण्य	14	109
स्विटजरलैंड	51	61	92
इटली	32	15	142
बहरीन	1097	428	304
फिनलैंड	7	43	35
बेल्जियम	7	18	
हालैंड	-	22	465

(ग) वर्ष 1984 से 1988 तक की अवधि के दौरान अनुमोदित विदेशी निवेश के प्रस्तावों (अनिवासी भारतीयों के निवेश को मिलाकर) की संख्या निम्नलिखित है :-

1984	1985	1986	1987	1988
151	238	240	242	282

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

2225. **श्री सैयद शाहबुद्दीन:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 को प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक की राज्यवार कितनी शाखाएं थीं;

(ख) क्या सरकार का शाखाएं खोलने के कार्य को युक्तियुक्त बनाने और प्रत्येक बैंक के विस्तार हेतु क्षेत्र सीमा निश्चित करने का विचार है, जिससे वह निर्धारित क्षेत्र पर ही ध्यान केन्द्रित कर सके; और

(ग) क्या सरकार का भारतीय स्टेट बैंक और संबंधित लीड बैंक को छोड़कर, प्रत्येक जिले में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की संख्या निश्चित करने अथवा कम करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) सितम्बर 1988 के अंत की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध सूचना) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 1.4.89 से प्रारंभ होने वाली सेवा क्षेत्र योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांवों को किसी ग्रामीण या अर्ध-शहरी बैंक शाखा को आबंटित किया जायेगा ताकि ऋणों का संवितरण सुनियोजित ढंग से किया जा सके।

(ग) भारतीय रिर्जव बैंक ने सूचित किया है कि जिले में कार्यरत भारतीयत स्टेट बैंक तथा अग्रणी बैंक के अलावा बैंकों की संख्या को कम करना या सीमित करना व्यावहारिक कारणों से संभव नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अलग-अलग बैंकों को समग्र शाखा विस्तार में समान हिस्सा मिले, उन अन्य बैंकों को भी जिनकी उस क्षेत्र में पर्याप्त शाखाएं हैं, शाखा लाइसेसिंग नीति के अधीन पता लगाए गए केन्द्रों में शाखाएं खोलने दी जाती हैं।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शाखाओं की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	3056
2.	अरुणाचल प्रदेश	41
3.	असम	649
4.	बिहार	2549
5.	गोआ	243
6.	गुजरात	2803
7.	हरियाणा	938
8.	हिमाचल प्रदेश	503
9.	जम्मू व कश्मीर	236
10.	कर्नाटक	2587
11.	केरल	1525
12.	मध्य प्रदेश	2379
13.	महाराष्ट्र	4139
14.	मणिपुर	40
15.	मेघालय	90
16.	मिजोरम	18
17.	नागालैंड	59
18.	उड़ीसा	1034
19.	पंजाब	1887

क्रम संख्या	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शाखाओं की संख्या
20.	राजस्थान	1560
21.	सिक्किम	25
22.	तमिल नाडु	2794
23.	त्रिपुरा	67
24.	उत्तर प्रदेश	4645
25.	पश्चिम बंगाल	2709
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	16
27.	चंडीगढ़	104
28.	दादरा व नागर हवेली	6
29.	दमन व दीव	10
30.	दिल्ली	988
31.	लक्षद्वीप	5
32.	पांडिचेरी	54

बॉल पेन निर्माता कम्पनियों पर छापे

2226. **श्री कमला प्रसाद सिंह:** क्या वित्त मंत्री बॉल पेन निर्माता कम्पनियों पर छापे के बारे में 25 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2202 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन बड़ी बॉल पेन कंपनियों और इनकी सहयोगी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनके परिसरों की आय कर विभाग द्वारा तलाशी ली गई थी और उन आदमियों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने लगभग 4.62 करोड़ रुपये की आय की चोरी स्वीकार की थी; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) आयकर विभाग ने बॉल पेन बनाने वाली जिस कंपनी तथा उसकी सहयोगी कम्पनियों की तलाशी ली थी उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:—

i) मेसर्स बालकृष्ण पेन प्रा. लिमिटेड।
ii) श्री द्वारकादास जे. संघवी।
iii) श्री किरण डी. संघवी।
iv) श्री अशोक डी. संघवी।
v) श्री बालकृष्ण डी. संघवी।
vi) श्री जयंन्त डी. संघवी।
vii) मेसर्स संघवी स्विस रिफिल्स्।
viii) श्रीमती मीनाक्षी के. मेहता।
ix) श्री जगदीश जावेरी।
x) मेसर्स जोशी फार्मुलेब्स प्राइवेट लिमिटेड।

तलाशियों के दौरान, ऊपर उल्लिखित सभी व्यक्तियों / कम्पनियों की ओर से आय को छिपाने की स्वीकारोक्ति के बारे में बयान दिए गए थे।

(ख) आयकर विभाग के जांच-पड़ताल स्कंध (इन्वेस्टीगैशन विंग) ने तलाशी के उपरांत की जाने वाली आवश्यक जांच-पड़ताल के पश्चात इन मामलों को संबन्धित कर-निर्धारण अधिकारियों को सौंप दिया है। इन अधिकारियों ने अब आय तथा कर-देयताओं का संक्षिप्त रूप में अनुमान

लगाकर आयकर अधिनियम की धारा 132(5) के तहत आदेश पारित कर दिए हैं। अभिगृहित की गई अधिकांश परिसम्पत्तियों को कर-देयताओं की पूर्ति हेतु रोके रखने के आदेश दिए गए हैं।

आशुलिपिकों के पद पर प्रतिबन्ध आदेश लागू करना

2227. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के इस प्रकार के आदेश हैं कि अधिकारियों के पदों के सृजन/पदोन्नयन के साथ-साथ आशुलिपिकों के पदों का भी सृजन/पदोन्नयन किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो जिन अधिकारियों के मामले में प्रतिबन्ध आदेश में ढील दी गई थी, उनके संवर्ग की पुनरीक्षा के परिणामस्वरुप, आशुलिपिकों के जो पद सृजित/पदोन्नत किए गए उन पर प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रतिबन्ध आदेशों को उपयुक्त रुप से लागू करने के लिए मंत्रालयों/विभागों को सुझाव देने के बारे में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्योरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी): (क) से (ख) और (ग):-पदों के सृजन/पदोन्नयन के बारे में वर्तमान मार्ग-निर्देशों में जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है वह पदों की विभिन्न श्रेणियों जैसे योजनागत तथा योजना-भिन्न इत्यादि पर लागू होती है न कि पदों के विभिन्न पदनामों जैसे अधिकारियों, आशुलिपिकों पर। इन मार्ग-निर्देशों के अनुरुप, संगठित सेवाओं की संवर्ग पुनरीक्षा के परिणामस्वरुप अधिकारियों के जिन योजना-भिन्न पदों का सृजन/पदोन्नयन किया जाना अपेक्षित होता है उनके लिए मंत्रिमण्डल की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। संवर्ग पुनरीक्षा के फलस्वरुप सृजन/पदोन्नयन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले आशुलिपिकों के पदों के लिए यदि ऐसे पदों का ब्योरा साथ-साथ मंत्रिमण्डल के अनुमोदन के लिए सूचित किया जाता है तो प्रतिबन्ध आदेशों में अलग से ढील दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में आगे कोई निर्देश अपेक्षित नहीं है।

संसद के अधिनियम

2228. **श्री कमला प्रसाद सिंह**: क्या **विधि और न्याय** मंत्री संसद के अधिनियम के बारे में 18 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1168 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 और 1987 के दौरान बनाये गये संसद अधिनियम जनता को उपलब्ध कराये गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में उठाये गये कदमों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन्हें जनता के लिए कब तक उपलब्ध कराया जाएगा?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज): (क): जी नहीं।

(ख) वर्ष 1986 के संसद के वार्षिक अधिनियम मुद्रित हो चुके हैं और भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड में उनकी जिल्द चढ़ाई जा रही है। मार्च, 1989 के मध्य तक उक्त जिल्द की प्रतियां संसद-सदस्यों को वितरण किए जाने के लिए संसद सचिवालय को प्रदत्त कर दिए जाने की संभावना है। वर्ष, 1987 के संसद के वार्षिक अधिनियमों के संपूर्ण प्रूफ, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड से जुलाई, 1989 के अंत तक, इस विभाग द्वारा जांच के लिए प्राप्त होने की आशा है।

(ग) आशा है कि वर्ष 1986 के संसद के वार्षिक अधिनियम मई, 1989 के अंत तक जनता को

उपलब्ध करा दिए जाएंगे और वर्ष 1987 के संसद के वार्षिक अधिनियम इस वर्ष के अंत तक जनता को उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

रेलवे स्कूल पोदनूर

2229. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे स्कूल, पोदनूर में हायर सेकेंड्री पाठ्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब से आरम्भ किया जाएगा, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था करना मूलतः राज्य सरकार/मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) की जिम्मेदारी है। बहरहाल, रेलवे ने कर्मचारी कल्याण के तौर पर अपने सीमित संसाधनों के भीतर शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था की है। धन की तंगी के कारण, रेलवे के लिए आये शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करना कठिन है।

पोदनूर रेलवे स्टेशन पर बने स्टाफ क्वार्टर

2230. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोदनूर रेलवे स्टेशन पर बने रेलवे स्टाफ क्वार्टर 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं और वे टूटी-फूटी हालत में हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या पुराने क्वार्टरों को बड़े पैमाने पर मरम्मत करने अथवा नये क्वार्टरों के निर्माण का विचार है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) पोदनूर में 880 यूनिट स्टाफ क्वार्टरों में से 112 यूनिट क्वार्टर 100 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं ये क्वार्टर जीर्ण-शीर्ण हालत में नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पोदनूर रेलवे स्टेशन पर पैदल पार-पुल

2231. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोदनूर रेलवे स्टेशन पर आई० ओ० डब्ल्यू० कार्यालय के निकट रेलवे यार्ड में रेल फाटक पर एक पैदल पार-पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है और निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

रेल मंत्री में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पुडुकाडु में आइलैन्ड एक्सप्रेस का रूकना

2232. **श्री पी० ए० एन्टनली:** क्या **रेल** मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिचूर के निकट पुडुकाडु रेलवे स्टेशन पर यात्री यातायात के कारण इस स्टेशन पर **आइलैन्ड** एक्सप्रैस को रोकना औचित्यपूर्ण हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का पुडुकाडु में इस गाड़ी को स्टापेज उपलब्ध कराने का विचार है; **और**

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) से (ग):— यह गाड़ी पुडुकाडु पर ही रुकती है।

गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाराशि

2233. **श्री कमला प्रसाद सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि। **जनवरी, 1989** की स्थिति के अनुसार देश में गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों (सहकारी बैंकों और विदेशी बैंकों को छोड़कर में कितनी राशि जमा है और बैंक-वार उनकी कितनी शाखाएं हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस समय देश में गैर-सरकारी क्षेत्र मे 32 गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक (29 अनुसूचित और 3 गैर-अनुसूचित) कार्य कर रहे हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 29 अनूसूचित गैर-राष्ट्रीयकृत निजी क्षेत्र के **बैंकों** के संबंध में दिसम्बर 1988 के अंतिम शुक्रवार को कुल जमाराशियां (बैंकों से छोड़कर) 6412.46 **करोड़** रुपए (अनन्तिम) थीं।

भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30.12.88 को 32 गैर-सरकारी क्षेत्र के **बैंकों** की 4239 शाखाएं थी।

आयकर विभाग के छापा मारने वाले दलों के लिए सुरक्षा गार्ड

2234. **श्री लाला राम केन:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग के छापा मारने वाले कर्मचारियों के साथ जाने वाले सशस्त्र गार्डों को **छापे** के दौरान आयकर कर्मचारियों पर आक्रमण की स्थिति में गोली चलाने के अधिकार हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पिछले वर्ष के दौरान दिल्ली में छापे की कार्यवाहियों में आयकर अधिकारियों पर **आक्रमण** घटनाएं हुई हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) और (ख): आयकर विभाग की तलाशी पार्टियों को उपलब्ध कराए जाने वाले सशस्त्र गार्ड विभिन्न पुलिस संगठनों के लिए जाते हैं। ये गार्ड अपने-अपने सम्बन्धित पुलिस संगठनों के नियमों तथा नीतियों द्वारा **अधिशासित** होते हैं। तलाशी की कार्यवाहियों के दौरान आयकर विभाग के कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार

का हमला होने की स्थिति में आयकर अधिनियम के अध्यधीन ऐसे गार्डों को गोली चलाने का कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए इनके प्रश्न ही नहीं उठते।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डल

2235. **श्री साइमन तिग्गा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक बैंक में निदेशक मण्डल में निदेशकों की नियुक्ति का मापदण्ड क्या है;

(ख) क्या इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 और 1980 में निर्धारित मानदंडों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यद्यपि राष्ट्रीयकरण योजनाओं मे अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की कोई परिकल्पना नहीं की गई है, फिर भी सरकार का बैंकों के बोर्डों में निदेशकों की नियुक्ति के मामले में इन वर्गों को भी उचित प्रतिनिधित्व देने का बराबर प्रयास रहा है।

उड़ीसा में सतही और भूमिगत जल की व्यवस्था

2236. **श्री अनादि चरण दास:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा में सतही और भूमिगत जल की व्यवस्था का लक्ष्य और उपलब्धियां क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): बराबर-बराबर के आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के वास्ते राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सतही तथा भूजल (लघु सिंचाई) संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम है। राज्य सरकार से प्राप्त किए गए विशिष्ट प्रस्तावों के लिए उड़ीसा राज्य को केन्द्रीय हिस्से के रूप में आज तक 94.705 लाख रुपए दिए गए हैं।

सीमाशुल्क की दुकानों पर जब्त आग्नेय शस्त्रों की बिक्री

2237. **श्री पी० मानिक रेड्डी:**
श्री जी० भूपति:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमाशुल्क की दुकानों पर जब्त आग्नेय शस्त्रों की बिक्री की जाती है;

(ख) यदि हां, तो ये आग्नेय शस्त्र किस श्रेणी और किस किस्म के हैं तथा प्रत्येक श्रेणी के हथियार का मूल्य कितना है;

(ग) इन शस्त्रों की लोगों तथा सांसदों को बिक्री करने हेतु वर्तमान प्रक्रिया क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक श्रेणी में इस प्रकार के कितने आग्नेय शस्त्रों की बिक्री की गई है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) मे

(ग): वर्तमान नीति के अनुसार, जब्तशुदा आग्नेयास्त्र आम लोगों को नहीं बेचे जाते हैं परन्तु इन्हें विभागीय प्रयोग के लिए रख लिया जाता है। विभाग की आवश्यकताओं से अधिक पाये जाने वाले किन्ही गैरनिषिद्ध बोर वाले हथियारों को किसी भी संसद सदस्य को बाजार मूल्य से 5 प्रतिशत की कटौती पर बेचा जा सकता है।

(घ) वर्तमान नीति के लागू किए जाने के बाद अर्थात् अक्तूबर, 1987 से 31 जनवरी, 1989 तक 38 संसद सदस्यों को ऐसे आग्नेयास्त्र दिए जा चुके हैं।

बचत-आय अनुपात

2238. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की बचत और निवेश प्राक्कलनों के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) क्या वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान बचत-आय अनुपात में तेजी से गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बचत-आय अनुपात की गिरती हुई इस चिंताजनक स्थिति से बचने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) सांख्यिकी विभाग द्वारा बचतों के संबंध में प्रो॰ के॰ एन॰ राज की अध्यक्षता में गठित कार्य दल की सिफारिशों के अनुसरण में, देश के लिए बचत और निवेश अनुमान तैयार करने की अब भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की संयुक्त जिम्मेदारी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुलाई/अगस्त में तैयार किए गए निवल घरेलू बचत और निवेश अनुमान, इसकी मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट में प्रकाशित किए गए थे। परन्तु इन आंकड़ों को बाद में संशोधित किया गया था और केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने जनवरी, 1989 के अन्तिम सप्ताह में अपने तुरत अनुमानों के माध्यम से इन्हें जारी कर दिया है।

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किए गए तुरत अनुमानों से पता चलता है कि सकल बचत-आय अनुपात जो 1986-87 में 21.6 प्रतिशत था, घटकर 1987-88 में 20.2 प्रतिशत रह गया है।

(ग) 1987-88 के दौरान बचत-आय अनुपात में कमी मुख्य रूप से 1987-88 में सरकारी क्षेत्र की बचत में 22.8 प्रतिशत की कमी होने के कारण हो सकती है। किन्तु, घरेलू क्षेत्र की बचत में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और निजी निगमित क्षेत्र में वर्ष 1987-88 के दौरान 15.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

(घ) वर्ष 1987-88 के दौरान बचत-आय अनुपात में कमी कुछ तो उस वर्ष पड़े सूखे के प्रतिकूल प्रभावों के कारण भी हुई है। वर्तमान वर्ष में कृषि में सुधार होने से ऐसी आशा की जाती है कि बचत-आय अनुपात में कमी रूक जाएगी और संभवतः अनुपात में सुधार होगा। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की प्रचालन कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए गए हैं ताकि वे और अधिक आन्तरिक बचत जुटा सकें।

सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के संबंध में शिकायतें

2239. **श्री टी० बशीर:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदेशों में कार्यरत भारतीयों से, सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा यात्रियों से कथित दुर्व्यवहार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) और (ख) : विदेशों में काम करने वाले भारतीयों से हवाईअड्डों पर सीमाशुल्क प्राधिकारयों के माध्यम से उनकी निकासी के बारे में यदा-कदा शिकायतें प्राप्त होती हैं। ये शिकायतें निकासी में कथित विलम्ब किए जाने, असबाब में आयातित माल का अधिक मूल्य आंके जाने और अधिक शुल्क निर्धारित करने, अशिष्ट व्यवहार करने और असबाब नियमों के अन्तर्गत रिआयतें देने से मना करने के बारे में होती हैं।

(ग) सरकार ने यात्रियों की उनके असबाब के मूल्य और लाई जाने वाली वस्तुओं के बारे में उनके द्वारा की गई घोषणा के आधार पर निकासी करने की एक प्रणाली आरम्भ की है। असबाब की जांच केवल उन मामलों में की जाती है जिनमें सन्देह होता है। अधिकांश यात्रियों की निकासी जांच के बिना ही "वॉक थ्रू" ग्रीन चैनल से की जाती है। निकासी की प्रणाली में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पर्याप्त रूप से और ध्यानपूर्वक देखभाल किए जाने की व्यवस्था है ताकि यात्रियों को परेशान किए जाने की शिकायतें कम से कम हों। असबाब की जांच भी वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में की जाती है ताकि यात्रियों को होने वाली परेशानियों की सम्भावना को टाला जा सके।

बंगलादेश में भारतीय निवेश के प्रस्ताव

2240. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल:**
श्री वी० तुलसीराम:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के कुछ निवेशकों ने बंगलादेश में निवेश करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) निवेश के लिये बंगलादेश द्वारा रखी गई और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार की गई शर्तें क्या हैं; और

(घ) महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों से निवेशकों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी): (क) से (ग) : इस समय सरकार ने केवल एक ही संयुक्त उद्यम अनुमोदित किया है जिसमें बांग्लादेश में भारतीय इक्विटी निवेश शामिल है।यह उद्यम स्पंज लोहे के उत्पादन हेतु नैशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लि०, कलकत्ता के डिवीजन मैसर्स बिरला टेक्नीकल सर्विसेज ने स्थापित किया है। इस पर 1.88 मिलियन अमरीकी डालर की भारतीय इक्विटी लगी है। भारतीय पक्षकार लगभग 70.6 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का संविदा पैकेज भी क्रियान्वित करेगा। बांग्लादेश सरकार संविदा मूल्य 85% तक आस्थगित ऋण के लिए गारन्टी देगी।

(घ) विदेशों में संयुक्त उद्यम संबंधी योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश से कोई निवेश प्रस्ताव नहीं मिले हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अशोध्य ऋण

2241. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री दिनेश गोस्वामी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अर्जित लाभों का प्रमुख भाग अशोध्य ऋण से सम्बन्धित है; और

(ख) किसी कतिपय धनराशि को अशोध्य ऋण के रूप में दर्शाने के मानदण्ड क्या हैं और ऐसे निर्णय किस स्तर पर लिए जाते हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र बैंक अपने लाभ-हानि लेखे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में निर्धारित फार्मेट के अनुसार तैयार करते हैं। बैंक अपने लाभ-हानि लेखाओं में सभी व्यवस्थाओं की राशि को घटाने के बाद अपनी आमदनी दिखाते हैं। इन व्यवस्थाओं में सांविधिक लेखा परीक्षकों की तसल्ली के अनुसार अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिये की गई व्यवस्था की राशि भी शामिल होती है।

किसी अग्रिम की वसूली का मूल्यांकन और किसी अग्रिम के वसूल न हो सकने वाला हो जाने पर उसके लिये की जाने वाली व्यवस्था का निर्णय बैंकों के प्रबंधनों द्वारा किया जाता है। एकरूपता सुनिश्चित करने के लिये, बैंक, किसी अग्रिम को वसूली के लिये संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत करने के वास्ते, अपने क्षेत्रीय अधिकारियों के लिये मार्गनिर्देश निर्धारित करते हैं। इस सम्बन्ध में बैंकों द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया की जांच भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने वार्षिक निरीक्षण के दौरान की जाती है।

[अनुवाद]

वाहनों की खरीद के लिए पत्रकारों को बैंकों से ऋण

2242. **प्रो० रामकृष्ण मोरे:** क्या **वित्त** मंत्री, प्रेस एसोसिएशन द्वारा व्यवसायों श्रेणी के अन्तर्गत वाहनों की खरीद के लिए ऋण प्रदान किए जाने की मांग के संबध में अभ्यावेदन के बारे में 2 दिसम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3025 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यवसायी श्रेणी के अन्तर्गत वाहनों की खरीद के लिए ऋण प्रदान किए जाने की मांग के संबंध में प्रेस एसोसिएशन के अभ्यावेदन पर कार्यवाही की है.,

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यवसायी श्रेणी के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्यायित पत्रकारों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई निदेश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क): जी, हां।

(ख) और (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि किसी विशेष समाचार पत्र/पत्रिका में नियमित रूप से काम करने वाले पत्रकारों को बैंक ऋणों के प्रयोजन के लिये, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत नहीं माना जा सकता, क्योंकि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डी० आई० सी० जी० सी०) की ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत नियमित रूप से वेतन पाने वाले व्यक्तिगों को दी गई कोई ऋण सुविधा गारंटी कवच की पात्र नहीं है। यह भेद अपने आप में पूरा है, क्योंकि ऐसे मामलों में उपस्करों, वाहनों आदि की अपेक्षा के लिये स्वयं नियोजकों द्वारा व्यवस्था की जायेगी या इनके लिये बैंकों से उपभोक्ता ऋणों की व्यवस्था में से, जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से बाहर है बैंकों की आम स्कीमों के अन्तर्गत सहायता दी जा सकती है। इन

परिस्थितियों में, ऐसे प्रत्यायित (क्रेडिटेड) पत्रकार/कैमरामैन को जो फ्रीलांसर हैं अर्थात किसी विशेष समाचार पत्र/पत्रिका में सेवारत नहीं हैं, बैंक वित्त के प्रयोजन के लिये बैंकों द्वारा व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्ति की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसे ऋणकर्ताओं को उपस्कर/वाहन खरीदने के लिये, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण देने के वास्ते, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को जारी मार्ग-निर्देशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार ऋण दिया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों से अल्प बचत

2243. **श्री प्रकाश वी० पाटिल:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान महाराष्ट्र में डाकघरों के माध्यम से अल्प बचत के रूप में कितनी राशि जमा की गई;

(ख) इसमें से कितनी राशि ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त हुई है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में बचत को बढ़ावा देने के लिए बेहतर ढंग से अभियान शुरू करने और अच्छी योजनाएं लागू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्वआर्डो फैलीरो): (क) और (ख). पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में अल्प बचतों के सकल संग्रह (ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए संग्रहों को मिलाकर) इस प्रकार हैं:–

वर्ष	सकल संग्रह (करोड़ रूपए)
1985-86	1829.25 × (× गोवा मे किए गए संग्रहों सहित)
1986-87	1169.47
1987-88	1267.49

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में बचतों को बढ़ावा देने के लिए, इंदिरा विकास पत्र, डाकघर मासिक आय योजना तथा किसान विकास पत्र, नामक नई योजनाएं शुरु की गई हैं और अल्प बचत योजनाओं के प्रचार कार्य में तेजी लाई गई है।

[हिन्दी]

यूरिया का मूल्य

2244. **श्री आर० एम० भोये:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निर्मित यूरिया का प्रतिटन मूल्य कितना है और इस पर उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर कितना लगाया जाता है; और

(ख) आयातित यूरिया का प्रतिटन मूल्य कितना है और इस पर आयात शुल्क तथा बिक्री कर कितना लगाया जाता है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) स्वदेश में ही निर्मित यूरिया का मूल्य संयंत्र दर संयंत्र भिन्न-भिन्न होता है जो प्रयोग किए गए "फीड स्टाक" और अंतर्ग्रस्त पूंजीगत निवेश पर निर्भर करता है। कारखानागत मूल्य 2463 रू० प्रतिटन मीटरी से 5187 रू०. प्रति मीटरी टन के बीच होता है। अखिल भारतीय भारित औसत मूल्य 3539 रू० प्रति मीटरी टन है। यूरिया को उत्पादन शुल्क से तब पूर्ण छूट प्राप्त है जब इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में किया गया हो।

(ख) 1988-89 वर्ष के दौरान अभी तक यूरिया का कोई आयात नहीं किया गया है। यूरिया पर उस स्थिति में कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता जब इसका आयात खाद के रूप में प्रयोग हेतु किया जाता है।
[अनुवाद]

दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा माल की ढुलाई

2245. **श्री राधाकांत डिगाल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा वित्त वर्ष 1988-89 के दौरान माल की ढुलाई के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है,

(ख) क्या उक्त लक्ष्य प्राप्त हो गया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस दिशा में कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) वित्तीय वर्ष 1988-89 के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे हेतु राजस्व उपार्जक माल यातायात का लक्ष्य 100.75 मिलियन टन है।

(ख) और (ग). लक्ष्य की उपलब्धि के संबंध में स्थिति केवल वित्तीय वर्ष के अंत में ही मालूम हो सकेगी।

कोयले की तस्करी

2246. **श्री के॰ राममूर्ति:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयले की देश से बाहर तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) वित्त मंत्रालय के राजस्व आसूचना विभाग द्वारा मारे गए छापों के बाद जिससे यह पता चला है कि कोयले के डिलीवरी आर्डरों के लिए भारी अधिमूल्य दिया जा रहा है, दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए॰ के॰ पांजा): (क) उपलब्ध रिपोर्टों से यह संकेत नहीं मिलता है कि फिलहाल देश से बाहर कोयले की तस्करी की जा रही है। सरकार तस्करी को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प है। इस उद्देश्य के लिए तस्करी रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान सभी प्रवर्तन ऐजेंसियों द्वारा पकड़े गये निषिद्ध माल का मूल्य नीचे दिया गया है:

(मूल्य करोड़ रूपयों में)

	1986	1987	*1988	*1989 (28.2.89 तक)
निषिद्ध माल का मूल्य (सभी किस्में)	217.52	251.47	443.15	106

*आंकड़े अनन्तिम है।

(ख) राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा ऐसे छापे नहीं मारे गए है।

12.00 मध्याह्न

श्री पी॰ आर॰ कुमार मंगलम (सलेम): यह अविलम्बनीय लोक-महत्व का मामला है। मैं इसका स्पष्टीकरण चाहूँगा। आज के दैनिक समाचार पत्रों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों संगठन के बारे में बात कर रहे हैं जो जनता दल के नाम से जाना जाता है। क्या यह संगठन एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है? मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर): हाँ, हम लोग भी जानना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं?

श्री पी० आर० कुमार मंगलम: हम एक ऐसे सदस्य को जानते हैं जो एक निर्दलीय सदस्य के रूप में इस सभा में आये हैं। हम जानना चाहेंगे कि क्या वह एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, उनके दर्जा क्या है, तथा उसका क्या प्रभाव हुआ है? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृप्या ध्यान दें। सभा के सामने यह मसला नहीं है, इसके अतिरिक्त यह नियम 334 क के विरुद्ध है किसी भी सदस्य द्वारा इस नोटिस को प्रचार नहीं करने दिया जायेगा।

श्री पी० आर० कुमार मंगलम: जी हाँ, उस नियम का उल्लघंन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: सर्वप्रथम तो इसे दिया ही नहीं जाना चाहिये था और दूसरे, नियम के अनुसार भी..... **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर): यह नोटिस नहीं हैं। यह एक पत्र है। **(व्यवधान)**

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): यह कोई नोटिस नहीं है मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि यह नोटिस है या पत्र।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: यह एक पत्र है जो कि एक सदस्य द्वारा अध्यक्ष महोदय को लिखा गया है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): उन्होंने एक पत्र आपकों लिखा है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने मुझे एक सूचना दी है मैंने उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया है। दूसरे, किसी के भी द्वारा की गई कार्यवाही के प्रतिकूल असर और प्रतिक्रिया होती है। नियम के अनुसार मुझे यह निर्णय करना होगा कि जनता दल नाम का कोई दल इस सभा में विद्यमान है या नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): मैं आपको आज पहले ही यह दे चुका हूँ।

अध्यक्ष महोदय: प्रोफेसर साहब, मेरी सहमति के बाद इसका अस्तित्व होगा वशर्ते कि मैं अपनी सहमति दूं और आप तत्संबंधी शर्तें पूरी करें। मुझे इसकी जांच करनी होगी।

प्रो० मधु दंडवते: हमारा अस्तित्व पहले से ही है। आपको इसका प्रमाणपत्र देना है बस। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: जब में बोल रहा हूं तो आप अनावश्यक क्यों चिल्ला रहे है? यह सबसे खराब चीज है जो यहां होती है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह कोई बात नहीं है। सिर्फ आपके कहने से ही जनता दल अस्तित्व में नहीं आ जाता। आपको नियमपूर्वक इसकी सारी चीजें प्रस्तुत करनी होंगी। इसका निर्णय मुझे करना है। आपको नहीं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: हम लोग अपना काम कर चुके हैं। आप जो चाहें निर्णय कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप लोग तब तक जनता दल नहीं बना सकते जब तक मै यह नाम आपको ना दूं। मुझे यह निर्णय करना है, अगर आप इसकी शर्तें पूरी करते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मेरे साथ विवाद ना करें। मुझे नियमों के अनुसार कार्य करना है। मैं नियमों में कोई परिवर्तन नहीं करूँगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: भाई, आप सारे के सारे क्यों शोर करते हैं?

[अनुवाद]

आप सही ढंग से **क्यों नहीं बैठ** सकते? आप इससे संबंधित नहीं हैं। बात यह है कि हर चीज के लिए कुछ बातें आवश्यक **हैं। प्रोफेसर** साहेब ने आज मुझे दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वे इसको उठा रहे हैं। वे इसके विरुद्ध विरोध प्रकट कर रहे हैं।

प्रो॰ मधु दंडवते: वे हमेशा नियमों को तोड़ते हैं।

अध्यक्ष महोदय: कई समय आप भी यहीं करते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उस समय तक कुछ नहीं हो सकता जब तक मैं निर्णय ना लूँ और वे सारी शर्तों को पूरा नहीं करते। इन शर्तों के पूरा होने के बाद ही मैं निर्णय ले सकता हूँ।

श्री पी॰ आर॰ कुमार मंगलम: नियमों के उल्लंघन का क्या हुआ? **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य: पश्चिम बंगाल के तीन जिलों—बर्दवान, हुगली और हावड़ा में डी॰ वी॰ सी॰ बाँध से पानी नहीं छोड़ने के कारण गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। सारी खड़ी फसल बरबाद हो गयी है।

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे एक नोटिस दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे बोलने तो दे नहीं रहे हैं।

[अनुवाद]

अगर आप अब यह करेंगे तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। क्या आप मेरी बात सुनेंगे?

श्री बसुदेव आचार्य: जब तक पानी नहीं छोड़ा जायेगा----।

अध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, यही सबसे खराब चीज आप में है। उस समय भी, जब मैं आपकी बातों को सुनकर उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करता हूं तो भी आप चिल्लाते हैं। मैं कहता हूं कि आप मुझे एक नोटिस दें, तब मैं पता लगाऊंगा।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं एक नोटिस दे चुका हूँ।

श्री अनिल बसु (आरामबाग): हम लोग एक नोटिस पहले ही दे चुके हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अब आप बैठ जायें। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: अगर पानी तुरन्त नहीं छोड़ा गया, तो सारी फसल नष्ट हो जायेगी----

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, आप एक नेता हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे दुःख इस बात का है कि आप बिना किसी कारण के चिल्लाते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जब मैं कहता हूं कि जो भी हो सकेगा किया जायेगा, तब भी आप क्यों नहीं बैठते?

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: तो क्या आप मंत्री को इस दिशा में तुरंत आवश्यक कदम उठाने के लिये निर्देश दे रहे हैं-----**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: इस व्यक्ति को सुधारा नहीं जा सकता है। वह असंगत बात कहते हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: नहीं महोदय, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं असंगत बात कहता हूं .....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: क्योंकि मैं इसे सर्वाधिक महत्व दे रहा हूं और आप इसका महत्व कम कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जब मैं कह रहा हूं कि मैं इसे करने जा रहा हूं यो आप क्यों चिन्ता करते हैं? कृप्या बैठ जायें।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री धर्मपाल सिंह मलिक को मेरी अनुमति है।

12.07 म० प०

विशेषाधिकार का प्रश्न

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत): महोदय, मैंने नियम 222 के अंतर्गत विशेषाधिकार के प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: हाँ मैं संतुष्ट हूं। यह सही रूप में दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, बहुत सीरियस मैटर है, श्री मनीराम बागड़ी, भूतपूर्व संसद सदस्य ने बयान दिया हैं कि लोक सभा झूठों की पंचायत है। यह बहुत सीरियस मैटर है, उन्होंने इस बात का हवाला दिया है कि जो जनता दल के लोग हाउस में हैं, वे हाउस के अन्दर अपने आपको इंडिपेंडेंट या जनता पार्टी का मानते हैं.....।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हाँ, आप इसे विशेषाधिकार के रूप में उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक: बाहर जनता दल के आदमी कहते है और अंदर इंडिपेंडेंट कहते है। इसी आधार पर उन्होंने यह बयान दिया है, उन्होंने आपको भी एक लेटर लिखा है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

प्रो॰ मधु दंडवते (राजापुर): आपकी सूचना के लिये, श्री मनीराम बागड़ी जनता दल में नहीं है।..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक: मैं कहता हूं कि मनीराम बागड़ी जी ने जो कुछ कहा है, उसके लिये उनको प्रिवलेज कमेटी के अंदर बुलाया जाना चाहिये और एक्शन लेना चाहिये। इसके साथ-साथ इस बात पर हाउस के अंदर चर्चा करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: हाउस के बारे में तो बाद में देखेंगे,

[अनुवाद]

मुझे तो विशेषाधिकार की चिन्ता है।

(व्यवधान)

श्री जयपाल रेड्डी (महबूबनगर): हम सभा के अन्दर जनता दल हैं, बाहर हैं, जमीन पर हैं, आकाश के नीचे हैं .....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अभी भी आप आकाश में हैं जमीन पर नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, इनकी गलती है, जिस पर एक भूतपूर्व संसद सदस्य श्री मनीराम बागड़ी ने तमाम लोक सभा को झूठों की पंचायत बताया है। यह बहुत गंभीर मामला है। इसमें हर आदमी पर अटैक किया गया है। इन्क्लूडिंग अपोजिशन एण्ड रूलिंग पार्टी,यह झूठों की पंचायत है। यह बात तमाम प्रेस में आई है, प्रेस की कापी मेरे पास है। उन्होंने एक लैटर भी स्पीकर साहब आपको लिखा है और चेयरमैन राज्य सभा को भी लिखा है।

अध्यक्ष महोदय: राज्य सभा की नहीं, यहां तो यहाँ की बात करिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं सभा में यह रखता हूं। क्या यह सभा की इच्छा है कि इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाय?

कुछ माननीय सदस्य: हां,

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर): महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार- प्रस्ताव श्री अमल दत्ता के विरुद्ध दिया है .....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अभी आया है, देखेंगे।

[अनुवाद]

मैं इसे देखूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ऐसे नहीं, बगैर देखे हुए कैसे कह दूँ।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: पहले मैं इसे पढ़ूंगा और फिर देखूगा की इसमें कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं तब मैं इसे स्वीकृति दूंगा अन्यथा नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया (संगरूर): अध्यक्ष महोदय, जोधपुर बंदियों की रिहाई एक अच्छा कदम है मगर श्री टोहरा और 77 आदमियों को दोबारा गिरफ्तार करने से सिचुएशन काफी कंप्लीकेटेड हो गई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, इस तरह नहीं।

(व्यवधान)

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद): श्री राम जेठमलानी .....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: वह इस सभा के सदस्य नहीं हैं। यह राज्य सभा के विचार के लिये छोड़ देना चाहिये। वह मेरे सदन के सदस्य नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० के० थुगन (अरुणाचल पश्चिम): महोदय, सभ्यता के इस दौर में उस तरह का आतंक तिब्बत में व्याप्त है, जैसा कि हिटलर ने जर्मनी में किया था ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे कुछ दें। मैं इस प्रकार अनुमति नहीं दे सकता। मैं नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अनुमति नहीं दी जाती।

(व्यवधान)

12.10 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

ब्रह्मपुत्र बोर्ड का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-74 86/89]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 के अन्तर्गत अधिक सूचनायें

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए.के. पांजा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा. का. नि. 1177 (अ), जो 15 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो भारत सरकार को भारत-बर्मा सीमा पर ऐसेटिक एनहाइड्राइड के अवैध निर्यात को रोकने तथा उस माल का, जिनका अवैध रूप से निर्यात किए जाने की सम्भावना है। पता लगाने को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए विशेष उपाय करने की शक्तियां प्रदान करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा. का. नि. 1201 (अ), जो 23 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय तांबे की विनिर्दिष्ट वस्तुओं तथा अनगढ़े जस्ते पर प्रभावी मूल सीमा-शुल्क निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 1202 (अ), जो 23 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 23 दिसम्बर, 1988 की अधिसूचना संख्या 319/88-सी.शु. के अन्तर्गत आने वाले माल के सम्बन्ध में मूल्यानुसार 30 प्रतिशत से अधिक उपचंगी शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा. का. नि. 1203 (अ), जो 23 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 जून, 1978 की अधिसूचना संख्या 122/78-सी. शु., 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 84/86-सी. शु. 30 दिसम्बर, 1987 की अधिसूचना संख्या 387/87/सी. शु. तथा 26 अगस्त, 1988 की अधिसूचना संख्या 240/88-सी. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि तांबा अक्सीक्लोराईड, अनगढ़े सीसे तथा अनगढ़े निकल के निर्माण के लिए तांबा अपशिष्ट और स्क्रैप के संबंध में मूल सीमा-शुल्क की प्रभावी दरें निर्धारित की जा सकें तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा. का. नि. 1212 (अ), जो 27 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 234/86-सी. शु. की वैधता अवधि 31 मार्च, 1989 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा. का. नि. 12 (अ), जो 9 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रदर्शनियों, मेलों, गोष्ठियों तथा इसी प्रकार के अवसरों में

प्रदर्शन के लिए आयातित विनिर्दिष्ट माल को कुछ शर्तों के अध्यधीन सम्पूर्ण मूल तथा अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा. का. नि. 13 (अ), जो 9 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 9 जनवरी, 1989 की अधिसूचना संख्या 3/89-सी. शु. के अन्तर्गत आने वाले माल को उपबंगी सीमा-शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा. का. नि. 74 (अ), तथा 75 (अ), जो 2 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो रबड़ के शल्य-चिकित्सा दस्तानों के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट मशीनरी को मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा-शुल्क तथा उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त तथा उपबंगी सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखें संख्या एल.टी. 7487/89]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा. का. नि. 1 (अ), जो 2 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 18 सितम्बर, 1988 की अधिसूचना संख्या 425/86-के. उ. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ के उपशीर्ष संख्या 0902.19 के अन्तर्गत आने वाली चाय पर उत्पाद-शुल्क से छूट का लाभ उठाने के लिये पैकिंग संबंधी अपेक्षा को हटाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा. का. नि. 30 (अ), जो 16 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय गुडाकु के और विनिर्माण के लिए कारखाने में ही इस्तेमाल तम्बाकू चूर्ण पर शुल्क से छुट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा. का. नि. 113 (अ), जो 22 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें यह व्यवस्था की गई है कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची के उपशीर्ष संख्या 2806.90 अथवा 2851.00 के अन्तर्गत आने वाले और उत्पादन के कारखाने के भीतर प्रयुक्त माल पर उत्पाद-शुल्क का 28 फरवरी, 1986 से 24 नवम्बर, 1987 तक की अवधि के दौरान संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7488/89]

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक सामान्य विनियम, 1988, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो):

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 की धारा 69 की उपधारा (3) के

अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक सामान्य विनियम, 1988 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए संख्या एल.टी. 7489/89]

(2) प्रतिभूति संविदा (विनियमन), अधिनियम 1956 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियम, 1988, जो 15 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1070 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ. 1194 (अ), जो 22 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य रदेश स्टॉक एक्सचेंज, इन्दौर को स्थायी मान्यता प्रदान की गयी है।

(तीन) का.आ. 41 (अ), जो 9 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को, जयपुर मान्यता प्रदान की गई है।

(चार) का.आ. 42 (अ), जो 9 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 13 का विस्तार राजस्थान में जयपुर नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र पर करने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7490/89]

(3) जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत 31 मार्च, 1988 को भारतीय जीवन बीमा निगम के अठारहवें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7491/89]

(4)(एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 48 की उपधारा (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7492/89]**

(5)(एक) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अन्तर्गत दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1987-88 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राज्य वित्तीय निगम के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7493/89]**

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, नई दिल्ली का 1 जुलाई, 1987 से 30 जून 1988 तक की अवधि के लिए वार्षिक प्रतिवेदन

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): मैं नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण नई दिल्ली के 1 जुलाई, 1987 से 30 जून, 1988 तक की अवधि के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखती हूं:—**[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7494/89]**

आयात (नियंत्रण) संशोधन आदेश 1989 वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): मैं अपने सहयोगी श्री प्रिय रंजन दासमुंशी की ओर से आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 और 4 के अन्तर्गत जारी किए गये आयात (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1989, जो 23 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 149 (अ) में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7495/89]**

श्री शान्ताराम नायक (पणजी): महोदय श्री राम जेठमलानी ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: नायक जी, क्या आप जानते हैं कि वह दूसरे सदन के सदस्य हैं?

श्री शान्ता राम नायक: किन्तु वह देश के नागरिक भी है **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय: राज्य सभा इस पर विचार कर सकती है। यह उनकी समस्या है, हमारी नही।

अब श्रीमती शीला दीक्षित (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: केवल श्रीमति शीला दीक्षित का भाषण कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित होगा।

12.12 म० प०

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): श्रीमान, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार 13 मार्च 1989 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा।

(1) वर्ष 1989-90 के सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा।

(2) वर्ष 1989-90 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) को सभा के मतदान के लिये रखना।

(3) रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा।

(4) (क) वर्ष 1989-90 के लिए अनुदानों की मांगों (रेल) पर चर्चा तथा मतदान।

(ख) वर्ष 1988-89 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर चर्चा तथा मतदान।

(ग) वर्ष 1988-89 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।

(5) आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1989 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा। तथा उसके स्थान पर प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक पर विचार तथा पारित करना।

(6) वर्ष 1989-90 के पंजाब बजट पर सामान्य चर्चा।

(7) (क) वर्ष 1989-90 के लिए लेखा अनुदानों की मांगों (पंजाब) पर चर्चा तथा मतदान।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ख) वर्ष 1988-89 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (पंजाब) पर चर्चा तथा मतदान।

श्री जुझार सिंह (झालावाड़): मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल कर लिया जाए।

सरकार ने नए क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काफी कुछ किया है किन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि विभाग की कार्यकुशलता इस हद तक गिर चुकी है कि वे उपभोक्ता, स्टाफ द्वारा किए जाने वाले कदाचारों के कारण एस० टी० डी० सुविधा का इस्तेमाल करने से घबराते हैं।

संचार मंत्री, स्टाफ द्वारा टेलीफोन लाइनों के दुरुपयोग को समाप्त करने या कम से कम इसे न्यून करने के लिए उपाय कर सकते है तथा विभागीय कर्मचारियों द्वारा टेलीफोन के दुरुपयोग को रोक सकते हैं।

12.13 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरेशी (सतना): उपाध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित प्रस्तावों को संसद् की अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने का कष्ट करें:।

1. सतना लोक सभा क्षेत्र में लाखों बेरोजगार हैं, जिसमें शिक्षित और अशिक्षित दोनों सम्मिलित हैं । परन्तु वहां पर खेलों के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है । यदि उन्हें खेलकूद की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं तो सतना लोक सभा क्षेत्र के इलाके से अच्छे खिलाड़ी मिल सकते हैं और जो देश का नाम सारे संसार में ऊंचा कर सकते हैं ।

केन्द्र सरकार विशेष वित्तीय सहायता देकर म० प्र० शासन को निर्देश दे कि सतना में एक इंडोर स्टेडियम की स्थापना करे ।

2. सतना सीमेंट एंड लायम स्टोन (सतना साइडिंग) अंग्रेजों के ज़माने का एक कारखाना है जहां काम करने वाले मजदूरों के लिए न पानी का और न ही रोशनी का कोई इन्तज़ाम है । शासन द्वारा यदि कोई ऐसे कार्य प्रस्तावित होते भी हैं तो यहां का मैनेजमेंट इस आधार पर उसे नहीं करने देता कि उक्त ज़मीन उनको लम्बी लीज़ पर दी जा चुकी है ।

केन्द्र सरकार म० प्र० शासन को निर्देश दे कि म० प्र० की ऐसी समस्त फैक्टरियों और कारखानों को जो ज़मीन लीज़ पर दी गयी है, वहां बिजली, पानी की सुविधाएं प्रदान करने के आदेश दे अन्यथा कारखानों की लीज़ के अधिकार समाप्त कर दे और सतना साईडिंग में काम करने वाले मज़दूरों को बिजली, पानी उपलब्ध कराने हेतु विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करे ।

(अनुवाद)

श्री शान्ताराम नायक (पणजी): महोदय, मेरा अनुरोध है कि निम्नलिखित को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल कर लिया जाए:-

हाल ही में बंगलौर में, दूरदर्शन धारावाहिक 'टीपू सुल्तान' को फिल्म बनाये जाने के दौरान स्टूडियों में लगी आग में कई कलाकार और तकनीकी लोग मारे गए थे । सरकार ने परम्परागत उद्योगो के संबंध में सुरक्षा उपाय निर्धारित किए हुए हैं, परन्तु सरकार द्वारा सिनेमा जैसे उद्योग का सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान नहीं रखा जाता । यहां इस दुर्घटना में बड़े न सही किन्तु अच्छा वेतन पाने वाले कलाकार थे, किन्तु इस उद्योग के अधिकांश लोग अपेक्षा कृत रूप से कम वेतन पाने वाले छोटे कलाकार और तकनीकी लोग है । सरकार को

इस पेशे में लगे लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए तथा उनको मुआवजा देने संबंधी पहलू का भी ध्यान रखना चाहिए ।

श्री मोहम्मद महफूज़ अली खां (एटा): महोदय, मेरा अनुरोध है कि निम्नलिखित को अगले सप्ताह की कार्यवाही सूची मे शामिल किया जाए:—

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में प्रमुख नदियों गंगा और यमुना के स्रोतों में पानी की कमी ने गम्भीर रूप धारणा कर लिया है । जल स्रोत, जो पहाड़ी क्षेत्रो में पिछले कई दशकों से लगातार कम होते जा रहे है या तो बिल्कुल सूख गए है या तेज़ी से लुप्त हो गये है ।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उत्तर प्रदेश के कमी वाले पहाड़ी क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए तुरंत कारगार उपाय करें और इन क्षेत्रों में जल स्रोतों के दोहन के लिए अल्पावधि दीर्घावधि योजना तैयार करें। राज्य सरकार को इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाए ।

[हिन्दी]

श्री मदन पाण्डे (गोरखपुर): आजादी के समय देश में लगभग 22 हजार डाकघर थे जो गरीब जनता का सन्देश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करते थे और आज हमारी सरकार ने प्रयास करके इस दिशा में काफी प्रगति की है और उसके परिणामस्वरूप आज देश में डाकाघरों की संख्या 1.44 लाख हो गई है, लेकिन इतने विशाल देश के लिए यह संख्या काफी नहीं कही जा सकती है। आज भी लगभग 4 लाख गांवों में डाकघर की कोई व्यवस्था नहीं है। आज के युग में उन गांवों के निवासियों को कितनी कठिनाई होती होगी, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता है।

अतः मैं केन्द्रीय संचार मंत्री से मांग करता हूं कि डाक व्यवस्था से वंचित उन ग्राम पंचायतों और गांवों में डाकघर की स्थापना के लिए कोई विशेष योजना तैयार करे जिससे उन लोगों को डाक व्यवस्था का लाभ मिल सके।

श्री मानकू राम सोढी (बस्तर): आदिवासियों के जीवन में वनों का बहुत महत्व है तथा वनों की रक्षा करने में आदिवासियों का विशेष योंगदान है, लेकिन आज बस्तर के वन की रक्षा करने सीधे भोपाल से, जिले के बाहर के युवकों को नियुक्त करते हैं। बस्तर के नवयुवकों में वन रक्षक की नियुक्ति से घोर आक्रोश है और भविष्य में बस्तर के वन रक्षा में इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए राज्य शासन क। निर्देश दिया जाये कि वन रक्षक पद में आदिवासी हरिजन युवकों को नियुक्त किया जाये।

(2) बस्तर जिला में अभी 16 विकास खंडों में आंगनबाड़ी खोला गया है। अभी आधे विकास खंडों में खोलना बाकी है। यह योजना बहुत ही लोकप्रिय योजना है। इस योजना में निगरानी के लिए सुपरवाइजर के पद पर शिक्षित अविवाहित युवतियों को पदस्थ किया जाता है। उनकी शादी हो जाने से वे अन्यत्र स्थानान्तरण करा लेती हैं।

अतः केन्द्र शासन से अनुरोध है कि इस पद में स्थानीय अविवाहित युवतियों को नियुक्ति हेतु राज्य शासन को निर्देश दिया जाये।

(अनुवाद)

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक): महोदय, मैं आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मुद्दों को शामिल करने का अनुरोध करती हूँ—

विगत आठ वर्षों में उड़ीसा राज्य के तीव्र औद्योगिकरण के साथ भुवनेश्वर में राष्ट्रीय स्तर की कम्पनियों के कार्यालय स्थापित किए गए हैं। अनेक उद्यमियों और व्यवसाय-प्रबन्धकों को उड़ीसा से बम्बई जाना पड़ता

है । इन संस्थानों के प्रबन्धकों को भी व्यापार संबंधी बात-चीत और सलाह-मशविरे के लिये भुवनेश्वर आना पड़ता है । अतः इंडियन एअर लाईन्स को भुवनेश्वर और नागपुर होते हुए कलकत्ता से बम्बई विमान सेवा पुनः शुरु करनी चाहिए इसी प्रकार, कलकत्ता से बैंगलौर विमान सेवा, जो भुवनेश्वर और हैदराबाद में रुके पुनः शुरु की जानी चाहिए ।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण): मैं अनुरोध करता हूँ कि अगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मुद्दे शामिल किये जाएं—

(1) सरकार से अनुरोध किया जाता है कि पूरे राज्य में सभी दूरदर्शन रिले केन्द्रों द्वारा बंगलौर के कन्नड़ कार्यक्रमों के प्रसारण के लिये कर्नाटक में माइक्रो वेव लिंक उपलब्ध कराया जाये और मैंगलोर दूरदर्शन केन्द्र द्वारा रिले किये जा रहे कालीकट केन्द्र के कार्यक्रमों को बन्द कराया जाये।

(2) हजारों बेरोजगार लोगों को जिन्होंने देश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में अपना नाम दर्ज कराया है, 6-7 वर्ष गुजर जाने के बाद भी नौकरी नहीं मिली है । बहुत से लोगों की केन्द्र सरकार के कार्यालायों और उपक्रमों में काम करने की निर्धारित उम्रसीमा समाप्त हो चुकी है ।

केन्द्र सरकार के कार्यालयों और उपक्रमों में नौकरी के लिये सरकार द्वारा उम्रसीमा में 3 वर्ष की छूट दी जानी चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने का कष्ट करें ।

68 सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी व कर्मचारी हाई पावर पे कमेटी की रिपोर्ट को सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने की मांग को लेकर आन्दोलनरत हैं । सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित जस्टिस मिश्रा कमेटी, दिनांक 24 नवम्बर, 1988 को निर्णय दे चुकी है कि इन सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप दिनांक 1.1.86 से नये वेतनमान आदि का भुगतान कर दिया जाए । कमेटी के निर्णय आदेशात्मक हैं । विधि विभाग भी स्पष्ट कर चुका है कि इन निर्णयों को लागू करने के लिए सरकार बाध्य है परन्तु उन्हें मानने में की जा रही अनावश्यक देरी कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए चिन्ता का विषय बनी हुई है ।

अतः इस बिन्दु पर सदन में चर्चा आवश्यक है।

श्री शांति धारीवाल (कोटा): उपाध्यक्ष महोदय, निम्न विषय को अगले सप्ताह की कार्यवाही में शामिल किया जाये ।

राजस्थान में सड़कों का जाल भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा औसतन बहुत कम है । राष्ट्रीय स्तर पर जो औसत 47.27 कि० मी०, 100 स्क्वायर किलो मीटर के लिये है, वह राजस्थान में सिर्फ 22.14 कि० मी० ही बैठता है । राष्ट्रीय राज्य मार्ग का भी औसत राज्य में कम है । ग्रामीण सम्पर्क सड़कों की राजस्थान में भारी कमी महसूस की जाती है । भारत सरकार अपनी ओर से राजस्थान सरकार की इस विषय में मदद कर सकती है जिससे पड़ौसी राज्यों से सम्पर्क बन सके तथा विशेषकर पर्यटन व व्यापार की दृष्टि से तथा ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के बनाने में मदद मिल सके । भारत सरकार को विशेष तौर पर राज्य सरकार की सड़क यातायात के विषय में आर्थिक मदद करना वांछित है ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय; अब मंत्री महोदय बोलें ।

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० नामग्याल); महोदय, माननीय सदस्यों के विचार कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखे जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय; रेलवे बजट की चर्चा के बारे में क्या होगा?

श्री पी० नामग्याल; महोदय अपराह्न 2.30 बजे माननीय रेल मंत्री रेल बजट पर बहस का उत्तर देंगे। आप माननीय सदस्यों को 2.30 बजे तक बोलने की अनुमति दे सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्यगण राजी हों तो हम लोग भोजन अवकाश को समाप्त कर सकते हैं । अन्यथा हम इस मुद्दे को पूरा नहीं कर सकते । यदि सभा सहमत हो तो हम बिना भोजन अवकाश के चर्चा जारी रख सकते हैं । मैं प्रत्येक सदसय को सिर्फ पाँच मिनट की अनुमति दूँगा अन्यथा, इस वाद विवाद को 2.30 बजे से पहले समाप्त करना मेरे लिये असंभव होगा! अतः हम बहस जारी रखेंगे और आज कोई भोजन अवकाश नहीं होगा । माननीय मंत्री महोदय का उत्तर बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। मैं सोचता हूं आप भोजन अवकाश की समाप्ति के लिये पहले से उत्सुक है ।

कुछ माननीय सदस्य; जी हां !

12.24 म०प०

रेल बजट 1989-90 — सामान्य चर्चा- (जारी)

उपाध्यक्ष महोदय; अब हम 1989-90 के बजट (रेलवे) पर सामान्य चर्चा करेंगे। श्री उत्तम राठौड़ बोले

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली): उपाध्यक्ष महोदय, गत सप्ताह इस सभा में प्रस्तुत किये गये रेलवे बजट के बारे में मैं अपने विचार प्रकट करता हूं। महोदय चूंकि समय कम है अतः सबसे पहले मैं मंत्री महोदय को मराठवाला क्षेत्र में रेलवे के विकास के लिये किये गये कार्यों के लिये धन्यवाद देना चाहूंगा। अदिलाबाद- मुदखेद खण्ड की सिगनल व्यवस्था में सुधार आने के लिये भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। अब कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर विचार करने के लिये उन्हें मैं माननीय मंत्री के समक्ष रखना चाहूंगा। महोदय, यह एक सत्य है और इसे अनेक माननीय सदस्यों द्वारा भी कहा गया है कि योजनागत आवंटित राशि बहुत ही कम है। योजना के लिए कितनी भी राशि आवंटित की गई हो पिछड़े ईलाकों के विकास में भी आपको इसे व्यय करने की कोशिश करनी चाहिए। अन्यथा आपको पहले हुये असंतुलनों में सुधार लाना होगा।

महोदय, मुझे खुशी है कि रेलवे की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिये रेल मंत्री ने तन-मन से कोशिश की है और रेलवे की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के कार्य में उन्होंने अपने साथ कर्मचारियों को भी शामिल किया है।

महोदय, रेल मंत्री ने यह भी परामर्श दिया है कि कुछ रेलवे स्टेशनों को मॉडल स्टेशन के रुप में विकसित किया जायेगा। इससे वह स्वयं संतुष्ट होगें। लेकिन मैं एक बात उनके ध्यान में लाना चाहता हूं। अदिलाबाद से मुदखेद के बीच उन स्टेशनों की क्या दशा है जहां की विश्रामालय, स्टेशन की ईमारतें और स्टेशन क्वार्टर, सभी लहरियादार चादरों की बनी हुई हैं— लहरियादार चादरें उनके पूरब, पश्चिम, उत्तर , और दक्षिण चारों ओर हैं और उनके ऊपर ए० सी० चादरें हैं? ये स्टेशन 50 वर्ष पहले बने थे। उनका निर्माण 1938-39 में हुआ था और आज भी उनकी वही दशा है। स्टेशन की ईमारत और स्टाफ क्वार्टरों में बिल्कुल सुधार नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि कम से कम इस वर्ष स्टेशन मास्टरों विशेषकर उनके लिये जो अपने परिवारों से दूर रह कर इस पिछड़े इलाकों में कार्य करते हैं, को सुविधायें प्रदान करने के लिये उन्हें कुछ

धनराशि प्राप्त होगी लेकिन यह दुर्भागय की बात है कि इस रेलवे बजट ने उपरोक्त क्षेत्र के स्टेशन की ईमारतों, विश्रामालयों और स्टाफ क्वार्टरों की कोई सुध नहीं ली। यहां मेरे पास कुछ फोटोग्राफ हैं और ये फोटोग्राफ आपको विश्वास दिलायेगें की इन स्टेशनों की ईमारतों को गिराकर वहां नई स्टेशन ईमारतें तैयार की जानी चाहिएं।

यात्री की सुविधा के लिये, विशेष रूप से दक्षिण-मध्य रेलवे में, एक अल्प राशि स्वीकृत की गयी है। मैं नहीं जानता हूं मॉडल स्टेशन की ईमारतों के लिये धनराशी स्वीकृत करते वक्त उन्हें क्या हो जाता है। वह उनके लिए उदारता पूर्वक धनराशी देते हैं और पिछड़े इलाकों में यात्रियों की सुविधाओं में सुधार के लिये राशी प्रदान करते वक्त वे बहुत ही कंजूस हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? क्या वे नहीं जानते हैं कि किसी आदिवासी ईलाके के उपनगरीय लाईन पर यात्रा करते वक्त एक यात्री को मेन लाईन पर यात्रा करने वाले यात्री के बराबर ही किराया देना पड़ता है? तब यह अन्तर क्यों है? यह मुझे 'जार्ज ओखेल' की पुस्तक 'एनिमल फार्म' की याद दिलाता है जहां वे यह कहते हैं कि सभी पशु एक समान पैदा होते हैं लेकिन उनमें से कुछ दूसरों की उपेक्षा अधिक समान होते हैं। इसी प्रकार मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय परामर्श देते हैं कि पिछड़े इलाकों में यात्रा करने वाले लोगों की अपेक्षा बड़ी लाईन पर यात्रा करने वाले लोग अधिक समान होते हैं। यदि ऐसा नहीं है, तो उन्हें आदिवासी और पिछड़े इलाकों में यात्रा करने वाले यात्रियों की दशा में सुधार करना चाहिए।

मैं एक दो अन्य मुद्दों पर भी सलाह देना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं यह सलाह देना चाहूंगा कि मुदखेद अदिलाबाद क्षेत्र और पूर्ण-खाण्ड्वा क्षेत्र में प्लेटफार्म 'शेड' आवश्यक हैं। फिर, धर्माबाद, उमरी, किनवात, इसलापुर, हिमायत नगर और भोकर में एलोरा, अजंता, मिनाक्षी और पंचवटी के लिये प्रथम और द्वितीय श्रेणी रेलवे आरक्षण की सुविधायें आवश्यक हैं और वहां के लिए भी कुछ कोटा दिया जाना चाहिए। यदि इन साधारण बातों के लिये मुझे सभा में अपना समय बरबाद करना पड़े तो हमारे लिये अपनी मांगों की पूर्ति करना बहुत ही मुश्किल हो जायेगा। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय लोगों को इन सुविधाओं को देते वक्त अधिक उदारता बरतेंगे।

जो यात्री मराठवाड़ा से बम्बई पंचवटी से यात्रा करतें है, उन्हें डबल-डेकर दूसरे दर्जे के यात्री डिब्बों में यात्रा करनी पड़ती है। यह डिब्बे इतने छोटे हैं कि कोई व्यक्ति एक हैंड बैग के अलावा कुछ भी नहीं ले जा सकता है। आपने क्या सोचकर मराठवाड़ा से आने वाले यात्रियों के लिए, जो कि सामान और खाद्यन्न बम्बई ले जाते हैं, ये डबल-डेकर डिब्बे लगाए है । यदि आप और डिब्बे नहीं लगा सकते तो मराठवाड़ा के लोगों के लिए कम से कम दो साधारण द्वितीय श्रेणी के डिब्बे आरक्षित किये जाने चाहिए।

आखिर में, यह कहूंगा कि आदिलाबाद से औरंगाबाद एक्सप्रेस ट्रेन चलाया जाना बहुत जरूरी है । इस लाइन के कई हिस्से कच्चे है । इसलिए पूरी लाइन को उखाड़ा जाना चाहिए ताकि एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जा सके।

मैं एक बार फिर रेलमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा, विशेषकर उनके द्वारा टैरिफ में छूट दिये जाने के लिए ।

माननीय मंत्री महोदय ने लिखा है कि यह ग्रामीण लोगों और किसानों के लिए है जहां तक खाद का प्रश्न है मैं इससे सहमत हूं । लेकिन जहां तक चारे का प्रश्न है, मैं नहीं समझता कि चारे को शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जा सकता है। कृपया अतिरंजित बातें न करें । हमें उनसे बहकाया नहीं जा सकता । आपको निर्धन लोगों के लिए सचमुच कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वे रेलवे का लाभ उठा सकें ।

(हिन्दी)

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो, तीन बातें कहना चाहता हूं, मेरी समस्याएं कुछ दूसरे तरह की हैं, मंत्री जी गलत नहीं समझेंगे, रेल मंत्रालय का काम बहुत अच्छा है, सिंधिया जी और महावीर प्रसाद जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जब-जब मैं कांस्टीटुएंसी जाता हूं तो महावीर बाबू से ट्रेन में मुलाकात होती रहती है और पेसेन्जर्स की सुविधा का ये इतना ख्याल रखते हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है।

हमारी समस्या दूसरी तरह की है, हमारे साथ अन्याय हुआ है । मैं कोई नई लाइन या नई ट्रेन नहीं चाहता हूं । समस्तीपुर से दरभंगा तक मीलों तक रेल की लाइन बिछ गई थी । फिर एक रेल मंत्री हुए, उन्होंने उस लाइन को उखड़वा दिया और उस लाइन को अपनी कांस्टीटुएंसी में ले गए । मैं सदन से विनम्रतापूर्वक यह मांग करता हूं कि एक कमेटी बनाई जाए जो इस बात का पता लगावे कि किसी खास क्षेत्र के साथ यह अन्याय क्यों हुआ है? एक बिछी हुई लाइन को क्या कोई मंत्री उखड़वाकर अपने क्षेत्र में ले जा सकता है? और यदि अन्याय हुआ है तो उसको फिर से दूर किया जाए। मैं यह नहीं कहता कि जहां पर वह रेल लाइन बिछी है। वहां से उखड़वाकर समस्तीपुर-दरभंगा में लाइन लगाई जाए लेकिन मैं चाहता हूं कि वहां पर एक बड़ी लाइन बिछाई जाए।

मैंने पहले भी कई बार इस सदन में कहा है कि हमारा एक-प्वाइन्ट प्रोग्राम है, जब तक हम इस सदन में रहेंगे और रेल पर जब-जब बहस होगी, हम यह बात कहते रहेंगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और जस्टिस होना चाहिए । समस्तीपुर-दरभंगा बड़ी लाइन बिछाई जानी चाहिए। पूरे उस क्षेत्र का विकास इस बड़ी रेल लाइन न होने के कारण रुका हुआ है।

मैंने कई उद्योगपतियों से बात की है, वे वहां पर उद्योग लगाने को तैयार हैं, रा-मैटीरियल तैयार है । सारे उद्योगपति कहते हैं कि कच्चा माल कैसे ले जाएंगे और तैयार माल वहां से कैसे लाएंगे? यह एक छोटी सी बात है चाहे इसके लिए प्लानिंग कमीशन से दोबारा निवेदन करना पड़े तो उससे दोबारा निवेदन करके इस लाइन को बिछाया जाए।

ट्रांस्पोर्ट इकनामिक जानने वाले जो होंगे वह जानते हैं कि वैलफेयर स्टेट में ऐसा तो होता ही है कि कोई एरिया घाटे में चलता है और कोई फायदे में चलता है। वैलफेयर स्टेस है, लाखों लोगों की सुविधा के लिए भी कम-से-कम यह किया जाना चाहिए।

मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपने उत्तर में हमें इस बात का भरोसा दिलावें कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, उसको खत्म किया जाएगा।

लाखों लोग जो मिथिला से आकर दिल्ली में बस गए हैं । यहां जो लोगों का खाना खाते हैं, ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं जो वहां पर उद्योग बैठ जाएं । वहां पर उद्योग-धंधे बैठाने के लिए लोग तैयार हैं, केवल एक बड़ी लाइन की कमी है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस पर गौर से सोचें, अगर ऐसा नहीं होता है तो इस देश में ला आफ जंगल को जाएगा। जो मंत्री आएंगे वह एक क्षेत्र से रेल लाइन निकलवाकर अपने क्षेत्र में ले जाएंगे । और ऐसा अगर हो जाएगा तो केयोस हो जाएगा कहीं पर भी कोई विकास नहीं हो सकेगा । मैं चाहता हूं कि इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार की उपेक्षा इन कुछ वर्षों में होती रही है। मैं नहीं कहता पूरी उपेक्षा हुई है, दोनों मंत्रियों ने बहुत अच्छा काम किया है। 1987 की बाढ़ में जो रेल लाइन टूट गई थीं, उन्होंने उत्तर बिहार की रेल लाइन को फिर से लगवाया है लेकिन बहुत से मामलों में अभी भी बिहार पिछड़ा हुआ है। सकरिया-हसनपुर का सर्वे हो गया है और बिहार सरकार ने इसके लिए जमीन भी दे दी है लेकिन अभी तक काम नहीं हो सका है। पटना में रेलवे पुल बनने

की बात पिछले 20 वर्षों से हो रही है लेकिन अभी तक पुल का शिलान्यास भी नहीं हो सका है। जमालपुर कारखाना धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है। वहां जो रेल इंजन बनते थे वह भी बनने बंद हो रहे हैं। वहां नये मजदूरों की बहाली नहीं हो रही है। पुराने मजदूर जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह नये लोगों को नहीं लिया जा रहा है।

मैं एक आखिरी बात कह कर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा । छितौनी-बगहा रेल पुल के बारे में बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों के संसद सदस्यों ने आपसे निवेदन किया है। इन्दिरा जी ने इसका शिलान्यास किया था। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस रेल पुल पर ज्यादा ध्यान दें।

मगध एक्सप्रेस का आप समय चेंज करिए । इसको पटना से पौने छः बजे ले जायें और पौने छः बजे ही दिल्ली से ले आइए। इसके साथ ही इस गाड़ी को विक्रमशीला से अलग कीजिए। आपने एक ट्रेन सहरसा से सोनपुर तक चलायी है । 30 लाख की आबादी के लोग जो दक्षिण बिहार आना चाहते हैं वह आ नहीं पाते हैं ।

अच्छा बजट बनाने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । हम संसद सदस्यों की जो वास्तविक कठिनाइयां हों उन पर आप विशेष ध्यान दें ।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल बजट का समर्थन करती हूं । हमारे क्षेत्र की कोई ऐसी खास समस्या नहीं है। जो हमारे यहां की 2-3 प्राबलम्स थीं उसको रेलवे मिनिस्टर ने सॉल्व कर दिया। इसके लिये मैं इन्हें धन्यवाद देती हूं । रेलवे मिनिस्ट्री को अच्छा काम करने के लिए मैं बधाई देना चाहती हूं। लेकिन मंत्री जी से एक प्रार्थना यह करना चाहती हूं कि वैस्ट बंगाल के जो भी पैंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप क्लीअर करा दें । एक लखीकांतपुर नामखाना प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के लिये 35 करोड़ रुपये की जरुरत है, दूसरा दीघातमलुख रेलवे प्रोजेक्ट है, तीसरा एक लाख का बालूखाट रेलवे प्रोजेक्ट है और चौथा बाड़ासात-बैरकपुर डबल लाइन प्रोजेक्ट है। इन सब प्रोजेक्ट्स के बारे में आपने कमिटमेंट किया है । आप हमें यह बतायें कि यह प्रोजेक्ट्स आप कब तक पूरा करवा देंगे?

त्रिपुरा से हमारी पार्टी का कोई भी एम०पी० यहां नहीं आया है। इसलिये त्रिपुरा के बारे में भी मैं आपसे कुछ रिकवैस्ट करना चाहूंगी। गवर्नमेंट का कमिटमेंट था कि बाड़ासात-बैरकपुर लाइन को पूरा किया जायेगा। लेकिन वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अगर गवर्नमेंट कमिटमेंट करती है तो उसे वह कमिटमेंट पूरा करना चाहिए। समय कम है इसलिये जल्दी-जल्दी मैं अपनी बात को कहना चाहूंगी। मुझे मालूम है कि डिप्टी स्पीकर अभी घंटी बजा देंगे। घंटी बजाने से पहले ही मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी।

अब मैं कैजुअल लेबर और टिकट चैकर्स वॉलयंटियर्स के बारे में कहना चाहूंगी। इनको हमारे गनी खां जी ने नियुक्त किया था। इनकी फेवर में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया है। लेकिन मालूम नहीं क्यों आप उनकी जजमेंट को नहीं मानते हैं। जिन लड़कों का पैनल में नाम है उनका जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट कीजिए। आखिर कितने दिनों तक यह प्राब्लम चलेगा।

यह बहुत दुख की बात है कि कानपुर में कुछ दिन पहले "रास्ता रोको आंदोलन" जो हुआ था उस दौरान 100 ट्रेनें कैंसिल की थीं। हमारी हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस की कोई सूचना आपने नहीं दी थी। मैं राजधानी एक्सप्रेस में आ रही थी और मुझे पार्लियामेंट का सैशन अटेंड करने के लिये आना था। वह गाड़ी उस दिन 10 घंटे लेट थी। और 4-5 दिन कोई ट्रेन नहीं थी । एक मिल वर्कर ने स्ट्राइक की थी इसके लिए आपने ऐसा किया था। ठीक है, मिल वर्कर के लिए हमारे दिल में दर्द है, उसके लिए हमारी सिम्पैथी है लेकिन कानपुर में रेल वर्कर्स की 5 दिन हुई स्ट्राइक से लड़ने के लिए आपने कोई कोशिश नहीं की । हमारे स्टेट में भी ऐसी प्राब्लम है, बहुत सी इंडस्ट्रीज बन्द हैं, लाखों-लाख आदमी रास्ते पर हैं, आज हम लोग भी ऐसा तरीका

[कुमारी ममता बनर्जी]

अपनाएंगे तो आप क्या करेंगे। आपका जो लॉ है, आपका जो कानून है वह हर स्टेट में एक जैसा होना चाहिए। मैं पहले से बोल देती हूं कि हमारी इन्डस्ट्रीज नहीं खुलेंगी तो हम भी रेल रोकेंगे, हम जिस राजधानी में आये थे उसको रोक देंगे, हावड़ा में हम राजधानी रोक देंगे, अगर हमारे वालेण्टियर्स का रिक्रूटमैण्ट नहीं हुआ। रेलवे सर्विस में जो रिक्रूटमैण्ट होती है, हम लोग एक भी अनएम्पलायड यूथ के लिए रीकमैण्ड करते हैं तो नहीं होता है, ये बड़े छुपे रूस्तम हैं । मैं हिन्दी तो ज्यादा अच्छी नहीं बोल सकती हूं लेकिन आप समझेंगे इसलिए बोल रही हूं जो रिक्रूटमैण्ट होती है वह क्वालिटी और मैरिट से नहीं होती है, आप इन्कायरी करा लीजिए, विजिलेंस से करा लीजिए, रिक्रूटमैण्ट में किसी का हाथ होता है, वह रुपया लेता है और रिक्रूटमैण्ट करता है इसलिए जिस नौजवान का रिक्रूटमैण्ट होना चाहिए उसका नहीं होता है, इसके बारे में आप ध्यान दीजिए । रेल्वे में अभी बहुत सी नोटीफाइड वेकेंसीज हैं, आप उनको कीजिए, इससे बहुत सारे अनएम्पलायड यूथ को नौकरी मिल सकती है और पोस्ट्स फिल अप हो सकती हैं ।

मैं जो अन्तिम बात कहूंगी उसकी तरफ मिनिस्टर जरूर ध्यान देंगे, पी० ए० सी० के चेयरमैन श्री अमल दत्ता ने पिछले दिनों एक प्रैस कांफ्रेंस की थी जिसमें मैट्रो रेलवे के बारे में उन्होंने कहा था कि सैण्ट्रल गवर्नमेन्ट से मैट्रो रेलवे का काम कम्पलीट नहीं होता है । हमको मालूम नहीं है, रिपोर्ट में क्या है, क्या नहीं है, हमने तो प्रिवलेज नोटिस भी दे दिया है ... **(व्यवधान)**... मंत्री जी, इसमें आपको रिप्लाई देना है, यह रिप्लाई देना जरूरी है कि जो रिपोर्ट निकली है, उस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या ध्यान है, यह आपको हाऊस में जरूर बताना चाहिए । मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूं लेकिन बंगाल की फीलिंग ऐसी हुई है । जो ईस्टर्न रीजन है वह रेलवे मिनिस्ट्री के बजट में थोड़ा पीछे पड़ा है । हम तो डैस्क्राइब बात नहीं बोल सकते हैं, आप गुस्सा हो जायेंग, इसके लिए आप थोड़ी मदद दीजिए, ईस्टर्न रीजन के लिए, बंगाल के लिए, उड़ीसा के लिए और बिहार के लिए । आपको एक चीज और देखनी चाहिए जो ट्रेंस चलती हैं उनमें पैसेंजर एमीनिटीज की तरफ आपको अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए और ट्रेंस ठीक समय पर ठीक जगह से छोड़नी चाहिए और पहुंचनी चाहिए । एयरलाइंस का भी ऐसा हाल हो गया, रेल का भी ऐसा हाल हो गया है तो आदमी जब घर से निकलता है तो उसको मालूम नहीं रहता कि वह कब पहुंचेगा, इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए । मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहिती हूं लेकिन रेलवे मिनिस्ट्री को ध्यान देना चाहिए । प्राब्लम्स तो बहुत हैं लेकिन फिर भी आप इसके लिए कोशिश कर रहे हैं ।

[अनुवाद]

श्रीमती बसवराजेश्वरी (बल्लारी): उपाध्यक्ष महोदय, आरम्भ में मैं माननीय मंत्री महोदय को लाभ का बजट देने के लिए बधाई देती हूं । मैं माननीय मंत्री महोदय को कर्नाटक और दिल्ली के बीच (जो कर्नाटक को कवर करती है) रोजाना गाड़ी चलाने के लिए धन्यवाद देती हूं । मैं मंत्री महोदय का बीजापुर से गुंटाकल के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाने के लिए भी धन्यवाद देती हूं । इस नई एक्सप्रेस गाड़ी को अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया है । मैं सभा में मंत्री महोदय से अनुरोध करुंगी कि वह नई एक्सप्रेस गाड़ी का नाम श्री वसव या श्री चालुक्य के नाम पर रखें । श्री बसव महान समाज सुधारक थे और सम्पूर्ण आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में जाने जाते थे । इसलिए यह नाम बहुत ही उपयुक्त रहेगा । मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगी कि वह इस एक्सप्रेस गाड़ी को यात्री गाड़ी में तब्दील कर दें वरना यह अपने उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाऐगी जो हमने सोचें हैं ।

मैं माननीय मंत्री महोदय का उस 50 प्रतिशत छूट के लिए धन्यवाद करना चाहूंगी जो उन्होंने उन किसानों को दी है जो दिल्ली में 24 तारीख से आयोजित राष्ट्रीय कृषि मेला देखने आयेंगे । मैं

माननीय मंत्री महोदय से पुनः अनुरोध करुंगी कि जहां कहीं भी किसान अधिक संख्या में हों वहां किसानों के अनुरोध पर कुछ विशेष रेलगाड़ियां चलाई जानी चाहिएं।

अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं के विषय में चर्चा करना चाहूंगी। बेल्लारी स्टेशन को एक आदर्श स्टेशन में बदल दिया गया है। योजना तैयार है। संविदा कर लिये गये हैं। परन्तु कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करुंगी कि इसे जितना शीघ्र हो सके शुरू किया जाना चाहिए।

जहां तक बड़ी लाइन के प्लेटफार्म का प्रश्न है वहां कोई शेड नहीं है। अब गर्मियां आ रही हैं। मैं रेल विभाग से अनुरोध करुंगी कि पीने के पानी के साथ शेड और रोशनी की व्यवस्था की जाये। यदि यह इन गर्मियों में नहीं किया गया तो यात्रियों को बहुत परेशानी होगी।

बेल्लारी स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है। आज की तिथि में यह जंक्शन है। वहां रेलवे कर्मचारियों के साथ साथ और भी बहुत लोग रह रहें है। वे पीने के पानी की समस्या का सामना कर रहें हैं। हम राज्य सरकार को पर्याप्त पेयजल देने के लिए कहते रहे हैं। लेकिन आज तक शहरी पेयजल वितरण के लोगों ने फालतू पानी भी सप्लाई नहीं किया है। जो कुछ दिया गया है वह बहुत पहले दिया गया था। इसकी बुहत अधिक मांग है। रेलवे विभाग के समक्ष एक प्रस्ताव है कि 2 करोड़ रुपये की लागत से पास ही के एक नाले से पानी लिया जाये। यदि यह किया गया तो मैं महसूस करता हूं तो इससे पेयजल की सप्लाई बढ़ जाएगी और इससे रेलवे स्टेशन पर रहने वाले कर्मचारियों को काफी लाभ होगा।

जहां तक गोदामों का प्रश्न है वहां रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है। ठेकेदारों के लिए यह संभव नहीं है कि वह निर्धारित समय में माल उठा सकें। रात्रि के समय यदि बिजली नहीं हैं तो माल के गुम होने की पूरी संभावना है। ठेकेदारों के लिए यह संभव नहीं है कि वे गोदाम पर आये हुए सारे सामान की निर्धारित समय में उठा सकें। जहां कहीं भी ऐसे गोदाम हैं रोशनी की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठेकेदार रोजाना इसकी मांग करते हैं। इसलिये गोदामों में बिजली की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा सड़कों का भी निर्माण किया जाना चाहिए ताकि गोदामों में माल की आवाजाही हो सके।

मुझे मालूम हुआ है कि समूह 'क' और समूह 'ख' के अधिकारियों में कुछ असंतोष है जिनकी सीधे भर्ती हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे पता चला है कि समूचा विभाग एक टीम के रूप में कार्य करता है। विभागों में आपस में काफी सहयोग होना चाहिए। निचले स्तर पर कार्य करने वाले 'ख' वर्ग के अधिकारियों में कुछ असन्तोष है। इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि समूह 'ख' के अधिकारियों की तरफ ध्यान दे जो बहुत समय से कार्य कर रहे हैं।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की मांगों का उल्लेख करती हूं। हरिहर कोट्टू लाइन को जोड़ने का प्रस्ताव था इसका निर्माण कार्य अधूरा है। मैं किसी नयी लाइन के लिये नहीं कह रही हूँ। मैं इसी लाइन को पूरा करने के लिए कह रही हूं। मैं एक सुझाव देना चाहती हूं। मेरा क्षेत्र ऐसा है जहां मैगनीज और लौह अयस्क जैसे खनिजों का अत्यधिक उत्खनन होता है। अधिकांश लौह अयस्क मद्रास पत्तन के द्वारा भेजा जा रहा है। खनिजों के सम्पूर्ण उत्पादन को मद्रास तक ले जाना रेलवे के लिये कठिन कार्य है। अनेक देशों ने सम्पूर्ण अयस्क को ले जाने का प्रस्ताव किया है। उस स्थिति में मेरे विचार से होसपट से मद्रास तक अयस्क को ले जाने की विद्यमान व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। यदि यह लाइन अर्थात हरिहर कोट्टू लाइन पूरी की जाये तो हम

[श्रीमती बसवराजेश्वरी]

कुछ अयस्क मंगलौर पत्तन को भेज सकते हैं। मंगलौर पत्तन पर आवागमन पहले ही अधिक हो गया है। अनेक देशों से आयात होने वाला अधिकांश माल मंगलौर पत्तन पर उतारा जाता है और शेष माल मद्रास पत्तन पर उतारा जाता है। मद्रास पत्तन पर लदान पहले ही अधिक हो रहा है। मेरा निवेदन है कि आर्थिक दृष्टि से यह देखने के लिये इस लाइन को पूरा किया जाना चाहिए कि इस हरिहर कोट्टूर लाइन के पूरा होने से होसपेट क्षेत्र में पैदा होने वाले अयस्क को मंगलौर पत्तन को भेजा जा सकता है। इसलिये मैं चाहती हूं कि रेल विभाग एम०एम०टी०सी० जो एक सम्पर्क एजेंसी है के साथ बातचीत करे।

अनेक सदस्यों ने चित्रदुर्ग-रायदुर्ग लाइन के सम्बन्ध में मांग की है। मेरा क्षेत्र ऐसा है जो रायदुर्ग के बहुत निकट है। इस रेल लाइन के पूरा होने का कोई समाचार नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस लाइन को बेल्लारी से जोड़े दिया जाना चाहिए। रायदुर्ग से बेल्लारी तक पहले ही छोटी लाइन है। इस लाइन को बेल्लारी तक बढ़ाया जाना चाहिए। इससे उद्देश्य की प्रप्ति होगी। मंत्री महोदय ने कहा है कि चित्रदुर्ग-रायदुर्ग लाइन को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि देना कठिन है। सभा में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि अनुपूरक मांगें प्रस्तुत करते समय वह इस लाइन को शीघ्र पूरा करने और मैसूर-बंगलौर लाइन के परिवर्तन के लिए भी अधिक धनराशि की व्यवस्था कर सकते थे।

मुझे बताया गया है कि वाराणसी और तिरुपति के बीच एक सीधी ट्रेन चलायी जायेगी। मेरे विचार से यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि ये दोनों तीर्थ स्थान हैं। मैं इसका स्वागत करती हूं। मुझे बताया गया है कि ऐसा करते समय इस ट्रेन को विजयवाड़ा होते हुए चलाया जायेगा। यह सोचकर कि गुंटाकल लाइन पर आवागमन अधिक होता है, उन्होंने इसे विजयवाड़ा से किया है। परन्तु उत्तरी कर्नाटक और रायलसीमा की जनता मांग कर रही है कि कम से कम एक अथवा दो दिन ट्रेन गुंटाकल से होती हुई जानी चाहिए ताकि वे भी वाराणसी और तिरुपति दोनों तीर्थ स्थानों को देख सकें इनमें एक उत्तर में और दूसरा दक्षिण में है। यह मेरा सुझाव है।

जहां तक सुरक्षा बलों का सम्बन्ध है, अधिक से अधिक सुरक्षा बलों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि यात्रियों को अधिक संरक्षण प्रदान किया जा सके। ऐसा करते समय हमें महिलाओं के डिब्बों को प्राथमिकता देनी चाहिए। विभाग में और अधिक महिलाओं की भर्ती की जानी चाहिए और उन्हें कमांडो जैसा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे यात्रियों की सुविधाओं और लाभों की देखभाल कर सकें। रेलवे में प्रतिदिन तोड़फोड़ बढ़ रही है। राज्य सरकारों के सहयोग से इस प्रणाली को मजबूत बनाया जाए और तोड़फोड़ की घटनाओं को कम किया जाना चाहिए। यात्रियों की सुविधाओं की देखभाल की जानी चाहिए।

रेल कर्मचारियों की सुविधाओं के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उन कर्मचारियों को अधिक सुविधाये दी जानी चाहिएं जो सदैव कार्यरत हैं। उन्हें पीने के पानी, सेवा शर्तों, आवास की सुविधा, बिजली का प्रबन्ध तथा दूसरी सुविधायें दी जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देती हूं क्योंकि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं दोनों रेल मंत्रियों को अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिये धन्यवाद देता हूं। जब मैं अच्छा बजट कहता हूं तो यह सभी दृष्टिकोणों तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अच्छा बजट है। इस बजट में अनेक स्वागत योग्य प्रस्ताव हैं। मैं उनका विस्तार से उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि समय नहीं है।

मैं अपनी मांगों का उल्लेख करता हूं। उड़ीसा की जनता को व्यथा अनुभव करने के कारण है। हमारे असंतोष के कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ीसा बिल्कुल पिछड़ा राज्य है। मुझे उड़ीसा के

पिछड़ेपन का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है इसे सभा का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। रेल के क्षेत्र में यदि राष्ट्रीय औसत मार्ग 18 प्रति हजार किमी० है तो उड़ीसा में यह 11 या 12 है। यह मध्य प्रदेश से भी पिछड़ा हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बजट में पिछड़ापन दूर करने के लिये किसी विशेष प्रस्ताव का अभाव है। मैं विनम्रता के साथ उप मंत्री और उनके माध्यम से रेल राज्य मंत्री को बताना चाहता हूँ कि उड़ीसा के लिये विशेष प्रकार का प्रयास करना चाहिए।

दक्षिण-पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गार्डन रीच, कलकत्ता में है। कलकत्ता में रेलवे क्षेत्रों के दो मुख्यालय हैं। क्या यह न्यायसंगत है? कम से कम समपूर्ण उड़ीसा, मध्य प्रदेश के कुछ भाग बिहार के कुछ भाग और आन्ध्र प्रदेश के कुछ भाग के लिए एक अलग क्षेत्र बनाया जाना चाहिए इसका मुख्यालय पश्चिमी उड़ीसा में होना चाहिए जो मुख्य स्थान है।

सम्बलपुर मंडल के बारे में दक्षिण-पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, गार्डन रीच हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। मैं यह बलपूर्वक कह रहा हूँ। इसे विस्तार से बताने के लिये मेरे पास समय नहीं है। सम्बलपुर को एक नया मंडल बनाया गया है। इसका शिलान्यास वर्तमान प्रधान मंत्री ने किया था। इसके पूरा होने के समय और इसके क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में क्या आश्वासन था प्रत्येक बात से हट रहे हैं। जो आश्वासन और घोषणा थी उसका पालन किया जाना चाहिए और क्षेत्राधिकार के बारे में 1985 की घोषणा का पालन किया जाना चाहिए। यदि झारसुगुड़ा, ब्रजराजनगर, बेलपाहर और रूरकेला, बिलासपुर और चक्रधरपुर मंडलों में है तो सम्बलपुर मंडल का क्या अभिप्राय है। यह बेकार है। यह एक उपहास है। यह निरर्थक है। सम्बलपुर मंडल के लिये 12 लाख रुपये की धनराशि आबंटित की गयी है। यह प्रतिगामी कदम है। विगत वर्ष हमको 90 लाख रुपये दिये गए थे। इसलिये इस धनराशि में वृद्धि की जानी चाहिए। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सम्बलपुर-ताल्चर लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इसे शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए। इसके लिए अधिक धनराशि आबंटित की जानी चाहिए और दोनों तरफ.से अर्थात ताल्चर और सम्बलपुर से कार्य शुरू किया जाना चाहिए जैसी कि रेल मंत्री ने इसके शिलान्यास के समय घोषणा की थी। जगपुरा-बंसपानि लाइन का निर्माण कार्य भी शुरू किया जाना चाहिए और रिगगुड़ा कोरापुट रेलवे लाइन को शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए।

मैं जानता हूँ कि मंत्री महोदय जवाब देंगे और कहेंगे कि रायगुड़ा-कोरापुट रेलवे लाइन के लिये 80 करोड़ रुपये दे दिये गये हैं तथा हम इस प्रकार उड़ीसा की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। मैं पुनः कहता हूँ कि यह आबंटन राष्ट्रीय दबावों से किया गया है। दमनजोरी में नाल्कों और विजाग में एक इस्पात मिल पूरी की जा रही है। इन दो परियोजनाओं के लिये इस लाइन का पूरा होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त झारसुगुड़ा में एक रेल कारखाना स्थापित किया जाना चाहिए।

बारगढ़-रायपुर के बीच एक नयी लाइन का निर्माण किया जाना चाहिये। दूसरी लाइनों के दबाव को कम करने के लिये यह बहुत महत्वपूर्ण है। खुरदा-बोलनगिर के सर्वेक्षण को शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए। बालासोर और मयूरभंज जैसे उड़ीसा के कुछ भागों में छोटी और सैंकरी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के मामले की जांच की जानी चाहिए।

उड़ीसा में अनेक रेल गाड़ियां चलना बंद कर दी गयी हैं। हम उत्सुकतापूर्वक और आशापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कुछ नयी गाड़ियां चलायी जायेंगी और पहले बंद की गयी गाड़ियों को भी पुनः चलाया जायेगा। यद्यपि देश में नयी 15 एक्सप्रेस गाड़ियां चलायी गयी हैं परन्तु हमारे यहाँ एक भी नहीं चलायी गयी है। पश्चिमी उड़ीसा और दिल्ली के बीच एक तेज एक्सप्रेस ट्रेन चलायी जानी चाहिए। मैं लोक सभा में जब से आया हूँ हमेशा इस बात के लिये संघर्ष कर रहा हूँ कि पश्चिमी उड़ीसा से वाराणसी और इलाहाबाद के लिये कुछ सुविधाजनक ट्रेनों में कुछ डिब्बे लगाये जाने चाहिएं। इसके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बिलासपुर में ऐसे डिब्बों को लगाया जा सके।

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

मैं यह कहने के लिये बाध्य हूं कि प्लेटफार्म, स्टेशन जैसी यात्री सुविधाओं के मामले में विशेषतः पश्चिमी उड़ीसा की स्थिति बड़ी शोचनीय है। सम्बलपुर, झारसुगुड़ा, बेलपहार और तालचर को अच्छे प्लेटफार्म और आरक्षण की सुविधाओं समेत मॉडल स्टेशन बनाया जाना चाहिए। बेलपहार में रेलवे को कोयले के लिये अलग प्लेटफार्म बनाना चाहिए। कोल इंडिया ने बहुत दिनों पहले रेलवे के पास धनराशि जमा कर दी है परन्तु कार्य शुरू नहीं हो रहा है जिसके फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है।

मालगाड़ियों की बजाय यात्री गाड़ियों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। समय की पाबन्दी को बनाए रखा जाए। केवल कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियों के लिए ही समय की पाबन्दी का पालन होता है जबकि आमतौर पर हमारे क्षेत्र में चल रही गाड़ियां समय पर नहीं चल रही हैं। सफाई रखी जाए और पेय जल की व्यवस्था हो। उच्च अधिकारी तथा मंत्री भी कभी-कभी अचानक निरीक्षण करें। संसद सदस्यों द्वारा दिये गए सुझावों पर मंत्री महोदय स्वयं विचार करें। आजकल हम यह परम्परागत जवाब पाते हैं कि मामला विचाराधीन है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब भाषण समाप्त कीजिए।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार और अत्यधिक महत्वपूर्ण होने के कारण रेलवे के योजना आयोग द्वारा और अधिक धनराशि आवंटित की जाए। मैं एक बार पुनः मंत्री महोदय को शुभकामना देता हूं और बजट को पूर्ण रूप से देखते हुए इसका स्वागत करता हूं और इसके साथ ही मैं उड़ीसा के लोगों की भावनाओं और असंतोष को प्रकट करता हूं और मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा के पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए उड़ीसा के साथ न्याय किया जाए।

1.00 म०प०

[हिन्दी]

चौधरी अख्तर हसन (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस रेल बजट का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि ये बहुत अच्छा बजट लाये हैं। इस बजट में बहुत-सी सुविधाएं दी गयी हैं। खास कर के 65 साल के ऊपर के लोगों को 25 परसेंट छूट दी गयी है। खिलाड़ियों और महिलाओं को भी छूट दी गई है।

1.01 म०प०

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुईं]

इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में दो रेल-गाड़ियां चलती हैं। एक दिल्ली-सहारनपुर वाया शामली चलती है और दूसरी दिल्ली-सहारनपुर वाया मुजफ्फरनगर चलती है। इनके बारे में छोटी-छोटी समस्याएं हैं जिनके बारे में मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वे इन पर ध्यान देने की कृपा करें। बड़ी छोटी-छोटी समस्याएं हैं।

जो गाड़ी दिल्ली से सहारनपुर वाया शामली होते हुए जाती है उसके डिब्बों में टूटी-फूटी खिड़कियां हैं और पुलिस की गफलत है। इसको देखा जाए। दूसरे इस लाईन पर एक एक्सप्रेस गाड़ी चलायी जाए।

दूसरी बात है शामली में गन्ना मिल है। जब यह मिल चलती है तो वहां इतनी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं कि किसी भी और गाड़ी का वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसके बारे में कई दफा लिखा जा चुका है और मैं भी लिखा-पढ़ी कर चुका हूं कि यहां पर एक ओवरब्रिज बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां से देहरादून, रूड़की, मुजफ्फरनगर की बसें गुजरती हैं जो कि दिल्ली और हरियाणा जाती हैं। जब मिल चलती है तो वे बसें यहां से गुजर नहीं सकती हैं। इसलिए यहां ओवरब्रिज बनना बहुत जरूरी है।

दूसरी समस्या यह है कि जितने भी क्रासिंग हैं उन पर फाटक नहीं हैं। जिसके कारण बहुत एक्सीडेंट होते हैं। खास तौर से मैं अपने क्षेत्र के एलम के बारे में कहना चाहूंगा । एलम की आबादी स्टेशन के दोनों तरफ है और वहां लोगों को इधर-उधर रात-दिन गुजरना पड़ता है। वहां तीन क्रासिंग हैं लेकिन उन पर एक भी फाटक नहीं है। आप चाहे वहां क्रासिंग कम कर दें लेकिन वहां क्रासिंग पर फाटक जरूर लगवा दें।

दिल्ली से मुजफ्फरनगर होते हुए जो रेल लाईन सहारनपुर जाती है उस पर मुजफ्फरनगर और गोहाना के बीच सैकड़ों गांव पड़ते हैं। वहां पर सिर्फ एक ही रेलवे क्रासिंग है। इन गांवों के लोग इसी क्रासिंग से गन्ना मिल में ले जाते हैं। वहां लोगों को 12-14 किलोमीटर का चक्कर काट कर जाना पड़ता है। आप मेहरबानी करके बड़कली मलीरा पर एक और क्रासिंग बनवा दें। आपके लोग बहुत ही एहसानमन्द होंगे और वहां के काश्तकार आपको दुआ देंगे। उनको जो 15 या 20 किलोमीटर का चक्कर काट कर जाना पड़ता है उससे वे बच जाएंगे। इसका सर्वे हो चुका है।

ये मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जिनको मैंने आपके सामने रखा है। उम्मीद है आप इनको दूर करेंगे।

श्री राम क्षेत्र खिरहर (सीतामढ़ी) : महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी के इस बजट का समर्थन करता हूं। पिछले कई वर्षों में रेल मंत्रालय और उसके मंत्रीगण ने जो कार्य क्षमता दिखायी है उसका सबूत यह रेल बजट हमारे सामने है। इस बजट के बारे में लगभग सभी वर्ग के लोगों ने माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दिया है। हमारे मंत्रियों और रेल के कर्मचारियों की जो कार्य क्षमता रही है जो बुद्धिमत्ता रही है और जो काम कर उन्होंने दिखाया है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं इस बजट का अनुमोदन करता हूं।

अगर हम इस बजट का अवलोकन करें तो पायेंगे कि एक तरफ तो इसमें किराये नहीं बढ़ाये गये हैं और दूसरी तरफ कई समुदाय के लोगों को किराये में रियायत दी गयी है। जिसे छूट चाहिए थी उसे छूट दी गई, वहां यह प्रशंसनीय है। जब इसका क्षेत्रीय स्तर पर अवलोकन करते हैं तो जो कार्यों का बंटवारा और राशि का आवंटन हुआ है, उसमें लगता है कि इस बजट में इस मंत्रालय ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है। मैं खासतौर से नार्थ-ईस्टर्न रेलवे की बात करना चाहूंगा जो भारत का और बिहार प्रान्त का सीधी सीमा बनता है। जो सामयिक महत्व की चीज़ है और जो नेपाल-हिन्दुस्तान का बार्डर है, उस नार्थ ईस्टर्न रेलवे के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ है, जनसाधारण और हम राजनीतिज्ञों के साथ हुआ है, वह बताना चाहता हूं। नरकटियागंज से लेकर दरभंगा तक ब्राडगेज लाईन करने का प्रस्ताव सूची से बाहर कर दिया गया। इसी प्रकार सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर की लाइन जो इन्वेस्टीगेशन में थी, उसे भी सूची से बाहर कर दिया गया। यह उस क्षेत्र की जनता के साथ घोर अन्याय हुआ है।

हम कांग्रेसजन और इस देश की प्रतिष्ठा का एक प्रश्न था बगहा-छितौनी ब्रिज जिसके लिए हमारे कई साथी वर्षों से इस सदन में बोलते चले आ रहे हैं। हमारी जनप्रिय नेता श्रीमती गांधी द्वारा उसका शिलान्यास किया गया। उस क्षेत्र के लोगों को बड़ी आकांक्षा थी लेकिन उसे भी इस साल सूची से बाहर कर दिया गया। हमको कहीं भी यह देखने को नहीं मिला जहां किसी कलम से लिखा गया हो कि क्या कुछ होने वाला है, बहुत रोना रोया गया। हमारे पूज्य पिता महात्मा गांधी जी ने राजनीतिक लड़ाई के लिए कहा था कि अनशन और सत्याग्रह किया जाए। मैं अपने यू०पी० और बिहार के साथियों से आह्वान करता हूं कि वे रेल मंत्रालय के सामने घेराव करें, प्रदर्शन करें, अनशन करें, जुलूस निकालें और धरना दें और सीधी लड़ाई रेल मंत्रालय से की जाए उस बगहा-छितौनी ब्रिज को बनाने के लिए। मैं पुनः रेल मंत्रालय को इनके कार्यों के लिए साधुवाद करता हूं और रेल बजट का समर्थन करता हूं।

श्री कम्मोदीलाल जाटव (मुरैना): माननीय सभापति महोदया, सबसे पहले मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय रेल मंत्री माधवराव सिंधिया जी तथा महावीर प्रसाद जी को बधाई देता हूं। इन दोनों मंत्रियों ने

[श्री कमोदीलाल जाटव]

भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा नाम कमाया है। इसके लिए मंत्री जी और सभी रेल कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। पहले काफी कम रेलें थीं जिसकी वजह से जनता रेल की छत पर बैठा करती थी। दस-बारह साल पहले ग्वालियर की तरफ से गोवरधन के लिए लोग आए थे और गाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे। मथुरा के पास पुल नीचा होने की वजह से लोग टकरा गए और सैंकड़ों लोग मर गए थे, लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। रेलवे में इतना सुधार हुआ है कि जनता रेलों में अंदर बैठकर सफर करती है। दिल्ली से भोपाल तक शताब्दी एक्सप्रैस चलाई गई है उसी तरह कुछ दिनों बाद दिल्ली से कानपुर तक भी शताब्दी एक्सप्रैस चलायी जायेगी, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। माननीय सिंधिया जी ने 65 साल उम्र तक के लोगों को किराए में 25 प्रतिशत की छूट दी है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। अभी मेरे क्षेत्र में माननीय सिंधिया जी गए थे और उन्होंने ग्वालियर से सोपुर तक उस छोटी लाईन का बड़ी लाईन के सर्वे के लिए कहा है और कोटा तक बढ़ाने के लिए स्वीकृति दी है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जोरा से मुरैना, अंबाह, अटेर, फूफ तक मिलाने के बारे में सर्वे हो चुका है, अभी तक इसको स्वीकृति नहीं मिली है, मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र मुरैना से वहां बस में आना-जाना पड़ता है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो ग्वालियर श्योपुर छोटी लाइन हटाई जाएगी और इसको बड़ी लाइन में कन्वर्ट किया जाएगा तो जौरा से मुरैना, अंबाह, अटेर फुफ को एक छोटी लाइन से जोड़ दिया जाए, इससे मेरे क्षेत्र की जनता को काफी लाभ होगा। इसके साथ ही एक निवेदन और करना चाहता हूं कि मुरैना और आगरा के बीच सिकरौदा के पास एक हाल्ट स्टेशन कायम कर दिया जाए, पैसिंजर गाड़ी के लिए वहां पर रूके, इससे भी वहां की जनता को बहुत लाभ होगा। इसी तरह से ग्वालियर श्योपुर छोटी लाइन पर भटपुरा भी एक स्टेशन कायम कर दिया जाए, इससे भी वहां की जनता को काफी लाभ होगा।

इन शब्दों के साथ आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

श्री अनंत प्रसाद सेठी (भद्रक): महोदया, मैं रेल बजट का समर्थन करता हूं और भारतीय रेलवे में सुधार के लिए मंत्री महोदय तथा मंत्रालय को बधाई देता हूं। समय बहुत कम है इसलिए मैं बजट के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं सीधा अपने राज्य की समस्याओं का उल्लेख करता हूं।

महोदया, आप जानती हैं कि मैं और उड़ीसा से मेरे अन्य साथियों द्वारा संसद सदस्य के रूप में आने के बाद से ही हम ये मुद्दे उठाते रहे हैं और आज भी यही मुद्दे उठा रहे हैं। उड़ीसा से मेरे साथियों ने उड़ीसा के लोगों की शिकायतों के बारे में कहा है।

मैं सामलपुर-तलचर रेलवे लाइन को पूर्ण करने के बारे में बोलना चाहूंगा, यह सर्वाधिक लाभप्रद परियोजना है। मैं उड़ीसा में दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय स्थापित करने के बारे में भी कहना चाहूंगा। यह उड़ीसा के लोगों का सर्वसम्मत निर्णय है। विधान सभा में यह सर्वसम्मत निर्णय हुआ था कि यह मुख्यालय कलकत्ता से बदलकर भुवनेश्वर में स्थापित किया जाए। मैं कहता हूं कि यदि मुख्यालय को बदलना संभव नहीं है तो अन्य मंडलीय कार्यालय यहां स्थापित किया जाए।

अब, मैं दक्षिण-पूर्वी रेलवे में उड़ीसा से शिक्षित युवकों की भर्ती के मुद्दे पर आता हूं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप उड़ीसा में किसी भी स्टेशन पर जाएं तो पाएंगे कि वहां पर अधिकतर कर्मचारी गैर-उड़ीया हैं। आप बहुत कम उड़िया कर्मचारी, संभवतः 5 प्रतिशत ही यहां पाएंगे। वे उन्हें दक्षिण-पूर्वी रेलवे में रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं। उनके साथ उचित व्यवहार नहीं हो रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर जब संघीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है, तो आप पाएंगे कि उड़ीसा से शिक्षित युवक अच्छी

प्रकार से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और सेवाओं में अधिक संख्या में भर्ती हो रहे हैं जबकि दक्षिण-पूर्वी रेलवे में वे अवसर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं कुमारी ममता बनर्जी के कथन का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह सुनिश्चित करें कि उड़ीसा से शिक्षित युवक दक्षिण-पूर्वी रेलवे में भर्ती हों।

दूसरा मुद्दा यह है कि बालासोर को एक आदर्श स्टेशन के रूप में लिया जाए क्योंकि यह औद्योगिक रूप में काफी तेजी से उभर कर आ रहा है। अन्य कारणों से भी, रक्षा परियोजना तथा अत्याधिक संवेदनशील एन०टी०आर० परियोजना के कारण भी बालासोर महत्वपूर्ण है। मेरे विचार से निकट भविष्य में बालासोर सबसे बड़ा महानगर होगा। इसी कारण मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि बालासोर को यदि 7वीं योजना में नहीं तो 8वीं योजना में एक आदर्श स्टेशन के रूप में लिया जाए।

मैं माननीय मंत्री महोदय का एक और मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो बौधपुर तथा भद्रक के बीच रंधिया में एक ओवर-ब्रिज के प्रावधान से संबंधित है। इस पर उचित ध्यान दिया जाए।

मैं रानीताल रेलवे स्टेशन पर पैदल चलकर जाने वाले ओवर-ब्रिज के बारे में एक ओर महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। संसद में आने के बाद से मैंने इस बारे में अनेक पत्र लिखे हैं लेकिन यह परियोजना अभी शुरू नहीं हुई है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय इस बारे में आवश्यक हिदायतें जारी करेंगे।

मैं नई रेलवे लाइन खुरधा-बालंगीर की समस्या का भी उल्लेख करना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि यह लाइन राज्य के उस पिछड़े जिले से गुजरती है जहां अभी तक कोई रेलवे लाइन ही नहीं है। देश को सम्पूर्ण रूप में लेकर इसकी तुलना में उड़ीसा राज्य में रेलवे लाइन की प्रतिशत काफी कम है। इस राज्य को रेलवे लाइनों के मामले में प्राथमिकता देने की जरूरत है।

एक और समस्या ऐसी रेलगाड़ियों को समाप्त करने से हुई है जो आजादी के पूर्व के दिनों से चल रही थी। इन गाड़ियों को पुनः चलाया जाए। हम इस बारे में माननीय मंत्री महोदय से पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि दोनों मंत्री अब इस बारे में संतुष्ट है कि अन्याय हुआ है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह सुनिश्चित करें कि वे गाड़ियां पुनः चालू की जाएं और गाड़ियों का समय भी इस तरीके से निर्धारित किया जाए कि यात्रियों को इन गाड़ियों में समय पर यात्रा करने का अवसर मिले।

इन शब्दों के साथ मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा): सभापति महोदया, मैं माननीय रेल मंत्रीजी और उप मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस वर्ष भी बहुत ही सुन्दर बजट प्रस्तुत किया है और इसका असर सारे देश में बहुत सही रूप से पड़ा है। इसकी हर तरफ प्रशंसा है। इसकी उपलब्धियां इस मायने में विशेषरूप से देखी गई कि विरोधी पक्ष की ओर से भी रेलवे के कार्यों की प्रशंसा की गई है और उन्होंने भी इसकी प्रशस्ति में बहुत बातें कही हैं। यह रेल एक ऐसा विभाग है जिसका सम्बन्ध देश के एक कोने से दूसरे कोने से है और हर क्षेत्र के लोग इससे प्रभावित हैं और इससे अपेक्षायें रखते हैं। सारी अपेक्षाओं को पूरा करना बहुत कठिन काम है, लेकिन हमने महसूस किया है कि रेल मंत्री के काम करने की क्षमता और चिन्तन बढ़ा है। इस दृष्टिकोण से जो राशि उन्हें मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिलती। समयाभाव के कारण मैं केवल अपने प्रदेश से सम्बन्धित बातें ही करूंगा। बिहार के मामले में बहुत से वहां के सांसदों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, वे बिल्कुल सही हैं। लेकिन मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूं। एक बात तो यह कि आज से चालीस साल पहले से जो योजनायें लम्बित हैं उन योजनाओं के प्रति ध्यान देना चाहिए। जैसे पटना से गया की लाइन है।

[श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश]

पटना और गया दोनों स्थान विश्व प्रसिद्ध हैं, इनकी अपनी विशेषता है। दूसरे प्रांत की राजधानी के अलावा जो सेकण्ड केपिटल होती है जैसे वर्धमान से कलकत्ता की काफी गाड़ियां हैं और पांच-पांच मिनट से चलती है...

हमारे बिहार में गया विश्व-प्रसिद्ध स्थल है। गया से पटना जाने वाली लाइन को दोहरी बनाए जाने की मांग पिछले 40 सालों से की जा रही है, लेकिन रेल मंत्रालय में अभी तक वह लम्बित है। मैं लगातार सदन में इसकी मांग करता आ रहा हूं। अभी जब मैंने पता लगाया तो मुझे बताया गया कि इस लाइन को नौवीं प्रियौरिटी मिली है। मैं नहीं जानता अब वह किस स्तर पर है और कब तक यह लाइन दोहरी बना दी जायेगी। मुझे स्थिति में कोई फर्क मालूम नहीं पड़ता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार बिहार की उपेक्षा की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि आपने दूसरे प्रान्तों को इतना अधिक आवंटन किया है, आप इस बार बिहार पर कन्सैन्ट्रेट कीजिये। बिहार में छोटा-नागपुर, खासकर धनबाद और हजारीबाग आदि कई इलाके ऐसे हैं जो कोयले के विशाल भण्डार हैं और दूसरे मिनरल्स बहुतायत में भरे पड़े हैं। हमारे यहां गोमोह से देहरी-ऑन-सोन, वाया बरकाखाना, रेलवे लाइन बनाने का उद्देश्य ही यह था कि ग्रांड ट्रंक लाइन पर लोड कुछ कम किया जा सके और देश के दूसरे हिस्सों में जल्दी माल पहुंचाया जा सके। वह लाइन रेल के माध्यम से देश की सम्पन्नता बढ़ाने में काफी महत्व रखती है। वैसे ही डाल्टनगंज से देहरी-ऑन-सोन तक दोहरी रेल लाइन बनाने की योजना दो दशक से लम्बित है, उस पर बहुत धीमी गति से काम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इसे तेजी से पूरा कराया जाना चाहिये।

अब मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान मुगलसराय-गया पैसेंजर का ओर दिलाना चाहता हूं, जो गया आकर 11 घण्टे चुपचाप खड़ी रहती है और उससे कोई काम नहीं लिया जाता। यदि मुगलसराय-गया पैसेंजर ट्रेन को गोमोह तक बढ़ा दिया जाये तो जहां रेलवे को ज्यादा रिवैन्यू मिलेगा, वहीं उस पिछड़े क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा होगा, हमें भी लाभ मिलेगा। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस कार्य को निश्चित रूप से कराने की कोशिश करें, क्यों कि इससे दोहरा लाभ मिलेगा।

बिहार में गया का काफी महत्वपूर्ण स्थान है, मेरी कांसटीटूऐंसी तो है ही, कई अन्य मैम्बर्स ऑफ पार्लियामैंट का भी वह क्षेत्र पड़ता है। वहां से होकर 81 अप/82 डाउन एक्सप्रेस हफ्ते में केवल तीन दिन चलती है और दो दिन वाया पटना होकर जाती है। इससे न पटना को विशेष लाभ हो रहा है, न हमें। वैसे इस बार जो ट्रेन इन्ट्रोडयूस की गयी हैं, उससे पटना राजधानी को काफी ट्रेनें मिल गयी है, परन्तु गया के निवासियों की मांग ज्यों की त्यों बनी हुई है। उनकी मांग को देखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 81 अप और 82 डाउन एक्सप्रेस सप्ताह में 5 दिन वाया गया चलाई जाये। मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि आप मेरी मांग को नोट कर लें। यदि आप सप्ताह में 5 दिन इसे वाया गया चलाते हैं तो वहां के लोगों को काफी राहत मिल जायेगी और उनकी एक जमाने से लम्बित डिमाण्ड पूरी होगी। बिहार के अन्य कार्यक्रम भी काफी समय से रेलवे में लम्बित चले आ रहे हैं। छोटा नागपुर आदिवासी क्षेत्र है, पिछड़ा इलाका है, हजारीबाग को रेल के नक्शे पर लाने की कोशिश एक जमाने से बराबर हो रही है, और केन्द्र में जितने रेल मंत्री आये, सभी ने बड़ी सहानुभूतिपूर्वक हजारीबाग को गया से जोड़ने के लिये रेलवे लाइन की योजना बनायी, परन्तु वह योजना ही रह गयी कार्यरूप में आज तक परिणित नहीं हो पायी। मैं रेल मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि छोटा नागपुर और हजारीबाग इलाके उड़ीसा और मध्य प्रदेश से सम्बन्ध रखते हैं, उन जगहों को भी रेल के नक्शे पर लाया जाये, हजारीबाग-गया वाया चतरा ट्रेन शीघ्र चलाने की कोशिश की जाये।

चौधरी लच्छी राम (जालौन): सभापति महोदया, हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने जो प्रशंसनीय बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कल आपने समय की कमी को ध्यान में रखते हुए,

एक सीमा निश्चित कर दी थी, समय पर प्रतिबन्ध लगा दिया था, इसलिए मैं बजट के दूसरे हिस्से पर कुछ न बोलकर, केवल अपने क्षेत्र की समस्याओं पर ही प्रकाश डालूंगा।

माननीय महोदया, मैं बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्र जालौन-गरौठा से चुनकर आया हूं। यह क्षेत्र काफी पिछड़ा क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र से हो कर इस क्षेत्र में मध्य रेलवे की लाइन पड़ी है। हमारी यह पुरानी मांग है कि इस रेलवे लाइन को कानपुर से झांसी तक दोहरा किया जाए। उसका कारण यह है कि वर्तत उसमें 7 गाड़ियां चल रही हैं और 2 माल गाड़ियां चलती हैं। इस तरह से 9 गाड़ियों का आवागमन है। अभी हाल में माननीय मंत्री जी ने उस पर दो गाड़ियां और चलाने की व्यवस्था की है और रेलवे लाइन इकहरी है। हमारी यह पुरानी मांग है कि इसको दुहरा किया जाए ताकि दूसरी गाड़ियों जो लेट हो जाती हैं, उनको सुविधा मिले।

महोदया, मेरे क्षेत्र से पिछले वर्ष दो गाड़ियां चली थीं। उन के लिए हमारे क्षेत्र के लोगों ने यह अनुरोध किया था कि वे गाड़ियां जो कोचीन और बम्बई को जाती हैं, उनको वहां रोका जाए, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी हमको कोई उत्तर नहीं मिला। साथ ही हमारे क्षेत्र के लोगों ने अनशन भी किया, पर अनशन करने का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जो दो नई गाड़ियां मद्रास और हैदराबाद के लिए चलाई जा रही हैं, उनको कृपा कर के हमारे उरई स्टेशन पर जरूर खड़ा किया जाए। उरई स्टेशन जनपद जालान का एक बड़ा स्टेशन है। वहां काफी उद्योग लगे हैं। गल्ले की बड़ी मंडी है और अधिकारियों तथा दूसरे मुसाफिरों का आना-जाना रहता है। इसलिए इन दोनों गाड़ियों को हमारे यहां रोकने की व्यवस्था की जाए। साथ ही उनमें 6 द्वितीय श्रेणी की शायिकाएं और 4 प्रथम श्रेणी की शायिकाएं भी औरई स्टेशन से आरक्षण के लिए सुरक्षित की जांए।

महोदया, मेरी पुरानी मांग है कि हमारे क्षेत्र का एक हिस्सा गुरसराय और गरौठ पड़ता है जो चारों तरफ से नदियों से घिरा है। बरसात के दिनों में वह हिस्सा बहुत खराब हो जाता है। वहां पानी भरने की वजह से किसान अपना गल्ला, दलहन और तिलहन आदि जो वहां पैदा करते हैं, आम रास्ता न होने की वजह से मिट्टी के मोल उनका गल्ला बिकता है। इसलिए मेरी मांग है कि मऊरानीपुर से लेकर गुरसराय और कोटरा हो कर उरई तक एक रेल लाइन डाली जाए। इस रेलवे लाइन के लिए मैं तीन वर्ष से बराबर निवेदन कर रहा हूं, लेकिन मेरे कहने के बावजूद अभी तक उसका सर्वे भी नहीं कराया गया है। इसलिए मैं अब पुनः अनुरोध करता हूं कि इसका सर्वे कराया जाए।

महोदया, दूसरी मांग मेरी यह है कि हमारा जो औरई स्टेशन है, उस पर मालगोदाम बहुत छोटा है, लेकिन एफ०सी०आई० के और दूसरे जो बड़े-बड़े गल्ले के रैक्स आ जाते हैं, उनके खड़े होने की जगह नहीं है। इसलिए उस मालगोदाम को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही हमारा जो स्टेशन है, उसका सुंदरीकरण हो क्योंकि वह उस लाइन का बहुत बड़ा स्टेशन है और दूसरे प्लेटफार्म को पक्का किया जाए और उस पर रूफ डाला जाए।

महोदया, हमारे स्टेशन से लगा हुआ एक बड़ा राज मार्ग है। वह पड़ौस से हो कर जाता है, लेकिन उस पर ओवर ब्रिज न होने की वजह से बड़ी भीड़ रहती है। ट्रेनों के आवागमन से रास्ता इतना अवरुद्ध हो जाता है जिसकी वजह से वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं अनुरोध करूंगा कि वहां पर ओवरब्रिज बनाना अति-आवश्यक है।

महोदया, इसी तरह से हमारी मांग है कि कोंच एट ब्रांच लाइन है। उसको ग्वालियर से मिलाया जाए। ग्वालियर से मिलाने से हमारे दो हिस्सों में एक तरह से आवागमन होगा। बीच में पहूज नदी पड़ती है,

[चौधरी लच्छी राम]

उसके दूसरी तरफ के किसानों का गल्ला मिट्टी के मोल बिकता है। अगर यह लाइन पूरी हो जाएगी तो वहां के किसानों को सुविधा मिलेगी।

मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरी मांगें काफी पुरानी हैं, मैं दो तीन बार पहले भी इस सम्बन्ध में अनुरोध कर चुका हूं लेकिन मुझे उनका कोई जवाब भी नहीं मिलता मंत्री जी द्वारा जवाब दिए जाने के समय भी कुछ नहीं कहा गया। मैं अनुरोध करूंगा कि मेरी इन मांगों के सम्बन्ध में आप क्या कर रहे हैं, इसका अपने जवाब में जरूर ज़िक्र करें।

श्री शांति धारीवाल (कोटा): सभापति महोदय, जो रेल बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और रेल मंत्री, रेल उपमंत्री तथा मिनिस्ट्री को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश में रेलों ने काफी प्रगति की है और आपके कुशल नेतृत्व में आगे भी करती रहेंगी।

मैं राजस्थान के कोटा निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आता हूं। इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोटा और चित्तौड़ रेलवे लाइन के लिए मंत्री जी ने जो अपने भाषण में समय निर्धारित किया है कि यह मार्च तक पूरी हो जाएगी तो उनसे यह आशा करता हूं कि वह दोबारा इस बात को दिखवा लेंगे कि यह लाइन मार्च तक पूरी हो जाए और अप्रैल में इस पर ट्रैफिक चालू हो जाए। तेजी से बनाई गई और अच्छी बनाई गई है, इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसके अलावा छोटी-छोटी बातें कहना चाहता हूं। एक नई बात है ट्रेन चलाने की, कोटा से दिल्ली के लिए या बम्बई से दिल्ली के लिए, आप कुछ भी समझ लें लेकिन कोटा के पास इतना ट्रैफिक होता है, उसके बारे में मैं बाद में निवेदन करूंगा। अब छोटी-छोटी बातों के बारे में मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह अगर ध्यान से सुनेंगे तो शायद सारी चीजें ऐसी हैं जिनका आप आसानी से हल कर सकेंगे और हमारी बात पूरी हो जाएगी।

देहरादून एक्सप्रेस बम्बई दिल्ली के बीच में चलती है। फर्स्ट ए०सी० का डिब्बा इसमें कोटा से लगता है जब बम्बई से दिल्ली के लिए चलती है लेकिन सैकिंड ए०सी० स्लीपर का डिब्बा इसमें नहीं है। मेरा निवेदन है कि देहरादून एक्सप्रेस में सैकिंड ए०सी० स्लीपर का डिब्बा लगना चाहिए क्योंकि कोटा से यह रात 8 बजे चलती है और सुबह 6 बजे दिल्ली आती है। यात्रियों की सुविधा के लिए यह जरूरी है। जब 70,80 डिब्बे आप ए०सी० टू-टायर स्लीपर के पूरे देश में लगा रहे हैं तो देहरादून एक्सप्रेस में भी एक डिब्बा जरूर प्रोवाइड करें।

कोटा राजस्थान का एक इंडस्ट्रियल टाउन है, 5, 6 लाख की आबादी है। यहां पर बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, अटामिक एनर्जी पावर स्टेशन है, फर्टिलाइज़र और दूसरे कई कारखाने यहां पर हैं। जहां अरबों रुपए लगे हुए हैं, काफी मजदूर काम करते हैं, कोटा का स्टेशन ऐतिहासिक स्टेशन है, पुराना स्टेशन है, लेकिन इसको मौडल स्टेशनों की लिस्ट में आपने शामिल नहीं किया है। मेरा निवेदन है कि इसको मौडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए।

लाखेरी जहां पर ए०सी०सी० की सीमेंट फैक्ट्री है, 30,35 हजार की आबादी का कसबा है, उसके प्लेटफार्म पर शैड की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने कई बार लिखा भी है, आपका जवाब भी आया है कि शायद 1989-90 के बजट में इसे आपने लिया है। यदि उसका काम अविलम्ब चालू हो जाए, बरसात से पहले काम हो जाए तो ठीक हो। मेरे पास मंत्री जी का जवाब आया है कि इस साल इसे शामिल किया गया है, लेकिन यदि बरसात से पहले-पहले इसे कर लें तो उसका उपयोग भी हो सकेगा।

कोटा में चम्बल नदी बहती है, उस पर बहुत पुराना ब्रिज बना हुआ है। बम्बई से दिल्ली तक की लाइन दोहरी कर दी गई है लेकिन चम्बल ब्रिज वाली जगह में यह दोहरी नहीं हो पाई है, उसके लिए अलग ब्रिज बनाना पड़ेगा। मैंने मंत्री जी को लिखा है कि वहां पर दो फुट का ब्रिज बना दिया जाए। कोटा में इस नदी के

दूसरी तरफ 50 गांव ऐसे हैं जिनके लोगों को 15 किलोमीटर का चक्कर खाकर कोटा स्टेशन पर आना पड़ता है अगर इस ब्रिज के सहारे 2 फुट का ब्रिज बना दिया जाए तो उन लोगों को 15 किलोमीटर का चक्कर बच जाएगा और वह एक-डेढ़ किलोमीटर पैदल चलकर स्टेशन पर आजाऐंगे। मुझे जो जवाब मिला है, उस में लिखा है कि इस पर दूसरी लाइन डाली जाएगी। मेरा कहना यह है कि वह पुल इतना छोटा है कि उस पर दूसरी लाइन डाली ही नहीं जा सकती है। इस तरह के ऊटपटांग जवाब दिये जाते हैं। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जो इस तरह के जवाब तैयार करते हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। इस समय रेलवे लाइन के दो फुट इधर और दो फुट उधर अगर फुट ब्रिज बन जाएगा तो इससे लोगों को सुविधा मिलेगी। इस पर दूसरी लाइन कैसे बन जाएगी? दूसरी लाइन के लिए तो अलग ब्रिज बनाना पड़ेगा।
जो पुराना ब्रिज है वहां डेढ़ फुट का रास्ता दे देंगे तो 50 गांव जो वहां से दूर हैं उनको आसानी होगी।

आप तो जानते हैं कि कोटा में बहुत से उद्योग हैं। यह राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक इलाका है। हजारों लोग दिल्ली और बम्बई जाने के लिये महरूम रह जाते हैं। जितनी भी ट्रेनें चलती हैं — चाहे आप राजधानी ले लें, डीलक्स ले लें, सर्वोदय ले लें, जम्मू तवी ले लें या जनता ले लें उसमें कोटा शहर का कोटा न के बराबर है। इस कारण वहां से नई ट्रेन शुरू करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में अगर रेलवे का पूरा महकमा यहां तक कि रेल भवन भी अगर आप उठा कर ले जायें तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन हमें हमारा हक तो दीजिए। एक मालवा एक्सप्रेस इंदौर से नई दिल्ली के लिये चलती है इसको आप वाया कोटा चला दो तो अच्छा होगा। जो लोग दिल्ली और बम्बई नहीं पहुंच पाते हैं वह कम से कम दिल्ली तो इससे आ सकेंगे।

आप बीना से नई ट्रेन शुरू करें क्योंकि बीना और कोटा के बीच एक जो ट्रेन चलती है वह बिल्कुल पार्सल गाड़ी है। वहां पर ट्रेफिक को तेजी से क्लीअर करने की जरूरत है। इसके अलावा बीना से वाया कोटा दिल्ली के लिये एक नई ट्रेन शुरू की जाये। अगर यह भी सम्भव नहीं है तो रतलाम से दिल्ली के लिये एक नई ट्रेन चला दें। उस रूट पर एक देहरादून एक्सप्रेस है। जितनी भी गाड़ियां उस रूट में चलती हैं वह सब की सब बेकार हैं और उनका कोई उपयोग नहीं है। केवल दिल्ली और बम्बई के लिये उसका उपयोग हो पाता है। रतलाम, सवाई माधोपुर और भरतपुर वालों को दिल्ली आने की कोई गाड़ी ठीक से नहीं मिल पाती है। केवल देहरादून एक्सप्रेस है और उसमें मात्र तीन कोचिस आपने दे रखे हैं। इसमें केवल डेढ़ सौ आदमी खप पाते हैं। आपको इस बारे में लिखा जाता है तो आप कहते हैं कि इतने टिकट ही कोई नहीं खरीदता। मेरी जानकारी के अनुसार तो सौ डेढ़ सौ आदमी हमेशा वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। अगर आप नई ट्रेन शुरू नहीं कर सकते तो सिंधिया जी से कहें कि दूसरों के गले में छुरी फेरना बंद करें।

नई ट्रेन उज्जैन से देहरादून के लिये जो आपने दी है इसको वाया कोटा से निकाल दें। इसको आप ने बीना से निकाल दिया। बीना से दिल्ली के लिये तो बहुत सी ट्रेनें हैं। उज्जैन से देहरादून जो नई गाड़ी इंट्रोडयूस की है उसको गुना और कोटा लाते तो ज्यादा फायदा होता। ग्वालियर में आपने इतनी ट्रेनें दे दी हैं कि वहां से आपको पेसेंजर नहीं मिल पायेंगे। कोटा से दिल्ली के बीच किसी भी प्रकार कोई ट्रेन दीजिए। जो नई गाड़ी इंट्रोडयूस की है उसको या तो यहां तक घुमा दीजिए या फिर मालवा को घुमा दीजिए। अगर ऐसी व्यवस्था आप नहीं करेंगे तो लोगों की मांग बराबर बनी रहेगी और उनमें असंतोष भी उत्पन्न हो जायेगा एवं आप जो भी अच्छा काम इस देश के लिये कर रहे हैं उन पर भी पानी फिर जायेगा। आप मेरी इन सब बातों को ध्यान से नोट करें और पूरा करने की कोशिश करें।

कोटा-चित्तौड़गढ़ जो नई रेल लाइन चालू की है उसको आपने बीना तक बढ़ा दिया जाये। इससे बीना और कोटा के बीच जो ट्रेफिक है वह काफी कम हो जायेगा। चालू होने के बाद अगर इसे बीना तक बढ़ा दें तो भी उसका काफी लाभ होगा।

आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा): इस बजट से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। दिए गए अनुमानों के अनुसार मालभाड़े में वृद्धि दर से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर काफी असर पड़ेगा। दूसरे मैं महसूस करता हूं कि यह बजट तो गाड़ी में घोड़े को लगाने की तरह है; यह बजट विकास में रुकावट है, इसमें कुछ नहीं है। रेलवे में 9000 करोड़ रुपये खर्चने के बाद भी वे रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ाने में सफल नहीं हुए हैं। यदि किसी सरकारी उद्यम को धनराशि व्यय करके विकसित किया जाना है तो वह रेलवे है, क्योंकि रेलवे रोजगार उत्पन्न कर सकता है। इसकी बजाय यहां यह हुआ है कि पहले 18 लाख कर्मचारी थे जो घट कर $14^{1/2}$ लाख रहगए जिसका यह अर्थ हुआ कि यह विकास नहीं कर रहा है। यदि इसमें विकास के लक्षण होते तो और अधिक रोजगार के अवसर होने चाहिएं थे और पिछले वर्ष की तुलना में उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या इस वर्ष अधिक होनी चाहिए थी।

मैं इस बजट में यह भी देखता हूं कि इसमें क्षेत्रीय पक्षपात है। पूरे दक्षिण क्षेत्र की उपेक्षा की गई है और इस बजट में इस बारे में कुछ भी निहित नहीं है। भारत का बागों का शहर बंगलौर का उल्लेख ही नहीं है। मद्रास, कोचीन, त्रिवेन्द्रम अथवा मंगलौर या दक्षिण को जाने वाली किसी भी गाड़ी का उल्लेख नहीं है। मैं देखता हूं कि कोई नई योजना नहीं है। सरकार के सम्मुख ऐसी अनेक मांगे थी कि नई सेवा शुरू की जाए और नई लाइनों का निर्माण किया जाए।

सभापति महोदया जानती होंगी कि मैसूर से वाया नेलामबुर कोचीन जाते हुए पहाड़ी को पार करते हुए एक छोटा रास्ता है। यदि वहां एक रेलवे लाइन का निर्माण हो जाए तो क्या आप जानती है कि दक्षिण की ओर से बंगलौर पंहुचने में कितने घंटों की बचत होगी? अब इसमें लगभग दो दिन लगते हैं। इसकी बजाय हम आठ घंटे में शोरानुर से नेलामबुर और फिर बंगलौर पहुंच सकते हैं। यदि वहां एक लाइन का निर्माण हो जाए तो इस समय में बचत हो सकती है और मंगलौर तथा बम्बई के बीच दूरी में भी कमी होगी।

कोकंण रेलवे का क्या हुआ? इसके बारे में किसे परवाह है? दक्षिण की इतनी ज्यादा उपेक्षा क्यों है? यह तो मध्यप्रदेश का बजट बन गया है। एक ऐसा रेल बजट जो मध्य प्रदेश को प्रदर्शित कर रहा है जो कि माननीय मंत्री महोदय का क्षेत्र है और यह नई बात है। मैं इसे समझ सकता हूं और इस बार जबकि चुनाव आ रहे हैं तो ऐसा किया गया है। लेकिन यह अत्यंत गंभीर मामला है। मुझे इस बारे में अत्यधिक खेद है कि इस बजट में दक्षिण की पूर्णतया उपेक्षा की गई है।

मैं कर्मचारियों के बारे में भी एक मामला उठाना चाहता हूं। मैंने कर्मचारियों के बारे में मंत्री महोदय को कुछ कहते हुए सुना था। लेकिन मैंने देखा कि इस बजट में कर्मचारियों को कुछ देने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। कर्मचारियों को क्या दिया जाता है? क्या कोई ऐसी प्रणाली है जो रेलवे में विद्यमान है? क्या मंत्री महोदय पिछले कार्यों को देखने के लिए तैयार हैं कि रेलवे में क्या हो रहा है? वहां क्या व्यवस्था है? वार्ता करने वाली एक स्थाई व्यवस्था है। वहां पर ट्रेड यूनियनों का कार्य कैसा है? आप संभवतः इससे अनभिज्ञ हो सकते हैं। मैं रेलवे में एक ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष हूं जिसके लगभग 40,000 सदस्य हैं। मुझे अधिकारियों से उत्तर प्राप्त करने के लिए संसद सदस्य वाले पत्र पर लिखना पड़ेगा। मुझे इस पर खेद है। लेकिन जिस ट्रेड यूनियन से भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वी०वी० गिरी तथा अन्य सम्बद्ध थे, मैं उस ट्रेड यूनियन दक्षिणी ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष बना हूं। अब मैं देखता हूं कि विद्यमान व्यवस्था को देखते हुए कोई केन्द्रीय ट्रेड यूनियन होनी चाहिए जो किसी व्यक्ति से संबद्ध है और कोई मान्यता प्राप्त यूनियन किसी व्यक्ति, किसी राज्य स्तर की यूनियन या क्षेत्रीय यूनियन की मान्यता पा लेती है और उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता

है। इस प्रकार क्या हो रहा है? अधिकतर कर्मचारी इनके क्षेत्र में नहीं आत और रेलवे में सामूहिक सौदेबाजी नहीं है।

हाल ही में कुछ ट्रेड यूनियनों ने एक मुकदमा उच्चतम न्यायालय में दायर किया है। मुझे बताया गया है कि मामला लम्बित है या न्यायालय से एक निर्देश आया है जिसमें कुछ जांच की जानी है। यहां सरकार दो संस्थाओं को संरक्षण दे रही है। और संरक्षण के आधार पर ये कार्य होते हैं और जिसे स्थाई वार्ता प्रणाली कहा जाता है। अधिकारी अपने चहेतों के साथ चाय के लिए बैठेंगे और मामलों का निर्णय करेंगे। कृपया इस पर ध्यान दें कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के होते हुए भी कोई सामूहिक सौदेबाजी नहीं होती है। कर्मचारियों के विवादों को हल करने के लिए हमारी मदद ली जाती है और आपके रेल विभाग में क्या व्यवस्था है? यहां तो नौकरशाही व्यवस्था है जो अंग्रेजों से प्राप्त हुई थी और अभी भी चल रही है।

मुझे खेद है कि रेलवे का महाप्रबन्धक तो एक गाड़ी में एक सैलून में यात्रा करता है। लेकिन इस सभा में 10 लाख लोगों द्वारा चुना गया एक संसद सदस्य टू-टियर वातानुकूलित श्रेणी में जाता है। रेलवे का एक वरिष्ठ अधिकारी महाप्रबन्धक, अथवा जिसे आप कुछ भी कह सकते हैं वह रेल मार्गों पर एक सैलून में चलता है। यह कैसी व्यवस्था है? इससे केवल सामन्तवादी प्रणाली प्रदर्शित होती है जो पहले ब्रिटिश शासन में थी और आपको उत्तराधिकार में मिली है। क्या आप इन विषयों पर प्रगतिशील नजर से ध्यान देंगे? क्या आप इस प्रणाली को बदलेंगे?

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय औद्योगिक सम्बन्धों, दक्षिण की उपेक्षा, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि और उसके परिणामों के बारे मे स्पष्ट जबाब दें। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इनके सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से जबाब दें।

[हिन्दी]

श्री मनोज पांडे (बैतिया): सभापति महोदया, मैं रेल बजट का समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन से रेल मंत्रालय को जो प्रावधान किया जाना चाहिए। वह प्रावधान इस ढंग से किया जाना चाहिए कि हर प्रदेश में जो पिछड़े इलाके हैं उनमें प्रति व्यक्ति ट्रेक की दर क्या है, रेल-लाइन की दर क्या है — इसका सही मूल्यांकन प्लानिंग कमीशन द्वारा भी होना चाहिए और प्लानिंग कमीशन को रेल मंत्रालय की तरफ भी थोड़ी नज़रे इनायत करनी चाहिए क्योंकि बिना प्लानिंग कमीशन की असिस्टेंस के रेलवे बजट जिस ढंग से पेश किया गया है, उसका प्रारूप जो हमें देखने को मिला है वह सही रूप-रेखा उसकी नहीं बन पाई है, मेरा यह मानना है। यदि प्लानिंग कमीशन रेल मंत्रालय को एक असिस्टेंस दे सकता है तो जो पिछड़े इलाके हैं उनकी भी सही रूप-रेखा रेल मंत्रालय द्वारा दी जा सकेगी। मेरी यह प्रार्थना है कि भविष्य में माननीय प्रधान मंत्री जी इस विषय पर भी कुछ अपनी प्रतिक्रिया देंगे।

एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बिहार के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, जैसा कि हमारे अन्य मित्रों ने कहा है कि इस रेल बजट में बिहार की बहुत सारी चीजों और समस्याओं का जो हल खोजने को मिलना चाहिए था वह हम नहीं खोज पाए हैं — यह सर्वथा सत्य है। बिहार की कुछ समस्याएं हैं। खासकर बगहाछितौनी के सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं उसके सम्बन्ध में, मैं एक बात ध्यान में लाना चाहता हूं। माननीय उप मंत्री जी यहां बैठे हैं, उनका क्षेत्र भी हमारे क्षेत्र से बिल्कुल सटा हुआ है। ये भी इस बात से इत्तिफाक करेंगे कि बगहा-छितौनी रेल पुल के विषय में माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा जो एक प्लानिंग कमीशन की टैक्नीकल कमेटी बिठाई गई थी उस टैक्नीकल कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दोनों राज्य सरकारें, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों को जो नदी को बांधने का काम, रिवर प्रोटैक्शन वर्क, का काम करना था वह दोनों राज्य सरकारें कर चुकी हैं। अतः दोनों राज्य सरकारों को जो पैसा मिलना था, जो

[श्री मनोज पांडे]

राशि का आबंटन होना था, रेल मंत्रालय को, उसकी आवश्यकता नहीं है। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन की टैक्नीकल कमेटी की रिपोर्ट मैंने स्वयं देखी है और उस रिपोर्ट के आधार पर अब रेल मंत्रालय को प्लानिंग कमीशन के पास भी पहुंचना चाहिए और जो राशि वे मांगना चाहें, वह प्लानिंग कमीशन से मांगकर के इसको पूरा कराने की व्यवस्था करें। माननीय उप मंत्री जी चूंकि उस इलाके से आते हैं, जो बगहा-छितौरी, रेल पुल को जोड़ने का इलाका है और खासकर नैपाल सैक्शन का जो ट्रैफिक वहां मिलेगा, उस पर यदि नजर डालें, तो हमें यह जानकारी मिलेगी कि इस एक पुल के बन जाने से पूर्वान्चल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और उत्तरी पश्चिम बिहार से नेपाल तक ये ऐसे इलाके हैं, जो कि बहुत ही पिछड़े इलाके हैं। अतः इस पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। मैं चाहूंगा माननीय उप मंत्री जी इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें।

दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पटना रेलवे-ब्रिज है उस के विषय में मैं कुछ कहना चाहूंगा। यहां बहुत सारी बातें कही गई हैं। इस रेलवे ब्रिज का 1980-81 में सर्वे का काम कराया गया था। पटना के पास एक गांव है — बीघा वहां पर रेल पुल बनाने की बात कही गई थी। सर्वे का काम कम्पलीट कर लिया गया था और सॉयल टैस्टिंग इत्यादि का जितना काम होता है वह सब कराकर इस सम्बन्ध में एक विस्तृत कार्यवाही की जा चुकी थी। दुर्भाग्यवश, इस वर्ष भी हम लोगों को पटना रेल-ब्रिज के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मैं मंत्री जी से उम्मीद करूंगा कि वे इस विषय पर भी कुछ प्रकाश डालें।

ब्रॉड गेज कन्वर्शन के सम्बन्ध में भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। नेपाल ट्रैफिक मुजफ्फरपुर से शुरू होता है और रक्सौल तक जाता है। इस नेपाल ट्रैफिक का यदि आज आप स्वरूप देखें, तो नेपाल सरकार अपना सारा का सारा सामान अब डाक से कलकत्ता से सीधे ट्रकों द्वारा मंगाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो मुजफ्फरपुर के पास ट्रांसशिपमेंट हुआ करता था उसमें घोटाला हुआ करता था जिसमें बाध्य होकर नेपाल सरकार ने अपने ट्रकों द्वारा सारे का सारा सामान कलकत्ता से मगाना शुरू कर दिया है। यह आपके लिए भी शर्म की बात है। अतः यह हमारे हित की बात होगी कि रेल मंत्रालय पर इस तरह की जो तोहमत लगाई गई है इसको दूर करने के लिए इस सैक्शन को ब्राडगेज में कन्वर्ट किया जाए। इसके सर्वे का काम भी 1981-82 में पूरा कर लिया गया है और मेरा यह मानना है कि नेपाल ट्रैफिक यदि आपको मिल जाता है, तो यह सर्वे का जो काम किया गया है और आपके द्वारा जो मापदंड लगाया गया है, उसे यह पूरा हो जाएगा।

दूसरी बात यह है कि मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज रेलवे लाइन के ब्राडगेज का सर्वे पूरा किया जा चुका है, लेकिन अभी उसमें कोई प्रगति नहीं दिखाई देती है। इसी तरह से समस्तीपुर-दरभंगा का भी सर्वे पूरा किया जा चुका है, उसको भी पूरा किया जाना चाहिए। इस दिशा में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हजारीबाग-गिरिडिह नई रेलवे लाइन बनाने की बात 1980-81 में की गई थी। यह खनिज पदार्थ का इलाका है और यहां से खनिज पदार्थ निकालने में जो सुविधा रेलवे की तरफ से दी जा सकती है, वह दी जानी चाहिए। ताकि देश की इकोनोमी में बढ़ोतरी की जा सके। मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि आरा-सासाराम सबसे पुराना रेलवे ट्रैक हुआ करता था, लेकिन अब उसको खत्म कर दिया गया है। इसके बाद उसका सर्वे भी कराया गया है और आरा-सासाराम रेलवेलाइन बनाने के संबंध में कई बार यहां पर बातें भी की जा चुकी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आरा-सासाराम नई रेलवेलाइन बनाने के संबंध में जब आप यहां अपना जवाब दें, तो उसकी चर्चा करें तो बड़ी प्रसन्नता होगी।

सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात यह है कि हमारे यहां दो बौध पिलग्रिमेजेज हैं। इनको टूरिस्ट प्वाइंट आफ व्यूह से रेलवे लाइन बनाने के संबंध में यहां पर चर्चा की गई थी। हाजीपुर-नरकटियागंज वाया लालगंज, वैशाली और सहेबगंज का ऐसा इलाका है जो वैशाली-नंदगढ़ से जोड़ता है। इन दोनों पिलग्रिमेजेज को भी जोड़ने की व्यवस्था करें। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक): सभापित महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छा बजट पेश किया है। रेलवे में पिछले कुछ सालों में काफी सुधार हुआ है, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। इनमें से कुछ का जिक्र मैं यहां सदन में करना चाहता हूं। जैसे आपने रैपिड इन्फार्मेशन सैन्टर्स खोले हैं, जिससे जनता को बड़ी सहूलियत हो गई है, यह मालूम करने के लिए कि कौन सी ट्रेन कब और कहां जाएगी और उसकी स्थिति क्या है और उसमें कितनी जगह है। दूसरे कम्पयूटराईजेशन सिस्टम इशू आफ टिकट्स के लिए जो आपने किया है, जिसको आप बढ़ाने भी वाले हैं ताकि हिन्दुस्तान के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह का टिकट खरीद सकता है। इसलिये मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप जो सुधार रेलवे में कर रहे हैं, वे इसी तरह से बने रहेंगे।

अब मैं कुछ अपनी मांगों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारी बहुत दिनों से अंडर-ग्राउण्डरेल की मांग है। मैं आशा करता हूं कि आप इस पर अवश्य ध्यान देंगे और इसमें जितनी जल्दी और तेजी से प्रगति की जा सकती है, वह की जाए, ताकि दिल्ली वालों को उसकी सहूलियत मिल सके। दूसरे जो नेशनल कैपिटल रीजन के अन्दर और आसपास के हमारे जो शहर हैं, उनको दिल्ली के पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा सिवाय रेलवे के और कोई दूसरा सिस्टम नहीं हो सकता है। इसको भी आप जोड़ने की कोशिश करें, जिससे दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी को दिक्कत से बचाया जा सके। इसमें लोगों का समय भी कम लगेगा। अगर आप इसमें कोई अच्छा सिस्टम निकालें जिससे दिल्ली के आसपास के शहरों को दिल्ली से जल्दी और आसानी से जोड़ सकें।

इसके बाद मैं खास तौर से एक बात मैं मेरे क्षेत्र के व्यापारियों के बारे में कहना चाहता हूं। इनका रेलवे से सीधा संबंध होता है। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनके माल की जो बुकिंग होती है, उनके जो फार्वर्डिंग एजेंट्स हैं, उनका रेलवे में कोई रिकॉगनिशन नहीं है, न उनको कोई सहूलियत ही दी जाती है, लाखों-करोड़ों रुपयों का माल दिल्ली में आता है और जाता भी है, लेकिन उन व्यापारियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई-कई दिन लग जाते हैं उनको बुकिंग कराने में। उनको हजारों-लाखों रुपए का नुकसान होता है, ब्याज का भी नुकसान होता है माल का भी नुकसान होता है, कई बार उनका माल बारिश में भी खराब हो जाता है तथा माल चोरी भी हो जाता है। इसलिए आप कोई ऐसा तरीका निकालें, चाहे आप उसको उठा कर दिल्ली में किसी और जगह पर ले जायें, जहां आपको खुली जगह भी मिले और लोगों को सहूलियत भी हो। यह सिस्टम पानी के जहाज में भी है और आपके यहां भी है, लेकिन आप कोई ऐसा सिस्टम निकालें जिससे सहूलियत हो और व्यापारियों को कोई दिक्कत न हो।

इस के बाद में यह कहना चाहता हूं कि आप के जो इम्पलाईज हैं, वे आपके परिवार का एक हिस्सा हैं। उन के जो क्वार्टर हैं, जिस जगह वे रहते हैं, उन को वहां बहुत दिक्कत है। वहां कम्युनिटी सेन्टर्स नहीं है और उनके अपने घरों में पंखे नहीं हैं। पानी की जो लाइनें हैं, वे 60,60 और 70,70 साल पुरानी हैं और उन के ऊपर जो पानी की टंकी हैं, उस की हालत अगर आप देखें, तो उन में से एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते हैं। वहां पर स्कूल नहीं हैं और वहां पर बहुत ज्यादा गन्दगी है और कोई सफाई का प्रबन्ध नहीं है। मेरे अपने क्षेत्र में ऐसी बहुत सी कोलोनीज हैं, जिन की हालत खराब है और मैं आशा करता हूं कि आप इस पर ध्यान देंगे।

एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पल्सेज पर आप ने फ्रेट रेट बढ़ाया है। जिस तरह से आप ने और बहुत सी आइटम्स को इस फ्रेट रेट की वृद्धि से एगजेम्प्ट किया है, पल्सेज को भी छोड़ दिया जाए वरना इन के दाम बढ़ जाएंगे। पल्सेज ऐसी चीज़ है, जिन को आम आदमी कन्ज्यूम करता है और हर जगह और हर बार में इन का इस्तेमाल होता है। मैं आशा करता हूं कि आप इस पर ध्यान देंगे।

[श्री जय प्रकाश अग्रवाल]

मेरा लास्ट प्वाइन्ट यह है कि हमारे यहां जो रेलवे स्टेशन हैं, वह बहुत सालों से वैसा ही चला आ रहा है। स्टेशन से जो लोग बाहर निकलते हैं, तो उनको अपना सामान बचाना पड़ता है कि कहीं वे लुट न जाएं और कोई सामान छीन कर न ले जाए। वहां पर बहुत बुरी हालत रहती है। चारों तरफ़ रिक्शा वाले खड़े होगें और दूसरे लोग खड़े होगें। आप दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से मिल कर कोई ऐसी स्कीम बनाइए, जिस से वह जगह साफ-सुथरी रहे। अब तो जो आदमी बाहर निकलता है, उस को जहां जाना होता है, उस के लिए रास्ता नहीं मिलता और वह ढूंढता रहता है और चारों तरफ़ वह लोगों से घिरा रहता है। मैं आप को अपनी बात बताऊं कि जब मैं स्टेशन से बाहर निकला, तो मैं ने रिक्शा वाले से कहा कि मुझे चांदनी चौक जाना है, तो रिक्शा वाले ने कहा कि 25 रुपये लगेंगे जबकि वहां से चांदनी चौक का रास्ता एक किलोमीटर भी नहीं है। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो बातें कही हैं, उन पर आप ध्यान देगें।

श्री कमला प्रसाद रावत (बाराबंकी): सभापति महोदया, मैं रेलवे बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे राज्य रेल मंत्री जी ने और उप मंत्री श्री महाबीर प्रसाद ने जो बजट सदन में पेश किया है, उस में उन्होंने गरीबों पर कोई पैसा न बढ़ा कर पूरे भारत की जनता पर बड़ा अहसान किया है और जो एक बहुत अच्छा बजट उन्होंने पेश किया है, उस के लिए वे बधाई के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह क्षेत्र बड़ा पिछड़ा हुआ है और वह घघ्घर और गोमती बाढ़-पीड़ित इलाका भी है और उस इलाके में रेलवे बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है लेकिन और उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाये, तो और भी अच्छा काम हो सकता है। हमारे यहां बाराबंकी और लखनऊ रोड के पास सफेदाबाद रेलवे क्रोसिंग है, जिस पर आम तौर पर बड़ा ट्रेफिक जाम हो जाता है और आवागमन ठप्प हो जाता है और कभी-कभी तो ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम भी हो जाती है। इस के लिए हम ने लोकसभा के नियम 377 के तहत भी कहा था। माननीय मंत्री जी भी उस रास्ते से कार से गुजरते हैं। अगर उस पर समपार की व्यवस्था हो जाए, तो इस से लोगों का बहुत भला होगा।

1.58 म.प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस से फेजाबाद, बाराबंकी, लखनऊ, बहराइच, गोंडा, गोरखपुर और पूर्वांचल के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। नेपाल को भी इस से जोड़ा जा सकेगा। माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगें, ऐसी मैं आशा करता हूं।

हमारी बाराबंकी की दूसरी प्राब्लम है। कई गाड़ियां हैं, जो छोटे छोटे कस्बों पर तो रुकती हैं लेकिन वहां नहीं रुकती । शहीद एक्सप्रेस, जो एक बड़ी ट्रेन है, वह जिला के मुख्यालय पर नहीं रुकती ! इस और भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बाराबंकी में काफी हैन्डलूम का काम होता है और वहां पर जो व्यापारी हैं, उन को बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि उन को रिर्जवेशन नहीं मिल पाता। वैशाली में रिर्जवेशन के कोटे को बढ़ाना चाहिए।

बाराबंकी-वहराइच के लिए अभी तक कोई सीधी रेल सेवा नहीं है। अगर बाराबंकी से वहराइच को सीधा जोड़ा जाए, तो इस से नेपाल जुड़ जाएगा और वहराइच जो अछूता रहा है और पिछड़ा रहा है, उस के लोगों को काफी राहत मिलेगी। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसी बजट में या अगले बजट में ऐसी व्यवस्था करें जिससे बाराबंकी से वहराइच या लखनऊ से वहराइच सीधे जुड़ जाएं। बाराबंकी-फतेहपुर रोड पर

वाराणसी और गोरखपुर की लाइने इसी रोड से निकलती हैं। या तो ओवरब्रिज बनाया जाए या दोनों को तोड़ कर एक कर दिया जाए।

बुढ़वल जंक्शन से होते हुए, सीतापुर और शाहाजहापुर होते हुए नई दिल्ली को जोड़ा जा सकता है। इस से लोगों को काफी समय बचेगा और इस नई रेल लाइन को बना देने से जो भीड़-भाड़ होती है, वह भी कम होगी।

2.00 म०प०

इसलिए मैं चाहता हूं कि बुढ़वल-सीतापुर मीटरगेज लाईन को-ब्रोडगेज लाईन बनाया जाए।

इसी तरह से बाराबंकी स्टेशन के बारे में एक समारोह में तत्कालीन मंत्री श्रीमती मोहसिना किदवई जी ने कहा था कि बाराबंकी स्टेशन का मोडरेनाइजेशन कर दिया जाएगा। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और बाराबंकी स्टेशन का मोडरेनाइजेशन करने की कृपा करेंगे।

हमने देखा है कि सेकिंड क्लास के डिब्बों में छोटे-छोटे कीट-पतंगे बुहत होते हैं और वे बहुत परेशान करते हैं। आप जो बेड रोल देते हैं वे मैले और फटे हुए होते हैं। इस पर भी मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।

रेलों में और भी बहुत अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं। रेल हमारे देश में एक आदर्श प्रस्तुत करके बहुत बड़ा योगदान प्रस्तुत कर सकती हैं।

मैं आपका बड़ा एहसानमंद हूं कि आपने बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सभा की कार्यवाही मध्याह भोजन के लिए स्थगित करते हैं और 2.25 म०प० पर पुनः समवेत होंगे।

2.01 म०प०

तत्पश्चात लोकसभा मध्याह भोजन के लिए 2.25 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.29 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोकसभा 2.29 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

रेल बजट, 1989-90-सामान्य चर्चा-(जारी)

डा० गुलाम याजदानी (रायगंज): महोदय मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न है

उपाध्यक्ष महोदय : कोई विशेषाधिकार नहीं है। मंत्री महोदय बोल सकते है।

(व्यवधान)

डा० गुलाम याजदानी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है

उपाध्यक्ष महोदय : अभी कुछ नहीं हुआ है। व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

डा० गुलाम याजदानी: मैं इसकी व्याख्या करूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय: व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

डा० गुलाम याजदानी: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। रेल मंत्री 5-6 मिनट बाद चर्चा का जवाब दें।

उपाध्यक्ष महोदय: यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मंत्री महोदय बोलें।

डा० गुलाम याजदानी: कृपया मेरी बात सुनिये। मुझे नमाज़ के लिए जाना पड़ा। मैंने पहले कभी इस प्रकार खड़े होकर आपसे नहीं कहा। परन्तु आज शुक्रवार है जो जुमा की नमाज़ का दिन है। इसलिये साढ़े बारह बजे मैंने आपसे कहा था कि मुझे बोलने के लिए कुछ मिनट का समय दीजिये। परन्तु उसकी अनुमति नहीं दी गयी और मुझसे नमाज़ के बाद 2 बजे आने के लिये कहा गया था। मैं जब दो बजे आया, तो सभा स्थगित हो गयी। इसलिये मैं चाहता हूँ कि मुझे दो-तीन मिनट बोलने की अनुमति दी जाए। मैं सिर्फ एक अथवा दो बातें कहना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय: आप कल बोल सकते थे। हमने पूरे सप्ताह इस पर चर्चा की है। ठीक है, आप दो-तीन मिनट का समय लीजिये।

डा० गुलाम याजदानी: उपाध्यक्ष महोदय, देश के विभाजन के पश्चात पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी दीनाजपुर जिले में बलूरघाट से कलकत्ता तक कोई सीधी लाइन नहीं है। जिले के मुख्यालय से कलकत्ता तक कोई रेल सम्पर्क नहीं है। इसलिए कलकत्ता तक रेलवे सम्पर्क के बारे में सोचा गया और इस प्रकार इकलाक्षी-बलूरघाट लाइन का प्रस्ताव रखा गया। इसे मंजूरी दी गयी और 1982 में कार्य भी शुरू हुआ। पहले तीन वर्षों तक मन्दगति से कार्य हुआ। परन्तु गत तीन वर्षों से कार्य रुका हुआ है क्योंकि बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। गत वर्ष बजट में केवल एक लाख रुपये की व्यवस्था थी। इस वर्ष भी केवल एक लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। परन्तु लाइन की कुल लागत 43 करोड़ रुपये है जबकि अब तक केवल 3 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। इसलिये मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि बजट में वृद्धि की जाए और इकलाक्षी-बलूरघाट मुख्य लाइन का कार्य शुरू किया जाए। यह हमारे क्षेत्र के सभी लोगों की मांग है।

बरसोई से राधिकापुर तक जो रेलवे लाइन है उसका आम जनता को कलकत्ता अथवा अन्यत्र जाने के लिये कोई लाभ नहीं है। इसलिये हमारी मांग है कि इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाए। मीटरगेज लाइन सभी मुख्य लाइनों से नहीं जोड़ती है। परन्तु हमारी माँगें पूरी नहीं की जा रही हैं। हम यह भी मांग कर रहे हैं कि बलूरघाट लाइन के लिये अधिक धनराशि आवंटित की जाए। वास्तव में हम यही चाहते हैं। इस प्रकार मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय दलकोला ऊपरी पुल की तरफ ध्यान दें जो पूरा नहीं हुआ है। लोग बसों द्वारा सिलीगुड़ी से कलकत्ता तक आते-जाते हैं तथा यातायात घण्टों तक फाटक पर रुका रहता है। ऊपरी पुल की योजना को पहले ही स्वीकृति दे दी गयी है। जमीन भी दे दी गयी है। परन्तु कार्य में कोई उन्नति नहीं हो रही है। नयी जलपाईगुड़ी से कलकत्ता तक जाने वाली जनता एक्सप्रेस को बिना किसी कारण रद्द कर दिया गया है। अदिना-कटिहार पैसेंजर एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है। यह पैसेंजर ट्रेन कंचनजंघा एक्सप्रेस से जोड़ती थी। जनता एक्सप्रेस एक माल द्वितीय श्रेणी की गाड़ी थी परन्तु उसे रद्द कर दिया गया है इससे आम जनता को बहुत नुक़सान हुआ है। मैं नहीं जानता कि इसे क्यों रद्द किया गया है।

मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है कि इन सभी समस्याओं पर वे ध्यान दें और उन्हें हल करें।

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे डा० गुलाम याजदानी को कुछ मिनट का समय देने का अनुरोध किया था क्योंकि मुझे विश्वास था कि उनकी नमाज का उन पर शांत प्रभाव पड़ेगा। परन्तु मेरी आशायें पूरी नहीं हुई। समर्थन करने के बजाए वह बहुत आलोचना कर रहे हैं। तथापि मैं इसकी जांच करूँगा।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी: (मंदसौर) आज तो आप सावन के बादल की तरह बरसो, फागुन के बादल की तरह मत बरसो।

[अनुवाद]

श्री माधव राव सिंधिया: उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया और अनेक कीमती सुझाव दिये.....

उपाध्यक्ष महोदय: आपके लिये कितने सुझाव कीमती हैं।

श्री माधवराव सिंधिया: ...उपाध्यक्ष महोदय के सुझाव सहित सभी। निःसंदेह चर्चा का स्तर ऊँचा था ऐसा क्यों नहीं होता जब कि भूतपूर्व रेल मंत्री ने इसकी पहल की थी। मैं माननीय सदस्यों के रचनात्मक सुझावों का स्वागत करता हूं, यद्यपि उन्होंने सामान्य प्रशंसा से लेकर सूक्ष्म आलोचना तक की है। जनता के प्रतिनिधियों की हैसियत से मैं उनकी विवशताओं और उनके क्षेत्र की जनता की आशाओं को पूर्णतः समझता हूँ जिन्हें वह चाहती है और वे पूरा करना चाहते हैं। उनकी बृहत और सूक्ष्म भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी, अपने साथियों और रेल मंत्रालय की ओर से चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यत करता हूं। इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि रेलवे बहुत बड़ा और व्यापक तंत्र है। जैसा कि मैंने अपने भाषण में कहा है यह अनुचित नहीं है परन्तु उसकी आलोचना की गयी है। हम एक टीम और रेलवे परिवार के रूप में अपनी भूमिका निभाने और अपने दायित्वों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि हमें कुछ सफलतायें मिली हैं परन्तु मेरा विश्वास है कि हम में अनेक कमियां भी हैं। इन कमियों को दूर करने और सभा के माननीय सदस्यों और भारत की जनता की आशाओं को पूरा करने के लिये हम पूरा प्रयास करेंगे। रेलवे के प्रयासों की सफलता अथवा असफलता जो भारत की जनता के हितों के साथ जुड़ी हुई केवल रेलवे पर ही निर्भर नहीं करती बल्कि उन लोगों पर भी निर्भर करती है जो उनकी सेवाओं का उपयोग करते हैं। इसलिये यह एक सच्ची साझेदारी है और विगत वर्षों से हमने रेलवे में साझेदारी की इस भावना का अनुभव किया है इसके लिये हम अत्यंत आभारी है। हमें केवल माननीय सदस्यों का ही सहयोग नहीं मिला है बल्कि आम जनता से भी मिला है।

रेलवे प्रणाली पर बहुत दबाव है। निःसंदेह संसाधनों की कमी है तथा प्रो० मधु दंडवते और श्री शरद दिघे जैसे माननीय सदस्यों ने कहा है कि भारतीय रेलवे के लिए योजना आबंटन में कमी आयी है। साथ ही अधिकांश लोगों विशेषतः मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को लम्बी दूरी तय करने के लिये कोई वैकल्पिक साधन नहीं है इसलिये हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि सीमित संसाधन में ही हम निगमित उद्देश्यों के अनुरूप कुछ प्राथमिकतायें निर्धारित करें जिनका उद्देश्य कम से कम लागत पर यात्रियों तथा माल को ले जाना हो परन्तु इस बात का भी ध्यान रहे कि भारतीय रेलवे की वित्तीय व्यवहार्यता बनी रहे सेवा की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार हो और यात्रा अधिक आरामदायक तथा सुरक्षित हो। परिचालन क्षमता में वृद्धि करके, उत्पादकता में सुधार करके और उन्नत प्रौद्योगिकी के द्वारा क्षमता बढ़ाने की हमारी नीति

[श्री माधवराव सिंधिया]

है। मेरे विचार से अपने बजट भाषण में मैंने इन तीनों पहलुओं का विस्तार से उल्लेख किया है। मैं नहीं समझता कि इसके सम्बन्ध में मुझे अधिक समय बर्बाद करने की आवश्यकता है। मैं सच्चे प्रयासों और सच्ची निष्ठा के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ जिनके द्वारा भारतीय रेलवे के वरिष्ठतम अधिकारी से लेकर कनिष्ठतम कर्मचारी रेलवे की सेवाओं में सुधार करने में लगे हुए हैं। मैं यह दोहराना चाहता हूँ कि विगत तीन वर्षों में जन शक्ति उत्पादकता में 22 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है और यह भारतीय रेल द्वारा माल की ढुलाई से स्पष्ट है। मुझे विश्वास है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में अन्तिम वर्ष का भी लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा, चार वर्षों के सभी लक्ष्य हम पार कर चुके हैं। सातवीं योजना के प्रथम वर्ष से लेकर अन्तिम वर्ष तक प्रतिदिन प्रति वैगन माल ढुलाई में वृद्धि लगभग 325 टन किलोमीटर है। पांच वर्षों की यह वृद्धि विगत 29 वर्षों के बराबर है। मैं यह नहीं दोहराना चाहता कि इसका श्रेय हमारे रेल कर्मचारियों और रेल अधिकारियों को है **(व्यवधान)** मैंने कहा है कि हम वित्तीय व्यवहार्यता को बनाये रखने का प्रयास कर रहे हैं। यह देश में सामान्य संसाधनों की स्थिति में योगदान, मनोबल, और विदेशों में छवि बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है इससे 'इरकान' और 'राइट' जैसी हमारी सहायक कम्पनियों को ठेके मिलने में सहायता मिलेगी तथा इससे हम बडी वित्तीय योजनायें बना सकते हैं। इसके लिये हमारे पास तीन विकल्प थे। पहला विकल्प बचत द्वारा भारतीय रेल की वित्तीय स्थिति को सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष में भी मजबूत करने के लिये लाभ दिखाना था; दूसरा विकल्प सामान्य कोष में 805 करोड़ रुपये के लाभांश के कारण भाडे आदि में वृद्धि न करने के लिये था और तीसरा विकल्प रेल योजना को छोटा बनाने के लिये था।

विकल्प (ख) राष्ट्र के हित में स्वीकार्य नहीं था। ऐसा भी कुछ उल्लेख किया गया है कि माल भाड़ा में वृद्धि के फलस्वरूप सामान्य अर्थव्यवस्था की दरों पर स्फीतिकारी प्रभाव होगा । यह कुछ हद तक सच हो सकता है। लेकिन मैं यहां इस बात को फिर स्पष्ट करना चाहूंगा कि रेलवे माल भाड़े में वृद्धि के फलस्वरूप जो भी संसाधन प्राप्त कर रहा है वह उसकी निवेश लागत दर में 38 प्रतिशत वृद्धि को आत्मसात करने के पश्चात है पिछले $3^{1/2}$ सालों में हमारी निवेश लागत में 3 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है और हमारे किराये और माल भाड़े में 8 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है । और यह 5 प्रतिशत का अन्तर जिसमें विदेश में हुई कुल 38% वृद्धि भी शामिल है । 13 प्रतिशत का 5 प्रतिशत—विद्यमान परिसम्पत्तियों के सदुपयोग, प्रौद्योगिकी की उन्नति और मानवशक्ति उत्पादकता में सुधार के कारण है । महोदय, इससे सामान्य मूल्यों पर जो प्रभाव पड़ेगा वह भी उसकी भी गणना की जा चुकी है । हम लोगों के अनुसार, अगर आप इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देखते हैं तो, थोक-मूल्य सूचकांक के ऊपर इसका समस्त प्रभाव 0.3 प्रतिशत होगा, और अगर सभी अप्रत्यक्ष प्रभावों को जोड़ते हैं तो यह 0.54 प्रतिशत होगा । व्यक्तिगत वस्तुओं पर इसका प्रभाव, मिट्टी के तेल पर 2.5 पैसा प्रति लिटर , तीन पैसे से कुछ ज्यादा प्रति लिटर डीजल और पैट्रोल पर, 2.5 पैसा प्रति किलो नमक पर, गेहूं, दाल और मूंगफली के तेलों पर चार पैसे से ज्यादा, और 6.2 पैसा प्रति किलो चीनी पर होगा । अगर हम इस विकल्प को स्वीकार करते और अगर हम अपने सामान्य राज्य-कोष से लाभांश की अदायगी में चूक जाते तो, इससे वित्त मंत्री को 805 करोड़ रुपये के संसाधनों की प्राप्ति कम होती ; जिससे स्वभावतः वे दूसरी विधि अपनाते और जिसका मतलब था 805 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा के घाटे की वित्त व्यवस्था करनी पड़ती यहां पर बहुत से माननीय संसद सदस्य ऐसे हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का काफी ज्ञान है। यह एक सच्चाई है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ है मुद्रास्फीति को बढ़ावा देना इसलिये ऐसा देखते हुए, हमने कम नुकसानदायक विकल्प को चुना है। दूसरी ओर, अगर हम विकल्प "ग" को स्वीकार करते, जोकि एक छोटी योजना थी, तो हमारे वरीयता वाले क्षेत्रों की उपेक्षा होती। हमारा रेल मार्ग का नवीकरण रेलवे विद्युतीकरण, चल स्टॉक भ्रमी-स्कन्ध का नवीनीकरण सम्भव नहीं हो पाता जिसके लिये अनेक सदस्यों ने आवाज उठाई थी। और इससे यह रेलवे के दीर्घकालीन हित में भी नहीं होता।

जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं कि न केवल योजना आवंटन, और वृहत योजना के प्रतिशत में कमी आयी है वरन रेलवे के बजट संबंधी समर्थन में भी प्रति साल गिरावट आ रही है पिछले वर्ष हमारी योजना 3,850 करोड़ रु० की थी और हमें 1,446 करोड़ रु० बजट संबंधी सहायता, अर्थात योजना का 38% दी गई थी। इस वर्ष हमारी योजना 4,450 करोड़ रुपये की है और हमें 1,446 करोड़ रु० की बजट संबंधी समर्थन के स्थान पर 1,434 करोड़ रु० दिये गए हैं। वास्तव में पूर्ण और वास्तविक अर्थों दोनों में कमी आयी है। जब कि वास्तविक अर्थों में यह कुल योजना का केवल 32 प्रतिशत भाग है। इसलिये, हमें ऐसे संसाधनों को ढूंढना होगा जिससे कि योजना को ऐसे स्तर पर रखा जाये जहां जरूरी आवश्कतायें अनूपातिक रहे। इस कारणवश, हमारा डी० आर० एफ० योगदान भी बढना निश्चित है जोकि अब 11 से 12 प्रतिशत के बीच है और इसके कारण किसी क्षेत्र पर बोझ पड़ेगा जिससे रेलवे उपभोक्ता पर प्रभाव पड़ेगा।

अब ऐसा कहा जा रहा है कि यह चुनाव वर्ष होने के कारण सरकार ने यात्रियों को कर भार से मुक्त करने की कोशिश की है और माल भाड़े में वृद्धि करके उन पर अप्रत्यक्ष रूप से कर लगाया है। ऐसा नहीं है। हमारी सरकार ऐसी नहीं है। हमारी सरकार ऐसी है जो कि वास्तविक सच्चाई का सामना करती है, कठिन निर्णय लेती है और ऐसे निर्णयों के सहारे काम करती है। आसान तरीका तो यही होता कि हम माल भाड़े में कोई वृद्धि नहीं करते और कहते, "ठीक है, वित्त मंत्रालय की घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण जो भी मुद्रास्फीति होगी वह चुनाव के आठ से नौ महीने के बाद होती जिसके लिये हमें चिन्ता की जरूरत नहीं थी। 1990 में देखा जाएगा। यह आसान तरीका होता। लेकिन हमने दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखते हुये ऐसा किया है। सच्चाई तो यह है कि हम यह नहीं चाहते कि हमने सभी दिशा में अपने नेता श्री राजीव गांधी के साथ जो अच्छी तरक्की की है। उसमें रेलवे किसी से पीछे रह जाए। इसी कारण हमने सच्चाई का सामना किया है।

हमने माल भाड़े को चुना क्योंकि हमारे पास दो रास्ते थे जिससे हम अपने संसाधनों को बढ़ा सकते थे। मालभाड़ा या यात्री भाड़ा। पिछले साल यात्री भाड़े में वृद्धि की गयी थी। 1988-89 में मालभाड़े में केवल 6% वृद्धि की गई भी। लेकिन अगर आप उन सभी वस्तुओं को ध्यान में रखते हैं जिनको कर से मुक्त किया गया है तो यह वृद्धि केवल 4.8% ही आती है। इसलिये, अब माल भाड़े में वृद्धि का समय था। आप यात्रियों से हर समय कर नहीं ले सकते। फिर भी; मैंने जैसा की समय-समय पर कहा है कि यह सरकार इस सच्चाई को मानती है कि लम्बी दूरी के यातायात के लिये, मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिये यह आवश्यक है कि जहां तक सम्भव हो सके हमें कोशिश करके शुल्क नियंत्रण की नीति को बनाए रखना चाहिये।

लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी ईमानदारी को विपक्ष द्वारा गलत समझा गया। माल-भाड़े में वृद्धि के फलस्वरूप बहुत तीखी आलोचना की है जिससे ऐसा महसूस होता है कि विपक्ष को इस
बात से हतोत्साहित होना पड़ा कि यात्री भाड़े में हमने वृद्धि नहीं की इसलिए उन्होंने अपना सारा जोर माल-भाड़े में वृद्धि का विरोध करने में लगाया। इसलिए उन्हें आलोचना करने के लिए कुछ बहाना चाहिये था। यह दुर्भाग्य की बात है कि वे कटु सत्य पर विश्वास नहीं कर सकते हैं।

वहां कुछ चालन अनुपात का भी उल्लेख किया गया था। यह सवाल अक्सर ही उभरा है। मैं माननीय सदस्यों — सत्तारुढ़दल और विपक्षी सदस्यों, दोनों का आभारी हूं जो कि समय निकालकर यहां पर उपस्थित हुये हैं और मेरे कुछ विचारों और सुझावों को ध्यान से सुना है जो कि मैंने रेल मंत्रालय की ओर से दिये हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे बहुत से सदस्य हैं जो कि प्रश्न और विषय तो उठाते हैं पर उत्तर के समय नहीं आते। मैं यह कहूंगा कि बहुत सारे प्रश्न जो कि आलोचना की दृष्टि से उठाये गये थे उनका यहां पर पहले ही उत्तर दिया जा चुका है। मैं यहां पर अपने पिछले भाषण लेता हूं तो मेरा उत्तर, पिछले साल और पिछले के पिछले

[श्री माधवराव सिंधिया]

सालों की तरह एक ही प्रकार का उत्तर होता है क्योंकि यह सवाल बार-बार उठाये गए हैं। वे माननीय सदस्यगण मेरी बात सुनने का कष्ट नहीं करते जो मैं अपनी आलोचनाओं के जवाब में कहता हूं।

वे परिचालन अनुपात की बातें करते हैं। प्रो॰ पराशर ने यह सवाल उठाया, साथ ही कुछ और माननीय सदस्यों ने भी यह सवाल उठाया कि चालन अनुपात 93 प्रतिशत है। हां, यह 93 प्रतिशत है। लेकिन यह कटु सत्य है। फिर भी, अगर आप भारतीय रेलवे की कार्यक्षमता और अक्षमता का आर्थिक दृष्टि से विवेचना करते हैं तो आप निश्चय ही इसे निगमित व्यापारिक संस्था पायेंगे। अगर आप अर्थशास्त्री हैं तो आप इस पर व्यापारिक दृष्टिकोण डालें। हम सरकार के एक अंग हैं इसलिए हमें कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व को भी पूरा करना है। लेकिन अगर आप परिचालन अनुपात के आधार पर हमारी कार्यक्षमता और अक्षमता को देखते हैं तब आपको यह मानना पड़ेगा कि, अगर हम सरकार के अंग नहीं होते, अगर हम एक व्यापारिक संस्था होते तो हम 1700 करोड़ रुपये की राज सहायता यात्रियों के आवागमन पर आवश्यक वस्तुओं और निर्यात की कुछ वस्तुओं की ढुलाई पर तथा व्यापारिक दृष्टिकोण से हानिकर लाइनों पर नहीं लगाते। इसलिए जब आप केवल विवेचना की दृष्टि से विचार करते हैं तो रेलवे द्वारा लगाए गए 1700 करोड़ रुपये की भी आपको सराहना करनी होगी। अगर आप रेलवे द्वारा 1700 करोड़ रुपये व्यय करने की प्रशंसा करते हैं तो इसका परिचालन अनुपात 93 प्रतिशत से घट कर 79 प्रतिशत रह जाता है जोकि एक अच्छा परिचालन अनुपात है। यदि आप निवेश के लाभ को देख लेंगे तो यह 5.8 प्रतिशत से लगभग 19 प्रतिशत बढ़ जाता है जो किसी भी व्यावसायिक मानदण्ड के अनुसार लाभ की एक अच्छी दर है। मैं अपने आदरणीय वरिष्ठ सदस्य प्रो॰ मधु दंडवते का आभारी हूं जिन्होंने किसी सहायता या प्रतिपूर्ति के संबंध में अत्यन्त जोरदार दावा किया है। संभवतः वह ऐसी सामाजिक लागत का संकेत दे रहे थे जो रेलवे को पूरी करनी पड़ती है। उन्होंने कुछ आंकड़े पढ़े थे। यह सचाई है कि विदेशों में रेलवे द्वारा सामाजिक दायित्व उठाया जाता है किन्तु ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश रेलवे के लिए प्रति वर्ष 700 मिलियन पौंड या प्रति वर्ष 1800 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति ऐसे सामाजिक दायित्वों के लिए करती है जो वे सरकार की ओर से पूरा करते हैं। जर्मन रेलवे को 13,600 ड्यूश मार्क तक भी प्रतिपूर्ति होती है जो 10 हजार करोड़ रुपये के बराबर है। फ्रेंच रेलवे को 35,0000 लाख फ्रांसीसी फ्रांक जो 8000 करोड़ रुपये के बराबर है की प्रतिपूर्ति होती है। जापानी रेलवे को 2,42.0000 मिलियन येन की प्रतिपूर्ति होती है जो 2,500 करोड़ रुपये के बराबर है। मैं प्रो. दंडवते के प्रति अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने एक अच्छा मुद्दा उठाया और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मैं इस पर कुछ और अधिक बल दे सका।

अवमूल्यन आरक्षित निधि योगदान के संबंध में कहते हुए जो हमारी योजना में काफी सहयोग देता है। सदस्य जानते हैं कि यह 10 वर्ष पूर्व 2.9 प्रतिशत से आज 11.8 प्रतिशत तक बढ़ गया है। श्री रघुमा रेड्डी ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि 1977-78 और 1978-79 में भाड़े और किराये की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गयी। मेरे लिए भी यह सरल है कि मैं भाड़े और किराये की दरों को वैसे ही रहने दूं यदि मैंने डी.आर.एफ. का योगदान 11.8 प्रतिशत की तुलना में 2.9 प्रतिशत रखा होता।

मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि 1989-90 के इस वित्त वर्ष में यदि डी.आर.एफ. योगदान जिसके विषय में मैंने कहा कि हमारी योजना का वित्तपोषण होता है यदि इस को 2.9 प्रतिशत रखा जाए तो मेरा अधिशेष 1,434 करोड़ रुपये होता। भाड़े और किराये की दरों को बढ़ाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और 10 वर्ष पूर्व उन दो वर्षों में घाटे के सभी अधिशेष बढ़ जाते जो 300 रुपये से 514 करोड़ रुपये तक होते, किन्तु, यह इस प्रणाली की कशलता के लिए अच्छा नहीं होता।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अधिक रेलवे बॉंड बेचे जाएं। हम रेलवे बॉंड बेच रहे हैं किंतु इन पर

बजट समर्थन की तुलना में अधिक खर्च आता है। हम सरकार की ओर से बजट समर्थन के लिए 6.5 प्रतिशत लाभांश का भुगतान करते हैं जिस से नई पूंजी तैयार होती है किंतु रेलवे बांड के लिए वित्तीय सहायता के तौर पर हम ब्याज के रूप में 9 प्रतिशत बाँड-धारक को देते हैं और विमोचन तिथि पर भुगतान के लिए प्रावधान के रूप में 7 प्रतिशत देते हैं यह लगभग 16 प्रतिशत के बराबर आता है। अतः इससे इस वर्ष लगभग 140 से 143 करोड़ रुपये और भावी वित्त वर्ष में लगभग 270 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। अतः हम चाहते हैं कि जो भी धन बाँडों से प्राप्त होगा उस राशी को हम ऐसी सम्पत्तियों में लगाएं जो जहां हम लाभ का मूल्यांकन कर सकते हैं ताकि इस निवेश की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित हो और हम यह भी निश्चित कर रहे हैं कि इस से हमारे भुगतान से अधिक लाभ प्राप्त हो।

3.00 म० प०

अतः 1,520 करोड़ रुपये की पूरी राशि जो अभी तक बांडों के रूप में प्राप्त हुई है उसको मुख्यतः गाड़ियों में चल-स्टॉक में और हमारे चल-स्टॉक कार्यक्रम में लगाया गया है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटर): **क्या इनका पूरी तरह समर्थन किया जाता है?**

श्री माधवराव सिन्धिया: हाँ।

माननीय संसद सदस्य, प्रो० दंडवते ने उस दुर्दशा का भावपूर्ण वर्णन किया जिसका जो रेलवे को 'ससुरालवालों' की ओर से कभी-कभी सहन करनी पड़ती है। उन्होंने दो सासों के संबंध में कहा जो उनके अनुसार योजना आयोग और वित्त मंत्रालय थे। हम जानते हैं कि हमारी "सासें" वित्तीय कठिनाइयों में अपनी ओर से बहुत अच्छा काम कर रही हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर): **मैंने तीन सासों का उल्लेख किया: वित्त मंत्री, योजना आयोग और वित्त आयोग।**

श्री माधवराव सिन्धिया: ठीक है। आपने मुझे तीसरी सास दी है। दो तो पहले ही थीं। सभी इकट्ठी हमारे लिए उत्तम काम कर रही हैं। मैं जानता हूं कि वे ऐसी हैं। मैं जानता हूं कि रेलवे के अत्यावश्यक काम के लिए प्रशंसा की गई है।

उन्होंने ननदों—इस्पात मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय— के संबंध में भी कहा जो हमें फिर जाने वाले किसी भी संसाधन को कुतर रहे हैं और अपने लिए अधिक संसाधन जुटाना चाहते हैं। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि दोनों "सासों" और "ननदों" के बीच अच्छा समन्वय है। मैं माननीय सदस्य को केवल इतना कह सकता हूं कि यह एक मांनी हुई धारणा है— यह सदा सही नहीं है; बहुत से मामलों में यह सही नहीं है कि बहू को सास और ननद सदा कष्ट देती हैं। साथ ही यह धारणा भी स्वीकार्य नहीं है नर्म दिल ससुर सदा बहू के हितों की रक्षा करते हैं। मैं केवल यह कह सकता हूं जैसा मैंने अपने भाषण में भी कहा मैंने अत्यन्त शुभचिन्तक, हितैशी, अत्यन्त गतिशील और अत्यन्त सहनशक्ति वाले ससुर की बात की जो रेल मंत्रालय के हैं। प्रधान मंत्री ने हमें सदा आश्चर्यजनक समर्थन दिया है। मैंने कहा कि सदन में जो वातावरण इन्होंने बनाया कि सासें, ननदें, बहुएं इस कारण से आराम से रह रही हैं क्योंकि हमारे ऊपर एक शुभचिन्तक ससुर जी हैं।

स्थिरता के सम्बन्ध में कोई बात हुई थी। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय रेलवे में स्थिरता है। सभी क्षेत्रों के कार्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है विशेष कर प्राथमिकता के क्षेत्रों में जैसे लाइन का—नवीकरण, रेल सम्पत्ति, विद्युतीकरण और वर्कशाप आधुनिकीकरण।

[श्री माधवराव सिंधिया]

रेल मार्ग के नवीकरण के लिए आबंटन जो रेल योजना के अंग के अनुसार 1978-1980 की चल योजना अवधि के दौरान केवल 10.2 प्रतिशत था। 10.2 प्रतिशत से हमने इसे 21.1 प्रतिशत तक बढ़ाया है, जो दुगने से भी अधिक है। इसी प्रकार रेलमार्ग के मरम्मत के काम में छठी योजना में लगभग 1,900 कि.मी. से सातवीं योजना के चार वर्षों में प्रति वर्ष लगभग 3,900 से 4,000 कि.मी. तैयार किए हैं इस में कुछ शुद्धि ी हो सकती है और पिछले वर्ष के 4,549 की तुलना में 1979-80 में केवल 976 कि.मी. का निर्माण किया गया है।

रेलमार्ग के नवीकरण के लिए हमारी सातवीं योजना का लक्ष्य 19,000 से 21,000 कि.मी. के बीच था जिसको भारी महत्व दिया जाता है। हमारा अनुमान है कि हम सातवीं योजना अवधि में कोई 19,400 कि.मी. पूरा करेंगे जो अनुमानित लक्ष्य से अधिक है। हमारा बकाया काम भी बहुत सारा पूरा हो गया है। हम अभी भी लगभग 19 हजार से 20 हजार के पुराने सभी रुके हुए काम को 1995 तक पूरा कर रहे हैं जो हमें सातवीं योजना के आरंभ में प्राप्त हुई। श्रीमती प्रभावती गुप्ता ने भी रेल मार्गों के बदलने पर उचित जोर दिया। उन्होंने और श्री दंडवते दोनों ने रेलमार्ग की तोड़-फोड़ का उल्लेख किया। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि रेलमार्ग जिस गति से बदले जा रहे हैं उनके परिणाम स्वरूप रेलमार्ग की खराबी में कमी होती जा रही है। 1986-87 में रेल मार्गों मे पिछले वर्ष इतनी तोड़-फोड़ नहीं हुई जितनी कि एक वर्ष पूर्व हुई और 1987-88 के दौरान और भी 13 प्रतिशत कमी हुई है। बड़ी लाइन पर लगभग 1500 कि॰ मी॰ मार्ग की प्रति वर्ष झलाई की जाती है और बड़ी लाइन पर कुल बड़ी लाइन में से 85 प्रतिशत की झलाई की जाती है। चल भण्डार कार्यक्रम में हम विकास की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं ताकि हम आठवीं योजना की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कस की क्षमता को 22.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 100 से 120 इंजनों की वृद्धि का प्रस्ताव है। डीजल इंजनों में 19.5 करोड़ रुपये की लागत से और 10 डीजल इंजनों की वृद्धि की जायगी। व्हील एण्ड एकसाल प्लांट बंगलोर की क्षमता 31.9 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 70 हजार से 85 हजार व्हील सेट प्रति वर्ष वृद्धि की जाएगी। कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री का 1988-89 में 120 और 1989-90 में 300 डिब्बे बनाने का लक्ष्य है जो हमारी रेल गाड़ियों को बढ़ाने में बहुत सहायक होगा।

कार्यशाला में जो आधुनिकीकरण हुआ है उस से विद्युत, डीजल, और वैगनों को भी अधिक कार्यशील बनाया गया है। इन सभी मामलों में 30 से 70 प्रतिशत की कमी हुई है।

लोकोमोटिव, वैगन, चल स्टाक की उपलब्धता में तथा उनकी कार्यकुशलता में चहुंमुखी सुधार हुआ है। हमारे वर्कशाप कार्यक्रम के प्रथम चरण में जो 1985 में पूरा हुआ था हमने चार रखरखाव कर्मशालाओं और एक उत्पादन ईकाई को शामिल किया गया था ये हैं मटूंगा, कंचरापारा, खड़गपुर, लोअर परेल और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। प्रथम चरण में कुल लागत लगभग 68 करोड़ रुपये की थी। कार्यक्रम के दूसरे चरण में छः वर्कशाप और एक उत्पादन ईकाई को शामिल किया जाना है। ये हैं आई॰सी॰एफ॰ लिल्हा गोल्डन रॉक, परेल, खड़गपुर, अजमेर और जगाधरी। इसकी अनुमानित लागत 186 करोड़ रुपये है और परियोजना लगभग मार्च, 1990 के करीब पूरी होने की संभावना है। तीसरे चरण में जमालपुर और पैराम्बूर वर्कशाप का आधुनिकीकरण किया जाना है। जमालपुर में लगभग 65 करोड़ रुपये की लागत आएगी और पैराम्बूर में 56 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। जमालपुर में एक नया लोको शेड बनाने का प्रस्ताव है जिस पर अनुमानतः 10 करोड़ रुपये लागत आएगी। जमालपुर में हम लोको तथा डीजल के लिए पी ओ एच सुविधाएं

भी बढ़ा रहे हैं तथा कास्ट आयरन फाउंडरी का आधुनिकीकरण कर रहे हैं और क्रेनोंका उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं।

विद्युतीकरण में भी इतनी ही प्रगति हुई है। कुल योजना में रेलवे विद्युतीकरण हेतु चल योजना आंबटन 3.3 प्रतिशत नियत किया गया था जिसे बढ़ाकर 4.7 प्रतिशत किया गया है और 10 वर्ष पहले अर्थात् 1977-78 की चल योजना अवधि में 97 रूट कि.मी. को अब इस वर्ष बढ़ा कर 681 कि.मी. किया गया है। यद्यपि हमने अब 750 रुट कि.मी. का लक्ष्य रखा है जो कि 10 या 11 वर्ष पहले से 7 गुना अधिक है। श्री भट्टम श्रीराममूर्ति ने कहा है कि हमने 11 प्रतिशत ही अब तक विद्युतिकरण किया है जब कि विदेशों में बहुत अधिक विद्युतीकरण हुआ है। विद्युत लागत एक देश से दूसरे देश में भिन्न है और इसलिए तदर्थ परिस्थितयों में विद्युतीकरण आकड़ों की तुलना करना ठीक नहीं होगा। मैं कहना चाहुँगा कि विद्युतीकरण, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, अधिक पूँजी निवेशकारी कार्य है और यह निवेश से मिलने वाले लाभ के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। केवल अधिक आबादी वाले मार्गों पर ही विद्युतीकरण का हमें लाभ हो सकता है। इस लिए बड़ी लाइन मार्गों पर जिन पर माल-ढुलाई का अधिक कार्य होता है पहले विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है। 31 मार्च 1990 तक हमें भारतीय रेलवे तक कुल बड़ी लाइनों के 33 प्रतिशत का विद्युतीकरण कर लेना चाहिए। इस समय बड़ी लाइनों पर कुल माल यातायात का 38 प्रतिशत और कुल यात्री यातायात का 31 प्रतिशत है। सातवीं योजना के अन्त तक माल परिवहन 46 प्रतिशत तक और यात्री यातायात 37 प्रतिशत बढ़ जायेगा। आठवीं योजना के अन्त तक यह माल ढुलाई 62.5 प्रतिशत और यात्री परिवहन 45 प्रतिशत तक बढ़ जायेगा। अतः हमें बड़ी लाइन मार्गों के बारे में सोचना है जिस पर अधिक दबाब बढ़ता जा रहा है।

राज कमेटी की सिफारिशों के बारे में बहुत से सदस्यों ने मुद्दे उठाये हैं। विद्युतीकरण की लागत में मितव्यतता के बारे में 9 सिफारिशें की हैं। छः सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं। दो अन्य सिफारिशों को जिन्हें आरम्भ में स्वीकार किया गया था और क्रियान्वित किया गया था, इस संबंध में अनुभव के आधार पर वापिस ले लिया गया है। उससे बहुत कम लाभ हुआ है और विद्युतीकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

निस्संदेह मुख्य मुद्दा मंहगी केडअम केटनरी के स्थान पर एल्युमिनियम केटनरी का इस्तेमाल था। मुझे प्रसन्नता है कि यह तकनीक विकसित हो गई है और 31 मार्च, 1989 तक बेलमपाली-बालहर्ष खण्ड के 108 कि० मी०. मार्ग पर एल्युमिनियम केटनरी इस्तेमाल शुरू कर दिया जायेगा। दुर्ग-नागपुर और आगरा बेयाना में भी कार्य प्रगति पर है यह और 350 कि० मी० मार्ग है जिस पर एल्युमिनियम केटनरी का प्रावधान है। कुल मिलाकर यह ऐसी प्रणाली है जिसका भविष्य में रेलवे विद्युतीकरण के लिए इस्तेमाल किया जायेगा।

मैंने अपने प्राथमिक क्षेत्रों के बारे में बात की है। हमारे यहां गति की अपेक्षा कार्य को अधिक महत्व दिया जाता है। हमें अधिकाधिक माल और यात्री ढोने हैं। हमें अधिक मात्र में माल ढोना है और अधिकशतः मध्यम और निम्न आय वर्ग की सुविधाओं के बारे में देखना है जिनके पास अधिक दूरी के परिवहन के साधन नहीं हैं। अतः उच्च गति की प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता नहीं दी गई है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमने उस दिशा में कार्य नहीं करना है। जी हां निश्चय ही हम इस ओर कार्य कर रहे हैं। हम 130 कि० मी० की रफ्तार को बढ़ाकर शताब्दी एक्सप्रेस में 140 कि० मी० प्रति घंटा रफ्तार कर दी है जो वास्तव में अधिक रफ्तार नहीं है 140 कि० मी० प्रति घंटा की रफ्तार को विश्व में अधिक रफ्तार की गाड़ी नहीं माना जा सकता है। जब हम तेज गति की गाड़ियों की बात करते हैं इसका अर्थ है 200, 220 और 270 कि० मी० प्रति घंटा। वे तो अब 350 कि० मी० प्रति घंटा तक चले गए हैं। इस प्रकार की पद्धति हमारे लिए बहुत खर्चीली है। मैं इन संसाधनों को

[श्री माधवराव सिंधिया]

अपने देश में माल यातायात के लिए और मध्यम और निम्न वर्ग के यात्रियों के परिवहन पर इस्तेमाल करना पसन्द करूंगा।

हाल ही में, जापान टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया था कि दिल्ली और कानपुर के बीच कोरीडोर के लिए कुल लागत 2000 करोड़ रूपये आयेगी। अगर आप गाड़ियों को 200 या 220 कि॰ मी॰ प्रति घंटा रफ्तार से चलाना चाहते हैं तो आपको एक अलग से कोरीडोर रखना होगा आप मिश्रित कोरीडोर नहीं रख सकते। आप ऐसा कोरीडोर नहीं रख सकते जिस पर अधिक रफ्तार वाली गाड़ियां, मेल और यात्री गाड़ियां चलायी जा सकें। आपके पास एक अलग मार्ग होना चाहिए मेरे विचार से तीव्रगति की गाड़ियों के लिए हमें इन्तजार करना पड़ेगा क्योंकि पहले हमें अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना है।

जहां तक सुरक्षा का संबंध है, हमने काफी सुधार किया है। जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण में कहा है भारतीय रेलवे में होने वाली दुर्घटनाओं में 32 प्रतिशत तक सुधार हुआ है। मैं लेवल क्रांसिग और कर्मीदल रहित लेवल क्रांसिग का उल्लेख कर रहा हूं जिसकी कुछ माननीय सदस्यों ने चर्चा की थी।

लेवल क्रांसिग पर दुर्घटनाओं में कमी हुई है। कर्मीदल रहित लेवल क्रांसिग में 1974-75 में 96 दुर्घटनाएं हुई थी, 1987-88 में यह कम होकर 41 हो गई। विकसित देशों में लेवल क्रांसिग दुर्घटनाएं कहीं ज्यादा होती हैं। जापान में 1983-84 में 651 लेवल क्रांसिग दुर्घटनाएं हुई थीं। हमारे कर्मीदल रहित और कर्मीदल सहित लेवल क्रांसिग पर प्रतिवर्ष लगभग 60 से 65 दुर्घटनाएं होती हैं। जापान में ऐसी दुर्घटनाएं 651 हैं। यह नवीनतम आंकड़ों के अनुसार है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1983-84 में यह संख्या 6562 है और फ्रांस में यह 1983-84 में 318 है। विश्व में ये बहुत विकसित रेलवे हैं।

तथापि जहां तक भारतीय रेलवे का संबंध है, इससे कोई लापरवाही नहीं आएगी। हम आंकड़ों या संख्या का बहाना नहीं बनाते हैं। मैं सही रिकार्ड बताने के लिए ये आंकड़े उदधृत कर रहा हूं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। वे बढ़ नहीं रही हैं। दुर्घटनाएं कम हो रही हैं। और वे काफी से कम हो रही हैं। इस वर्ष के पहले दस महीनों में पिछले वर्ष के दस महीनों की तुलना में जिसमें भारतीय रेलवे का न्यूनतम रिकार्ड है, 11 से 12 प्रतिशत तक सुधार हुआ है। इन आंकड़ों को बताने से कृपया यह मत सोचिये कि मैं संतुष्ट हूं या मैं आत्मसंतुष्ट हो रहा हूं। भारतीय रेलवे में अगर एक भी दुर्घटना होती है तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। हम पूर्णतया संतुष्ट नहीं हैं। हमें भारतीय रेलवे में की अधिक सुरक्षा लानी होगी। लेकिन रेलवे में कार्यरत सैंकड़ों और हजारों लोग और रेलवे श्रमिक रात-दिन कठोर परिश्रम करते हैं जो गर्मी सर्दी, वर्षा के महीनों में और तपती दोपहरी में उत्तर और मध्य भारत में यात्रियों की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं हमें उनके प्रयासों को कम नहीं करना चाहिए। उन्होंने रेलवे को काफी योगदान दिया है।

मैं सदन को फिर से आश्वासन देना चाहता हूं कि हम केवल एक बार में ही संतुष्ट नहीं हो जायेंगे और एक बार में ही हमने कार्य निष्पादन से आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते। सुधार करने के लिए हमें लगातार प्रयास करना होगा।

श्री मोहन लाल झिकराम ने मुशावजे के बारे में कहा है मेरे विचार से इस बात को सदन में कई बार स्पष्ट किया गया है बल्कि हर बार यह बात उठती है। जैसे ही दुर्घटनाएं होती हैं हम मृतक के परिवार को तत्काल 5000 रुपये और गम्भीर रूप से घायल को 2000 रुपये की अनुग्रह राशि दे देते हैं और चोट आदि आने पर 500 रुपये की राशि देते हैं। यह अनुग्रह राशि तुरन्त आवश्यकता और तुरन्त इस्तेमाल करने के लिए दी जाती

है। राज्य सरकार की सलाह से एक तदर्थ दावा आयुक्त को नियुक्त किया जाता है और मृत्यु के मामले में एक लाख रुपये और गम्भीर चोट के मामले में 20 हजार से एक लाख रुपये तक मुआवजा दिया जाता है। यह एक अर्ध-न्यायिक मामला है क्योंकि अनेक लोग मुआवजे का दावा करते हैं हम इसे तदर्थ दावा आयुक्त के निर्णय पर छोड़ देते हैं जो हमें बताते हैं कि किस व्यक्ति को कितना मुआवजा दिया जाये। इस प्रकार मुआवजा देने में थोड़ा समय लगता है। मैं इस बारे में भी विचार कर रहा हूं कि मुआवजे की इस राशि में वृद्धि की जाए। नये भारतीय रेलवे अधिनियम पर प्रवर समिति ने विचार किया है और इसका प्रतिवेदन तैयार है और आशा है कि नया भारतीय रेलवे अधिनियम अति शीघ्र चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जायेगा और इसमें मैं दुर्भाग्य से दुर्घटनावश मरने वालो अथवा गंभीर रुप से घायल होने वाले व्यक्तियों को मुआवजे की राशि के बारे में विचार कर रहा हूं।

अब मैं समय की पाबन्दी के बारे में कहूंगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसे अवसर होते हैं जब लोगों को गाड़ियों के देरी से आने जाने से कठिनाई होती है। महोदय विद्यमान सभी समस्याओं के बावजूद मैं यही कहूंगा कि हमारी समय की पाबन्दी, उदाहरण के लिए फरवरी के महीने में 86.3 प्रतिशत चल रही है जो पिछले चार वर्षों में सबसे अधिक है। हम अत्यधिक कठिनाईयों के बावजूद यह पाबन्दी कायम रखने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व रेलवे में 1988 में नवम्बर तक चेन खींचने और होजपाइप हटाने के 25231 मामले हुए हैं जबकि 1987 में नवम्बर तक 55326 मामले हुए थे। पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे में यह आंकड़े 82,449 और 64,953 हैं। होजपाइप हटाना और एलार्म चेन खींचने के कारण गाड़ियों को देरी से चलने या पहुँचने की घटनाएं 4 प्रतिशत है और आन्दोलनों तथा बन्द के कारण 11 प्रतिशत हैं। इसमें भी बहुत सुधार हो रहा है। पाया गया है कि प्रत्येक योजना के पहले वर्ष में ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। जैसे ही अंतिम वर्ष आता है और जो संयोगवश चुनाव वर्ष भी होता है तो आन्दोलनों का यह दौर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। इससे हमें अत्यधिक नुकसान हो रहा है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं 'रेल रोको' तथा बंद का गंभीर असर पड़ता है और अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। आवश्यक वस्तुओं जैसे पैट्रोलियम उत्पाद, सीमेंट, इस्पात और खाद्यान्न आदि माल की ढुलाई बुरी तरह प्रभावित होती है। असम क्षेत्र में आमतौर पर होने वाले बंद के कारण विशेष रूप से यात्री गाड़ियां चलाना असंभव हो गया है। हर दूसरे दिन बंद आयोजित करके सम्पूर्ण व्यवस्था को अस्त व्यस्त करके और अधिक यात्री सेवाओं की मांग करने का क्या औचित्य है? एक बार जब आप बंद रखते हैं जो चार या पांच दिन या कई दिन चलता है तो आप रखरखाव के कार्यक्रम को हानि पंहुचाते हैं इस प्रकार वही सवारी डिब्बा पी॰ ओ॰ एच॰ के लिए उतनी ही देरी से जाता है और सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। इसके कारण डिब्बों, पटरियों आदि के रखरखाव पर असर पड़ता है। पूर्वोत्तर से यह शिकायतें हैं कि यात्री डिब्बों का रखरखाव उचित प्रकार से नहीं होता है। मैं पूर्वोत्तर के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं वे सुनिश्चित करें कि विशेषकर जो बंद और आन्दोलन किसी भी प्रकार से रेलवे से सम्बद्ध नहीं हों उनसे रेल सेवाएं भंग न हों। मुझे याद है कि एक वर्ष या डेढ़ वर्ष पूर्व एक 'रेल रोको' आन्दोलन हुआ था और इलाहाबाद में इसलिए पूर्ण बंद रखा गया था कि जिला कलक्टर का तबादला कर दिया गया था। अब एक जिला कलक्टर के तबादले से हमारा क्या संबंध है? इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इसे ध्यान में रखें क्योंकि इन बंद तथा आन्दोलनों से आवश्यक वस्तुओं के आने जाने पर प्रभाव पड़ता है विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इसका असर अधिक पड़ता है।

हमारे अनुमानों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में नष्ट हुए वैगन-दिनों की कुल संख्या 50,000 है। यह 15 करोड़ रुपये के बराबर है। नुकसान के अलावा इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अत्यधिक दबाव पड़ता है।

कपड़ा-मिल श्रमिकों के आन्दोलन के दौरान कानपुर-टूंडला और कानपुर-अनवरगंज मार्ग पर रेल यातायात रुक गया था। इस अवधि के दौरान रेलवे को 236 गाड़ियां रद्द करनी पड़ी थी और 71 यात्री गाड़ियों को

[श्री माधवराव सिंधिया]

गंतव्य स्थान से पूर्व ही रोक दिया गया था। इस सम्पूर्ण स्थिति का अत्यधिक दुखद और दुर्भाग्य पूर्ण पहलू यह है कि अपने कर्तव्य में लगे रेल कर्मी दुर्भाग्य से हिंसा के शिकार होते हैं। उदाहरण के लिए सभा जानती है कि हाल ही में बोडो आन्दोलन के दौरान असम में उग्रवादियों द्वारा एक रेल कर्मचारी का अपहरण कर लिया गया और उसे मार दिया गया। शोक संतप्त परिवार के प्रति हम अत्यधिक संवेदना प्रकट करते है। मैं सभा को बताना चाहूंगा कि ऐसे समय में पूरा रेलवे परिवार और मुझे विश्वास है कि पूरी सभा पूरी दृढ़ता के साथ शोक संतप्त परिवार के पक्ष में है। मैं इस बारे में एक उदाहरण देता हूं कि हम उनकी मदद किस प्रकार करते हैं। पंजाब में भी जब कोई हादसा होता है तो हम ऐसा ही करते है। रेल प्रशासन ने श्री टी० के० कलिता की विधवा को श्री कलिता द्वारा प्राप्त हो रहे पूर्ण वेतन के बराबर पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय किया है अन्यथा सामान्य पारिवारिक पेंशन दी जाती जो काफी कम होती। उन्हें रेलवे में रोजगार देने का प्रस्ताव भी किया गया है। उन्हें पारी से पहले ही आवास दिया जाएगा। उन्हें अनुग्रह मुआवजा पहले ही दे दिया गया है। मैं एक बार पुनः जोर देकर कहता हूं कि हम अपने रेलकर्मियों के साथ हैं जो रात दिन अपना कर्तव्य निभाते समय अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। विशेषकर पंजाब तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 30 गाड़ियां चालू रखने में उनके प्रयास वास्तव में प्रशंसनीय है।

मैं कुंभ मेले मे तीर्थयात्रियों को आसानी से लाने ले जाने म हुए अत्यधिक प्रशंसनीय प्रयासों के बारे मे कुछ कहना चाहूंगा। 2000 सवारी डिब्बे इस कार्य पर लगाए गए थे और मैं समझता हूं कि प्रबन्ध व्यवस्था कुल मिलाकर संतोषजनक थी।

मैं सभा को उत्तर रेलवे तथा सम्बद्ध भारतीय रेलवे के सभी अधिकारियों, सभी रेलकर्मियों द्वारा इलाहाबाद में सही व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उनके अत्यधिक प्रयासों और माननीय उपमंत्री श्री महाबीर प्रसाद द्वारा ली गई विशेष रुचि का उल्लेख करना चाहूंगा।

छटी योजना की तुलना में यात्री सुविधाओं में भी तीन गुणा वृद्धि हुई है। हमने इस वर्ष 1989-90 में इसमें 30 प्रतिशत और वृद्धि की है। इसी प्रकार गाड़ियों के रुकने वाले स्टेशनों के बारे मे मैंने 1987-89 में घोषणा की थी कि हम 50 ऐसे स्टेशन खोलेंगे जबकि हमने 57 स्टेशन खोले हैं इस प्रकार 1988-89 में हम फिर से सफल हुए हैं। 1989-90 में भी अपने किसानों और ग्रामीण आबादी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 50 और स्टेशनों पर गाड़ियां रुकेंगी और मैं यह कार्यक्रम जारी रखना चाहता हूं चाहे यह सफलता भारतीय रेलवे में कितनी ही हों, जैसा कि मैंने कहा रेल कर्मियों द्वारा प्रदर्शित सहयोग और समर्पण की भावना के कारण ही इतनी सफलता सम्भव हुई है। छटी योजना की तुलना में सातवीं योजना में कर्मचारियों के आवास के लिए वार्षिक औसत राशि आवंटन में भी दुगुनी वृद्धि हुई है लगभग 20 करोड़ रुपये से 47 करोड़ रुपये हुए हैं। 1988-89 में यह राशि 49 करोड़ थी और अब इस वर्ष अर्थात 1989-90 में इसे बढ़ाकर 65 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो 33 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि है।

इसी प्रकार मैं सभा को यह बताना चाहूगां कि 31-3-87 को समाप्त अवधि के दौरान श्रेणी ग तथा श्रेणी घ के रेल कर्मचारियों को क्रमशः 32 प्रतिशत और 46 प्रतिशत आवास आवंटित किए गए अन्य सरकारी उपक्रमों में इन श्रेणियों के कर्मचारियों की तुलना में अधिक है।

मैं माननीय सदस्यों की सभी व्यक्तिगत मांगों को देखूगां और उनका लिखित उत्तर दूंगा। मैं कुछ मांगों को स्पष्ट करना चाहूंगा। श्री अशोक चव्हाण तथा कुछ अन्य संसद सदस्यों ने मराठवाड़ा क्षेत्र में छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने तथा नई लाइनों के कार्य के लिए और अधिक धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया है। मुझे याद है कि मनमाड-औरगांबाद के लिए धनराशि 5 करोड से बढ़ाकर लगभग 15 करोड़ कर

दी गई है और आदिलाबाद-पिम्पलकुट्टी मार्ग के लिए यह राशि 2 1/2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है। बीच वाले भाग के लिए कम आवंटन हुआ था क्योंकि हम समझते थे कि मध्य भाग में आने से पहले हमें दोनों छोरों पर तेजी से कार्य प्रारम्भ करना चाहिए लेकिन अन्तत मध्यभाग के लोगों की भी आकांक्षाएं तथा आशाएं हैं। अतः मैं श्री अशोक चव्हाण को आश्वस्त करता हूं कि प्रत्येक कार्य विकास की लगातार निगारानी हो रही है और जहां भी आवश्यक होगा हम इस वर्ष के दौरान बचत करके इस मध्य भाग के लिए भी और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।

श्री अरविन्द नेताम और चन्दूलाल चन्द्राकर जी - - - - **(व्यवधान)** मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं सभी माननीय सदस्यों को उत्तर दूंगा। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: वह प्रत्येक सदस्य को लिखेंगे।

श्री माधवराव सिंधिया: मैं उनसे निजी तौर पर मिलकर या उन्हें लिखकर सूचित करूंगा।

दान्त्री राजहारा और जगदलपुर लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण लाइन है। चन्दूलाल चन्द्राकर जी और अरविन्द नेताम जी ने बहुत ही उचित रूप में यह मामला उठाया है।

माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि बस्तर आकार में पूरे केरल राज्य के बराबर है और फिर भी यहां मुश्किल से ही कोई रेलवे लाइन है। अतः इस दृष्टिकोण से भी यह आवश्यक है। यह **आदिवासी क्षेत्र** है। यह आदिवासी क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अतः यहां विकास किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इसे राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने में रेलवे भी अपना योगदान दे। लेकिन यह भिलाई इस्पात सयंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह मामला योजना आयोग तथा इस्पात मंत्रालय के पास विचाराधीन है। हमें आशा है कि अगले कुछ महीनों में हमें इस बारे में कोई निर्णय मिलेगा। माननीय सदस्यों को इसका उल्लेख करके मैं यह नहीं कह रहा कि यह विचाराधीन है, मैं यह कह रहा हूं कि यह तो सक्रीय रूप से विचारधीन है। मैं समझता हूं कि यह काफी है। अतः मैं इसे छोड़ता हूं।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहूंगा कि सामरिक कारणों से बीकानेर-मेड़ता रोड-जोधपुर फुलेरा-जयपुर और सवाई माधोपुर से जयपुर के रेल मार्ग के गेज में परिवर्तन किए जाने का अत्यधिक महत्त्व है। और इसी उद्देश्य से उस स्थान का अंतिम सर्वेक्षण करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। इस बारे में कुछ बातचीत की गई थी। मैं हाल ही में कुछ माह पूर्व राजस्थान गया था और मैंने कहा था कि अंतिम सर्वेक्षण के आदेश दे दिए गए हैं। सामान्य रूप से मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमें आशा है कि हमें योजना आयोग से अंतिम स्वीकृति मिल जाएगी। कई मामलों में जगह के अंतिम सर्वेक्षण से यह अभिप्राय है कि न्यूनाधिक रूप से अंतिम स्वीकृति के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अतः मैं इस लाइन के बारे में अत्याधिक आशावान हूं जो कि केवल हमारे लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है अपितु इससे राजस्थान और जयपुर भी राजधानी से जुड़ जाएंगे, इसका कारण केवल यह नहीं है कि यह बीकानेर, और बाड़मेर तथा जैसलमैर और जोधपुर जैसे दूर-दराज के क्षेत्र भी राष्ट्रीय मुख्यधारा में जुड़ जायेंगे अपितु इसे सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है।

जहां तक श्री पुरुषोत्तमन का संबध है, उन्होंने एर्णाकुलम-अलप्पी रेल लाइन के बारे में कहा था जिसकी जून-जुलाई, 1989 तक बन जाने की उम्मीद है। अलप्पी के बारे में मैंने निश्चित रूप से इस ओर ध्यान दिया है.....

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आपको कितना समय चाहिए?

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, मेरे विचार से 5 मिनट और लगेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से सभा इससे सहमत है।

कुछ माननीय सदस्य: जी हां।

श्री माधवराव सिंधिया: अलप्पी कायम-कुलम लाइन को भी प्राथमिकता दी गई है और हमें इसे हर तरह से पूरा करना है बशर्ते हमें धनराशि प्राप्त हो जाए। लेकिन हमारी प्राथमिकता सूची में हमें आशा है कि 8वीं योजना के पहले वर्षों में यह पूरी हो जाएगी।

केरल में दूसरी लाइन त्रिचूर-गुरूवायूर नई लाइन है जिसके लिए 1987-88 के बजट में 17 करोड़ रुपय का प्रावधान किया गया था। चालू वर्ष के दौरान इसके लिए 4 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य की कठिनाइयों से परिचित हूँ और मेरा उनसे अनुरोध है कि वह राज्य सरकार की सहायता करें क्योंकि राज्य सरकार द्वारा भूमि अर्जन करने में विलम्ब के लिए इस परियोजना के लिए भूमि मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः माननीय सदस्य श्री कुरुप तथा अन्य सदस्यों से भी मेरा अनुरोध है कि वे भूमि प्राप्त करने की कोशिश करें और हमारी सहायता करें **(व्यवधान)**

प्रो० एन० जी० रंगा: कटप्पड़ी से तिरुपती तक लाइन परिवर्तन के बारे में आपने क्या किया है? **(व्यवधान)**

श्री माधवराव सिंधिया: कुछ अन्य मुद्दे भी हैं जिनके बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने रुचि दिखाई है। एक मुद्दा सेलम-बंगलौर लाइन के परिवर्तन के बारे में था और दूसरा मुद्दा पांडिचेरी से बंगलौर बरास्ता विल्लुपुरम, तिरूवन्नामलाई, ऊथंगराई, कृष्णगिरी, पलाकोड और होसुर तक एक सीधा मार्ग बनाने के बारे में था। मेरा विचार है कुछ माननीय सदस्य इस बारे में अवश्य जानना चाहते थे।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने भी इसमें कुछ रुचि दिखाई थी।

श्री माधवराव सिंधिया: मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि हम दूसरे भाग का सर्वेक्षण करेंगे; पहले का सर्वेक्षण किया ही जा चुका है। हम दूसरे भाग का भी सर्वेक्षण करेंगे। हम यह देखने का भी प्रयास करेंगे कि लाइनें कितनी व्यावहार्य हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा: हमने कटपड़ी से तिरूपति तक लाइन परिवर्तन के बारे में कहा है। **(व्यवधान)**

श्री माधवराव सिंधिया: जहां तक रेलवे का संबंध है, मैं माननीय सदस्यों से पुनः अनुरोध करता हूँ कि मैं उनकी समस्याओं से पूरी तरह अवगत हूँ और स्वाभाविक है कि उन्हें लोक सभा में अपने क्षेत्रों की जनता की आकांक्षाओं के बारे में कहना पड़ता है। यह बहुत स्वाभाविक है, हम सब ऐसा करते हैं। लेकिन मेरा माननीय सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वह रेलवे को सार्वभौमिक दृष्टिकोण से देखें। सार्वभौमिक से मेरा अभिप्राय अखिल भारतीय दृष्टिकोण से है। रेलवे मंत्रालय एक संचालक मंत्रालय है। इसे अखिल भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और साथ ही स्थानीय जनता की आकांक्षाओं को भी महत्व देना होगा। अतः मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया इसमें सहयोग दें क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ राज्यों को एक वर्ष संचालन जरुरतों के लिए काफी अधिक धनराशि दी जाती है जबकि अगले वर्ष उन्हें बिल्कुल पैसा नहीं दिया जाता। तब किसी अन्य को पैसा मिलता है। उदाहरण के लिए इस वर्ष नई सूची में हम केरल की उतनी धनराशि नहीं दे पाए जितनी हमने पिछले साल दी थी। मैं सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि पिछले $1^{1/2}$ वर्षों में.....

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला): क्या आप केरल की बात छोड़कर कश्मीर की बात करेंगे **(व्यवधान)**

श्री माधवराव सिंधिया: पिछले $1^{1/2}$ वर्षों में यदि कहीं अधिकतम रेल सेवा शुरू की गई है तो केरल में। अतः यह एक सतत प्रक्रिया नहीं हो सकती। अन्य राज्यों को भी सुविधाएँ प्रदान करनी होती हैं। मैंने एक उदाहरण दिया है और इसका कारण यह नहीं है कि केरल के सदस्य ने इस विशेष विषय को उठाया है। वास्तव में मैं माननीय सदस्य श्री सुरेश कुरूप का आभारी हूँ कि उन्होंने यह मामला उठाया। ऐसा लगता है कि अब वह संतुष्ट होंगे क्योंकि केरल उत्तर से दक्षिण तक है (**व्यवधान**) मैं मंगलौर-उदीपी खंड का भी जिक्र करना चाहूँगा जिसे पश्चिमी तटवर्ती लाइन के पहले भाग के रूप में लिया जा रहा है जहाँ तक हमारा संबंध है, हम इसे अत्यन्त महत्वपूर्ण लाइन मानते हैं और इस क्षेत्र में आना जाना सुलभ हो जाना चाहिए और इससे देश के दक्षिणी भाग, दक्षिणी-पश्चिमी भाग और उत्तर-मध्य भाग के बीच दूरी कम होगी; यह लाइन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मंगलौर-उदीपी खंड के लिए आवंटित धनराशि के बारे में कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई थी। यदि आप किसी भी परियोजना को देखें तो आप पाएंगे कि बजट में इसे शामिल किए जाने के पहले वर्ष से बहुत कम आवंटन किया गया है क्योंकि सभी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखना पड़ता है, भूमि अर्जन, क्षति पूर्ति और अन्य विभिन्न बातों का पता लगाना होगा। अतः यदि आपको 5 करोड़ या 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपए आवंटित किये जाते हैं तो आप उस धनराशि को खर्च नहीं कर पाएंगे। अतः व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह संभव नहीं है अन्यथा हम इसे प्राथमिकता दे रहे हैं। प्राक्रयात्मक औपचारिकताएँ पूरी होते ही आप पाएंगे कि इस लाइन के लिए पिछले वर्ष से अधिक आवंटन किया गया है क्योंकि हम भी मानते हैं कि यह लाइन एक महत्वूर्ण लाइन है (**व्यवधान**) मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि यदि हम राज्यों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि दो ऐसे प्रमुख राज्य हैं जिसका भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है और वे राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। यदि मैं उन कुछ राज्यों का जिक्र करता हूँ जिसका औसत राष्ट्रीय औसत से कुछ अधिक है तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उनकी कोई परियोजनाएँ नहीं हैं। यह एक संचालक मंत्रालय है। यदि संचालक आवश्यकताओं के अनुसार जिन राज्यों का दोहरा राष्ट्रीय औसत है उन्हें परियोजनाएं मिलनी चाहिए तो उन्हें परियोजनाएँ मिलेंगी। लेकिन मैं केवल यही कह रहा हूँ कि आप राष्ट्रीय औसत को लीजिए, जो प्रति हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का 19 किलोमीटर है, 19 किलोमीटर राष्ट्रीय औसत है। सूची में पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है, यह करीब 43 है। दूसरा स्थान पंजाब का है, जो करीब 42 है। उत्तर प्रदेश और बिहार का क्रमशः 30 और 31 है, जो राष्ट्रीय औसत से करीब दुगुना है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें परियोजनाएँ नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें परियोजनाएँ मिलनी चाहिए। हर राज्य को परियोजनाएँ मिलनी चाहिए। हमें अधिक धन मिलना चाहिए और हर राज्य को परियोजनाएँ मिलनी चाहिए। मैं आपसे सहमत हूँ। जहाँ तक 19 किलोमीटर राष्ट्रीय औसत का संबंध है, केवल दो मुख्य राज्य ऐसे हैं जो इस मामले में राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे हैं। एक राज्य है उड़ीसा जिसका औसत 12 किलोमीटर है और दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश जिसका औसत 13 किलोमीटर है। जहाँ तक उड़ीसा का संबंध है, हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि योजना आयोग द्वारा जो भी परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, हमें उन्हें तेजी से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए तालचेर और सम्बलपुर लाइन के लिए पिछले वर्ष दी गई 5 करोड़ रुपए की राशि को इस वर्ष दुगुना कर दिया गया है। चूंकि मैंने अपने भाषण में यह कहा है कि तालचेर से अंगोल तक के खंड को चालू किया जाएगा, इसका अर्थ हमें यह नहीं मानना चाहिए कि अंगोल से आगे लाइन नहीं बिछाई जाएगी। यह लाइन तालचेर से सम्बलपुर तक है और इस लाइन के विकास के लिए हम काम करेंगे।

जहाँ तक कोरापुट—रायगढ़ लाइन का संबंध है, हमें अधिक आवंटन करना होगा। वास्तव में मैं कुल आवंटन का जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे पास संसाधन कम हैं। नई लाइनों के लिए हमारी 300 करोड़ रुपए की मांग की तुलना में हमें केवल 250 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। वित्त मंत्रालय को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हम उन समस्याओं को समझते हैं।

[श्री माधवराव सिंधिया]

250 करोड़ रुपए की राशि में से करीब 40% राशि उड़ीसा राज्य को आवंटित की गई है। हमारा यह प्रयास है और मैं सोचता हूं कि माननीय प्रतिनिधियों को भी यह प्रयास करना चाहिए (व्यवधान)

जहां तक यात्री सुविधाओं का संबंध है, तीसरे चरण में हम जनता की मांग को देखते हुए, और आरक्षण को देखते हुए कम्प्यूटर लगाने जा रहे हैं और हम उस सूची के अनुसार चल रहे हैं। पांच महानगरों और 5 अन्य शहरों के अलावा तीसरे चरण में हमने 9 और शहरों को लिया है, जिसका जिक्र मैंने अपने भाषण में किया है। लेकिन इन 9 शहरों में कुछ अपवाद है और एक महत्वपूर्ण राज्य उड़ीसा के बारे में अपवाद है। इन नौ शहरों में उड़ीसा को दो कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोले गए हैं और इन में से कटक में एक है। लेकिन जितनी मांग की जा रही है उसे देखते हुए कटक अभी भी इसका पात्र नहीं है। किन्तु हम कटक को यह सुविधा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों की कुछ मांगें हैं। गोहाटी को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि वहां भी कुछ दूर दराज के क्षेत्रों की ऐसी ही मांग है। अतः इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है और हमारा प्रयास रहता है कि कुल संसाधनों में से दूर दराज के क्षेत्रों को ऐसी सुविधाएं मिलें। (व्यवधान)

मैं श्री बसुदेव आचार्य की रूची के एक मामले पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं और वह मामला है कलकत्ता। मेट्रो परियोजना। (व्यवधान) मैं सभा को यह जानकारी देना चाहता हूं कि इस परियोजना को धन की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए पूरी धनराशि दी जाएगी। वास्तविक समस्या भूमि अर्जन की है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अब इसका निर्णय हो गया है।

श्री माधवराव सिंधिया; इसका निर्णय नहीं हुआ है। मुझे बहुत खेद है। यह गलतफहमी है। अभी भी। ऐसे विवादग्रस्त भू-खंड हैं जो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हमें सौंपने हैं (व्यवधान)

मैंने माननीय मुख्य मंत्री को 14 पत्र लिखे हैं और जब तक हमें वह भूमि नहीं सौंप दी जाती, यह विशेष परियोजना संतोषजनक ढंग से प्रगति नहीं कर सकती। यह भूमि प्राप्त होने के पश्चात हमें 33 महीने लगेंगे। हम वादा करते हैं कि हम भूमि मिलने के 33 महीने के अन्दर इस परियोजना को पूरा करेंगे।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर): पश्चिम बंगाल के बारे में .....

श्री माधवराव सिन्धिया: वास्तव में मैं आदरनीय डा० ममता बनर्जी को सूचित करना चाहूंगा जिन्होंने सदा कलकत्ता और पश्चिम बंगाल में बहुत रुचि ली है, कि हम पर यहां सदा थोड़ा आबंटन का आरोप लगाया जाता है। हम 75 करोड़ और 77 करोड़ या 81 करोड़ रुपये के बीच राशि आबंटन भरते रहे हैं। हम इससे अधिक दे देते यदि हमें यह भूमि मिल गई होती। अतः हम लगभग 80 करोड़ रुपये दे रहे हैं। एक समय — 1977 से 1979 तक — ऐसा था जब पश्चिम बंगाल का सत्तारूढ़ दल केन्द्र में उन वर्षों के दौरान अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रभावशाली गुट था, तीन वर्ष में कुल 40 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था। मुझे शंका है कि गत कुछ वर्षों से अकस्मात् अधिक राशि पाने की सदभावना आप के हृदय में कर्ता उत्पन्न हुई है। (व्यवधान)

महोदय, यह इस देश का एक संकटपूर्ण मंत्रालय है। मैं पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी समझता हूं और हम अपनी जिम्मेवारियां निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम माननीय सदस्यों को उनके सहयोग, उनके मार्गनिर्देश और उनके परामर्श के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हम निश्चय ही माननीय सदस्यों को ओर से निरन्तर सलाह और सहयोग की आशा करेंगे। हम उनके सुझावों का स्वागत करते हैं। (व्यवधान)

मैं अनेक माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने गत वर्ष रेल मंत्रालय के काम का समर्थन किया है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेते है।

3.45 म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

60वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री चन्द्र किशोर पाठक (सहरसा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 8 मार्च, 1989 के सभा में प्रस्तुत किये गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 60वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 8 मार्च, 1989 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 60 वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

3.451/2 म०प०

लोक कार्यालयों में अवकाश पर निर्बन्धन विधेयक, 1988*

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम): मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक कार्यालयों में अवकाश के दिनों की संख्या पर निर्बन्धन लगाने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाऐ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि लोक कार्यालयों में अवकाश के दिनों की संख्या पर निर्बन्धन लगाने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एस०बी० सिदनाल: मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं।

---

*दिनांक 10-3-1989 के भारत के राजपत्र-असाधारण, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

3.46 म०प०

राष्ट्रीय बाल कल्याण बोर्ड विधेयक*

श्री एस०बी० सिदनाल (बेलगाम): मैं प्रस्ताव करता हूं कि बाल कल्याणार्थ एक राष्ट्रीय बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना करने और उससे संबंधित मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि बाल कल्याणार्थ एक राष्ट्रीय बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना करने और उससे संबंधित मामलों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एस०बी० सिदनाल: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर ..... अनुपस्थित। श्री तम्पन थामस।

3.461/2 म०प०

क्रिश्चियन विवाह तथा विवाह विषयक वाद विधेयक*

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के विवाह के अनुष्ठापन, तलाक तथा विवाह विषयक वादों से संबंधित विधि को समेकित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत में क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के विवाह के अनुष्ठापन, तलाक तथा विवाह विषयक वादों से संबंधित विधि को समेकित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री तम्पन थामस: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.47 म०प०

विकलांग तथा मंदबुद्धि बाल कल्याण विधेयक*

[हिन्दी]

श्री शांति लाल पटेल (गोधरा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि जन्म से विकलांग तथा मन्दबुद्धि सभी बालकों के कल्याण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

*दिनांक 10-3-89 के भारत के राजपत्र-असाधारण, भाग-2 खंड-2 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि जन्म से विकलांग तथा मन्दबुद्धि सभी बालकों के कल्याण के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री शांति लाल पटेल: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.471/2 म०प०

अनिवार्य बंध्यीकरण विधेयक*

[अनुवाद]

श्री जी० एस० बासवराजु (टुमकुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनिवार्य बंध्यीकरण और उससे संबंधित विषयों के लिये उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अनिवार्य बंध्यीकरण और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी०एस० बासवराजु: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर ..... अनुपस्थित। श्री ए० चार्ल्स।

3.48 म०प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 57 के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*दिनांक 10-3-1989 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड 2, में प्रकाशित।

श्री ए० चार्ल्स: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं

3.481/2 म०प०

घरेलू कर्मकार (सेवा की शर्तें) विधेयक*

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि घरेलू कर्मकारों की मजदूरी नियत करने तथा उनके काम करने की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि घरेलू कार्यकारों की मजदूरी नियत करने तथा उनके काम करने की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री तम्पन थामस: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.481/2 म०प०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक*

(धारा 59 तथा 61 में संशोधन)

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर-मध्य): मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लिये जाने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लिये जाने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शरद दिघे: मैं विधेयक वापस लेता हूं।

3.49 म०प०

असंगठित श्रमिक कल्याण निधि विधेयक—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम असंगठित श्रमिक कल्याण निधि विधेयक पर आगे विचार करते हैं।

श्री योगेश्वर प्रसाद अपना भाषण जारी रखें।

---

*दिनांक 10-3-1989 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड 2, में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा): उपाध्यक्ष महोदय, श्री बाला साहिब विखे पाटिल ने जो असंगठित श्रमिक कल्याण निधि विधेयक उपस्थापित किया है, मैं उसके सम्बन्ध में बोल रहा था। उसके सम्बन्ध में जो हमारे साथियों ने पहले आलोचना की है, उस पर भी मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की थी। पाटिल साहब ने बहुत ही ऐसे अछूते अंग को समर्थित करने की कोशिश की है जो मजदूरों को काफी राहत दे सकता है और उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

इन्होंने आर्टिकल 4 में एक सुझाव दिया है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की, जिनकी आमदनी एक हजार रुपए से कम नहीं है, ऐसे लोगों की सैलरी से एक परसेंट पैसा लेकर उनकी कल्याण निधि में जमा किया जा सकता है यह एक ऐसा सुझाव है जो बहुत व्यावहारिक नजर नहीं आ रहा है। अगर कोई संगठित क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर स्वेच्छा से इसमें अपना योगदान दें तो उसमें कोई एतराज नहीं हो सकता है लेकिन इस पर जोर नहीं दिया जा सकता है। इस कारण यह व्यावहारिक दिखायी नहीं पड़ता है।

दूसरे पहलू पर पाटिल साहब ने जो अपने विचार रखे हैं वह लागू हो सकते हैं। उस पहलू पर मैं अब आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। आर०एल०ई०जी०पी० स्कीमें जो आपने चला रखी हैं और अन्य कार्यक्रमों द्वारा आप गांवों में सड़कें, पोखर और नहरें आदि बनाते हैं उनमें रैगुलर मजदूर काम करते हैं। वहां पर सारा काम सरकारी एजेंसियों द्वारा ही कराया जाता है। वहां से भी कल्याण निधि में पैसा जमा कराया जा सकता है। सरकार जिस तरह से कल्याण निधि में अपनी ओर से मैचिंग ग्रांट देती है उसी प्रकार से इसमें भी यह ग्रांट दी जा सकती है। इससे बहुत अच्छे ढंग से वैलफेयर फंड जमा किया जा सकता है।

जो मजदूर सड़कों में काम करते हैं—जैसे कि नेशनल हाईवेज में जो काम करते हैं उन मजदूरों की भी एक सूची तैयार की जा सकती है। इन सड़कों पर ठेकेदारों द्वारा ही यह काम करवाया जाता है। सड़कों में काम करने वाले मजदूरों को रैगुलर मजदूर बनाया जा सकता है। रैगुलर मजदूर बनाने के बाद उनकी सैलरी में से कुछ अंश काट कर और मैचिंग ग्रांट देकर कल्याण निधि तैयार की जा सकती है। मेरे ख्याल में यह कदम काफी कारगर और फायदेमंद साबित हो सकता है।

देखने में यह भी आया है कि ठेकेदार जिन मजदूरों से सड़कों में काम कराते हैं उन्हें पूरी मजदूरी नहीं देते हैं। इस कारण कल्याण निधि वहां बनने का प्रश्न ही नहीं उठ पाता है। अगर सरकार की इन पर निगरानी बनी रहे तो मजदूरों का काफी भला हो सकता है। अगर सड़कों में काम करने वाले मजदूरों के लिये प्रावीडेंट-फंड की भी आप व्यवस्था कर दें तो भी उनका काफी भला होगा। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव यह देना चाहूंगा कि सरकार ठेकेदारों के बिल में से ही कुछ पैसे काट कर उनकी कल्याण निधि में जमा करा सकती है। दूसरी बात यह है कि आप जिन सरकारी एजेंसियों से काम करवाते हैं वह अक्सर अच्छा काम नहीं करते हैं। उनके कामों का जो नमूना हम देख रहे हैं वह सही नहीं देख रहे हैं। इस कारण जो पहले से काम कर रहे हैं उनका डबल नियोजन करने की आवश्यकता नहीं है। किसी दूसरी ऐसी एजेंसी से काम कराना चाहिये जो कि मजदूरों की हिफाजत के लिये सही काम कर सके।

3.53 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

माइग्रेंट लेबर की तरफ अब मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। जो मजदूर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में काम करने के लिये जाते हैं वैसे प्रवासी मजदूरों की एक सूची तैयार की जानी चाहिये। यह सूची बनाने में आपको कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बंगाल से बहुत से मजदूर दूसरी

[श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश]

जगहों में काम करने के लिये जाते हैं। डिप्टी लेबर कमिश्नर रैंक का अधिकारी सरकार की तरफ से इस क्षेत्र में नियुक्त किया जाना चाहिये। रजिस्टर में इस बात की एंट्री होनी चाहिये कि उन मजदूरों को हर महीने मजदूरी समय पर और पूरी मिली है या नहीं। इन प्रवासी मजदूरों के लिये भी कल्याण निधि बनायी जा सकती है।

पाटिल साहब ने कई क्षेत्रों में वैलफेयर फंड के बारे में सुझाव दिये हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिये वैलफेयर फंड इकट्ठा किया जा सकता है।

दूसरी बात, मैं जानता हूं कि माननीय श्रम मंत्री जी ने श्रम आन्दोलन को एक नया दृष्टिकोण, एक नई दिशा दी है और इन्होंने सारी जिंदगी मजदूरों के विकास के लिए काम किया है। इनका ध्यान हम वैसे मजदूरों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जो सड़कों पर काम करते हैं, नेशनल हाइवे पर काम करते हैं जिनको न केवल मजदूरी कम मिलती है या मजदूरी में गोलमाल होता है बल्कि वह प्रदूषण के भी शिकार होते हैं जैसे अलकतरा जलाने में, बिटूमिन जलाने के टाइम में उससे जो धुंआ निकलता है, जो प्रदूषण पैदा होता है वह उसका डायरेक्ट शिकार होते हैं और ऐसे मजदूरों को तरह-तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, ऐसे मजदूरों के लिए सुरक्षा दिलाने के लिए दवा-दारू की व्यवस्था होना आवश्यक है।

बीड़ी मजदूर सारे भारतवर्ष में काम करते हैं, उनके लिए वैलफेयर फण्ड इकट्ठा किया जा रहा है और करोड़ों नहीं, अरबों में उनका वैलफेयर फण्ड इकट्ठा है, उनके लिए सरकार काम भी करती है लेकिन वह भी एक असंगठित क्षेत्र है। जब उनके लिए हम वैलफेयर फण्ड इकट्ठा कर सकते हैं तो इनके लिए भी, ऐसे मजदूरों के लिए भी वैलफेयर फण्ड इकट्ठा करवा सकते हैं लेकिन मैं एक शिकायत माननीय श्रम मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए करना चाहता हूं कि बीड़ी के धन्धे में काम करने वाले जो मजदूर हैं, वे तपेदिक की बीमारी से परेशान हो जाते हैं और दूसरी बीमारियों के भी शिकार होते हैं, ऐसे मजदूरों की सच्ची सूची आपके पास नहीं है जिसके कारण अगर उनको निधि से धन दिया जाय तो उसके रियलाइजेशन का, उनको देने का, पेमेण्ट करने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है और हजारों लाखों की संख्या में ऐसे मजदूर हैं जिनका पैसा बकाया पड़ा हुआ है और कोई लेने वाला नहीं है। भारत सरकार के स्तर पर उनके लिए जो अस्पतालों की व्यवस्था की स्कीम बनी हुई है, वह सारी चीजें अभी तक लम्बित हैं। उन सारी चीजों की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दूसरी बात, मैं माननीय श्रम मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रवासी मजदूर न केवल देश के अन्दर हैं बल्कि प्रवासी मजदूर देश के बाहर भी जाते हैं। देश से बाहर जाने वाले मजदूरों की सूची तो सरकार के यहां दर्ज है, उनके लिए भी वैलफेयर फण्ड इकट्ठा होना चाहिए बल्कि उनके सामने जो समस्यायें खड़ी हो रही हैं वह इस रूप में खड़ी हो रही हैं कि हमारे जो मजदूर बाहर जा रहे हैं उनका पाकिस्तान और बंगलादेश के मजदूरों से कम्पीटीशन हो रहा है। आज से कुछ साल पहले उनकी मजदूरी की जो दर थी, उस दर में काफी ह्रास हुआ है। अब उनको आधी मजदूरी पर काम करना पड़ रहा है इसलिए इण्टरनेशनल पैमाने पर, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे मजदूरों को अपनी मजदूरी के सम्बन्ध में भी कठिनाइयां पैदा हो रही हैं इसलिए भारत सरकार इस ओर ध्यान दे कि हम उनको किस प्रकार अधिक नियोजित कर सकते हैं और उनके नियोजन से दूसरे देशों के अन्दर उनकी मजदूरी में कटौती नहीं होनी चाहिए। उसमें हमारी कोई एजेन्सी होनी चाहिए, हमारा कोई लवाजमा होना चाहिए। विदेश में, जिससे हमारे मजदूर वहां सुरक्षित रहें। वहां बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिनकी कि काम की गारण्टी नहीं है, उनको तुरन्त काम से निकाल दिया जाता है और उनको अपने देश में लौटना पड़ता है। बहुत सारे मजदूर वहां ऐसे जाते हैं जिनका एक्सीडैण्ट होता है, जिनको खतरा पैदा हो जाता है, जो विकलांग हो जाते हैं और वापस चले आते हैं लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि दूसरे देशों में हमारी जो एम्बेसीज़ हैं, जो राजदूत हैं, उनको इन सारी बातों

पर ध्यान देना चाहिए कि उनको सही मजदूरी मिल रही है या नहीं या उनके लिए निधि संचय का काम उनके माध्यम से किया जाना चाहिए।

मैं श्रम मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गत बार जब डिस्कशन चल रहा था तो कहा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के बारे में बहुत सारी चीजों की जानकारी हमें मिल रही है और इसमें बहुत ही मुस्तैदी से काम करने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस सम्बन्ध में बोलने की इजाजत दी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अगले वक्ता का नाम पुकारने से पूर्व मैं यह बात सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस विधेयक के लिए निर्धारित समय 4.12 म०प० पर समाप्त होगा । क्या आप समय बढ़ाना चाहते हैं?

कुछ माननीय सदस्य: जी, हां। एक घंटा बढ़ा दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): फ़िलहाल हम एक घंटे का समय बढ़ा देंगे और आवश्यकता पड़ने पर और बढ़ाया जा सकता है।

सभापति महोदय: अतः एक घंटे का समय बढ़ाया जाता है।
अब श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य: सभापति महोदय, मैं, श्री बालासाहिब विखे पाटिल को यह विधेयक लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। यद्यपि मैं विधेयक के सभी उपबन्धों से सहमत नहीं हूं फिर भी मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं एक उपबन्ध, अर्थात खंड 4 से असहमत हूं जिसमें संगठित श्रमिकों के लिए अनिवार्य अंशदान का प्रावधान है।

4.00 म० प०

वह मुख्य खंड है, आय से अंशदान किया जाना चाहिए, कर्मचारियों से अंशदान नहीं लेना चाहिए क्योंकि संगठित क्षेत्र में भी यद्यपि उनकी स्थिति असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से काफी अच्छी है, श्रमिकों का शोषण किया जाता है। केन्द्र सरकार के अंशदान और नियोजक के अनिवार्य अंशदान से प्राप्त राशि बीड़ी श्रमिक के लिए 'कल्याण निधि' में जाएगी, श्रमिकों के कल्याण के लिए बीड़ी उद्योग और तम्बाकू उद्योग के नियोजक से उपकर वसूल किया जाता है। उपकर एकत्र करने का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों का कल्याण करना है। असंगठित श्रमिकों के लिए इस तरह की कल्याण निधि नियोजकों, उद्योगपतियों, ठेकेदारों से प्राप्त बिक्री कर से इकट्ठी की जा सकती है। यह सच है कि असंगठित क्षेत्र की स्थिति खराब है और हमारे 90 प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्र में ही हैं। हमारे देश में असंगठित श्रमिकों की संख्या करीब 170 मिलियन है। वे ईंट बनाने, सड़क निर्माण और भवन निर्माण के अन्य कार्य कर रहे हैं, वे बीड़ी श्रमिक, खेतिहर श्रमिक और विभिन्न क्षेत्रों में कारीगर आदि का काम कर रहे हैं। हमारे देश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान अधिनियम, प्रवासी श्रमिक अधिनियम आदि कई अधिनियम हैं। लेकिन कानून लागू करने वाली एजेंसियां, जैसी कि एक एजेंसी श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए बनाई गई थी, इन अधिनियमों को सही रूप से कार्यान्वित नहीं करती। इसी तरह, समान पारिश्रमिक अधिनियम को भी लागू नहीं किया गया है। महोदय, न्यूनतम मजदूरी 11 रुपए निर्धारित की गई है। हमें न्यूनतम मजदूरी 11 रुपए निर्धारित किए जाने के पीछे कोई तर्क नजर नहीं आता, जबकि बहुत से राज्यों में यह श्रम सम्मेलन में श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से काफी अधिक है। पश्चिम बंगाल में यह 18 रुपए से भी अधिक है। यहां

[श्री बसुदेव आचार्य]

तक कि पश्चिम बंगाल में खेतीहर श्रमिक को 20 रुपए से भी अधिक मजदूरी मिलती है। पश्चिम बंगाल में कहीं भी यह 20 रुपए से कम नहीं है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना क्षेत्र में खेतीहर श्रमिकों को 20 रुपए या इससे भी अधिक मजदूरी मिलती है। हरियाणा और आंध्र प्रदेश में भी उन्हें अधिक मजदूरी मिलती है जबकि महाराष्ट्र में यह कम है। बिहार में भी मजदूरी कम मिलती थी। इस सभा में बताया गया था कि महाराष्ट्र में पहले यह मजदूरी 6 रुपए थी। उड़ीसा में काल्हांडी जिले में, जहां मैंने स्वयं दौरा किया था, यह मजदूरी कम है। मैं नहीं जानता कि महाराष्ट्र में इस समय कितनी मजदूरी दी जाती है। इस सभा में भूतपूर्व श्रम मंत्री ने बताया था कि यह राशि केवल 6 रुपए थी। अतः केन्द्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी 11 रुपए निर्धारित की है। किन्तु इसके पीछे कोई तर्क नहीं है क्योंकि न्यूनतम मजदूरी को गरीबी-रेखा से जोड़ा जाना चाहिए था। यह गरीबी रेखा से कम नहीं अपितु सदैव अधिक होनी चाहिए और इस तरह न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जानी चाहिए। अतः इस न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को कड़ाई से कैसे कार्यान्वित किया जाए? न्यूनतम मजदूरी लागू करने वाले अधिकारी हैं। यद्यपि वे राज्य सरकार के अधीन हैं तथापि वे सभी विकास खंडों में नहीं हैं। कुछ विकास खंडों में न्यूनतम मजदूरी निरीक्षक नियुक्त हैं और वे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधी कार्य करते हैं। यद्यपि इस समय इसका उल्लंघन किया जा रहा है परंतु उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जो इस अधिनियम का उल्लंघन करते हैं। अतः कानून लागू करने वाली एजेंसी को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए ताकि वे इस न्यूनतम मजदूरी को, जो कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पर्याप्त नहीं है, लागू करें।

इसी तरह, महोदय, हमारे देश में लाखों बीड़ी श्रमिक हैं और नियोजक इस उद्योग को धीरे धीरे विकेन्द्रित करने की युक्तियां अपना रहे हैं। वे मजदूरों को तम्बाकू और तेंदू के पत्ते देते हैं और वे लोग इन्हें घर लाकर उनसे बीड़ियां तैयार करते हैं। कुछ नियमों और कानून को नजरअंदाज करने के लिए बीड़ी फैक्टरियों के मालिक अब ये युक्तियां अपना रहे हैं। यहां तक कि मजदूरों को जो पहचान पत्र जारी करने होते हैं, वे भी जारी नहीं किए जाते। उनकी भविष्य निधि नहीं होती, उन्हें बोनस भी नहीं मिलता, श्रमिक संघर्ष करते हैं, उनकी बहुत बड़ी यूनियन है और वे स्वयं को संगठित भी करते हैं **(व्यवधान)** वे लड़कर बोनस ले सकते हैं। बीड़ी श्रमिकों की कल्याण निधि में लाखों रुपए जमा कराए जाते हैं, लेकिन इस धन का उचित उपयोग नहीं होता। कुछ चलते-फिरते अस्पताल और कुछ औषधालय भी हैं। औषधालयों में दवाइयां नहीं मिलतीं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांकुरा में बीड़ी श्रमिकों के लिए एक औषधालय है। वहां बीड़ी श्रमिक काफी हैं किन्तु बीड़ी श्रमिकों को इस औषधालय से दवाइयां नहीं मिलतीं। यहां तक कि वहां चिकित्सक भी नहीं हैं। मुर्शिदाबाद में भी काफी संख्या में अर्थात् 60,000 से भी अधिक बीड़ी श्रमिक हैं। धुलियां में एक टी० बी० अस्पताल बनाने की स्वीकृति दी गई थी, क्योंकि यहां भी काफी संख्या में बीड़ी श्रमिक हैं। अचानक यह अस्पताल औरंगाबाद में बनाने का निर्णय कर लिया गया और 4 वर्ष पूर्व इसका शिलान्यास भी किया गया था जबकि भूमि अर्जित नहीं की गई थी और अब इसकी नींव के पत्थर को वहां से हटा दिया गया है और इसका निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसका शिलान्यास कैसे किया गया था और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का निर्णय कैसे लिया गया? यदि यह निर्णय लिया भी गया था और इसका शिलान्यास दूसरे स्थान पर कर भी दिया गया है तो बीड़ी श्रमिकों के लिए उस टी० बी० अस्पताल का निर्माण कार्य अब तक शुरु क्यों नहीं हुआ है। धुलियां में टी० बी० औषधालय है। हमने यह भी सुझाव दिया था कि वहां औषधालय में अधिक कर्मचारी नियुक्त किये जाने चाहिए। जब अस्पताल को धुलिया की जगह औरंगाबाद में बनाने का निर्णय लिया ही जा चुका है तो कम से कम उस औषधालय को और बेहतर बनाया जाना चाहिए क्योंकि अधिकतर बीड़ी श्रमिक अर्थात 70 प्रतिशत से भी अधिक श्रमिक टी० बी० की बीमारी से पीड़ित हैं।

उनके लिए घर बनाने की एक योजना बनाई गई थी। 3 या 4 वर्ष पहले कुछ घरों का निर्माण किया गया था; कुछ अनुदान भी दिए गए थे। अधिकांश बीड़ी श्रमिकों के अपने घर नहीं हैं। अतः इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए कि बीड़ी मजदूर कल्याण निधि का सदुपयोग किस तरह किया जाए। उन्हें घर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, चिकित्सा सहायता, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता तथा उन्हें राशन के लिए राज सहायता दी जानी चाहिए। इन सब बातों पर विचार किया जाना चाहिये। बीड़ी श्रमिकों की कल्याण निधि के सदुपयोग के लिए सही योजना बनाना आवश्यक है।

खेतिहर मजदूर, जो असंगठित क्षेत्र हैं, यद्यपि अब वे संगठित हो रहे हैं, की स्थिति शोचनीय है। वे सर्वाधिक शोषित वर्ग हैं। उनके पास जमीन नहीं है। वे खेती करते हैं और हमारे लिए अन्न उपजाते हैं लेकिन उन्हें अपने लिए अन्न नहीं मिलता और वे भूखे रहते हैं। खेतिहर मजदूरों की यह आम स्थिति है। श्रम परामर्शदात्री समिति, जिसमें लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य हैं, ने गुरुदास गुप्ता दास-समिति नामक एक उपसमिति का गठन किया था; गुरुदास जी राज्य सभा के सदस्य हैं। इस समिति ने कई राज्यों का दौरा किया था। उन्होंने न्यूनतम मजदूरी लागू करने, उनके राशन के लिए और उनके रहने के लिए राजसहायता उपलब्ध कराने की कुछ सिफारिशें की थी। एक महत्वपूर्ण सिफारिश खेतिहर मजदूरों के लिए विधान कार्यान्वित करने की है। कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। उनमें से कुछ सिफारिशें ये हैं:—

खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में हर दो साल बाद अथवा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 अंकों की वृद्धि होने पर संशोधन किया जाना चाहिए।

संख्या दो—खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या से जोड़ा जाना चाहिए। रहन-सहन स्तर के आधार पर मजदूरी में सामंजस्य किए जाने के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत आवश्यक मजदूरी संशोधन के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम मजदूरी गरीबी रेखा पोषण संबंधी जरूरतों, मकान, कपड़ा, ईंधन, चिकित्सा और शिक्षा खर्च आदि बातों को ध्यान में रख कर निर्धारित की जानी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते वक्त परिवार में बालवय में उपभोग की पात्रा तथा परिवार के सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

उस उपसमिति ने विभिन्न राज्यों का दौरा किया था और खेतिहर कृषकों तथा विभिन्न लोगों से भेंट की थी। फिर उन्होंने ग्रामीण श्रमिकों, असंगठित श्रमिकों और खेतिहर मजदूरों की परिस्थितियों में सुधार के लिए सिफारिशें की थीं।

यदि आप ग्रामीण जनता, विशेषकर खेतिहर मजदूरों की समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो आपको भूमि सुधार कानून को लागू करना होगा। स्वतन्त्रता के 41 वर्ष के बाद भी हमारे देश में भूमि सुधार कानूनों को लागू नहीं किया गया है। आज भी देश की 40 प्रतिशत भूमि केवल 5% लोगों के पास है जो न किसान है न कृषक, अपितु बड़े जमींदार और उद्योगपति हैं। उनके पास 40% भूमि है। यदि इस भूमि को खेतिहर मजदूरों और गरीब किसानों में बांट दिया जाए तो खेतिहर मजदूरों की समस्या हल की जा सकती है। इससे हमारे देश में रोजगार क्षमता बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। यदि इस भूमि को भूमिहीन जनता में बांट दिया जाए और यदि वे इस पर खेती करें तो उन्हें पैसा मिलेगा तथा कम से कम 25% लोगों की क्रय क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हमारी सरकार की सच्ची भूमि सुधार में नहीं है। यदि आप भूमि सुधार कानून लागू करें और यदि भूमि को भूमिहीनों में बांटा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर बिहार में सामाजिक तनाव को कम किया जा सकता है।

इसी तरह, ठेकेदार भी असंगठित श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं। पश्चिम बंगाल की भांति अन्य राज्यों में

[श्री बसुदेव आचार्य]

भी बंटाईदारों का पंजीकरण किया जा सकता है। 13 लाख बंटाईदारों के नाम पंजीकृत किए गए हैं। वे ज्यादातर पश्चिम बंगाल के हैं और इनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। उन्हें बैंकों से सहायता और ऋण मिल रहा है। बंटाईदारों के रूप में उनके नाम पंजीकृत करके उनकी समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। चौड़ी श्रमिकों और ठेका श्रमिकों के समान यह असंगठित क्षेत्र रेलवे में है जो कि एक बहुत बड़ा संगठन है। कोयला और राख का कार्य करने वाले 22,000 श्रमिक हैं। यह देखने के लिये एक समिति का गठन किया गया था कि उन श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है अथवा नहीं। सरकार भाप के इंजन को बिजली और डीजल इंजन में परिवर्तित कर रही है और ये श्रमिक कोयला और राख का कार्य कर रहे हैं तथा इंजनों में कोयला भरने तथा उतारने का काम कर रहे हैं। जब भाप के इंजनों के लोको शेड बंद किये जा रहे हैं तथा भाप के इंजनों को बदला जा रहा है तो इन असहाय श्रमिकों को कार्य से हटाया जा रहा है। इनमें से अधिकांश श्रमिक अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हैं क्योंकि वे ठेके के श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, यद्यपि वे वर्षों से बारहमासी कार्य करते हैं। परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि ठेका श्रमिक विनिमय और उत्पादन अधिनियम इन श्रमिकों पर लागू नहीं होता है। रेलवे उन्हें स्वीकार नहीं कर रही है। रेलवे में ठेके के हजारों श्रमिक ऐसे हैं जिन्हें न्यूनतम मजदूरी और बोनस नहीं मिल रहा है। इसलिये कुछ किया जाना चाहिए। यदि उद्योगपतियों और नियोजकों पर कर लगाकर एक निधि बनायी जाए तो कल्याण निधि का गठन निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। उद्योगपतियों पर कर लगाकर केन्द्रीय सरकार अधिक योगदान दे सकती है। इस निधि से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का अल्पकालीन कल्याण हो सकता है। परन्तु कृषि मजदूरों के लिये व्यापक कानून बनाने हेतु कुछ किया जाना चाहिए। अभी जो कानून विद्यमान हैं, उन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। कानून लागू करने वाली एजेंसी को मजबूत बनाया जाना चाहिए। ऐसा करके हम उन असहाय लोगों की सहायता कर सकते हैं जो बहुसंख्यक हैं और देश में श्रमिक बल का 90 प्रतिशत हैं। 170 मिलियन लोग ऐसे हैं जो असंगठित श्रमिक हैं। यदि सरकार उनकी सहायता करना चाहती है तो सरकार को उनके लिये कुछ करना चाहिए। यदि कानून को उचित ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जायेगा और कानून लागू करने की एजेंसी को मजबूत नहीं बनाया जायेगा तो मात्र कानून निर्माण से कुछ नहीं होगा।

•

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल): सभापति महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य प्रशंसनीय है। परन्तु लक्ष्य प्राप्त करने के लिये विधेयक के उपबंध निराशाजनक और अपर्याप्त हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि केवल संगठित श्रमिक से ही जिसकी मासिक आय 1000 रुपये से अधिक है, वेतन का एक प्रतिशत योगदान करने के लिये क्यों कहा जाता है। संगठित श्रमिक ही बोझ वहन क्यों करे, असंगठित श्रमिकों का बोझ वहन करने के लिये उन नागरिकों से क्यों नहीं कहा जाता जिनकी आय 1000 रुपये से अधिक है? इस प्रकार विधेयक में परस्पर विरोधी बातें हैं। असंगठित श्रमिकों के लिये कल्याण कोष का प्रशासन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाए, इससे उन लोगों को सहायता मिलेगी। अनुमानतः केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी 25 लाख रुपये की है। इसकी चार गुणा राशि एक करोड़ रुपये हो जायेगी। एक करोड़ अथवा दो करोड़ रुपयों से असंगठित क्षेत्र के 17 मिलियन अथवा 20 मिलियन श्रमिकों का आप क्या कल्याण कर सकते हैं? इन असंगठित श्रमिकों के लिये आप पांच नये पैसे की भी राहत नहीं दे सकते। परन्तु इस कोष के प्रशासन के लिये आपको असंगठित श्रमिकों को संगठित करना पड़ेगा क्योंकि इसको संगठित किये बिना आप कोष का प्रशासन नहीं चला सकते। ऐसा प्रतीत होता है कि विधेयक के उपबंध परस्पर विरोधी हैं। परन्तु जैसा कि मैंने पहले कहा है, विधेयक का उद्देश्य प्रशंसनीय है। इसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को राहत देना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद भी भारत में असंगठित श्रमिक बल क्यों होना चाहिए? मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा एक

संविधान है जिसमें नीति-निर्देशक सिद्धान्त हैं, जिनमें संविधान का यह उद्देश्य बताया गया है कि हमारा, पुलिस राज्य न होकर कल्याणकारी राज्य होना चाहिए जिसमें प्रत्येक नागरिक को लाभदायक रोजगार दिया जाएगा तथा प्रत्येक नागरिक की न्यूनतम आवश्यकतायें पूरी की जाएंगी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 20 मिलियन असंगठित श्रमिक होंगे, जिससे यही पता चलता है कि हमारी आयोजना में कुछ कमी है। हमारी आयोजना मानव संसाधनों पर निर्भर है। हमारी आयोजना और राष्ट्रपिता गांधीजी की आयोजना में मौलिक अन्तर उन विषमताओं और सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक संघर्षों से स्पष्ट है जिनका हम आज सामना कर रहे हैं। गांधी जी चाहते थे कि हमें मानवीय संसाधनों के आधार पर योजना बनानी चाहिए। आज हम भौतिक संसाधनों और भौतिक विकास जैसे बिजली का उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन, कोयला उत्पादन और स्टील उत्पादन के आधार पर योजना बना रहे हैं। आप इन उत्पादनों को दो गुना कर सकते हैं। जब तक आप मानव संसाधनों के आधार पर योजना नहीं बनायेंगे तब तक आप कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं कर सकते। कल् मेरे प्रश्न के जवाब में बताया गया था कि 1988 में भारत में 23.8 मिलियन जीवित बच्चे पैदा हुए। आप भारत में उपलब्ध मानव संसाधनों के आधार पर योजना नहीं बना रहे है। हम जानते हैं कि 18वीं शादी के प्रारम्भ में और 19वीं शादी में रोजगार पाने के लिये भारत से जिसे पृथ्वी पर स्वर्ग कहा जाता था, दूसरे महाद्वीपों में अप्रवजन कर गये हैं। आज भी यह स्थिति है कि लाखों लोग अपने जीवन यापन हेतु, मजदूरी के लिए खाड़ी देशों में जाने के लिये पासपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं। जहां तक नियोजन का सम्बन्ध है, हम गांधी जी की मौलिक शिक्षा भूल गये हैं कि सर्वप्रथम हमें मानव संसाधनों के आधार पर योजना का निर्माण करना चाहिए, और तत्पश्चात इस देश का विकास करना चाहिए। पिछली बार जब श्री तम्पन थामस ने प्रस्ताव रखा था कि रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए तो मैंने इसका विश्लेषण करने का प्रयास किया था कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार किस प्रकार दिया जा सकता है। उदाहरणार्थ, कृषि क्षेत्र के लिये कितनी जनशक्ति की आवश्यकता है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति मेरी इस बात से सहमत होगा कि कृषि के लिये हमें कम से कम 20 प्रतिशत जनशक्ति की आवश्यकता है। कम से कम 20 प्रतिशत की जरूरत है। यह सच है कि कुछ राज्यों में कृषि मजदूरों की मजदूरी कम है। परन्तु कुछ राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और आन्ध्र प्रदेश में फसल के मौसम में श्रमिकों का अभाव रहता है। हमें वहां 20 रुपये में भी श्रमिक नहीं मिलता है। कपास चुनने के लिये हमें 10 रुपये अथवा 15 रुपये में एक बच्चा नहीं मिलता है। इसमें कुछ विषमता है। यदि हम सावधानीपूर्वक योजना बनायें तो हमें कृषि के लिये कम से कम 20 प्रतिशत जनसंख्या की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त हमारे सामने हजारों बच्चों को शिक्षा देने की विकट समस्या है। जैसा कि मैंने कहा कि कल जवाब दिया गया कि 1988 में 23.5 मिलियन जीवित बच्चे पैदा हुए। स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या पांच या दस करोड़ से कम नहीं होगी। यह संख्या प्राथमिक शिक्षा की है। नीति निर्देशक सिद्धान्तों में कहा गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। यदि हम प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करें तो प्राइमरी और प्राथमिक स्कूलों के लिये हमें कितने अध्यापकों की आवश्यकता होगी। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमारी शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कम से कम 10 प्रतिशत जनसंख्या की आवश्यकता होगी। तत्पश्चात हमारी स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये 15 प्रतिशत जनसंख्या की आवश्यकता है। इस प्रकार हमारी कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 20 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत अर्थात 45 प्रतिशत जनसंख्या की आवश्यकता है। हमारे उद्योगों और अन्य सेवाओं का क्या होगा? अतः यदि हम मानव संसाधनों के आधार पर उचित रूप से योजना बनायें तो बेरोजगारी की समस्या नहीं होगी। हम निश्चित रूप से लाभप्रद रोजगार दे सकते हैं। चालू करने के लिये अनेक परियोजनायें हैं। उनमें बहुउद्देश्यीय परियोजनायें हैं। ब्रह्मपुत्र के सभी जल संसाधन व्यर्थ

[श्री ई० अय्यपू रेड्डी]

जा रहे हैं। इसी प्रकार गोदावरी नदी के जल संसाधनों का जरा भी उपयोग नहीं हो रहा है। आप गोदावरी का 70 प्रतिशत पानी उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। कीमती जल संसाधन व्यर्थ जा रहे हैं।

इसलिये, मैं कहना चाहता हूं कि इन समस्याओं का अध्ययन अलग से नहीं किया जा सकता। असंगठित श्रमिकों का क्या होगा? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का क्या होगा? छोटी-मोटी योजनाओं से समस्या हल नहीं होगी।

लोक लेखा समिति के सभापति की हैसियत से मुझे आई०आर०डी०पी०, एन०आर०ई०पी० और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने का अवसर मिला था। समिति ने एक रिपोर्ट दी है। समिति ने अपनी सिफारिशों में से एक सिफारिश यह की है कि गांव के विकास हेतु समेकित दृष्टिकोण अपनाया जाए। असंगठित श्रमिकों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। गावों में असंगठित श्रमिक और वह असंगठित श्रमिक जो शहरों की और पलायन कर गया है तथा वहां किसी उद्योग में अथवा अन्यत्र कोई कार्य कर रहा है। ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था में विषमता बढ़ गयी है। शहरी विशिष्ट वर्ग तथा शहरी जन संख्या और ग्रामीण जन संख्या की आय में विषमता कम करने की आवश्यकता है।

मैं आज पढ़ रहा था कि इजरायल ने बेरोजगारी का किस प्रकार से सामना किया है। वे बड़े-बड़े समुदायों (किबुत्ज) में संगठित हो गये हैं जो छोडे-छोटे समुदायों (कम्यून) से अच्छे हैं। ऐसा उन्होंने जिस ढंग से किया है वह अनुकरणीय है।

हमारे यहां बुनियादी समस्या क्या है और इस बुनियादी समस्या की तरफ किस प्रकार ध्यान दे रहे हैं? हमारे यहां छोटे-छोटे गणराज्य थे। भारत में गणराज्य थे। अधिकांश समय कारीगरों को अपना कार्य मिल जाता था। कृषि पर आधारित समाजों का जीवन ढंग संगठित था। वे गांवों में बड़े अच्छे तरीके, से संगठित ढंग से कार्य करते थे। कारीगर निर्धारित किए हुए थे और प्रत्येक को अपना कार्य मिलता था। अब हमने उस प्रणाली को समाप्त कर दिया है। इसलिये यह नितांत आवश्यक है कि हमें आयोजना के बुनियादी दृष्टिकोण की पुनः जांच करनी चाहिए।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी हमने इसके बारे में नहीं सोचा है। यद्यपि बेकारी हटाओं का नारा दिया गया है जिसे कांग्रेस संगठन ने अखाड़ी में अपनाया था, आप यह किस प्रकार करेंगे? आप ऐसा किस प्रकार करेंगे? सामान्यतः आपने रोजगार प्रदान करने के लिये 500 करोड़ रूपये की वृद्धि हेतु 8 प्रतिशत का अधिभार लगाया है इससे समस्या हल नहीं होगी। इसके अलावा श्री नानी पालिकीवाला ने इसे असंवैधानिक कहते हुए चुनौती दी है। मेरे विचार हैं यह अधूरे मन से अपनाया गया तरीका है। मैं यह नहीं जानता कि यह संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं परन्तु यह उचित दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता। यदि आप बेकारी हटाओ का नारा सफल करना चाहते हैं तो भारत को गांधीवादी तरीकों और सिद्धान्तों पर स्वयं को संगठित करना पडेगा।

हम यह कहते हैं कि सातवीं योजना समाप्त होने के उपरान्त भी किसी न किसी किस्म की दातव्य निधि की आवश्यकता है। कल्याण निधि पुण्यार्थ निधि से कोई अलग नहीं। आप किस हद तक लाखों लोगों को यह धमार्थ धन दे सकते हैं। जब तक वह अपने पांवों पर खड़े नहीं हो जाते क्या उन्हें यह दान देना संभव है? अतः इस समय आवश्यकता संगठित होने की है। हमें जीवन के हर क्षेत्र में संगठित होना है। ग्रामीण रोज़गार और निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के उद्देश्य हेतु हमें प्रत्येक परिवार की आवश्यकताओं का पता लगाना होगा और इस प्रगतिशील युग में जनसंख्या गणना और प्रत्येक तालुक, प्रत्येक ग्राम, रत्येक खण्ड और प्रत्येक ज़िले तथा प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं का उचित परिकलन करना दुष्कर नहीं। यह कार्य

करने के उपरांत उनका पुनर्गठन आवश्यक है और विद्यमान विषमताओं को किसी किस्म का कानून बनाकर कम करने की कोशिश करनी चाहिए और प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी किस्म का रोजगार दिया जाना चाहिए उसे उपयोगी रचनात्मक राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया से संबद्ध करना चाहिए अन्यथा हम किसी किस्म की राहत प्रदान नहीं कर पाएंगे। और जो राहतें हम निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के द्वारा उन्हें प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे कुछ लाभ नहीं होगा।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर): सभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण और उपयोगी विधेयक, पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है। यह विधेयक मेरे माननीय मित्र श्री बाला साहेब विखे पाटिल द्वारा सही समय पर लाया गया है। श्री पाटिल ने हमें अपने उन असंगठित भाईयों के बारे में सोचने का अवसर प्रदान किया है जिनके लिए हमारे प्रधान मंत्री और श्रम मंत्रालय कई योजनाएं और कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। यद्यपि इन योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के प्रति मुझे संदेह है।

यद्यपी श्री पाटिल द्वारा प्रस्तुत विधेयक बहुत उपयोगी है फिर भी, इस विधेयक के क्रियान्यवन के संबंध में मुझे संदेह है। उन्होंने सुझाव दिया है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को अपनी आय का एक प्रतिशत अंशदान देना चाहिए क्योंकि उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं। निःसंदेह यह बहुत नेक ख्याल है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। महोदय आप महाराष्ट्र राज्य से हैं जो कि औद्योगिक दृष्टि से बहुत समृद्ध राज्य है किन्तु वहां भी क्या हो रहा है। भविष्य निधि में नियोक्ताओं को भी अपनी ओर से बराबर का अंशदान देना होता है। संगठित मजदूर अपना हिस्सा भविष्य निधि में जमा करा रहे हैं लेकिन नियोजक जमा नहीं करा रहे। परिणामस्वरूप उन कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं हो रहा। भारी मात्रा में धनराशि इकट्ठी हो रही है और वह उसे अपने काम में लगा रहे हैं। उन्हें इस पैसे का फायदा हो रहा है। जो लोग पैसा जमा करा रहे हैं, लाभ उन्हें नहीं नियोक्ताओं को हो रहा है, इसलिए संगठित क्षेत्र के मज़दूर जो अपने असंगठित मज़दूर भाईयों के लिए एक प्रतिशत अपनी आय से अंशदान देंगे क्या वह पैसा असंठित मज़दूरों के कल्याण के लिए नियोक्ता लगाएंगे मुझे इस बारे में शक है। विधेयक में एक तो यह दोष है।

दूसरा यह कि आप असंगठित श्रमिकों का पता कैसे लगाएंगे। कई प्रकार के असंगठित श्रमिक हैं जैसे गृहणियां, ग्रामीण दस्तकार, घरेलु नौकर, हथकरघा मज़दूर इत्यादि। खेतिहर मज़दूरों के अतिरिक्त लाखों असंगठित मज़दूर हैं उनका पता लगाना बहुत कठिन है। कल मैं कहूंगा कि मैं असंगठित कर्मचारी हूं। इस बात से कौन इन्कार कर सकता है। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहचान एक बहुत बड़ी समस्या होगी। इन क्षेत्रों में आप पायेंगे कि 60 प्रतिशत से अधिक असंगठित महिला श्रमिक हैं और उनकी पहचान कर पाना मुश्किल है। अतः मुझे बहुत संदेह होता है कि क्या इसे कार्यान्वित कर पाना साध्य होगा।

तीन वर्ष पूर्व जब संसद का नवीकरण हो रहा था, मैं कुछ श्रमिकों से मिला। जब वे आपस में बातें कर रहे थे तब मैंने उन्हें पहचाना। वे मेरे राज्य के थे उनसे बातें कर मैं जान पाया कि उनमें से प्रत्येक बिचौलिये द्वारा लाये गये हैं। वह बिचौलिया उनकी मज़दूरी में से कुछ रकम कमिशन के तौर पर ले रहा था और उन्हें बहुत कम रकम भुगतान की गयी। यह दूसरी कठिनाई है। यह सिर्फ यहां पर ही नहीं हो रहा है बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। अपनी अशिक्षा, अज्ञानता तथा अन्य दूसरे कारणों से असंगठित श्रमिक नियमों, विनियमों, अधिनियमों और उन्हें उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नहीं जानते हैं। यदि यह महत्वपूर्ण विधेयक पारित भी हो जायें तो मुझे संदेह है कि यह उन सबों के लिये लाभदायक होगा।

निजि उद्योगकर्मियों की बात मत करें। रेलवे में भी उचित रूप में न्यूनतम मज़दूरी नहीं दी जाती है। मेरे अच्छे मित्र श्री बसुदेव आचार्य अपने राज्य में भूमि सुधार अधिनियम के सफलता पूर्वक कार्यान्वयन की बात

[श्री चिन्तामणि जैना]

कर रहे थे। मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन क्या इससे कृषक श्रमिकों को लाभ पहुंचा है? मुझे इसके उचित कार्यान्वयन पर बहुत संदेह होता है क्योंकि उन कृषक श्रमिकों को जो नियोजित है, उन्हें स्वीकृत की गयी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। सहकारी तथा सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकार क्षेत्र में भी ऐसा हो रहा है। रेलवे में ऐसा प्रावधान है कि नैमित्तिक मज़दूरी को न्यूनतम मज़दूरी दी जानी चाहिए। लेकिन वास्तविक रूप में उन्हें भुगतान नहीं किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान की मज़दूरी भिन्न होती है। यदि कोई व्यक्ति विशेष पश्चिम बंगाल में मजदूरी के रूप में कुछ रकम पाता है तो वही श्रमिक उड़ीसा में काम करते वक्त कम मज़दूरी प्राप्त करता है। इन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार अधिनियम सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो जाने पर भी, शायद वे नहीं जानते हैं कि मज़दूरों को और विशेषकर कृषक मज़दूरों को ज़मीन के मालिकों अथवा नियोजकों द्वारा न्यूनतम मज़दूरी नहीं मिल रही है।

न्यूनतम मज़दूरी से सम्बन्धित कानून केन्द्र सरकार पास करती है। न्यूनतम मज़दूरी से सम्बन्धित उपयोगी कानूनों को बहुत सी राज्य सरकारों ने भी पारित कर दिया है। लेकिन उनका कार्यान्वयन नहीं हुआ है क्योंकि यह जानने के लिये कोई निरीक्षण नहीं हुआ है कि इन नियमों का कार्यन्वयन उचित रूप में होता है अथवा नहीं। हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी और स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा-गांधी द्वारा घोषित 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत न्यूनतम मज़दूरी को रखा गया है। अतः केन्द्र सरकार द्वारा यह देखा जाना है कि इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन उचित रूप में होता है अथवा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। मेरा परामर्श है कि न्यूनतम मज़दूरी के अधिनियमों के उचित कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिये ग्रामीण श्रम निरीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान होना चाहिए।

मुख्य मुद्दे से हट कर मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री बहुत ही समर्थ हैं और श्रमिकों के प्रति बहुत सहानुभूति रखते हैं। मैं उनके ध्यान में सिर्फ यह लाना चाहता हूं कि 314 प्रखण्ड और 3 करोड़ आबादी के पूरे उड़ीसा राज्य के लिये उन्होंने सिर्फ 65 ग्रामीण श्रम निरीक्षकों की नियुक्ति की है। इस तरह के राज्य में सिर्फ 65 निरीक्षकों की नियुक्ति इस बात का निरीक्षण करने के लिये की गयी है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन उचित रूप में हुआ है अथवा नहीं। हाल ही में उनके पास यह प्रावधान था कि इस पर पुनर्विचार किया जायेगा कि अधिनियम का कार्यान्वयन उचित रूप में होता है अथवा नहीं। अगस्त, 1988 में उन्होंने इस पर पुनर्विचार किया। कुल 42,578 मामलों पर पुनर्विचार किया गया था जिनमें से 36,042 मामलों में अन्तर था और इनमें अधिनियम का कार्यान्वयन उचित रूप में नहीं हुआ। उनमें अतिक्रमण हुआ था। आप कैसे आशा करते हैं कि सिर्फ 65 व्यक्ति इस कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं? अतः राज्य सरकार ने कम से कम एक ग्रामीण श्रम निरीक्षक प्रत्येक प्रखण्ड के लिये नियुक्त करने का अनुरोध केन्द्र से किया अर्थात् 314 निरीक्षकों को नियुक्त करना था। यह राज्य सरकार का प्रस्ताव था। यह मामला अभी तक केन्द्र में लम्बित पड़ा है।

यदि हम कोई उपयोगी विधेयक बनायें और उसके कार्यान्वयन पर ध्यान न दे तो इन विधेयकों को पारित करने से क्या लाभ है? अनुपालन के कार्य को भी नहीं किया गया है। इस विशेष मामले में मैं माननीय मंत्री से इस बात पर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा कि प्रत्येक प्रखण्ड में एक ग्रामीण श्रम निरीक्षक की नियुक्ति की जाये। हमारी सरकार और विशेषकर हमारे प्रधान मंत्री इन असंगठित श्रमिकों को उचित मजदूरी और न्याय दिलाने के लिये बहुत उत्सुक हैं। श्री अय्यपू रेड्डी अभी कह रहे थे कि उन्होंने "बेकारी हटाओ" श्रमिकों का कार्यक्रम चलाया है और इसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है। मैं उनसे कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति ने आज तक उसके विषय में नहीं सोचा है। उसकी सरकार ने भी इसके बारे में नहीं सोचा जो 1977 से 1980 तक केन्द्र में सत्तारुढ़ थी। परन्तु हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने इस विषय के संबंध में गंभीरता

से विचार किया है। उन्होंने यह कार्यक्रम शुरू किया है तथा हमें कठिन प्रयास करना चाहिए ताकि देश से बेरोजगारी समाप्त की जा सके जिसके लिये उन्होंने अनेक योजनाओं का प्रस्ताव किया है। मेरे साथी श्री आचार्य आर०एल०ई०जी०पी०, एन०आर०ई०पी० जैसे अनेक कार्यक्रमों के बारे में कह रहे थे। परन्तु वह यह नहीं जानते कि उनके राज्य में भी इन कार्यक्रमों को उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। यह कार्य कुछ ठेकेदारों को दिया जाता है और यह व्यवस्था है कि इसे ग्रामीण समितियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जायेगा। मान लो मैं ब्लाक से काम लेकर करता हूं परन्तु श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देता हूं तो इसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है? हमारे प्रधान मंत्री के नेतृत्व में केन्द्र अनेक ऐसी उपयोगी योजनायें बना रहा है जिन्हें राज्यों में कार्यान्वित किया जाना है परन्तु यदि राज्य इनकी ओर ध्यान नहीं दे सकते तथा उनके कार्यान्वयन को नहीं दे सकते तो ये किस प्रकार सफल हो सकती हैं यद्यपि इसकी आलोचना की जाती है? उनके राज्य में आर०एल०ई०जी०पी०, आई०आर०डी०पी०, डी०आर०डी०ए० और अन्य कार्यक्रमों के क्रियान्वन के बारे में क्या हो रहा है? वह अपने क्षेत्र में घूम कर देखें कि क्या कुछ ऐसे मध्यस्थ लोग भी हैं जो इन कार्यक्रमों में से धनराशि ले रहे हैं।

असंगठित श्रमिकों के लिये कल्याणकारी कार्य करते समय हमें यह भी देखना चाहिये कि जो अकुशल श्रमिक हैं उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। उन्हें कुशल श्रमिक बनाने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए ताकि वे जीवन निर्वाह और अपने परिवार के लिये अधिक धन कमा सकें। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करें ताकि इस प्रकार के श्रमिक, जिनके लिये कुछ नहीं किया गया है, प्रशिक्षण के माध्यम से कुशल श्रमिक बनकर कुछ लाभ उठा सकें।

दिल्ली और दूसरे क्षेत्रों में क्या हो रहा है जहां श्रमिक राज्य के शहर से, दूर-दूर के स्थानों से, ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों से लाये जाते हैं। उन्हें उचित मजदूरी भी नहीं दी जाती है और न ही उनके कल्याण के लिये कोई कार्य किया जा रहा है। उनके आवास और स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

यद्यपि इस विधेयक के प्रस्तावक मेरे साथी ने इस विधेयक को अच्छी मंशा के साथ प्रस्तुत किया है परन्तु मुझे शंका है कि इसे क्रियान्वित किया जा सकता है। इसलिये मंत्री महोदय कम से कम इस लोक सभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने पर गंभीरतापूर्वक विचार करें ताकि यदि हम इस विधेयक को पारित कर दें तो हमारे उत्तराधिकारी इसे क्रियान्वित कर सकें।

इस दृष्टिकोण से मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को वापस लिया जाये क्योंकि अच्छी मंशा होने के बावजूद भी इस विधेयक को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री शांताराम नायक (पणजी): सभापति महोदय, मैं अपने अन्य साथियों की तरह इस विधेयक को प्रस्तुत करने में अपने साथी श्री बाला साहिब विखे पाटिल के प्रशंसनीय उद्देश्य की सराहना करता हूं। यद्यपि उद्देश्य प्रशंसनीय है परन्तु यह विधेयक वास्तव में कितना व्यवहार्य है और विशेषकर खण्ड 4 कितना वांछनीय है हमें यह देखना है और इसकी जांच करनी है।

हमारे संविधान की समवर्ती सूची के विषय संख्या 24 में इसका उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार है: —

"श्रमिकों का कल्याण, जिसके अन्तर्गत कार्य की दशायें, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, अशक्तता और वार्धक्य पेंशन और प्रसूति सुविधायें हैं।"

[श्री शांताराम नायक]

श्रमिकों के कल्याण के लिये यह विशेष विषय है जिसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इसका अर्थ है कि संविधान ने श्रमिकों के कल्याण का दायित्व राज्य और केन्द्र दोनों को सौंपा है। इसके अतिरिक्त दूसरी व्यवस्था अर्थात् अनुच्छेद 43 है जो नीति निर्देशक सिद्धान्त है और जिसमें कहा गया है:

"कि राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मज़दूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया, ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।"

अतः सभापति महोदय, हमारे संविधान में श्रमिकों के कल्याण को पर्याप्त महत्व दिया गया है जिसके फलस्वरूप केन्द्र और राज्य सरकारों ने इस प्रयोजन के लिये अनेक कानून, नियम और योजनायें बनायी हैं।

जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है, इसके सम्बन्ध में बोलते हुए श्री अय्यपू रेड्डी जनता की आशाओं को पूरा न करने के कारण केन्द्रीय सरकार का उपहास किया था। आज कोई भी राजनीतिक दल इसके लिये केवल केन्द्रीय सरकार पर आरोप नहीं लगायेगा, यह ऐसी समस्या है जिसकी प्रत्येक व्यक्ति को चिंता है। उन्होंने इजरायल का उदाहरण दिया और बताया कि इजरायल ने इस समस्या को किस प्रकार हल किया है। श्री हरीश रावत ने उन्हें उचित बताया कि इजरायल उनके निर्वाचन क्षेत्र के बराबर है। इससे यह प्रतीत होता है कि जो इस प्रकार की बातें करते हैं वे हमारे देश की भौगोलिक समस्याओं को नहीं समझते। वे ऐसे कहते हैं जैसे कि वे हमारे देश की समस्याओं के आयाम अथवा हमारे देश की संसाधन सम्बन्धी विवशता नहीं जानते हैं। वे देश के एक भाग में शासन करते हैं जहां वे पूर्णतः असफल है। वे बड़ी गैर-जिम्मेदारी पूर्ण वक्तव्य देते हैं। यदि 4-5 वर्षों में उनकी पार्टी आन्ध्र प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या हल करने में सफल होती तो हम उनकी बात से सहमत हो जाते। वह हमारी पराजय होती। परन्तु वे ऐसा नहीं कर सके। उनके मुख्य मंत्री बहमभित्र अथवा विश्वामित्र जैसी फिल्में बनाने में व्यस्त हैं जिसमें चुम्बन के अनेक दृश्य दिखायें जायेंगे। मैंने सुना है कि मंदाकिनी नामक एक युवा महिला फिल्म की अभिनेत्री होगी। मुझे उस बेचारी महिला पर बड़ी दया आती है जिसे अनेक बार चुम्बन देना पड़ेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग आन्ध्र प्रदेश के मामलों का संचालन कर रहे हैं उनके पास करने के लिये कोई भी गम्भीर कार्य नहीं है और वे ऐसी फिल्में बनाने की सोच रहे हैं जिनसे स्टूडियों में 'माफिया' गतिविधियां पैदा होगी। क्या वे लोग जनता की समस्याओं का समाधान और यथासम्भव गरीबी दूर करने के लिये उत्तरदायी हैं? यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल ने असंगठित श्रमिकों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। मैं नहीं जानता कि यह कहां तक व्यवहार्य है परन्तु यदि यह व्यवहार्य है तो असंगठित श्रमिकों के नियोजकों को उनका सहयोग करना चाहिए। परन्तु यह श्रमिकों की मजदूरी का भाग नहीं होनी चाहिए बल्कि यह वह धनराशि होनी चाहिए जो उन्होंने मजदूरी के रूप में अन्यथा नहीं दी होती।

5.00 म० प०

यदि असंगठित श्रमिकों की कठिनाइयां कम करने के लिये कुछ योगदान दिया जाये तो इसे संगठित श्रमिकों के नियोजकों द्वारा दिया जाना चाहिये। मुख्य प्रश्न यह है कि किसी प्रकार से यह विषमता दूर की जानी चाहिए। जहां तक गोवा का सम्बन्ध है, यह देखकर आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहां ऐसी समस्या नहीं है। आज हमारे यहां एक दिन की मज़दूरी 30 रुपये से कम नहीं है। 30 रुपये देने पर भी आपको श्रमिक नहीं मिलेगा यदि आप सात दिन पहले अपने काम की योजना नहीं बना लेते ऐसा करने पर ही कार्य करने के लिये आपको श्रमिक मिल सकते हैं।

वास्तव में इसका अर्थ यह नहीं है कि असंगठित श्रमिकों की ऐसी समस्यायें नहीं है। देश के अनेक भागों में मज़दूरी काफी कम है। यह बिल्कुल सच है। परन्तु एक पहलू पर विचार करना होगा। श्री आटिल के विधेयक में संगठित श्रम के द्वारा असंगठित श्रम को योगदान देकर इसके उपचार का प्रयास तो किया गया है परन्तु अन्ततोगत्वा इसका क्या अर्थ है? अन्ततोगत्वा हम न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम के कार्यान्वयन में अपनी असफलता मनाते हैं तथा हम संगठित श्रम से सहयोग देने के लिये कहते हैं क्योंकि हम कानून को उचित रूप से लागू नहीं कर सकते हैं। यह बिल्कुल उचित नहीं है। जिन लोगों को न्यूनतम मज़दूरी देने चाहिए उनसे यह मज़दूरी दिलाई जानी चाहिए। न्यूनतम मज़दूरी का भुगतान करने वाले कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिये। मैंने न्यूनतम मज़दूरी के संबंध में कोई भी मुकदमा चलता नहीं देखा है। यदि मुकदमा चलाया भी जाता है तो किसी को पता नहीं चलता कि उन्हें सफलता मिली अथवा नहीं या वह श्रमिकों के पक्ष में अथवा विपक्ष में रहा। न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पहलू है। इससे असंगठित श्रम को संगठित श्रम के समतुल्य लाया जा सकता है।

साथ ही अनके मुद्दे ऐसे हैं जो इसी प्रकार महत्वपूर्ण हैं। हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि संगठित अथवा असंगठित श्रमिक द्वारा अर्जित मज़दूरी भली-भांति खर्च की जाए या उसकी उचित रूप से बचत की जाए। आज हमारे समाज में अनेक अन्धविश्वास हैं। संगठित अथवा असंगठित श्रमिक अधिकांश धन अन्धविश्वास के कार्यों में खर्च कर देते हैं। उदाहरणार्थ यदि उनसे कोई पूजा करने के लिये कहा जाता है, जिसका धर्म से कुछ लेना-देना नहीं है, तो वे उस पूजा पर 500 रुपये अथवा 2000 रुपये भी खर्च कर देते हैं। कभी-कभी वे कर्ज लेकर भी ऐसे अन्धविश्वासों के कार्यों पर खर्च कर देते हैं। यदि वे बीमार पड़ जाते हैं तो भी डाक्टरों के पास नहीं जाते हैं। इसके बजाए वे जादू-टोना करते हैं और अनावश्यक रूप से बहुत अधिक धन खर्च कर देते हैं। इस प्रकार उनकी आय अप्रत्यक्ष रूप से कम हो जाती है। अशिक्षित श्रमिकों में जागरूकता लाने के लिये भी हमें कुछ करना है जिससे कि उनके द्वारा कमाये गये पैसों की बचत हो अथवा उचित रूप से उनका व्यय हो। इस सन्दर्भ में हमें व्यस्क शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ठोस कार्य करने हैं। मैं यह इसलिये कहता हूं कि सिर्फ पैसे देकर हम उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकने में सफल नहीं होंगे। अन्ततः पैसों के साथ शिक्षा प्रदान करके ही हम अपने श्रमिकों का कल्याण कर सकते हैं।

हमारे गांवों के वयस्क शिक्षा कार्यक्रम चलाये गये हैं। लेकिन अक्सर ये योजनायें संतोषप्रद नहीं पायी गयी हैं। वे अफसरान या कर्मचारी जो इन कार्यक्रमों के प्रभारी हैं, कुछ आंकड़े बनाते हैं और अधिकारियों को बता देते हैं कि उन्होंने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन वास्तविकता यह है वे कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं करते हैं। न ही वे श्रमिकों में शिक्षा का प्रचार करते हैं। वास्तव में शैक्षणिक योजनाओं में सिर्फ प्रतिदिन का शैक्षिक पाठ्यक्रम ही शामिल नहीं है बल्कि श्रमिकों को देश के श्रम कानूनों की जानकारी भी अवश्य दी जानी चाहिए।

श्रम कानूनों की जानकारी श्रमिकों को देना कोई मुश्किल नहीं है। ये इतने उलझे हुये भी नहीं है। साधारण शब्दों में उन्हें श्रम कानूनों की जानकारी दी जा सकती है कि उनके अधिकार क्या हैं, अलग-अलग तरह के श्रम के लिये उन्हें क्या वेतन मिलना चाहिए; कितने वेतन के वे हकदार हैं; और यदि उनके वेतन का भुगतान न किया जाये तो उनके द्वारा क्या उपाय किये जा सकते हैं। यदि शैक्षणिक कार्यक्रमों द्वारा इन बातों की जानकारी उन्हें दी जाये तो मैं समझता हूं कि हम अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल हो जायेंगे। आज कल यह कहा जाता है कि कृषक और अन्य श्रमिक अपने को संगठित कर रहे हैं। श्री टिकैत की भांति शायद उन्हें कोई नेता मिल गया है। लेकिन वास्तव में वे श्रमिकों के कल्याण में कोई रुचि नहीं रखते हैं। हाल ही में श्रमिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिये अपने नेता को दिल्ली लाये थे बल्कि मैं समझता हूं कि टिकैत की शक्ति दिखाकर सरकार से टक्कर लेने आये थे। नये-नये श्रमिक नेताओं का यही रवैया होता है। इस तरह

[श्री शांताराम नायक]

के संगठित श्रमिकों की कल्पना नहीं की गयी है। इसमें कोई शक नहीं है कि अपने अधिकारों के लिये उन्हें अपने आप को संगठित करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की भांति संविधान के प्रावधान के अनुसार उन्हें संगठन बनाने का अधिकार है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उन्हें अपने क्षेत्रों से बाहर राजधानी में सिर्फ शक्ति प्रदर्शन के लिये लाता है तो इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है।

श्रमिकों के कल्याण से संबंधित दूसरा पहलू भूमि सुधार है। यद्यपि हमारे देश में भूमि सुधार का मुद्दा सरकार के 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल है तथापि हमने देखा है कि भूमि सुधार मामलों में, जो न्यायालयों में लंबित पड़े हुए हैं, सरकार अपने आपको असहाय महसूस करती है। न्यायालयों द्वारा इन मुकद्दमों का फैसला होने तक वह कुछ भी नहीं कर पायेगी। मेरे विचार में यह एक गलत रवैया है। सर्वप्रथम यदि मुकद्दमें लम्बे समय से लंबित पड़े हुए हैं तो राज्य सरकारे अपने उच्च न्यायालयों में और केन्द्र सरकार उच्चतम न्यायालय में अपने अधिवक्ताओं और वकीलों द्वारा मामले को शीघ्र निपटाने के लिये कह सकती है। अतः इन मुकद्दमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमने उद्योगपतियों और उच्च वर्गीय लोगों से संबंधित मुकदमों का शीघ्र निपटारा होते देखा है। उन्हें कुछ अन्तरिम राहत भी दी जाती है। दूसरी ओर, भूमि सुधार से संबंधित मुकद्दमें जो वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं— यहां भी जिनके लिये मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता रहा हूं — केन्द्र सरकार को अपने वकीलों द्वारा सभी मुकदमों की एक सूची बनानी चाहिए और न्यायालयों को यह निर्देश देना चाहिए कि वे इन मामलों का निपटारा एक महीने में ही कर दें ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके।

दूसरे, यदि सरकार यह महसूस करती है कि तुरन्त कुछ नहीं किया जा सकता है तो उसे यह देखना चाहिए कि विधेयकों में क्या त्रुटियां हैं और यदि कोई त्रुटि है तो वर्षों तक प्रतीक्षा करने की अपेक्षा उनमें संशोधन करना चाहिए और उनका कार्यान्वयन करना चाहिए।

जहां तक भूमि सुधार का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि सरकार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसा करने से रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि यद्यपि मेरे मित्र श्री पाटिल जी का उद्देश्य बहुत ही प्रशंसनीय है, तथापि मैं समझता हूं सरकार को इस पर सोचना चाहिए। सिद्धान्तों का उल्लेख कर दिया गया है। सदस्यों ने अपने विचार प्रकट कर दिये हैं कि असंगठित श्रमिकों की रक्षा की जानी चाहिये और उन्हें उनका अधिकार अवश्य मिलना चाहिए। यह संदेश सरकार तक पहुंच गया है और अब सरकार को यह देखना है कि इन लक्ष्यों को कैसे पूरा किया जा सकता है।

सभापति महोदय: क्या हम समय एक घंटा बढ़ा दें?

कुछ माननीय सदस्य: जी हां।

सभापति महोदय: अब श्री पीयूष तिरकी बोलेंगे।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार): मेरे मित्र श्री बालासाहिब विखे पाटिल द्वारा पेश किया गया यह विधेयक प्रशंसनीय है। उन्होंने असंगठित श्रमिकों को, जो कि एक बड़ी शक्ति है, भारतीय जनता की मुख्य धारा में लाने के लिये भरपूर चेष्टा की है

यह सरकार का फर्ज है और विशेष रूप से केन्द्र सरकार का, क्योंकि हमने मूल अधिकारों में पहले ही कह दिया है कि स्वतंत्र भारत में हर किसी को जीवन की प्रत्येक गतिविधियों में समान अधिकार प्राप्त रहेगा। अतः वर्तमान स्थिति स्वयं मूल अधिकारों की एक चुनौती है। इस समस्या को हम किस प्रकार सुलझा रहे हैं?

यदि सरकार वास्तव में लोगों को संगठित करना चाहती है तो उसके सामने क्या समस्यायें हैं? हमने अपने प्रशासकीय तंत्र को संगठित किया है। हमारे यहां गांव, प्रखण्ड, अनुमंडल और जिले हैं। इन असंगठित श्रमिकों को संगठित करने में सरकार को क्या कठिनाई है? यदि सरकार प्रखण्ड स्तर के प्रशासकीय अधिकारियों के पास परिपत्र भेजती है तो वे आसानी से यह सूचना दे सकते हैं कि कितने असंगठित श्रमिक, कृषि श्रमिक और अन्य श्रमिक वहां हैं जोकि भूमिहीन हैं जो काम की तलाश में हैं। यदि प्रत्येक प्रखण्ड से पता लग जाये कि उस क्षेत्र में कितने अतिरिक्त श्रमिक हैं तो आप तुरन्त एक महीने के अन्दर ही पूरे भारत से आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद ही सरकार इन लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था संबंधी व्यापक विधेयक ला सकती है और उन्हें मनुष्यों की भांति रहने योग्य बना सकती है।

स्वतंत्र भारत में सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि सरकार की नीति योग्यतम की अनिर्जीविता वाली है। चाहे प्रखण्ड हो, अनुमंडल, जिला, राज्य अथवा अखिल भारतीय स्तर हो, हमारा प्रशासन सुसंपन्न लोगों की ही रक्षा कर रहा है, प्रखण्ड और गांवों में भी बड़े लोगों की ही रक्षा हो रही है। पुलिस क्या कर रही है? यह बड़े जमींदारों और सुसम्पन्न लोगों के हितों की रक्षा कर रही है। गरीबों की कोई नहीं सुन रहा है और भूमिहीन और असंगठित श्रमिकों की तो बात ही क्या है। यह सब हो रहा है। यदि सरकार बात को गम्भीरतापूर्वक ले तो इन्हें रोजगार देना और संगठित करना उसके लिये मुश्किल नहीं है। प्रखण्ड स्तर पर भी हमारे अनेक विकास कार्य हैं। कुछेक प्रखण्डों में 100 या 200 ऐसे श्रमिक हैं जिनके पास न कोई काम है और न कोई जमीन और न ही रोजगार की निश्चितता, क्या हम उनके लिये कुछ नहीं कर सकते? यदि किसी प्रखंड में अतिरिक्त श्रमिक शक्ति है तो इसे उस प्रखण्ड में काम में लाया जा सकता है जहां श्रम की कमी है। इस प्रकार आप बेरोजगारी को भारत से दूर कर सकते हैं जिसके लिए हमें शर्म आनी चाहिए। हमारा जीवन स्तर बहुत ही नीचा है। हम लोग संसार के गरीबतम राष्ट्रों में हैं। यदि यह स्थिति बनी रही और केन्द्र सरकार की ओर से व्यापक विधेयक नहीं लाया गया तो यही स्थिति 100 वर्षों के बाद भी बनी रहेगी। अतः सरकार की नीति में ही गरीबों की सुरक्षा की बात रहनी चाहिए।

सुसम्पन्नों की ही सुरक्षा नहीं, जैसाकि अभी हो रहा है, बल्कि हम लोग उद्योगपतियों, धनी लोगों, दुकानदारों, चोरबाजारियों और ठेकेदारों की भी रक्षा कर रहे हैं।

हमारे प्रशासकीय लोग कहां काम कर रहे हैं? क्या आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस प्रखण्ड या उस प्रखण्ड में कितने लोग महीना भर या सप्ताह भर बिना खाये रहते हैं? वे बिना किसी काम के यहां-वहां भटक रहे हैं। हमारे लिये इन व्यक्तियों को कब महत्व दिया जायेगा?

सिर्फ चुनाव के वक्त ही इन लोगों का महत्व होता है। जब चुनाव आता है हम इनसे अनेक वायदे करते हैं, हम उनके बीच साड़ी, चावल और अन्य बहुत सी चीजें बांटते हैं। हम उनके बच्चों के लिये और विद्यालय खोलने का और उन्हें नौकरी देने का भी वायदा करते हैं। हम उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं जिससे वे अपना मतदान हमारे पक्ष में करें। उनके विकास के लिये हम संसद में बहुत सी बातें कहते हैं। यदि सरकार सच्चे मन से उनकी मदद नहीं करती है तो इन लोगों को साथ लेकर चलना हमारे लिये असंभव है।

अब मैं उनकी निरक्षरता और उन्हें साक्षर बनाने की बात करूंगा। हमारे पास आंकड़े भी हैं। यहां मानव संसाधन विकास मंत्री को यहां होना चाहिए था क्योंकि यह उनसे ही संबंधित मामला है, यह प्रत्यक्षतः श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है।

इसके लिए यही लोग उत्तरदायी हैं। जनशक्ति क्या है? हमने इस जनशक्ति की उपेक्षा की है। हम कुछ बड़े उद्योगपतियों के बारे में सोच रहे हैं। हम इस बारे में भी विचार कर रहे हैं कि धनराशि कहां से ली जाए अथवा जमीन कहां ली जाए और किसके लिए ली जाए। असंगठित, बेरोजगार और शिक्षित बेरोजगार लोगों

[श्री पीयूष तिरकी]

की संख्या भी दिन पर दिन बढ़ रही है। रोजगार कार्यालय के रजिस्टर में भी यह संख्या लगभग 30 करोड़ है। हम इस समस्या को छूते भर हैं, इसके समाधान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारत में बेरोजगारी की यह समस्या बढ़ रही है। सरकार इस बारे में गंभीर नहीं है। सत्ताधारी दल उनके बारे में केवल चुनाव से पूर्व ही सोचती है और उन्हें कुछ राहत देती है ताकि वे उनके समर्थन में अपना मत दें और निर्वाचित सदस्य उनके विकास के लिए संसद में बोलें। वे ऐसा केवल चुनाव से पूर्व ही करते हैं; वे इस दिशा में ऐसे सुव्यवस्थित तरीके से कार्य नहीं करना चाहते कि उनकी समस्याएं स्थाई रूप से हल हो जाएं। इस प्रकार, इस नीति को बदला जाए और एक व्यापक विधेयक लाया जाए।

भारत में जन्मे सभी भारतीयों को मानव के रूप में रहने के समान अधिकार हैं भिखारियों की तरह जीने का नहीं। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इनमें से अधिकांश लोग भिखारियों की बजाये मानव के रूप में रहें। झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग घरेलू नौकरों का तथा अन्य कार्य करते हैं और उन्हें अनेक बीमारियां होती हैं। जब ये लोग समृद्ध लोगों के घरों में घरेलू नौकर के रूप में कार्य करते हैं तब उन्हें अनेक बीमारियां होती हैं जिसके फलस्वरूप समृद्ध लोग भी इन बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार, यदि लोगों का यह वर्ग सुरक्षित नहीं है, इनके साथ सही व्यवहार नहीं होता है, उन्हें पहनने को कपड़ा नहीं मिलता है और उचित शिक्षा नहीं दी जाती है तो समृद्ध लोग भी प्रभावित होंगे और बीमार लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। अतः यदि भारत को समृद्ध होना है तो इन लोगों की भी मानव के रूप में देखभाल की जाए: न सिर्फ उनकी शिक्षा, आवास समस्या, खाने पर बल्कि हर विषय में देखभाल की जाए।

मैंने यह दिल्ली में देखा है। चुनाव से पहले लोगों की कालोनियों में अस्थाई रूप से सभी सुविधाएं दे दी जाती हैं। क्योंकि उन्होंने आपको सत्ता में आने के लिए मत दिया है और आप यहां संसद में आए हैं तो क्या यह सुनिश्चित करना आपका कर्तव्य नहीं है कि वे भी बराबर के अधिकार पाएं और मानव की तरह रहें? और ये लोग स्वतंत्र होने चाहिएं और वे स्वतंत्र भारतीयों की तरह महसूस करें। उन्हें सभी अवसर मिलने चाहिएं, अन्य सभी के साथ बराबर अवसर तथा उनके बच्चों को भी महाप्रबन्धक तथा अन्य पदों जैसे पद प्राप्त करने के अवसर मिलने चाहिएं। उनमें प्रबन्धन की क्षमता होनी चाहिए। उनके पास सभी प्रकार का ज्ञान है लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल रहे हैं।

अब मैं शिक्षा के बारे में कहता हूं। जिनके पास पैसा है वही लोग स्कूलों में शिक्षा पाते हैं। इसका अनुभव आप दिल्ली में देख सकते हैं। लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों या केन्द्रीय स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए सिफारिश हेतु संसद सदस्यों के पास आ रहे हैं। लेकिन आम लोगों को क्या मिलता है? उन्हें कोई शिक्षा नहीं मिलती है। ज्यादातर लोगों को कोई शिक्षा नहीं मिलती है। सरकार इसी नीति का अभी भी अनुसरण कर रही है। अतः यह नीति पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है और यह गलत धारणाओं पर आधारित है। भारत में सभी लोगों को बराबर अधिकार और अवसर मिलने चाहिएं। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सुनिश्चित करे कि सभी लोगों को बराबर के अवसर मिलें। आप संभवतः जिलों में प्रशासन चला रहे हैं, सारे भारत को देख रहे हैं। हम यहां पर सदस्य की हैसियत से बोल रहे हैं और सरकार को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। अभी अभी मंत्री महोदय के यह कहने के लिए बाध्य किया जाएगा कि सारे भारत में आदिवासी क्षेत्रों में अशांति है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में लोगों ने स्वतंत्रता के सही मतलब के बारे में सोचना अथवा पूछना शुरू कर दिया है।

हमने इतिहास में पढ़ा है कि चार आश्रम होते थे और कुछ वर्गों के लोगों को अन्य वर्गों की सेवा के लिए गुलाम की तरह रहना चाहिए। समस्या भी यही है और सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिए।

हमें साक्षरता की जरूरत है। इन लोगों को कैसे खपाया जाए? मैं इस पर पुनः आ रहा हूं। आप इन्हें हर खंड में पाते हैं। आप यह गिन सकते हैं कि एक प्राथमिक स्कूल में कितने बच्चे हैं, या एक प्राथमिक स्कूल को चलाने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत है। आप वहां भी अनेक लोगों को नौकरी दे सकते हैं। स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी आप देख सकते हैं कि इसके लिए कितने पुरुषों और महिलाओं की जरूरत है। आप उन्हें स्वास्थ्य की देखभाल के कार्यक्रम में खपा सकते हैं। सड़कें, पुल, नहरें तथा ऐसे अनेक कार्य हैं जिनकी जरूरत है। पंचवर्षीय योजनाओं में इस बारे में क्या योजनाएं हैं? हम बाहर से ठेकेदार क्यों ले रहे हैं? उसी कार्य को करने के लिए हम इन लोगों को क्यों नहीं लेते जो उनके राज्यों या खंडों में यही कार्य कर रहे हैं? लेकिन उन्हें अन्य खंडों तथा क्षेत्रों में भी कार्य करना चाहिए।

यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हर खन्ड के लिए कितने खाद्यान्न, कपड़ा, दूध, खाद्यान्न की जरूरत है। क्या आप एक खंड के लिए जरूरी सारी चीजें प्राप्त करने की योजना नहीं बना सकते हैं?

आप गोदामों में चीजें जमा कर रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम के अपने गोदामों में खाद्यान्न हैं और बाढ़ तथा सूखा लगभग हर वर्ष आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है? जमा किए गए खाद्यान्न की काफी मात्रा या तो खराब हो जाती है या चोरी हो जाती है। हर जगह बिचौलिए की समस्या भी सदैव विद्यमान है। अतः यदि आप इस बारे में गंभीर हैं तो इसके लिए कुछ कीजिए।

महोदय, प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा है कि योजनाएं खंड स्तर से ही आनी चाहिएं। क्या योजनाएं हैं? मैंने अभी कहा है कि ये योजनाएं होनी चाहिएं। खंडों की योजनाएं वहीं से ली जाएं, यदि संभव है तो उन्हें इसे वहीं से प्राप्त करना चाहिए। यदि ऐसा हो तो मुझे विश्वास है कि वे समस्या को हल कर सकते हैं। हम इसे दिल्ली से हल नहीं कर सकते। लेकिन आप में यह कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए। गरीब मजदूरों, निम्न श्रेणी के लोगों, बेरोजगार पुरुषों, महिलाओं, असंगठित श्रमिकों तथा कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा आपके प्रशासन द्वारा की जानी चाहिए। आप खण्ड स्तर के अधिकारियों को यह क्यों नहीं कहते कि जो बेरोजगार कृषि मजदूर हैं उनके नाम दर्ज करें? आप उन्हें नाम दर्ज करने के लिए कहिए। आप किसी परियोजना को चलाने वाले लोगों को कहिए कि श्रमिक यहां से लें और उन्हें बताएं कि क्या-क्या निबन्धन और शर्तें हैं। इस प्रकार यदि सरकार गंभीर हो तो उसके लिए ऐसा करना कठिन नहीं है।

महोदय, मैं इस सरकार को पुनः सावधान करता हूं कि वोट प्राप्त करने के उद्देश्य वाले नारे लगाने का प्रयास न करें। आपने सारे भारत में नेहरू शताब्दी दौड़ आयोजित की है। आप इन असंगठित गरीब श्रमिकों को क्यों नहीं संगठित कर सकते जिनको भारतीय के रूप में रहने के बराबर अधिकार हैं? जब आप शान शौकत के साथ भारत महोत्सव आयोजित कर सकते हैं तो ऐसे कार्य क्यों नहीं आयोजित करते? इस प्रकार अगर सरकार इस बारे में गंभीर है तो यह कार्य सरकार के लिए मुश्किल नहीं है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे): ऐसा लगता है आपको दोनों में फर्क नहीं मालूम होता। आपको समस्या की विशालता का पता नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पियूष तिरकी: ऐसे कार्य आयोजित करने के लिए आपके पास क्षमता है। तभी तो मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। आप इन कार्यों को आयोजित करने में अपनी क्षमता प्रदर्शित क्यों नहीं करते हैं? मेरा यही प्रश्न है।

[श्री पीयूष तिरकी]

महोदय, सरकार इन लोगों को संगठित नहीं करना चाहती है। इन गरीब लोगों को भी स्वतन्त्रता का आनन्द प्राप्त होना चाहिए। सभी बड़े लोग, ठेकेदार, उद्योगपति और **काला बाजारी** करने वाले लोग भारत में स्वतन्त्रता का लाभ उठा रहे हैं जबकि भारत का निर्माण करने वाले हर रोज पीड़ित हो रहे हैं।

महोदय, सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार करे। मुझे आशा है कि बिहार से आने वाले श्रम मंत्री, जहां पर अत्यधिक शोषण हो रहा है, वे इस पर विचार करेंगे और एक व्यापक विधेयक लाएंगे ताकि जो आजादी हमें 1947 में मिली उसका लाभ इन लोगों को भी मिले।

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी [शिमला]: माननीय चेयरमैन साहब, मैं असंगठित श्रमिक विधेयक पेश करने के लिए श्री बालासाहिब विखे पाटिल जी को मुबारकबाद देता हूं क्योंकि इस पर पूरे सदन को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पूरे हिन्दुस्तान में रोजगार कार्यालयों में बेकारों के नाम दर्ज हैं, उनकी तादाद ली जाए तो वह काफी हो जाती है। ये असंगठित मजदूर हर स्थान पर बेकारी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने प्रस्ताव रखा है जिसके द्वारा कुछ राशि जमा करने के लिए राज्य सरकार को और भारत सरकार को कहा जाये जिससे असंगठित मजदूर काम कर रहे हैं इनके लिए एक नीति बन सके और कल्याण हो तो यह एक अच्छी बात है। मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि हमारी सरकार को जंगलात ज्यादा लगाने चाहिए। इसके लिए मैं समझता हूं जैसे आर्मी में भर्ती होती है वैसे ही बेरोजगार नौजवानों को इसमें लिया जाये और पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर पर उनकी भर्ती हो। जितना पैसा हम जंगलों के लिए राज्य सरकारों को देते हैं उसको सही जगह खर्च किया जाये जिससे इन बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और वनों के क्षेत्र में ग्रीन रिवोल्यूशन भी आयेगी। इसके बारे में भारत सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि जो जंगल कट गये हैं उनकी जगह नये जंगल लगाये जायें। महिला वर्ग में भी बहुत बड़ी तादाद में महिलायें बेरोजगार हैं, खासकर गांवों में। वह वहां गाय-भैंसों पर सारा दिन काम करती हैं लेकिन उतनी मजदूरी उनको नहीं मिल पाती जितना कि वे श्रम करती हैं। यहां पर भूमि की कमी का भी जिक्र किया गया। इन्दिरा गांधी जी जब हमारी प्रधान मंत्री थीं तो उन्होंने देश के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम बनाया और उसमें गरीबों को जमीन का मालिक बनाने का भी एक सूत्र रखा। उससे कई गरीब लोगों को तो जमीन प्राप्त हुई, लेकिन कई जगह लोगों को पट्टे तो मिल गये, कब्जा नहीं मिला मौके पर। बहुत से लोग आज भी भूमिहीन हैं और दूसरों की जमीन पर काम करते हैं। उनके लिए सरकार ने कोई पग नहीं उठाया। जो बड़े पूंजीपति हैं और सरकारी सेवाओं में भी हैं साथ ही कई एकड़ भूमि के मालिक भी हैं, अगर आप गरीब लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं तो जो लोग इनकी भूमि पर काम करते हैं जितना काम करते हैं उतना उनको वेतन नहीं मिलता है, मजदूरी नहीं मिलती है तो ऐसे लोगों से भूमि लेकर इन लोगों में बांट दीजिए इसके लिए आपको एक विधेयक लाना चाहिए। हमारे विपक्ष के लोग इस पर कहते हैं कि यह तो इलेक्शन स्टंट होता है जब हम इस तरह की बात कहते हैं तो वे यही कहते हैं कि यह काम चुनावों को देखते हुए किया गया है। ऐसी बात नहीं है आज देश के अन्दर कांग्रेस पार्टी ने ही गरीब लोगों को ऊपर उठाने का काम किया है और गांव के लोगों को उनका हक दिलाया है। यहां पर ऐसे दल भी हैं जिन्होंने बड़े-बड़े लोगों के कर्जे माफ करने का दावा किया है, कई राज्यों में ऐसा हुआ है। जो लोग सरकार का कर्जा लौटाना नहीं चाहते उनका कर्जा सरकार ने माफ कर दिया मैं समझता हूं कि यह एक अपराध है। क्योंकि जो भुखमरी का शिकार हैं उनको फायदा नहीं पहुंचाया गया। लेकिन बड़े-बड़े लोगों को, जागीरदारों को कर्जे माफ करने की छूट दे दी जो लोग गरीबों का शोषण करते हैं। आज एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री जी ने कहा था कि भारत में बड़े-बड़े घरानों का बैंकों से लेन-देन ठीक नहीं है, लेकिन गरीबों का हमेशा लेन-देन ठीक होता है उनको

आप क्यों नहीं सहूलियतें देते। जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं वह अपनी ईमानदारी से कभी पीछे नहीं हटेंगे और जो सरकार उनको कर्जे के रूप में पैसा देती है उसको वह वापिस कर देते हैं। जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनकी समस्या को हल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने चाहिए इसके लिए आप पंचायत के स्तर पर लोगों को रोजगार देने का काम करें। माननीय पाटिल साहब ने कहा उसके मुताबिक जमा करें जिससे वे लोग अपनी जिन्दगी सही रूप में बसर कर सकें। जब हम अपने देश में बंधुआ मजदूरों की हालत देखते हैं, उनकी स्थिति देखते हैं, वह भी बहुत खराब है। हमारे यहां बिहार और उड़ीसा से भारी संख्या में लोग मजदूरी करने के लिये आते हैं और उन्हें बहुत सस्ती दर पर मजदूरी दी जाती है। वे सब अनआर्गेनाइज्ड लेबर होते हैं। पहले तो राज्य सरकारों का यह फर्ज बनता है कि उनके राज्य से जो लोग माइग्रेट करके दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जायें, उनका बाकायदा वहां रजिस्ट्रेशन हो ताकि पता चल सके कि कितने लोग किस राज्य में गये। दूसरे हमारे देश से बहुत से मजदूर विदेशों में भी जाते हैं, वहां भी उनका शोषण होता है, एक्सप्लायटेशन होता है। दुबई जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं। भारत सरकार को यह देखना चाहिये कि भारतीय मूल के मजदूरों के साथ जहां-जहां भी एक्सप्लायटेशन होता है, चाहे देश में हो या विदेश में, इसे रोकने का प्रयत्न करे, उसके लिए कोई विधेयक लाये। हमारे यहां उद्योगों की संख्या बहुत है, पब्लिक अण्डरटेकिंग्स हैं, जिनमें उन लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन विपक्ष के लोग उन्हें एजीटेशन करने को उकसाते हैं और काम ही नहीं करने देते। इससे हमारी प्रोडक्शन को धक्का पहुंचता है और मजदूर बेकार हो जाते हैं। उसके बाद, वे ही लोग सरकार पर आरोप लगाते हैं कि देश में बेकारों की फौज बढ़ती चली जा रही है, सरकार कुछ नहीं करती। क्यों वे लाल झण्डा लेकर मजदूरों को गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और प्रोडक्शन कम कराना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। मैंने कई कारखानों में देखा है जहां मजदूरों का शोषण होता है। सरमायेदार उनका शोषण करते हैं, विपक्षी पार्टियों के लोग शोषण करते हैं, हर तरफ उनका शोषण किया जाता है। उनसे सिर्फ चन्दा लेने की बात की जाती है, बाकी कुछ नहीं। यहां महाराष्ट्र के कितने एम० पीज० बैठे हैं, वे जानते होंगे कि महाराष्ट्र में मजदूरों का कैसे शोषण किया जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में कारखाने बहुत हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मजदूरों का हित इस देश में यदि किसी ने किया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया, जब हमारा बम्बई में सैशन हुआ था तो हमने इस देश के मजदूरों के हित में अनेक फैसले लिये। उन्हें सिक यूनिट्स में लेने का फैसला लिया ताकि उन लोगों को कुछ राहत मिले। वे चार-चार साल से बेकार बैठे थे। आज भी देश के अनेक कारखानों में गरीब लोगों का शोषण होता है, उन्हें सिवाय एक्सप्लायटेशन के कुछ नहीं मिलता। हमारी सरकार ने गरीब लोगों की हमेशा मदद की है और आगे भी करती रहेगी। मैं यहां आपके माध्यम से सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि जैसे आपने वोटिंग ऐज 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी है, मेरी मांग है कि सरकारी नौकरियों में रिटायरमैंट की आयु 58 साल से 55 साल कर दी जाये और किसी भी हालत में 55 साल से ऊपर किसी व्यक्ति को एक्सटैंशन न दी जाये। आज 58 साल की उम्र हो जाने के बावजूद उसे एक्सटैंशन देते रहते हैं। इससे भी हमें बेकारी की समस्या को हल करने में काफी सहायता मिलेगी क्योंकि ज्यादा जगहें खाली होंगी और हम लोगों की भर्ती कर सकेंगे। आज गरीब लोगों में गलत भावना पैदा हो रही है। हम देखते हैं कि सरकारी कर्मचारी अपनी यूनियनें बना कर सरकार के लिये नयी समस्या पैदा करते रहते हैं। वे काम न करके अपना टाइम दूसरी चीजों में जाया करते रहते हैं। शनिवार और रविवार की छुट्टियां रखकर हमने उनका फायदा जरूर कर दिया है लेकिन गांव के किसान और गरीब को उसका कोई फायदा नहीं मिलता, उसे समय से नकद सहायता नहीं मिलती। चाहे कर्मचारी घर बैठें, बाहर जायें, छुट्टियां लें, उन्हें पूरी तनख्वाह मिल जाती है। वे हमेशा, कोई सरकार आये, उसी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर देते हैं और हमारे विपक्ष के लोग उसे उछालते हैं कि गरीबों को कुछ नहीं मिलता। मेरा सरकार से आग्रह है कि आप रिटायरमैंट की आयु घटाकर 55 साल कर दीजिये, फिर आप देखेंगे कि गांव के नौजवानों को भी नौकरी में आने का मौका मिलेगा, वे भी शहरों में आकर नौकरी करेंगे।

[श्री के० डी० सुल्तानपुरी]

एक निवेदन मैं यह भी करना चाहता हूं कि गांव का लड़का चाहे कितनी कोशिश कर ले थर्ड डिवीजन से ज्यादा अच्छे अंकों से पास नहीं हो सकता क्योंकि उसे पूरी सहूलियतें नहीं मिलतीं जिससे वह अच्छे अंक पा सके। जैसा यहां पाटिल साहब ने कहा, कोई आदमी अपने बच्चों को तभी पढ़ा सकता है अगर उसके पास कुछ पैसा जमा हो। आज जितने लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई थर्ड डिवीजन से ऊपर नहीं जाता है। और कड़ा कम्पीटीशन होता है किसी लड़के के साथ, तो मैं समझता हूं कि वे कामयाब नहीं हो सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन का भी यह हो गया कि उसमें भी जिसके हाइएस्ट नंबर हो, वह नौकरी में लगेगा। बैंक की नौकरी उसको नहीं मिलती, चपरासी की नौकरी उसको नहीं मिलती, पानी भरने की नौकरी भी उसको नहीं मिलती है। कोई भी नौकरी गांव वालों को प्राप्त नहीं है। हमारी दशा तो और भी खराब है। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, उनकी हालत ज्यादा खराब है। हमारी जो फसल होती है, उसकी भी लूटमार करने वाले आजाद मार्किट में आढ़तिये बैठे हुए हैं। सुबह कोई ऑक्शन नहीं होती। शाम को झोली डालते हैं और वे आपस में ही तय कर लेते हैं कि इनको यह भाव मिलना चाहिए। यही हालत सब पहाड़ के लोगों की है। चाहे वे गढ़वाली के पहाड़ी हों, चाहे हिमाचल प्रदेश के हों और चाहे जम्मू एवं काश्मीर के हों। ये आढ़त वाले हमारा शोषण करते हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसके लिये भी कुछ पग उठाने चाहिए, ताकि ये हमारा शोषण न कर सकें।

सभापति महोदय, हर स्टेट में सरकार का कोई न कोई उपक्रम लगा हुआ है। कोई न कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं है। अभी पंजाब में रेल कोच बनाने का कारखाना लगा है, लेकिन हमारे यहां कुछ नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में आर्डनेंस फैक्टरी सरकार लगाए। उसका सर्वे भी करवाया गया है। यू० पी० में 11 के करीब फैक्टरी लगी हुई हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसकी तरफ खास ध्यान देना चाहिए। वहां पर बहुत गरीबी है। वहां पर खेती भी ज्यादा नहीं होती है। बड़ी मुश्किल से अपनी उदरपूर्ति के लिये अनाज का प्रोडक्शन होता है। वहां पर सेब का प्रोडक्शन होता है और थोड़ा स्टोन फ्रूट का प्रोडक्शन होता है, इससे ही वहां के लोग अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं।

सभापति महोदय, जो भूमिहीन मजदूर हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको भूमि देने का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि वे भी यह समझें कि यह राष्ट्र हमारा भी है। हमारे क्षेत्र में और अन्य राज्यों में भी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में भूमि दी गई है, मेरा आपसे निवेदन है कि उन राज्यों को हिदायत होनी चाहिए कि जो पट्टे दिए गए हैं, उनको कम से कम वह भूमि मिल जानी चाहिए, चाहे वह किसी तरह से मिले।

मैं यह कहना चाहूंगा कि आपके उद्योगों का विस्तार होना चाहिए और उनमें ऐसे लोगों को लगाना चाहिए जो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले हैं। जहां पर आई० टी० आई० नहीं है वहां पर आई० टी० आई० खोलनी चाहिए और जहां पर आई० टी० आई० ट्रेड लड़के हैं, उनको नौकरी में लगाना चाहिए। जिस किस्म की इंडस्ट्री लगाते हैं, उसी किस्म की ट्रेनिंग लड़कों को आई० टी० आई० में देनी चाहिए, नहीं तो यह कह दिया जाता है कि वे आई० टी० आई० का पास नहीं है। मेरा निवेदन है कि राष्ट्र में एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें जितने भी आई० टी० आई० से ट्रेड लड़के हों उन सब को नौकरी मिल जाए। आज जो आपका यह बीस सूत्री कार्यक्रम है, इसका भी बड़ा लंबा प्रोसैस है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने किसानों की एक रैली में बोलते हुए कहा था कि हम केन्द्र से 6 रुपये किसानों के लिये भेजते हैं, तो मुश्किल से एक रुपया ही उन तक पहुंच पाता है और पांच रुपये बीच में ही लोग खा जाते हैं। उन्होंने कहा था कि उनको ठीक पैसा मिलना

चाहिए। हम कहते हैं कि उनको ठीक पैसा तभी मिल सकता है जब हम पंचायतराज को और मजबूत करें और यह राष्ट्रहित में है कि पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाएं क्योंकि गांव की बेरोजगारी पंचायतों के जरिए ही खत्म की जा सकती है। हमारी पार्टी पंचायतीराज को मजबूत कर बेरोजगारी को खत्म करने का प्रोग्राम कर रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं समझता हूं कि इसका फायदा संगठित के साथ-साथ असंगठित मजदूरों को होना चाहिए। वे भी इसका फायदा उठा सकते हैं। इनका कार्यान्वयन इस तरह होना चाहिए कि पंचायतों को पैसा जाए। राज्य सरकार को भी खासतौर से ध्यान रखना चाहिए कि यह पैसा पंचायतों को जाए और पंचायत के जरिए उन लोगों को रोजगार प्राप्त हो।

शिक्षा के मामले में जो गरीब हैं, वह गरीब स्कूलों में पढ़ते हैं और जो अमीर हैं वह अमीर स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन आम लोग शिक्षा से कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने हर जिले में नवोदय स्कूल खोले हैं, उनसे कुछ लोगों को फायदा पहुंचा है लेकिन उसमें भी अपने-अपने लड़कों को आगे भेज देते हैं। अगर इसकी ठीक मौनिटरिंग हो तो आपको पता लगेगा कि कितने अन-आर्गेनाईज्ड लेबर के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। इस सिलसिले में आपको उचित कदम उठाने पड़ेंगे तभी लोगों को फायदा हो सकेगा।

जहां गरीब लोग रहते हैं, वहां शिक्षा फ्री दें लेकिन वहां पर मास्टर जरूर होने चाहिए। अभी मास्टर वहां जाते ही नहीं हैं जहां गरीबों के स्कूल खुले हैं। अगर गरीबों को पढ़ाने के लिये सरकार ने कोई इंतजाम किया है तो हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि गांव में चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों, जो अभी वहां पर अनपढ़ता है, तो वह लोग अपने हकों को पहचानें लेकिन अभी भी इस मामले में हमारा बहुत सा पैसा जाया जा रहा है। इसको हमें देखना चाहिए। यद्यपि यह बात इसमें आती नहीं है लेकिन जो इन्होंने दफा 4 में कहा है कि आर्गेनाइज्ड लेबर वालों से भी इसमें पैसा लेना चाहिए तो यह बुरी बात नहीं है। पैसा उनसे लेना चाहिए । कानूनदां तो अपनी मर्जी से करते हैं, वह लोग उनकी वकालत करते हैं।

जो विपक्ष के लोग चन्दा खा जाते हैं, तो यह कितनी अच्छी बात होगी कि आर्गेनाइज्ड लेबर वालों से चन्दा जाए तो इससे उनकी पूंजी बढ़ेगी और उससे गरीब लोग फायदा उठा सकते हैं।

मैं विखे पाटिल जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने एक अच्छा विधेयक हमारे सामने रखा है। इसके लिये मेरा पूरा समर्थन है। इन्होंने दुबे जी को कहा है कि वह पुराने नेता हैं, लेबर से जुड़े हुए नेता हैं और लेबर के लिए इन्होंने सारी शक्ति लगाई है तो इसमें अगर कोई कसर भी है तो सरकार कोई अच्छा विधेयक लाए और उसमें ऐसी व्यवस्था करे कि जो ख्वामाख्वाह लेबर को भड़का कर कारखानों को खराब कर देते हैं, सारे देश को बरबाद करते हैं, उनके लिए उसमें पूरा इंतजाम होना चाहिए।

जो नेता होते हैं, वह कहते हैं कि चलो तुम्हारी तनख्वाह बढ़वा देते हैं लेकिन वह तनख्वाह बढ़वाते नहीं। उनका पैसा जरूर बन जाता है। अभी यहां हमारे दत्ता सामन्त तो हैं नहीं लेकिन उनके जो आदमी हैं वह जरूर इस बात को जानते हैं कि वह क्या काम करते हैं। तो जो इस तरह का वातावरण पैदा करने वाले हैं, उनके बारे में हमारी सरकार को निर्णय लेना चाहिए और जो इस विधेयक से थोड़ी राहत लोगों को मिलेगी वह मिलनी चाहिए यह जरूर होना चाहिए कि थोड़ी राशि उन लोगों को जरूर मिलनी चाहिए जो हमारे पाटिल साहब का विचार है। मैं उनको इस बिल के लिए मुबारकबाद देता हूं और मुझे आशा है कि मंत्री जी इस पर ध्यान देकर इन बातों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री मनोज पांडे (बेतिया): सभापति महोदय, यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि पाटिल जी ने असंगठित मजदूरों से संबंधित कल्याण निधि की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में बहुत ही सुन्दर प्रस्ताव रखा है।

[श्री मनोज पांडे]

हालांकि इसके पीछे जो उनकी भावनाएं हैं, वह इस प्रस्ताव से भी अच्छी भावनाएं हैं। इस प्रस्ताव के मारफत पाटिल जी ने एक चेष्टा की शुरूआत की है। देहातों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो असंगठित मजदूर हैं, उनकी व्यवस्था से संबंधित जो प्रस्ताव इन्होंने रखा है, उसमें दो चार बातों की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए अपने कुछ सुझाव रखूंगा।

मान्यवर, अभी तक हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जितने किसान बैठे हैं। सबसे बड़े एम्प्लायर आज भी देहातों में किसान ही हैं। जहां तक असंगठित मजदूरों का सवाल है ऐसे किसान परिवार जिन के यहां यह असंगठित मजदूर कार्यरत हैं उन सब का सैंसस आप हर दस साल में लेते हैं। इसके द्वारा यह पता लग जाता है इतने मजदूर हैं और इतने किसान हैं। इस गांव की कुल इतनी आबादी है। इस सैंसस पर हम करोड़ों और अरबों रुपया खर्च करते हैं। किसी भी ब्लाक में कितने किसान परिवार पंचायतों में रहते हैं इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं रहता है। अगर इसके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हर ब्लाक आफिस में करें तो काफी सहूलियत होगी। इस काम में आपका पैसा भी अधिक खर्च नहीं होगा। जैसे जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन होता है वैसे ही किसान परिवार कितने हैं, उनके नाम क्या हैं और उनकी कितनी जमीनें हैं इन सब का ब्यौरा आप रख देंगे तो वह काफी लाभकारी सिद्ध होगा। वैसे तो ब्लाक में जमीन का खाता मौजूद रहता है लेकिन जो बेनामी जमीन बहुत बड़ी मात्रा में रहती है उसकी जानकारी किसी को नहीं रह पाती है।

इन सब चीजों के अलावा अगर उसमें इस बात का भी ब्यौरा हो कि फलां जमीन में कितनी फसल होती है तो भी काफी अच्छा रहेगा। यह तो सभी जानते हैं कि कहीं तो दो फसली जमीन होती है और कहीं तीन फसली जमीन होती है। जहां सिंचाई की व्यवस्था रहती है वहां तो अच्छी फसल हो जाती है। सिंचाई की व्यवस्था के आधार पर यदि जमीनों का मापदंड निर्धारित करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इन सब का ब्यौरा रखने के बाद यह निर्धारित कर लें कि उन जमीनों में काम करने वाले असंगठित श्रमिक परिवार कितने हैं। इससे हमें सभी के नाम आसानी से मिल जायेंगे। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहूंगा। धान और गेहूं दो ऐसी पैदावार हैं जो कि भारतवर्ष के हर कोने में होती हैं। एक जमीन जहां सिंचाई की व्यवस्था है वहां अवश्य ही गेहूं और धान की पैदावार अच्छी होती है।

मान्यवर, हम किसान परिवार से आये हैं। इस कारण हमें इन सब बातों की जानकारी अच्छी तरह से है। गांवों में सब लोगों को यह पता होता है कि फलां-फंला परिवार इन खेतों में काम करते हैं। इसी प्रकार से गेहूं और धान पैदा करने वाले परिवार भी लगभग तय होते हैं। यदि हम उन श्रमिक परिवारों को उन किसान परिवारों से जोड़ें और फिर यह देखें कि एक महीने में उस किसान परिवार से उस मजदूर परिवार को कितनी आय होती है। इससे हम जान पायेंगे कि एस ग्रुप में जो हमारे मजदूर परिवार हैं उनकी आमदनी कितनी है। पहले यह सब जानना आवश्यक है और इसलिए यह प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए ताकि एक गांव की किसान और मजदूरों की व्यवस्था हम जान पायें। इसमें समय तो लगेगा लेकिन संगठन के आधार पर यह कह पाना बड़ा ही अच्छा होगा कि एक किसान परिवार के यहां इस घर के मजदूर परिवार काम करते हैं और उनकी मासिक आमदनी कितनी है, यह जानकारी हमें हो सकती है। यह तो हुआ एम्पलायमेंट, जिसका-जिसका जहां है, उसके विषय में, उसके संबंध में पूर्ण जानकारी की बात, इसके आधार पर हर गांव में हम असंगठित मजदूरों की आय की व्यवस्था किस ढंग से किसान भाइयों के यहां हो पा रही है, इस संबंध में हमें पूरी जानकारी हो सकती है और जैसा आपने कहा कि हम एक निधि, एक वैलफेयर फण्ड बनाने की बात करते हैं। वैलफेयर फण्ड बनाने की बात का समर्थन तो मैं जरूर करता हूं लेकिन हम लोगों का जो एक्सपीरियेंस है, वह यह कहता है कि वैलफेयर फण्ड जब-जब भी बनाये गए हैं, हम लोगों ने उनकी हालत

को भी देखा है, काण्ट्रेक्ट लेबर की बात हो रही है, हम लोगों ने बीड़ी मजदूरों की हालत को भी देखा है। वैलफेयर फण्ड की व्यवस्था होने की बात जब भी आती है, उसमें बहुत गड़बड़ियां होती हैं तो वैलफेयर फण्ड बनाकर हम कुछ मदद करना चाहेंगे, हमारी धारणा यह है। मेरे विचार से होना यह चाहिए कि जब ऐसे असंगठित श्रमिक परिवारों की मासिक आय जान जायेंगे तभी तो हम यह जान पायेंगे कि हमको किस किस की मदद करनी है। अभी तो 30 करोड़ आबादी रुरल लेबर है या 28 करोड़ है या 32 करोड़ है, हम तादाद से जानते आये हैं। हमने इण्डीविजुअलाइजेशन करने के कोशिश नहीं की और संगठन बनाने में सबसे पहले यह जानकारी आवश्यक होगी कि वास्तव में एक गांव में कितने मजदूर परिवार हैं। यह सेन्सस नहीं बता पायेगा, सेन्सस तो तादाद बता पाता है, यह आ जाता है लेबर की किसी किताब में, हम लोगों को जो बुकलेट मिलती है कि इस साल 1980-81 की सेन्सस में 32 करोड़ रूरल लेबर हो गई। किसान 56 से घटकर 40 करोड़ हो गये, यह तादाद तो बता पायेगा लेकिन तादाद की आवश्यकता नहीं है, तादाद से ज्यादा आवश्यकता इण्डीविजुअलाईजेशन की है, यह करने की आवश्यकता है और यह तभी हो सकता है जब हर ब्लाक में किसान परिवारों का हम रजिस्ट्रेशन करें और इस रजिस्ट्रेशन को ही हम सबसे आवश्यक चीज मानें। हमारे माननीय मंत्री जी बहुत ही पुराने मजदूर नेता हैं और बिहार के मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं, उनको इस बात की जानकारी है और वह इस मामले में बहुत प्रौढ़ हैं, वह इन बातों को जानते हैं। आज हम यह कहते हैं कि हम भारतवासी हैं, हमारे पास कितनी जमीन है लेकिन हम भारतवासी हैं, इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। इस चीज की चर्चा भी होती है कि यदि कोई विदेशी पूर्णिया में आ जाय, हमारे यहां बंगलादेश से लोग आकर बस गये और कहते हैं कि हमारा यह रिलेशन है, इस घर में 10 आदमी थे लेकिन वोटर लिस्ट में 50 आदमियों का नाम होगा, यदि यह रजिस्ट्रेशन हम करायें तो हम यह भी कह सकते है कि वास्तव में भारतवर्ष की आबादी कितनी है। अभी तो 72 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़ कुछ भी कह लें, पांच करोड़ उधर कह लें, 5 करोड़ इधर कह लें। आज प्लानिंग में जो डिफैक्ट है वह जनसंख्या के आधार पर ही होता है। जनसंख्या के लिए 1980-81 का सेन्सस कहते हैं जो बताता है कि 72 करोड़ की आबादी है तो प्लानिंग 72 करोड़ के आधार पर करते हैं और वास्तव में आबादी 78 करोड़ होती है तो एक साल में इस ढंग से प्लानिंग का प्रोसेस भी होता है, वह भी आबादी के मुताबिक नहीं होता। हमेशा आबादी से घटाकर प्लानिंग का प्रोसेस होता है और इसीलिए हम अपनी इकोनोमी को भले बढ़ा लें लेकिन इकोनोमी को बढ़ाने के साथ-साथ हमारी आबादी वास्तव में कितनी बढ़ रही है, इसके विषय में सिर्फ सेन्सस कराकर जो काम करते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप अपना भाषण बाद में जारी रख सकते हैं। अब सभा सोमवार, 13 मार्च 1989 को 11 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.00 म०पू०।

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार 13 मार्च, 1989 / 22 फाल्गुन, 1910 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई